

मुकम्मल व मुदल्लल

# असाइले तरावीह

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हजरत मुफ़्तयाने किराम दारूलउलूम देवबंद की तस्दीक व ताईद करदा

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى  
رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ



मुअल्लिफ

मौलाना कारी मुहम्मद रफअत कासमी  
(मुदरिस दारूलउलूम देवबंद)

मुकम्मल व मुदल्लल

# मसाइले तरावीह

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तयाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक के साथ

मुअल्लिफ़

मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी  
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

लिप्यान्तः

मो० मोक़र्रम ज़हीर

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो

मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

किताब का नाम:... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले तरावीह  
मुअल्लिफ:..... मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी  
लिप्यान्तर:..... मो० मोकर्रम ज़हीर  
ज़ेरे निगरानी:..... शकील अन्जुम देहलवी  
तादाद:..... 1100

## Masaile Traveeh

By: Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by

**Anjum Book Depot**

Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

## फेहरिस्ते उब्बानात "मसाइले तरावीह"

उब्बान	सफहात
<u>पहला बाब</u>	
इतिसाब .....	17
जदीद एडीशन के बारे में .....	18
इरशाद गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब दारुलउलूम देवबंद .....	20
राए आली हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब देवबंद .....	22
तकरीज़ मौलाना ज़फ़ीरुद्दीन साहब मुफ्ती दारुलउलूम देवबंद .....	24
अर्जे मुरत्तिब .....	26
रोज़ा और तरावीह बाइसे मग़फ़िरत .....	27
रोज़ा और कुरआन की शिफ़ाअत .....	28
एहतिमामे तरावीह और तादादे रकआत .....	29
इमामे आजम अबू इनीफ़ा से सवाल .....	36
तरावीह सब के लिए सुन्नत है .....	36
हाफ़िज़े कुरआन का तरावीह में कुरआन सुनाना .....	37
क्या तरावीह पढ़ाना इमान की जिम्मादारी है? .....	38
तरावीह में इमामत का हक़ .....	38
तरावीह के लिए हाफ़िज़ का तकरूर .....	39
एक शख़्स दो जगह तरावीह पढ़ा सकता है या नहीं? .....	39
तरावीह में मुआवज़ा की शरई हैसियत .....	40
तरावीह की उजरत बतौर नज़राना .....	41

हाफिजे तरावीह को आमद व रफ्त का किराया पेश करना	
और खाना खिलाना.....	42
तरावीह पर मुआवजा की गुंजाइश .....	42
नाबालिग हाफिज़ का कुरआन पुरख्ता करने के लिए नवाफिल में जमाअत और उसमें शिरकत का हुक्म.....	44
बच्चे के पीछे तरावीह का मस्अला.....	44
बालिग हो गया मगर दाढ़ी नहीं निकली.....	45
एक माह कम पन्द्रह साल के लड़के की इमामत का मस्अला .....	46
किस उम्र का लड़का तरावीह पढ़ा सकता है? .....	46
दाढ़ी मुंडे हाफिज़ की इमामत.....	47
कुहनी तक कटे हुए हाथ वाले की इमामत .....	47
फैशन परस्त हाफिज़ की इमामत.....	48
तवाइफ के लड़के के पीछे तरावीह .....	48
अगर हाफिज़ की दाढ़ी एक मुशत से कम हो.....	49
मोहतात नाबीना की इमामत.....	50
तरावीह पढ़ाने वाला अगर पाबन्दे शरअ न हो तो क्या हुक्म है ..	51
अगर हाफिज़ नमाज़ का पाबन्द न हो तो क्या हुक्म है.....	51
माजूर हाफिज़ की इमामत.....	52
दो हाफिज़ों के मिल कर पढ़ने का हुक्म .....	52
गैर मुकल्लिद की इमामत .....	53
जिसने इशा की नमाज़ न पढ़ी उसकी इमामत.....	53
मर्द की इक़ितदा में औरत की जमाअत .....	54
औरतों की जमाअते तरावीह .....	54
हाफिज़ का कुरआन तेज़ पढ़ना.....	55
तादादे रकअत में इख़िलाफ हो जाए तो क्या हुक्म है? .....	55
तरावीह की कुछ रकअतें तहज्जुद में पढ़े तो क्या हुक्म है? .....	55
अगर खुदा नख्वास्ता हाफिज़ का तरावीह में इतिकाल हो जाए ....	57
हाफिज़ ने सुनाना शुरू किया फिर किसी वजह से दरमियान	

में छोड़ दिया .....	57
इमाम का नमाज़ के लिए किसी खास शख्स का इतिज़ार करना ...	58
जमाअत में जो अपना इतिज़ार चाहता है .....	58
तहरीमा के सहीह अलफाज़ क्या हैं? .....	59
इमाम को तकबीरात किस तरह कहनी चाहिए? .....	59

### दूसरा बाब

तरावीह कहाँ पढ़ें? .....	61
नमाज़े तरावीह घर में पढ़ना अफज़ल है या मस्जिद में? .....	61
तरावीह कौन सी मस्जिद में अफज़ल है? .....	62
मुहल्ले की मस्जिद का हक .....	62
क्या अपनी मस्जिद छोड़ सकते हैं? .....	62
अगर नमाज़े तरावीह मस्जिद की छत पर अदा की जाए .....	63
दुकानों में नमाज़े तरावीह पढ़ना कैसा है? .....	64
घर में तरावीह की जमाअत करना .....	65
नमाज़े इशा बाजमाअत मस्जिद में पढ़े और तरावीह घर पर पढ़े तो क्या हुक्म है? .....	65
एक हाफिज़ का चंद जगह ख़त्म करना .....	65
तरावीह की दो जमाअतें करना .....	67
एक मस्जिद में दो हाफिज़ों का सुनाना .....	67
चंद हुफ़फ़ाज़ का मिल कर तरावीह पढ़ाना .....	68
दस दस रकअत दो मस्जिदों में पढ़ाना कैसा है? .....	68
एक मस्जिद में दूसरी जमाअत .....	69
एक मस्जिद में दो जगह तरावीह .....	69
तरावीह में एक ख़त्म से ज़्यादा पढ़ना कैसा है? .....	70
तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनने से कुरआन का सवाब मिलता है या नहीं? .....	70
किसी शख्स की रिआयत से अगले रोज़ कुरआन शरीफ़ को लौटाना कैसा है? .....	71

तीसरा ब्याब

समाअत की उजरत.....	72
बिला सामेअ कुरआन शरीफ का पढ़ना.....	72
हाफिज़ को लुक़्मा कौन दे? .....	72
छोटे सामेअ को कहाँ खड़ा करें? .....	73
क्या सामेअ को हाफिज़ के बराबर में खड़ा कर सकते हैं?.....	74
कुरआन शरीफ में देख कर समाअत करना.....	74
भूल जाने की वजह से ख़ामोश हो कर सोचना कैसा है? .....	75
भूलते वक़्त इधर उधर से पढ़ना .....	75
हाफिज़ सामेअ को बतलाने तक ख़ामोश रह सकता है? .....	75
हाफिज़ को तंग करने का हुक़्म.....	76
सिर्फ़ लुक़्मा देने की नीयत से तरावीह में शिरक़्त करना .....	76
तरावीह में ग़लत लुक़्मा देकर परेशान करना .....	77
नीयत बांध कर लुक़्मा दे या बेवुजू लुक़्मा दे?.....	77
तरावीह के वक़्त पीछे बैठ कर गुफ़्तगू करना .....	78
तरावीह के वक़्त रुकूअ का इतिज़ार करना .....	78
सामेअ न होने की मजबूरी पर कुरआन देख कर सुनाना कैसा है?....	79
शीआ हाफिज़ लुक़्मा दे सकता है या नहीं? .....	79
रुकूअ का इतिज़ार करना .....	80

चौथा ब्याब

तरवीहा क्यों होता है? .....	81
तरवीहा में कितनी देर बैठना चाहिए?.....	82
तरवीहा के बाद बुलंद आवाज़ से दुख़्द पढ़ना .....	82
तरवीहा की दुआ का सुबूत है या नहीं? .....	83
हर चार रकअत में दुआ मांगना .....	83
हर तरवीहा में हाथ उठा कर दुआ मांगना .....	84
तरवीहा में वाज़ कहना.....	85
तरवीहों में ये कलिमात पढ़ना कैसा है? .....	86

तरावीह में तस्बीह आहिस्ता पढ़ें या ज़ोर से? ..... 87

### पाँचवाँ ब्याब

तरावीह कब से शुरू होती है और कब तक रहती है और क्या वक़्त है? ..... 88

तरावीह में एक ख़त्म से मुराद कौन सी सुन्नत है? ..... 89

महीने में एक कुरआन सुनना सन्नत है ..... 90

आँहज़रत (स.अ.व.) से बीस रकअत का सुबूत ..... 90

तरावीह आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित है ..... 90

तरावीह बाजमाअत सुन्नत है या नहीं? ..... 91

तरावीह बिला उज़रे शरई छोड़ना कैसा है? ..... 91

तरावीह छोड़ने वाले का हुक्म ..... 92

तरावीह रोज़ा के ताबेअ नहीं है ..... 92

तरावीह पढ़ें और दिन में रोज़ा न रखें तो उसका क्या हुक्म है?.. 93

कज़ीफ़ा की वजह से जमाअते तरावीह का तर्क करना ..... 93

तरावीह के वक़्त नींद का ग़लबा हो तो क्या हुक्म है?..... 94

मुक़्तदी कअदा में सो जाए तो क्या हुक्म है? ..... 94

तहरीमा में मुक़्तदी की ग़लती ..... 95

नमाज़े तरावीह की नीयत ..... 96

तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ बाँधने का तरीका ..... 96

बग़ैर सना के किराअत शुरू करें तो क्या हुक्म है?..... 96

तरावीह में एक मरतबा ही बीस रकअतों की नीयत करना..... 97

तरावीह की नमाज़ दो दो रकअत कर के पढ़ें या? ..... 97

तरावीह में किराअते मसनूना की मिक्दार ..... 98

क्या तरावीह लम्बी नहीं होनी चाहिए? ..... 98

तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ पढ़ना अफज़ल है ..... 99

बीस रकअत तस्तीम करें और फिर कमी बेशी करें तो क्या

हुक्म है? ..... 99

इमाम तरावीह वग़ैरा में किराअत कैसी आवाज़ से करें? .....100



तन्हा नमाजे तरावीह किस आवाज़ से पढ़े? .....	101
क्या तरावीह इस तरह भी हो जाती है? .....	101
विन्न पहले पढ़ें या तरावीह? .....	102
सुन्नत पहले पढ़ें या तरावीह? .....	103
जो अफ़राद फ़र्ज नमाज़ हो जाने के बाद आएँ तो जमाअत करें या नहीं? .....	103
छुटी हुई तरावीह की रकअतें कब पढ़ें? .....	104
छुटी हुई आयतों को तरावीह में कहां दुहराएँ? .....	104
छुटी हुई आयतों को अगले दिन पढ़ना कैसा है? .....	105
तरावीह से मुतअल्लिक यकजा तीस मसाइल .....	106

### छटा ब्याब

क्या तरावीह में बिस्मिल्लाह का जोर से पढ़ना साबित है? .....	111
बिस्मिल्लाह का तरावीह में जोर से पढ़ना कैसा है? .....	111
अइम्मए किरअत का इत्तिबा तिलावत के अन्दर है नमाज़ में नहीं .....	112
बिस्मिल्लाह का सूरए इख़्लास के साथ पढ़ना .....	113
बिस्मिल्लाह के बारे में मौलाना थानवी का फतवा .....	113
जो हनफी बिस्मिल्लाह को तरावीह में हर सूरत पर जेहर से पढ़े वह अपने मसलक की मुखालफ़त करता है .....	114
बिस्मिल्लाह के बारे में मसलके इमाम आजम (रह.) .....	114
खुलासए कलाम .....	115

### सातवाँ ब्याब

सज्दए सख्व के उसूल .....	117
सज्दए सख्व करने का तरीका .....	117
अगर दो संलाम फेर दिए तो क्या हुक्म है? .....	118
सज्दए सख्व किया मगर संलाम नहीं फेरा .....	118
सज्दए सख्व में अगर एक सज्दा किया .....	118
ताख़ीरे वाजिब से सज्दए सख्व .....	119
मुतअद्द ग़लतियों पर सज्दा .....	119

सज्दा में रुकूअ की तस्बीह पढ़ना .....	119
सज्दए सख के वुजूब में तमाम नमाज़ें बराबर हैं .....	120
कौन सी गलती से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है? .....	121
नमाज़ पढ़ते हुए किसी लिखी हुई चीज़ पर निगाह पड़ जाना .....	122
अगर एक सज्दा करे तो क्या हुक्म है? .....	122
हाफिज़ का एक आयत को कई मरतबा पढ़ना .....	123
मुतशाबेह का हुक्म .....	124
तरावीह की पहली रकअत में बैठ कर खड़ा होना .....	124
पहली रकअत और तीसरी रकअत में कितनी देर बैठने से सज्दए सख लाज़िम आता है? .....	125
अगर तीन रकअत पढ़ ले तो क्या हुक्म है? .....	125
हाफिज़ तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया .....	126
चार रकअत तरावीह जिसमें कअदए ऊला नहीं किया .....	126
दूसरी रकअत में भूल कर खड़ा हो गया .....	127
तरावीह में दो रकअत पर कअदा करना भूल गया और चार रकअत पर कअदा किया तो क्या हुक्म है? .....	128
अगर चार रकअत पढ़ कर सज्दए सख न करे तो क्या हुक्म है ....	129
बगैर कअदए ऊला के चार रकअत के बारे में मौलाना थानवी (रह.) की राए .....	129
दूसरी रकअत में तशह्हुद के बाद खड़े हो कर बैठना .....	131
बाज़ हुफ़ाज़ रुकूअ व सुजूद में कुरआन याद करते हैं .....	131
लफ़ज़ जाद (سُ) को किस तरह अदा करना चाहिए? .....	132
जाल्लीन को दाल्लीन पढ़ने से नमाज़ होती है या नहीं? .....	133
लफ़ज़ जाद (سُ) के बारे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फ़तावा .....	134
लफ़ज़ जाद (سُ) के बारे में मुफ़्ती शफीअ (रह.) मुफ़्तिए आज़म पाकिस्तान का फ़तवा .....	134
सलाम में अलैकुम की जगह अलैतुम निकल जाने का हुक्म .....	135

नमाज़ में सलामुन अलैकुम कहने का हुक्म.....	135
सलाम में चेहरा कितना घुमाया जाए.....	136

### आठवाँ बाब

#### सज्दा तिलावत

सज्दा तिलावत का सुन्नत व फज़ाइल.....	137
--------------------------------------	-----

सज्दा तिलावत फर्ज़ है या वाजिब और उसकी अदाएगी का क्या तरीका है?.....	138
--	-----

सज्दा तिलावत की अदाएगी का तरीका .....	138
---------------------------------------	-----

तरावीह में सज्दा तिलावत का ऐलान करना कैसा है?.....	139
--	-----

अगर आयते सज्दा सूरत के ख़त्म पर आए .....	140
--	-----

सज्दा तिलावत सज्दा नमाज़ के साथ अदा होगा या नहीं? .....	141
---	-----

अगर सज्दा तिलावत का कुछ हिस्सा पढ़े .....	142
---	-----

रुकूअ और सज्दा में सज्दा तिलावत की नीयत करे तो कैसा है?....	142
---	-----

अगर मुक्तदी इमाम के साथ सज्दा तिलावत न कर सके .....	143
---	-----

सज्दा तिलावत आदा किया फिर किसी वजह से नमाज़ लौटाई तो क्या हुक्म है?.....	144
--	-----

आयते सज्दा पढ़ कर कितनी देर में सज्दा करना चाहिए?.....	144
--	-----

सज्दा तिलावत सुन कर बाज़ मुक्तदी सज्दे में और बाज़ रुकूअ में चले गए.....	145
--	-----

नमाज़ में सज्दा तिलावत की आयत पढ़ी लेकिन सज्दा करना याद नहीं रहा .....	146
--	-----

हाफिज़ अगर आयते सज्दा भूल जाए.....	146
------------------------------------	-----

फौत शुदा रकआत की अदाएगी के वक़्त आयते सज्दा इमाम से सुने तो क्या हुक्म है?.....	146
---	-----

आयते सज्दा सुन कर बजाए सज्दा के रुकूअ में चला जाए .....	147
---	-----

नमाज़ में सज्दा तिलावत के बाद दोबारा वही आयत पढ़ ले .....	147
---	-----

सज्दा तिलावत अदा करने के बाद हाफिज़ को अगली आयत याद नहीं रही .....	148
--	-----

सज्दए तिलावत के बाद सूरए फातिहा दोबारा पढ़े तो क्या हुकम है?.....	148
दो रकअत पूरी कर के दूसरी रकअत में वही आयते सज्दा पढ़ दी...	149
तरावीह में सज्दए तिलावत भूल जाए .....	150
सज्दए तिलावत एक करने के बजाए दो कर लिए .....	151
सूरए हज का आखिरी सज्दा और उसका हुकम .....	151
सूरए 'साद' (س) में सज्दए तिलावत की आयत कौन सी है? ....	152

### नवाँ बाब

तहज्जुद व शबीना के ब्यान	
नमाजे तहज्जुद की जमाअत का हुकम .....	153
जमाअते तहज्जुद और शाह साहब (रह.) की राए .....	154
रमजान में तहज्जुद की जमाअत .....	155
रमजान में तहज्जुद में दो चार आदमी मिल जाएँ तो?.....	156
तहज्जुद बाजमाअत का हुकम.....	156
जमाअते नवाफिल और अकाबिरे उलमाए देवबंद .....	156
मौलाना मदनी ने अकाबिरे देवबंद के खिलाफ अमल क्यों अपनाया?..	158
तहज्जुद में अगर कुछ लोग इमाम की इक्तिदा कर लें तो कराहियत का जिम्मादार कौन है?.....	160
शबीना यानी एक रात में कुरआन खत्म करना कैसा हे? .....	160
शबीना जाइज़ है या नहीं?.....	161
शबीना जमाअते नफ़ल में करना कैसा है?.....	162
शबीना का काएदा कुल्लिया.....	162
शबीना के सिलसिले में मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का फ़तवा.....	163

### दसवाँ बाब

ख़त्म के दिन मुख़्तलिफ़ रिवाज के ब्यान में कौन सी तारीख़ में ख़त्म करें? .....	164
ख़त्म के दिन तीन मरतबा कुलहुल्लाह पढ़ना कैसा है .....	164

सूरए इख्लास के बारे में मौलाना धानवी (रह.) का फतवा.....	165
बाज सूरतों के बाद गैर कुरआनी अलफाज़ पढ़ना कैसा है?.....	165
खत्म पर दूसरी आयतों का पढ़ना कैसा है?.....	166
खत्म के दिन मुफ्लिहून तक पढ़ना कैसा है? .....	167
खत्म के दिन किस तरह पढ़ें?.....	167
हज़रत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का फतवा .....	168
सुन्नत व नवाफिल के बाद दुआ इन्फिरादी तौर पर या इजतिमाई तौर पर?.....	168
खत्मे कुरआन के बाद दुआ .....	169
तरावीह और वित्र के बाद दुआ करना कैसा है? .....	169
सलाम के बाद बगैर दुआ के मुक्तदी जा सकता है.....	170
नमाज़ के बाद दुआ आहिस्ता से मांगे या ज़ोर से.....	170
इमाम अगर ज़ोर से दुआ कराए तो अपने लिए अलफाज़ को ख़ास न करे.....	171
क्या दुआ नमाज़ का जुज्व है? .....	171
दुआ के वक़्त निगाह कहां रखी जाए?.....	172
दुआ यकीन के साथ करनी चाहिए .....	172
दुआ का तरीका .....	172
दुआ में हाथ कहां तक बुलंद करें? .....	173
दुआ के बाद आमीन कहना.....	173
दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना कैसा है? .....	174
माहे रमज़ान में मस्जिद को सजाना.....	174
खत्मे कुरआन में हाफिज़ को हार पहनाना .....	175
तरावीह खत्म होने पर मिठाई तक्सीम करना.....	175

### ग्यारहवाँ बाब

इशा की नमाज़ के मसाइल	
अगर किसी ने बगैर वुजू इशा की नमाज़ पढ़ी .....	177
इशा के फर्ज़ बेवुजू पढ़े और सुन्नत व वित्र बावुजू तो क्या	

सुन्नतों का इआदा करे? .....	177
बिला ज़रूरत सुक्मा देना .....	178
कोई नफ़ल की नीयत से इशा की नमाज़ पढ़ कर जमाअत में शामिल हुआ .....	179
इशा की नमाज़ सिर्फ़ एक रकअत मिली तो बकिया किस तरह पूरी करे? .....	179
तीन रकअत पढ़ कर सज्दए सव्व कर लिया तो क्या नमाज़ हो गई? .....	180
इशा की तीसरी रकअत पर सव्वन बैठना .....	180
इशा की तीन रकअत पर सलाम फेरने के बाद एक रकअत और मिला ली .....	181
जो पाँचवीं रकअत में शामिल हो उसकी नमाज़ हुई या नहीं? .....	181
इशा की पाँच रकअत पढ़ने का क्या हुक्म है? .....	182
इमाम अगर भूल कर दो रकअत पर सलाम फेर दे .....	183
इशा की नमाज़ में अगर कराअत आहिस्ता करे तो उसका क्या हुक्म है .....	183
इशा की आखिरी रकअतों में जेहर करनेसे सज्दए सव्व .....	183
इशा की कज़ा में कराअत कैसे करे? .....	184
इशा की नमाज़ में कअदए ऊला सव्वन छूट गया फिर खड़े होने के बाद लौटा .....	184
इशा तन्हा पढ़ने के बाद जमाअत में शामिल हो तो क्या जमाअत वाली चार रकअत तरावीह में शुमार हो जाएंगी .....	185
अगर मस्बूक़ इमाम के साथ सलाम फेर दे .....	186
<b><u>ब्यारहवाँ ब्यब</u></b>	
वित्र का सुबूत और मसाइल	
वित्र के फज़ाइल व मसाइल .....	187
वित्र याजिब है और उसका तरीका .....	188
वित्र की इमामत .....	189
अगर इमाम का मसलक रुकूअ के बाद कुनूत पढ़ने का हो तो	

- मुक़तादी क्या करे? .....189
- अगर रमज़ान शरीफ में तमाम लोगों ने तरावीह को तर्क कर दिया तो वित्र कैसे पढ़ें? .....189
- फर्ज़ जमाअत से नहीं पढ़े तो क्या वित्र जमाअत से पढ़ सकता है? ..190
- इमाम सिर्फ फर्ज़ पढ़ाए और हाफिज़ तरावीह व वित्र .....190
- रमज़ान के बाद वित्र की जमाअत दुरुस्त है या नहीं? .....191
- रमज़ान में वित्र बाजमाअत अफज़ल है .....191
- तहज़ुद गुज़ार फर्ज़ के साथ वित्र पढ़ सकते हैं या नहीं?.....191
- कुछ तरावीह छूट जाने पर पहले तरावीह पूरी करे या वित्र पढ़े?..192
- वित्र पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि तरावीह की दो रकअत वाजिबुलइआदा हैं .....192
- वित्र की नीयत .....193
- वित्र को वाजिब कहना चाहिए या नहीं? .....193
- वित्र पढ़े मगर नीयत सुन्नत की की .....194
- तरावीह समझ कर वित्र में इक़तिदा करना .....194
- वित्र की नमाज़ में तरावीह की नीयत करना .....195
- वित्र पढ़ने वाले के पीछे तरावीह पढ़ने वाला .....195
- वित्र में रुकूअ से पहले रफ़यदैन और दुआए कुनूत का सुबूत .....195
- दुआए कुनूत में 'मुलहिक' की हा को ज़ेर दे कर पढ़ें या ज़बर देकर 197
- दुआए कुनूत सूरए फ़ातिहा के बाद पढ़ी .....197
- वित्र की तीसरी रकअत में तकबीर कहना भूल गया .....198
- हदीस से दुआए कुनूत साबित है या नहीं?.....198
- दुआए कुनूत के याद होते हुए दूसरी दुआ पढ़ना .....198
- दुआए कुनूत याद न हो तो क्या पढ़ें? .....199
- कुनूत अगर रुकूअ से पहले पढ़ ले तो रुकूअ का एआदा न करे.199
- बग़ैर तकबीर कहे हुए कुनूत पढ़ने का हुकम क्या है?.....199
- अगर पहली या दूसरी रकअत में कुनूत पढ़ ली.....200
- इमाम साहब वित्र का कअदए उल्ला भूल गए .....200

- वाजिब और सुन्नत के कअदए उल्ला में अत्तहीयात के बाद दुखद पढ़ने का क्या हुक्म है?.....201
- इमाम बगैर कुनूत पढ़े रुकूअ में चला गया और मुक्तदियों में से बाज़ ने रुकूअ किया बाज़ ने नहीं किया तो क्या हुक्म है? ....202
- दुआए कुनूत छोड़ कर इमाम रुकूअ में चला जाए तो मुक्तदी क्या करे? .....203
- इमाम ने कुनूत खत्म कर के रुकूअ कर लिया मगर मुक्तदियाँ की दुआए कुनूत बाकी है .....203
- अगर वित्र की दूसरी या तीसरी रकअत मिले तो कुनूत कब पढ़े? ..204
- निसफ़ सूरत पढ़ना और निसफ़ छोड़ देना कैसा है? .....205
- वित्र की जमाअत में कौन सी सूरत मसनून है?.....205
- सूरतों का तअयुन करना कैसा है? .....206
- वित्रों के बाद सुब्हानलमलिकुलकुहुस न कहने वालों का क्या हुक्म है? ..206
- सुब्हानलमलिकुलकुहुस कब पढ़े? .....207
- तेरहवाँ ब्याब**
- वित्र के बाद नफ़ल का सुबूत और उसका तरीका.....208
- वित्र के बाद नफ़ल का सुबूत?.....209
- क्या वित्र के बाद नफ़ल दुरुस्त है? .....211
- नफ़ल का वक़्त कब तक रहता है? .....211
- तरावीह के बाद नफ़लों की जमाअत का क्या हुक्म है? .....211
- फ़र्ज़ जहाँ पढ़े वहाँ से अलग हो कर नफ़ल पढ़ना कैसा है? .....212
- दो नफ़ल हमेशा पढ़े या कभी कभी छोड़ दे? .....212
- क्या नफ़ल नमाज़ शुरू करने से वाजिब हो जाती है? .....213
- सुन्नत व नवाफ़िल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में? .....213
- वित्र के बाद नफ़ल बैठ कर पढ़े या खड़े हो कर?.....214
- हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम नानौतवी (रह.) की राए.....215
- माज़ूर की रिआयत .....215
- हुज़ूर का नफ़ल बैठ कर पढ़ना उम्मत की तालीम के लिए है.....215



नफ़ल आज भी बैठ कर पढ़ सकते हैं .....	216
बैठ कर नमाज़ पढ़ने में नज़र कहां रखें?.....	217
(जमीमा) तरावीह बीस रकअत भी सुन्नत हैं .....	218



## इजाफ़ा फ़ेहरिस्ते उनवानात

सज्दए तिलावत की शर्ई हैसियत.....	221
सज्दए तिलावत की शर्ते.....	223
सज्दए तिलावत के वाजिब होने के असबाब .....	225
सज्दए तिलावत से मुतअल्लिक मसाइल .....	228
उन आयात का ब्यान जिन पर सज्दए तिलावत वाजिब है .....	240
ख़त्मे तरावीह पर हाफ़िज़ का नज़राना लेना .....	242
नफ़ल की नमाज़ जमाअत से पढ़ना .....	252
एक इल्लिमास .....	254
मआख़िज़े किताब .....	255



## इंतिसाब

मैं अपनी इस काविश को सैयदना हज़रत उमर फ़ास्के आज़म (रज़ि) की तरफ़ मनसूब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिन्होंने बाकाएदा जमाअते तरावीह का एहतिमाम व इतिज़ाम फ़रमाया, आप ही के बारे में सैयदना हज़रत अली (रज़ि.) का ये इरशाद है:

“अल्लाह तआला उनकी क़ब्र को ऐसे ही नूर से भर दे जिस तरह उन्होंने हमारी मसाजिद को मुनव्वर फ़रमाया।”



## जदीद एडीशन के बारे में

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

मेरे वहम व गुमान में भी ये बात न गुज़री थी कि मुझ जैसे बेमाया बंदए नाचीज़ की किताबें (मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले तरावीह, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले एतेकाफ़, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले इमामत और मसाइल व आदाबे मुलाकात) इस कदर मकबूलियत हासिल करेंगी, बिफज़िलही तअ़ाला इसमें तवक्को से ज़्यादा कामियाबी हुई, और हिन्द व बैरूने हिन्द से बंदा की हौसला अफ़ज़ाई व पज़ीराई की गई। मैं समीमे कल्ब से अपने उन तमाम ख़ैरख़्वाहों का शुक्रगुज़ार हूँ।

एक तरफ़ जब मैं अपनी बेबज़ाअती व कम इल्मी और दूसरी तरफ़ किताबों की मकबूलियत को देखता हूँ तो मेरा सर बेइख़्तियार आसतानए ख़ुदावंदी पर सज्दा रेज़ और दिल हम्देबारी से लबरेज़ हो जाता है, कि उसने अपने फज़ल व करम से एक आजिज़ व नातवाँ को दीन की ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी, इतनी कम मुद्दत में मुकम्मल व मुदल्लल तरावीह का तीसरा एडीशन तस्हीहे अग़लात के साथ पेश किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि ख़्वास व अ़वाम में ये सिलसिला मक़बूल है और वह इससे मस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यकीनन ये सब फज़ले ख़ुदावंदी के बाद असातिज़ए किराम की दुआवों और दारुलउलूम देवबंद के फ़ैज़ का नतीजा है। अल्लाह

तअाला खाकसार की हकीर ख़िदमत को कबूल फरमाए और मेरे लिए ज़ादे आखिरत व फ़लाहे दारैन का ज़रीआ बना कर आइंदा भी ख़िदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन!

मुहम्मद रफ़अत कासमी  
15 रजब 1410 हिजरी



## इरशादे गिरामी

हजरत मौलाना मुफती महमूदुलहसन साहब

दामत बरकातुहुम

मुफ़ितए आजम दारुलउलूम, देवबंद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ . اَمَّا بَعْدُ

जेरे नज़र किताब “मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह”। मुरत्तबा अज़ीज़म मौलाना मौलवी मुहम्मद रफ़अत क़समी मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद जिनका एक साला दरसी तअल्लुक बंदा से भी है। अपने मौजूअ पर निहायत मुफीद और जामेअ किताब है। मौसूफ़ ने बहुत से मुस्तनद फ़तावा और दीगर मुतअल्लिका कुतुब का निहायत अर्क रेज़ी के साथ मुतालआ कर के कम व बेश चार सौ मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह यकजा तौर पर बाब और उनवानवार निहायत सलीका से जमा कर दिए हैं। बिला मुबालगा मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसी किताब नहीं आ सकी जिसमें मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह, इतनी कस्पीर तादाद में ब्यान किए गए हों। इसलिए मैं मौसूफ़ सल्लमहू को उनकी इस बेनज़ीर काविश पर तहे दिल से मुबारक बाद देता हूँ।

इन मसाइल की हर रमज़ानुलमुबारक में ज़रूरत पेश आती है और चूँकि साल भर में महज़ एक माह तरावीह पढ़ने पढ़ाने का

सिलसिला रहता है। इसलिए अ़वाम तो अ़वाम, बाज़ मरतबा बहुत से ख़्वास और अस्ले इल्म भी ग़लती कर जाते हैं और उन्हें मसाइले मुतअल्लिफ़ का तलाश करना दूभर हो जात है।

अल्लाह तअ़ाला मुअल्लिफ़ को जज़ाए ख़ीर दे, जिन्होंने “मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह”। इतने कसीर तादाद में यकज़ा तौर पर जमा कर दिए कि अब शायद ही इस मौजूअ पर कोई अहम मस्अला होगा जो इस किताब में ब्यान न किया गया हो। ये किताब अ़वाम व ख़्वास दोनों के लिए यकसाँ तौर पर मुफ़ीद और नफ़ा बख़्श है। दुअ़ा है कि अल्लाह तअ़ाला इसे ज़्यादा से ज़्यादा नाफ़ेअ और मक्बूल बनाए और मुअल्लिफ़ सल्लमहू को आइंदा भी इस तरह की ख़िदमत का मौक़ा अता फ़रमाए।

आमीन या रब्बलआलमीन!

अलअब्द

महमूद गुफ़िरलहू

22-8-1406 हिजरी



Maktab\_e\_Ashraf

## राए आली

हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब

मदज़िल्लहुलआली

सदर मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لولیه والصلوة علی اهلها محمدن المصطفیٰ و علیٰ الہ  
و اصحابہ و ازواجه واللاحقین بهم الی یوم القرار۔ و بعد

पेशे नज़र रिसाला (मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह) मुअल्लिफ़ मौलाना मुहम्मद रफ़अत कासमी सल्लमहू, मुअल्लिफ़ सल्लमहू की बेनज़ीर काविश व मेहनत का समरा है। तरावीह व इमामते तरावीह से मुतअल्लिफ़ तकरीबन चार सौ मुफ़्ता बिही जुर्ज़ई मसाइल का मअ मोतबर किताबों के हवाले के इकट्ठा कर दिया है, जिसकी ज़रूरत हर शख़्स को हर साल रमज़ान में पेश आती है और साल में महज़ एक मरतबा ज़रूरत पेश आने की वजह से उमूमन मुस्तहज़र न रहने से लोग ग़लतियों में मुब्तला हो जाते हैं।

इस रिसाला की बड़ी खुसूसियत ये भी है कि मुअल्लिफ़ मौसूफ़ ने हर मस्अला का उनवान काइम कर के सफ़हावार फ़ेहरिस्त भी मुरत्तब कर दी है। जिससे तलाशे मस्अला में बेहद सहूलत हो जाती है।

इन खुसूसियात की वजह से ये रिसाला अवाम व ख़्वास सब

के लिए बेहद मुफीद और नाफेअ हो गया है, ये मसाइल यकजा तौर पर उमूमन इस तरह नहीं मिलते। इसलिए इसकी इफ़ादियत और भी बढ़ गई है, दुआ है कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ मौसूफ़ की इस सई को सअये मकबूल बना दें और आइंदा इसी तरह की और ख़िदमात का मौका अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन!

फ़कत

बंदा

निज़ामुद्दीन

मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद

4-11-1406 हिजरी

12-7-1987 ई०





Maktab\_e\_Ashraf

## तकरीज

हजरत मौलाना मुफ्ती जफ़ीरुद्दीन साहब

जीदा मज्दुहम

मुफ्ती दारुलउलूम, देवबंद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

अलहमदुल्लिह मुसलमानों में दीन से रग़बत बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अहकाम व मसाइल की जुस्तजू और तलाश भी जारी है। ये एक अच्छी अलामत है, अल्लाह तआला इन नेक जज्बात में ज्यादा से ज्यादा इज़ाफ़ा फ़रमाए।

हर दौर में ज़माने के तकाज़े के मुताबिक इस्लामी अहकाम व मसाइल के मजमूअे मुरत्तब हो कर शाए होते रहे और मुसलमान उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। ये बात हम सब के लिए बाइसे मुसररत है कि दारुलउलूम, देवबंद के एक उस्ताज़ कारी मुहम्मद रफ़अत साहब ने ज़रूरत महसूस की कि तरावीह से मुतअल्लिक मसाइल जो फ़तावा की किताबों में बिखरे हुए हैं। उनको एक ख़ास तरतीब के साथ जमा कर दिया जाए, ताकि ख़ास व अवाम बाआसानी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और बवक्ते ज़रूरत ये मजमूआ हर मुसलमान अपने पास रख सके, चूँकि तरावीह के मसाइल की ज़रूरत साल के सिर्फ़ एक महीना में उमूमन हर नमाज़ी को पेश

आती है और आम तौर पर ज़ेहन में वह मसाइल मुस्तहज़र नहीं होते, किताब पास होगी तो खुद वरक उलट कर देख लेंगे।

चुनांचे मौसूफ़ ने फ़तावा दारुलउलूम, देवबंद मुदल्ल व मुकम्मल, किफ़ायतुलमुफ़्ती, मजमूअ फ़तावा अब्दुलहई फ़िरंगी महली और दूसरे मजमूअए फ़तावा को सामने रख कर उन तमाम मसाइल को यकजा कर देने की जद्दोज़ेहद की है, जिनका तअल्लुक नमाज़े तरावीह या इमामते तरावीह से है, और इस तरह सैकड़ों मसाइल मतअद्द किताबों के हवालों से मौलाना मौसूफ़ ने यकजा फ़रमा दिए हैं।

कोई शुब्हा नहीं कि ये काम बहुत काफ़ी मेहनत तलब था और काफ़ी जाँफ़शानी को चाहता था, मुरत्तिब की मेहनत और काविश काबिले दाद है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अपनी मुसलसल मेहनत जारी रखी और बिलआख़िर कामियाबी से हमकिनार हुए।

वाक़िआ है कि मौसूफ़ हम सब की तरफ़ से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस फ़रीज़ा से उलमा को सुबुकदोश कर दिया और एक कीमती मजमूअ मुसलामनों के सामने पेश कर दिया। इससे सिर्फ़ अवाम व ख़्वास नहीं बल्कि इंशाअल्लाह उलमा ओर मुफ़्तीयाने किराम भी बवक्ते ज़रूरत मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। दुआ है कि अल्लाह तआला मौलानाए मोहतरम की ये मेहनत व काविश कबूल फ़रमाए और उनके लिए ज़ादे आख़िरत बनाए।

आमीन!

तालिबे दुआ

मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन उफ़िया अन्हु

मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद



Maktab\_e\_Ashraf

## अर्जे मुरतिब

نحمده ونصلي على رسوله الكريم - اما بعد

पेशे नज़र किताब में तरावीह, इशा और वित्र के मसाइल को एक खास तरतीब के साथ पेश करने की कोशिश की गई है।

किताब में अरबी इबारत से इज्तिनाब करते हुए, सिर्फ़ मुफ़्ताबिही कौल को लिया गया है, ताकि आम पढ़ने वालों को मसाइल समझने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा।

बंदा की ये किताब, हज़रत मुफ़ितयाने किराम दारुलउलूम, देवबंद के फ़ैज़ का नतीजा है। इस वक़्त आम्मतुलमुस्लिमीन की ख़िदमत में पेश करते हुए दिल बारी तआला की हम्द व सना से लबरेज़ है, जिसने महज़ अपनी तौफ़ीक़ व इनायत से इस ख़िदमत को मुझ जैसे बेबज़ाअत और कमतरिन बंदा से ले लिया।

दुआ है कि खुदाए बख़्शिन्दा अपने फ़ज़्ल व करम से इस हकीर ख़िदमत को कबूल फ़रमाए, और अपने शुक्रगुज़ार बंदों में इस हकीर का नाम भी दर्ज फ़रमाए। आमीन या रब्बलआलमीन!

मुहम्मद रफ़अत कासमी  
मुदर्रिस दारुलउलूम, देवबंद  
1405 हिजरी

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## पहला बाब

### रोजे और तरावीह बाइसे मगफिरत

عن ابی هریرهؓ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری، مسلم)

**तर्जुमा:** हजरत अबूहुरैरा (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फरमाया जो लोग रमजान के रोजे ईमान व एहतिसाब के साथ (सवाब की गरज से) रखेंगे उनके सब गुज़श्ता गुनाह मआफ़ कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही जो लोग ईमान व एहतिसाब के साथ रमजान की रातों में नफ़ल, तरावीह पढ़ेंगे उनके भी सब पिछले गुनाह मआफ़ कर दिए जाएंगे और इसी तरह जो लोग शबे कद्र में ईमान व एहतिसाब के साथ नवाफ़िल पढ़ेंगे उनके भी सारे पिछले गुनाह मआफ़ कर दिए जाएंगे।

**तशरीह:** इस हदीस से रमजान में रोज़ों और उसकी रातों के नवाफ़िल और खुसूसियत से शबेकद्र की नवाफ़िल को पिछले गुनाहों की मगफ़िरत और मआफ़ी का वसीला बताया गया है। बशर्ते कि ये रोज़े और नवाफ़िल ईमान व एहतिसाब के साथ हों। ये ईमान व एहतिसाब खास दीनी इस्तिलाह है। इनका मतलब यही होता है कि जो नेक अमल किया जाए उसका मुहर्रिक बस अल्लाह और रसूल

को मानना और उनके वादे वईद पर यकीन लाना है और उनके बताए हुए अज़्र व सवाब की तमअ और उम्मीद हो। कोई दूसरा जज़्बा और मक्सद उसका मुहरिक न हो। यही ईमान व एहतिसाब हमारे आमाल के क़ल्ब व रूह हैं, अगर ये न हों तो फिर ज़ाहिर के लिहाज़ से बड़े से बड़े आमाल भी बेजान और खोखले हैं, जो खुदा नाखास्ता क़यामत के दिन खोटे किकके साबित होंगे। और ईमान व एहतिसाब के साथ बंदे का एक अमल भी अल्लाह के यहां इतना अज़ीज़ और कीमती है कि उसके सद्के और तुफ़ैल में उसके बरसहा बरस के गुनाह मआफ़ हो सकते हैं। अल्लाह तआला ईमान व एहतिसाब की सिफ़त अपने फ़ज़्ल से नसीब फ़रमाए। आमीन!

### रोज़ा और कुरआन की शफ़ाअत

عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ. يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ  
الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ  
النُّومَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ. (البیهقی فی شعب الایمان)

तर्जुमा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया: रोज़ा और कुरआन दोनों बंदा की सिफ़ारिश करेंगे (यानी उस बंदे की जो दिन में रोज़ा रखेगा और रात में अल्लाह के हुज़ूर हो कर उसका पाक कलाम मजीद पढ़ेगा या सुनेगा।) रोज़ा अर्ज़ करेगा ऐ मेरे परवरदिगार मैंने इस बंदा को खाने पीने और नफ़्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था। आज मेरी सिफ़ारिश उसके हक़ में क़बूल फ़रमा। (उसके साथ मग़फ़िरत और रहमत का मआमला फ़रमा)

कुरआन कहेगा मैंने उसको रात में सोन और आराम करने से रोके रखा था। खुदावंदा, आज उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। (उसके साथ बखशिश और इनायत का मआमला फरमा) चुनांचे रोज़ा और कुरआन दोनों की सिफारिश उस बंदा के हक में कबूल फरमाई जाएगी। (उसके लिए जन्नत और मगफिरत का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा।)

**तशरीह:** किसी को कुर्बान कर के नहीं, अपनी जान व माल दे कर नहीं, सेहत व तंदुरुस्ती खत्म कर के नहीं बल्कि थोड़ा सा आराम तर्क कर के और नफ़्स पर थोड़ा सा ज़ब्र कर के हुजूर (स.अ.व.) का बताया हुआ इलाज करें तो हम को ये नेमत हासिल हो सकती है।

कैसे खुशानसीब हैं वह बंदे जिनके हक में उनके रोज़ों की और नवाफ़िल में उनके पढ़े हुए या सुने हुए कुरआन पाक की सिफारिश कबूल होगी, ये उनके लिए कैसी मुसररत और फरहत का वक़्त होगा?

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-4 सफ़हा-108)

### एहितमामे तरावीह और तादादे रकआत

हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ि.) का आम एलान था कि मेरी इताअत उस वक़्त तक है जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.व.) और सीरते सिद्दीक़ पर अमल करता रहूँ। जहाँ ख़ालिक़ की मासीयत हो वहाँ किसी मख़लूक़ की इताअत जाइज़ नहीं है।

ये एलान रश्मी नहीं था बल्कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने लोगों को आजमाने के लिए बरसरे मिम्बर एलान फ़रमाया लोगो! अगर मैं सुन्नते नबवी (स.अ.व.) और सीरते सिद्दीक़

(रज़ि.) के खिलाफ़ हुक्म दू तो तुम लोग क्या करोगे? लोग ख़ामोश रहे, फिर दोबारा ये एलान फ़रमाया तो एक नौजवान तलवार लेकर खड़ा हो गया और तलवार की तरफ़ इशारा कर के बरजस्ता कहा: "ये फ़ैलसा करेगी।" हज़रत उमर (रज़ि.) ने खुश हो कर फ़रमाया: "जब तक अवाम में ये ज़ुरअत बाकी है उस वक़्त तक उम्मत गुमराह नहीं हो सकती।"

एक तरबता आप (रज़ि.) तकरीर फ़रमा रहे थे, मजमा बहुत कसीर था, आपने फ़रमाया: "सुनो और अमल करो।" एक आम शख्स ने खड़े हो कर बरजस्ता कहा: "आपकी बात नहीं सुनेंगे और न अमल करेंगे, इसलिए कि आप ने माले ग़नीमत की तकसीम में मुसावात नहीं की है। क्योंकि ये कपड़ा जो आप के जुब्बा में है, हम को भी मिला है मगर उसमें से चादर और तहबंद नहीं हो सके और आपका जुब्बा कैसे बन गया? हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ि.) ने जवाब देने के बजाए अपने बेटे को तलब किया। उन्होंने बताया: ये कपड़ा हम को भी मिला था, लेकिन वालिद मोहतरम के पास सिर्फ़ एक ही कुर्ता था, जुमा के लिए उसके धोने और सुखाने में देर हो जाती थी, इसलिए मैंने अपना हिस्सा भी उनको दे दिया था, इसलिए दोनों को मिला कर एक जुब्बा तैयार हो गया था।"

और बहुत से वाकिआत इसी किस्म के मिलेंगे कि ये हज़रात खिलाफ़े सुन्नत ज़रा सी बात भी बरदाश्त नहीं करते थे। सब आँहज़रत (स.अ.व.) की सुन्नतों के दिलदादा और आशिक़ थे। बिदअत और खिलाफ़े सुन्नत फ़ैल से ऐसे बेज़ार थे कि उम्मत का कोई शख्स उनकी नज़ीर

पेश नहीं कर सकता। ऐसे सख्तगीर पाबंदे सुन्नत और मुत्तबेअ शरीअत हज़रत, मसलन हज़रत उस्मान गनी (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि.), हज़रत इब्न अब्बास और उनके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) और हज़रत जुबैर (रज़ि.), हज़रत मआज़ (रज़ि.) और उनके अलावा तमाम मुहाजिरीन व अन्सार रज़िअल्लाहुअन्हुम अजमईन की मौजूदगी में हज़रत उमर फ़ारुक (रज़ि.) ने हज़रत उबैय बिन कअब (रज़ि.) को बीस रकआत तरावीह पढ़ाने के लिए मुकर्रर फ़रमाया और किसी ने भी उन पर एतेराज़ या नुकताचीनी और तरदीद नहीं की, बल्कि सब ने आप (रज़ि.) का तआउन किया और आपकी मुवाफ़क़त और ताईद ही की और उसको जारी व राइज किया। (तमाम सहाबए किराम (रज़ि.) पाबंदी से तरावीह में शरीक होते थे) यहाँ तक कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) की तारीफ़ और उनके लिए दुआए ख़ैर की। आप हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआला हज़रत उमर (रज़ि.) की कब्र को नूर से भर दे जिस तरह उन्होंने हमारी मस्जिदें मुनव्वर की हैं।

जो हज़रत बीस रकआते तरावीह बिदअते उमर (रज़ि.) कहते हैं अगर उसको सहीह मान लिया जाए तो फिर हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में कसरत से सहाबा का बीस रकआतों पर इत्तिफ़ाक़ कैसे हुआ? अगर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ही बीस रकआत अपनी तरफ़ से ईजाद फ़रमाई थीं तो वह जम्मग़फ़ीर और कसीरुत्तादाद सहाबा (रज़ि.) कहां थे जिनमें से एक अदना से अदना सहाबी को ये



जुरअत थी कि हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़रा सी बात पर ख़ुतबा पढ़ने की हालत में भी टोक दे।

हज़रत सअद बिन अबी वकास (रज़ि.) की वफ़ात पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने चाहा कि नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में हो जाए, ताकि मैं भी उसमें शरीक हो जाऊँ। लेनि उम्मुलमुमिनीन (रज़ि.) की इस फ़रमाइश या हुक्म को इसलिए कबूल नहीं किया गया कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा ख़िलाफ़े सुन्नत है, जबकि हज़रत सअद बिन अबी वकास (रज़ि.) फ़ातेहे इरान होने के साथ साथ अशरए मुबशशरा भी थे।

हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) के सामने एक शख्स को छींक आई। उसने कहा "الحمد لله والصلوة على رسول الله" यहाँ "والصلوة على رسول الله" ज़ाएद था। अगरचे मफ़हूम के एतेबार से बहुत ही अच्छा था कि आप (स.अ.व.) पर सलाम है। मगर ख़िलाफ़े सुन्नत होने की वजह से हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) ने उसको फ़ौरन तंबीह फ़रमाई कि ये ख़िलाफ़े सुन्नत है। हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने ख़ानए कअबा के तमाम कोनों को बोसा दिया। हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) ने फ़ौरन पकड़ की कि हज़रे असवद के सिवा कोई बोसा सुन्नते नबवी नहीं है, आप ने ये ख़िलाफ़े सुन्नत अमल कैसे किया है। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने अपने इस फ़ेल से रुजूअ किया।

ये हज़राते सहाबए किराम (रज़ि.) ज़रा भी ख़िलाफ़े सुन्नत अमल को बरदाश्त नहीं करते थे, अवाम से हो या बादशाहों वक़्त से फ़ौरन पकड़ कर लेते थे, तो क्या इन हज़रात से ये मुमकिन है कि वह मस्जिदे नबवी और

मस्जिदे हराम में तरावीह की बीस रकअत को बरदाश्त करते जो इन्फिरादी नहीं बल्कि इजतिमाई तौर पर हो रही थीं?

उन हज़रात के बारे में ये ख्याल करना कि ये मजबूरन खामोशी से शिरकत करते रहे और उनकी ज़बान से ख़ौफ़ की वजह से कोई कलिमा न निकल सका।

(मआज़ल्लाह)

इस किस्म का ख्याल करना न सिर्फ़ हज़रत उमर (रज़ि.) पर बदगुमानी है, बल्कि उनके अलावा तमाम सहाबा व ताबईन और अइम्माए मुजतहिदीन रज़िअल्लाहु अनहुमअजमईन के खिलाफ़ बदज़नी और बदगुमानी का दरवाज़ा खोल देना है, जो इस मसअला पर ख़लीफ़तुलमुस्लिमीन के साथ मुत्तफ़िक़ और उनके साथ इस अमल (तरावीह) में शरीक थे। हम को हज़रत उमर (रज़ि.) और दीगर तमाम हज़राते सहाबा से हरगिज़ हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं कि वह सब हुज़ूर (स.अ.व.) के खिलाफ़ किसी फ़ेल पर ऐसा इत्तिफ़ाक़ करें, बात ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना से पहले भी बीस रकअत तरावीह पढ़ी जाती थी। मुत्तफ़र्रिक़ तौर पर मुख़्तलिफ़ इमामों के साथ, या अलग अलग पढ़ा करते थे। सिर्फ़ हज़रत उमर (रज़ि.) ने जमाअत का ख़ास एहतेमाम फ़रमाया तो उससे ये कैसे लाज़िम हुआ कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने तरावीह की बिदअत जारी फ़रमाई।

### ख़ुलासए कलाम

अहादीस से मालूम होता है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने तरावीह को जमाअत के साथ पढ़ा है, ताकि उसका मसनून होना मालूम हो जाए। उसके बाद उसको तर्क फ़रमाया

कि मबादा फर्ज न हो जाए। अगर फ़रज़ियत का अंदेशा न होता तो आप (स.अ.व.) हमेशा पढ़ते रहते। आँहज़रत (स.अ.व.) ने सहाबा (रज़ि.) को घरों में तरावीह पढ़ने का हुक्म फ़रमाया था और चूंकि आँहज़रत (स.व.अ.) की वफ़ात के बाद तरावीह के फ़र्ज होने का अंदेशा दूर हो गया, लिहाज़ा लाज़िम हुआ कि तरावीह को मसिज्दों में बाजमाअत पढ़ा जाए।

आँहज़रत (स.अ.व.) के बाद हज़रत अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) ने तरावीह को जमाअत से पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, उसकी वजह ये थी कि आप (रज़ि.) उससे भी ज़्यादा अहम काम में मशगूल व मसरूफ़ रहे, यानी आप नुबूवत के दावेदारों और मुरतदीन का मुकाबला करने में मसरूफ़ रहे, मुद्दते ख़िलाफ़त भी निहायत मुख़्तसर यानी दो साल चंद माह ही रही, जिसकी वजह से आप को जमाअते तरावीह का एहितमाम करने की फ़ुरसत नहीं मिली। हज़रत उमर (रज़ि.) को भी अपनी ख़िलाफ़त के इब्तिदाई ज़माना में मशगूलियत ज़्यादा रही, उसके बाद जब इतिज़मात दुरुस्त व मुस्तहकम हो गए और सतहे ज़मीन पर अम्न का फ़र्श बिछ गया तो उस सुन्नत के काइम करने की तरफ़ हज़रत उमर (रज़ि.) की तवज्जोह हुई, चुनांचे बुख़ारी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुलकादिर से रिवायत की है, कि मैं एक शब हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ मस्जिद में गया, देखा कि लोग इधर उधर मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई तन्हा और कोई किसी के साथ चंद नफ़र। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया अगर इन सब को एक हाफ़िज़ के पीछे जमा कर दूं तो ज़्यादा

अच्छा होगा, फिर इसी ख्याल को पुख्ता कर के हज़रत उबैय बिन कअब (रज़ि.) का सब को मुक्तदी बना दिया। उसके बाद दूसरी शब में हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ गया तो देखा कि आदमी जमाअत की सूरत में अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको देख कर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया: "बहुत अच्छी है ये बिदअत।"

अल्लामा का़री (रह.) कहते हैं, कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो तरावीह को बिदअत कहा सिर्फ़ सूरत के एतेबार से फ़रमाया। क्योंकि ये इजतिमाअ आपकी (स.अ.व.) वफ़ात के बाद हुआ, वरना हकीकत के एतेबार से ये बिदअत नहीं है क्योंकि आँहज़रत (स.अ.व.) ने ही सहाबए किराम को घरों में पढ़ने का हुक्म फ़रमाया था ताकि फ़र्ज न हो जाए।

अहादीस से आप (स.अ.व.) का तरावीह की बीस रकअत पढ़ना साबित है, लेकिन इतने एहितमाम और जमाअते कसीरा के साथ नहीं पढ़ी जाती थी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने सब को एक इमाम के साथ पढ़ने का एहितमाम फ़रमाया।

बइतिफ़ाके अइम्मा सहीह ये है कि तरावीह में जमाअत ही अफ़ज़ल है, बल्कि बाज़ उलामा ने इसके मुतअल्लिक इजमाअ का दावा किया है, कि जुमला सहाबा का इस पर इजमाअ हो गया है, क्योंकि मुहाजिरीन व अन्सार में से किसी ने भी इनकार या एतेराज़ नहीं किया सब ने इसमें शिरकत फ़रमाई।

आँहज़रत (स.अ.व.) के इरशादे ग्रामी **عَلَيْكُمْ بَسْتِي وَسُنَّةِ** से दोनों सुन्नतों को मामूल बनाना **الْخُلَفَاءِ الرَّأْشِدِيْنَ. الخ**

वाजेह तौर पर मालूम होता है। आप ने ये हुक्म नहीं फरमाया कि मेरी सुन्नत को लेकर खुलफ़ा की सुन्नत को तर्क कर दो बल्कि दोनों का इलतिज़ाम करो।

### इमामे आजम अबूहनीफ़ा (रह.) से सवाल

इमाम आजम अबूहनीफ़ा (रह.) से सैयदना उमर (रज़ि.) के इस अमल (तरावीह) के मुतअल्लिक दरयाफ़त किया गया तो उन्होंने कहा कि तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है। हज़रत उमर (रज़ि.) का मन माना फ़ेल नहीं है। उन्होंने कोई बिदअत नहीं की और जब तक इस हुक्म की अस्ल उनके हाथ नहीं आई तो उन्होंने उस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-443)

अगर किसी साहब को तफ़सील देखनी हो तो मुन्दरजा जैल किताबें मुलाहज़ा फ़रमाएँ।

1- अनवारुलमसाबीह: मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम साहब नानौतवी (रह.)।

2- रकआते तरावीह: मुअल्लिफ़ मौलाना हबीबुर्रहमान आजमी दामत बरकातुहुम।

3- फ़तावा रहीमिया जिल्द-1।

4- फ़तावा रशीदिया कामिल।

5- किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबा।

### तरावीह सब के लिए सुन्नत है

तरावीह मर्दों और औरतों के लिए मसनून है। जमाअत से तरावीह पढ़ना सुन्नते किफ़ायत है और तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है और तरावीह पर वित्र का मुक़द्दम करना भी सहीह है और मुअख़्बर-करना भी,

तिहाई रात तक तरावीह को मुअख़्खर करना मुस्तहब है और सहीह मज़हब के बमोजिब निस्फ़े शब के बाद तक भी तरावीह का मुअख़्खर करना मकरूह नहीं है। तरावीह की बीस रकअत हैं दस सलामों के साथ और हर चार रकअत के बाद उन चार रकअत की मिक्दार बैठना मुस्तहब है। तरावीह के अन्दर माहे रमज़ान में एक मरतबा ख़त्मे कुरआन करना मसनून है। (नूरुलईज़ाह सफ़हा-99)

तरावीह मर्दों और औरतों सब के लिए सुन्नते मुअक्कदा है। मगर औरतों के लिए जमाअत सुन्नते मुअक्कदा नहीं है। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-361)

### हाफिजे कुरआन का तरावीह में कुरआन सुनाना

**सवाल:** हाफिज़ को तरावीह में कुरआन सुनाना वाजिब है या मुस्तहब? वाजिब होने की सूरत में अगर कोई शख्स पढ़ते वक़्त रिया व नुमूद से बचने की अपने में कूवत न रखता हो तो उसको सुनाना जाइज़ है या नहीं? जाइज़ न होने की सूरत में सुनाने से कुरआन शरीफ़ का कोई हक़ या मुवाख़ज़ा उसके जिम्मे बाकी रहेगा तो छुटकारे की क्या सूरत है?

**जवाब:** तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनाना और सुनना सुन्नत और मुस्तहब है और ख़ौफ़े रिया व उज्ब की वजह से छोड़ा न जाए और हत्तलवुसअत कोशिश हुसूले इख़लास की की जाए और लिवज़हिल्लाह बिला मुआवज़ा सुनाया जाए। ये बड़े अज़र व सवाब का काम है और इसी में फ़ज़ीलत है। बाकी अगर किसी उज़र से तरावीह में किसी हाफिज़ ने कुरआन शरीफ़ न पढ़ा और वैसे तिलावत करता रहा तो मुवाख़ज़ा से बरी है।

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا“

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-248)

### क्या तरावीह पढ़ाना इमाम की जिम्मादारी है?

सवाल: इमाम साहब पाँचों वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ाते हैं मगर तरावीह में सुनाने की आदत नहीं रही है। बाज़ कहते हैं कि तरावीह पढ़ाना इमाम की जिम्मादारी है।

जवाब: तरावीह में जब कि इमाम साहब कुरआन शरीफ़ सुनाने से आजिज़ और कासिर हैं तो “أَلَمْ تَرَ كَيْفَ” से पढ़ाने के जिम्मादार हैं।

अगर मुक्तदी हज़रात तरावीह में कुरआन पाक सुनने की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम मुक्तदी हज़रात खुद करें, इमाम साहब को मजबूर न करें।

लिवज़िहल्लाह तरावीह पढ़ाने वाला न मिल सके तो किसी हाफ़िज़ को रमज़ान के लिए नाइब इमाम मुकर्रर कर लें। इशा वगैरा एक दो नमाज़ें उसके जिम्मे कर देनी चाहिएं और वह तरावीह भी पढ़ाए तो उजरत देने की गुंजाइश निकल सकती है।

(फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-349)

### तरावीह में इमामत का हक

सवाल: बकर एक मस्जिद में इमाम मुकर्रर हुआ है और हाफ़िज़े कुरआन है। जैद भी हाफ़िज़े कुरआन है। वह ज़मानए बईद से उस मस्जिद में तरावीह पढ़ाता था। अब बकर कहता है कि मैं इमाम मुकर्रर हुआ हूँ तरावीह पढ़ाने का हक मुझ को है। जैद कहता है कि मेरा कदीमी हक है तो किस को हक है?

जवाब: सूरते मसऊला में जबकि बकर इमाम मुकर्रर

हो गया है तो तरावीह की भी इमामत का हक उसी को हासिल है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-282, बहवाला दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-522 बाबुलइमामत)

### तरावीह के लिए हाफिज़ का तकर्र

सवाल: जिस तरह पंज वक्ता नमाज़ों के लिए इमाम मुकर्र करना जाइज़ है क्या उसी तरह तरावीह के लिए भी हाफिज़ मुकर्र कर सकते हैं?

जवाब: चूँकि मस्अला ये है कि "الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا" और ये भी है कि "الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ" पस अगर किसी हाफिज़ को खत्मे कुरआन शरीफ़ के लिए तरावीह का इमाम बनाया जाए तो जाहिर है उससे मक्सूद इमामत नहीं है, बल्कि कुरआन शरीफ़ का खत्म है। लिहाज़ा उस पर जो उजरत दी या ली जाएगी वह खत्मे कुरआन शरीफ़ की वजह से है न कि महज़ इमामत की वजह से, पस हस्बे काएदा "لَا يَحُوزُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" तरावीह में खत्मे कुरआन पर उजरत लेना और देना जाइज़ न होगा। नीज़ शामी जिल्द-5 सफ़हा-35 पर है कि बिला उजरत मुकर्र करना इमामे तरावीह का दुरुस्त व अफ़ज़ल है। अलबत्ता उजरत पर जाइज़ नहीं। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-247, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-5 सफ़हा-47, किताबुलइजारा, मतलबुलइजारा फित्ताअति)

### एक शरअ दो जगह तरावीह पढ़ा सकता है या नहीं?

सवाल: बाज़ हाफिज़ ऐसा करते हैं कि एक मस्जिद में तरावीह पढ़ा कर आते हैं फिर दुसरी मस्जिद में पढ़ा देते हैं, इसका शरअन क्या हुकम है?



जवाब: अगर दोनों जगह पूरी पूरी तरावीह पढ़ाए तो मुफ़ता बिही कौल के मुताबिक दूसरी मस्जिद वालों की तरावीह दुरुस्त नहीं होगी, आलमगीरी में सराहत मौजूद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-288, बहवाला आलगीरी जिल्द-1 सफ़हा-289)

नोट: इसकी एक सूरत ये निकल सकती है कि हाफ़िज़ दस रकअत एक मस्जिद में तरावीह पढ़ाएँ, और बकिया तरावीह बजाए हाफ़िज़ साहब के मुक़तदियों में से कोई साहब दूसरी सूरतों से पूरी कर दें।

मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)

### तरावीह में मुआवज़ा की शर्ह हैसियत

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में ख़त्मे कुरआन शरीफ़ की गरज़ से हाफ़िज़ साहब का लेने देने की नीयत से सुनना सुनाना और बाद में लेना देना कैसा है, नीयत दोनों की लेने देने की होती है बग़ैर उसके सुनता सुनाता नहीं है। अगर किसी मस्जिद में कुरआन शरीफ़ न सुनाया जाए महज़ तरावीह पढ़ने पर इक्तिफ़ा किया जाए तो वह लोग फ़ज़ीलते कयामे रमज़ान से महरूम होंगे या नहीं?

जवाब: उजरत पर कुरआन शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है और इसमें सवाब भी नहीं है और बहुक्मे "अलमारुफ़ कलमशरूत जिसकी नीयत लेने देने की है वह भी उजरत के हुकम में है और नाजाइज़ है। इस हालत में सिर्फ़ तरावीह पढ़ना और उजरत का कुरआन शरीफ़ न सुनना बेहतर है और सिर्फ़ तरावीह अदा कर लेने से कयाम रमज़ान की फ़ज़ीलत हासिल हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-246, बहवाला

रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-660, मबहसुत्तरावीह)

### तरावीह की उजरत बतौर नज़राना

**सवाल:** एक मौलवी साहब बहुत दीनदार, परहेज़गार और हाफिज़े कुरआन हैं, वह हर साल रमज़ान में एक कस्तू की मस्जिद में जा कर नमाज़े तरावीह सुनाया करते हैं, ख़त्म के बाद मुक़्तदी वगैरा हस्बे मिक्दार बिला ज़ब्र व इकराह और बिला गुफ़तगू हिस्बतन लिल्लाह हाफिज़ को कुछ देते हैं और हाफिज़ भी बख़ुशी क़बूल करते हैं और कहते हैं कि मेरा मक्सूद इससे माल और कस्बे दुनिया नहीं है। मेरा मक्सूद सवाब और अदाए सुन्नते मुअक्कदा है और याददाश्ते कुरआन मजीद है, रुपये पैसा होना न होना मेरे नज़दीक बराबर है। और तफ़्सीरे अज़ीज़ी की एक इबारत से जवाज़े उजरत अललइबादात मालूम होता है इसलिए इस सूरत में शरअन क्या हुक्म है?

**जवाब:** फ़ुक़हा ने ये काएदा लिख दिया है कि (كذافي الشامي وغيره) "المعروف كالمشروط" पस अगर उन हाफिज़ साहब को मालूम है कि उनके कुरआन शरीफ़ सुनाने पर मस्जिद से रुपया मिलेगा और लेना देना मारूफ़ है तो उन हाफिज़ साहब को कुरआन शरीफ़ ख़त्म कर के कुछ लेना दुरुस्त नहीं है वरना पढ़ने और सुनने वाले दोनों सवाब से महरूम हैं। और शाह अब्दुलअज़ीज़ (रह.) की तहरीर का मतलब ये है कि इस इबादत पर कुछ लेना देना मारूफ़ न हो ताकि कलामे फ़ुक़हा और इरशादे शाह साहब में तआरुज़ न हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-264, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-287)

## हाफिजे तरावीह को आमदोरफ्त का किराया पेश करना और खाना खिलाना

**सवाल:** एक हाफिज साहब को शाबान के आखिर में बुलाया गया और सब लोगों ने चंदा कर के आमदोरफ्त का किराया दिया और रमज़ान शरीफ के पूरे महीने उन को उमदा खिलाया पिलाया तो ये सूरत कुरआन शरीफ सुनने की बिला एवज़ शुमार होगी या ये सूरत नाजाइज़ है और उनको कुछ जाइद उसके एवज़ में नहीं दिया जाता, अगर ये सूरत न की जाए तो हाफिज साहब सुनाते नहीं हैं।

**जवाब:** आमदोरफ्त का किराया दे कर हाफिज को बाहर से बुलाना और उसका कुरआन शरीफ बिला मुआबज़ा सुनना जाइज़ और मोजिबे सवाब है। और जब कि वह बाहर से आया हो और बुलाया हुआ मेहमान है तो उसको उमदा खिलाना जाइज़ है। फकत

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-295)

अगर हाफिज साहब के दिल में लेने का ख्याल न था और फिर किसी ने दिया तो दुरुस्त है। और जो हस्बे रिवाज व उर्फ़ देते हैं और हाफिज भी लेने के ख्याल से पढ़ता है अगरचे ज़बान से कुछ नहीं कहा तो दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-324)

## तरावीह पर मुआबज़ा की गुंजाइश

**सवाल:** हुफ़ाजे किराम तरावीह के लिए रुपये मुतअयन करते हैं या मुतवल्ली से कहते हैं कि जो आप चाहें दे दें या मुतवल्ली साहब कहते हैं कि हम अपनी खुशी से जो चाहेंगे देंगे तो इस तरह की तअयीन जाइज़ है या नहीं?

जवाब: तरावीह में उजरत लेना देना नाजाइज़ है, लेने देने वाले दोनों गुनहगार होते हैं इससे अच्छा ये है कि "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से पढ़ाई जाए।

लिवज्जिल्लाह पढ़ना और लिवज्जिल्लाह इमदाद करना जाइज़ है मगर इस जमाना में ये कहां है? एक मरतबा पैसे न दिए जाएं तो हाफिज़ साहब दूसरी दफा नहीं आएंगे।

अस्ल मस्अला यही है, मगर वह मुशकिलात भी नज़र अंदाज़ न होनी चाहिए जो हर साल और तकरीबन हर एक मस्जिद के नमाज़ी को पेश आती हैं। काबिले अमल हल ये है कि जहां लिवज्जिल्लाह तरावीह पढ़ाने वाला हाफिज़ न मिले, वहां तरावीह पढ़ाने वाले को माहे रमज़ान के लिए नाइब इमाम बनाया जाए और उसके ज़िम्मे एक या दो नमाज़ सिपुर्द कर दी जाएं तो मज़कूरा हीला से तनख्वाह लेना जाइज़ होगा, क्योंकि इमामत की उजरत को जाइज़ करार दिया है।

मुफ़तीए आजम हज़रत मौलाना मुफ़ती किफ़ायतुल्लाह (रह.) का फ़तवा ये है कि अगर रमज़ानुलमुबारक के महीने के लिए हाफिज़ को तनख्वाह पर रख लिया जाए और एक दो नमाज़ों में से उसकी इमामत मुतअयन कर दी जाए तो ये सूरत जवाज़ की है, क्योंकि इमामत की उजरत की फुकहा ने इजाज़त दी है।

(मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह देहली 27 शाबान 1350 हिजरी किफ़ायतुल मुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-350)

नोट: हज़रत मुफ़ती महमूदुलहसन साहब दामत करबातुहुम फ़रमाते हैं कि अस्ल मज़हब तो अदमे जवाज़ ही है, लेकिन हालते मज़कूरा में हीलए मज़कूरा की

गुंजाइश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-350)

नीज़ एक सूरत ये भी निकल सकती है कि मसल्लियों में से अगर कोई साहबे ख़ैर हाफ़िज़ साहब के इफ़्तार व सहरी वग़ैरा का इंतज़ाम कर दें और आख़ीर में बतौर हदीया या बतौर इमदाद कुछ पेश कर दें तो ये काबिले एतेराज़ नहीं है। बतौर उजरत देना ममनूअ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-433)

बिला तअयुन दे दिया जाए और न देने पर कोई शिकवा शिकायत न हो तो ये सूरत उजरत से ख़ारिज़ और हद्दे जवाज़ में दाख़िल हो सकती है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-350)

**नाबालिग़ हफ़ाज़ का कुरआन पुरख़ा करने के लिए नवाफ़िल**

**में जमाअत और उसमें शिरकत का हुक़म**

सवाल: एक नाबालिग़ हाफ़िज़ नफ़ल में कुरआन शरीफ़ सुनाना चाहता है तो ऐसे नाबालिग़ हाफ़िज़ की इक्त्तदा बगरज़े इसलाह कर सकते हैं या नहीं?

जवाब: नाबालिग़ हाफ़िज़ की इक्त्तदा तो तरावीह व नफ़ल में भी दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर वह अपना कुरआन पुरख़ा करने के लिए और तरावीह पढ़ाने की आदत डालने के लिए नवाफ़िले नमाज़ में कुरआन सुनाए तो लुक्मा देने के लिए एक हाफ़िज़ और अगर एक काफी न हो तो दो हाफ़िज़ तालीमन इक्त्तदा कर सकते हैं। फ़ज़ीलत हासिल करने की गरज़ से इक्त्तदा जाइज़ न होगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-286)

**बच्चे के पीछे तरावीह का मसआला**

सवाल: अगर पन्द्रह साल से कम का बच्चा सिर्फ़

तरावीह पढ़ाए और फर्ज दूसरा शख्स पढ़ाए तो क्या ये सूरत जाइज है या नहीं?

जवाब: बच्चे की तरावीह सिर्फ नफ़ल है और बालिग की सुन्नते मुअक्कदा। दूसरे बच्चे की नफ़ल शुरू करने से भी वाजिब नहीं होती और बालिग पर वाजिब हो जाती है पस बच्चे की ज़ईफ़ हो गई, उस पर बालिग की क़वी नमाज़ की बिना करना ख़िलाफ़े उसूल होने के सबब जाइज नहीं रहेगा। इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-361)

फ़तावा महमूदिया में है कि नाबालिग को तरावीह के लिए इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर वह नाबालिगों की इमामत करे तो जाइज है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-350)

### **बालिग हो गया मगर दाढ़ी नहीं निकली**

सवाल: अमरद लड़के के पीछे नमाज़ हो सकती है या नहीं? मुराद ये है कि बालिग हो गया है मगर दाढ़ी मोंछ कुछ नहीं आई, ख़्वाह हाफ़िज़ हो या इल्मे दीन का पढ़ने वाला हो, और मुक्तदियों को बवजहे लड़कपन, उसके इमाम होने में इख़तिलाफ़ है। इसलिए शरई हुक्म क्या है?

जवाब: अगर वह ख़ूबसूरत है और उसको निगाहे शहवत से लोगों के देखने का एहतेमाल है तब तो अगर वह हाफ़िज़ या तालिबे इल्म भी हो, तब भी उसकी इमामत मकरूह है। और अगर ये बात नहीं है सिर्फ़ अवाम की नापसंदीदगी है तो अगर वह सब मुक्तदियों से इल्म व कुरआन में अच्छा हो तो उसकी इमामत मकरूह नहीं है। और अगर इतनी उम्र हो गई है कि अब दाढ़ी भरने की उम्मीद नहीं रही है तो वह अमरद नहीं रहा।

(इमदादुलफतावा जिल्द-1 सफहा-358)

**एक माह कम पन्द्रह साल के लड़के की इमामत का****मसअला**

**सवाल:** जिस लड़के की उम्र यकुम रमजान 1405 हिजरी को चौदह साल ग्यारह माह की हो गई उसकी इमामत जाइज है या नहीं?

**जवाब:** मसअला ये है कि अगर लड़के में और कोई अलामत बुलूग की मसलन एहतेलाम व इंजाल न पाई जाए तो पूरे पन्द्रह बरस की उम्र होने पर शरअन बालिग समझा जाता है। पस जिसकी उम्र यकुम रमजान शरीफ को चौदह साल ग्यारह माह की हुई उसकी इमामत तरावीह और वित्र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सही मजहब इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) का यही है कि नाबालिग की इमामत फ़राइज व नाफिल और वाजिब में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई अलामत बुलूग की पाई जाए तो दुरुस्त होगी।

नीज चौदह बरस की उम्र के लड़के के पीछे फ़राइज व तरावीह कुछ दुरुस्त नहीं जब तक कि पूरे पन्द्रह बरस का न हो जाए, अलबत्ता चौदह बरस की उम्र में बुलूगीयत के आसार पैदा हो चुके हों और वह कहे कि मैं बालिग हो चुका हूं तो उसके पीछे दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफहा-226, 295, बहवाला रहुलमुहता जिल्द-1 सफहा-539, बाबुलइमामत)

**किस उम्र का लड़का तरावीह पढ़ सकता है?**

**सवाल:** कितनी उम्र का लड़का कुरआन शरीफ तरावीह में सुना सकता है। एक लड़के की उम्र तकरीबन सोला साल खत्म होने को आई, वह कलामुल्लाह तरावीह में

सुना सकता है या नहीं? उस लड़के के मुंह पर दाढ़ी वगैरा कुछ नहीं आई और ऐसा लड़का जो पन्द्रह सोला बरस का हो वह अगली सफ में बड़े आदमी के साथ खड़ा हो सकता है या नहीं। नीज चौदह साल का हो तो वह भी अगली सफ में खड़ा हो सकता है या नहीं?

जवाब: अगर दूसरी अलामत बुलूग की मसलन एहतेलाम वगैरा लड़के में मौजूद न हों तो शरअन पन्द्रह बरस की उम्र पूरी होने पर बुलूग का हुक्म दिया जाता है।

पस जिस लड़के को सोलहवाँ साल शुरू हो गया है उसके पीछे तरावीह और फर्ज नमाज़ सब दुरुस्त है अगरचे बेरीश हो और ऐसी उम्र का लड़का अगली सफ में भी खड़ा हो सकता है। और तेरह चौदह बरस का इमाम नहीं हो सकता लेकिन तरावीह में बतलाने की वजह से उसको अगली सफ में खड़ा कर सकते हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-247)

### दाढ़ी मुंडे हाफिज़ की इमामत

सवाल: जो हाफिज़ दाढ़ी मुंडाता है उसके पीछे तरावीह पढ़ना कैसा है?

जवाब: दाढ़ी मुंडाना हराम है और दाढ़ी मुंडाने वाला अज़रूए शरअ फ़ासिक है। लिहाज़ा ऐसे हाफिज़ को तरावीह के लिए इमाम बनाना जाइज़ नहीं है। ऐसे इमाम के पीछे तरावीह पढ़ना मकरूहे तहरीमी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-353, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-523)

### कुहनी तक कटे हुए हाथ वाले की इमामत

सवाल: एक हाफिज़े कुरआन का एक हाथ कुहनी के



पास से कट गया है, ऐसे हाफिज़ के पीछे तरावीह होगी या नहीं?

जवाब: ऐसे इमाम के पीछे तरावीह पढ़ना जाइज़ है मकरूह नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-383)

### फ़ैशन परस्त हाफिज़ की इमामत

सवाल: बाज़ हाफिज़ फ़ैशन परस्त होते हैं, लिबास वगैरा शरई नहीं होता, सर पर खिलाफ़े शरअ हिप्पी कट बाल रखते हैं और बरहना सर घूमते हैं, तो क्या ऐसे हाफिज़ों के पीछे तरावीह पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाब: अगर हाफिज़ अपनी कबीह आदतों के छोड़ देने का अहद करे तो उसको इमामे तरावीह बना सकते हैं और अगर इनकार करे तो फिर ऐसा शख्स इमामत के मनसब के लाइक नहीं और इस वजह से अगर नमाज़ी उससे नाराज़ हों तो उनकी नाराज़गी हक होगी। हदीस में है कि शरई सबब से अगर मुसल्ली इमाम से नाराज़ हों तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मक्बूल नहीं होती। अगर हाफिज़ अपने तर्ज ज़िन्दगी को बदलने के लिए तैयार हो तो उनको इमाम बनाया जा सकता है। वरना इमामत का मुकद्दस मनसब उनके सिपुर्द न किया जावे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-417, बहवाला दुर्रेमुख्तार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-522)

### तवाइफ़ के लड़के के पीछे तरावीह

सवाल: एक हाफिज़ साहब हैं जो खुश इल्हान नमाज़ी हैं, व रोज़ा के पाबंद और खलीक भी हैं, कुरआन शरीफ़ ख़ूब याद है, लेकिन वलदुज़्ज़िना हैं, यानी एक तवाइफ़ के लड़के हैं, क्या उनको इमाम बनाया जा सकता है।

उनके पीछे फर्ज नमाज़ और तरावीह पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: अगर ये हाफिज़ साहब सालेह और नेक और मुआशरत के लिहाज़ से महफूज़ हैं तो उनके पीछे नमाज़ जाइज़ है। वलदुज़िज़ना होना ऐसी सूरत में मौजिबे कराहत नहीं। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-64)

### अगर हाफिज़ की दाढ़ी एक मुश्त से कम हो

सवाल: हमारे शहर में सिर्फ़ एक हाफिज़े कुरआन है, लेकिन उसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, क्योंकि वह दाढ़ी को तराश लेता है, उसके पीछे तरावीह पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: अगर दूसरा इमाम उससे बेहतर मिल सकता है तो उसको इमाम न बनाया जाए। एक मुश्त दाढ़ी रखने के लिए उसको कहा जाए और वह दाढ़ी बढ़ा ले तो ठीक है। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-87)

इमदादुलमुफ़तीन में दाढ़ी मुंडवाने या कटवाने वाले के मुतअल्लिक है कि वह शख्स फ़ासिक और सख्त गुनहगार है, उसको इमाम बनाना नाजाइज़ है, क्योंकि उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और वह वाजिबुलइहानत है उसको इमाम बनाने में उसकी ताज़ीम है। इसलिए उसको इमाम बनाना जाइज़ नहीं है। इमदादुलमुफ़ती जिल्द-1 सफ़हा-261, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-276 बाबुलइमामत फ़तावा दारुलउलूम में ये मसअला दर्ज है कि—

हदीस से दाढ़ी का छोड़ना और ज़्यादा करना और मोंछों का कतरवाना साबित है और दाढ़ी का मुंडवाना और कतरवाना जब कि दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा न हो

तो हराम है। जो शख्स एक मुट्टी से कम दाढ़ी को कतरवाता या मुंडवाता है वह फ़ासिक है और फ़ासिक की इमामत मकरूहे तहरीमी है। जिस शख्स में अगर सब बातें मुवाफ़िके शरअ के हैं लेकिन एक बात में वह ख़िलाफ़ और फ़ेले हराम का मुरतकिब है तो वह फ़ासिक है उसको चाहिए कि वह फ़ेले हराम से भी तौबा करे और दाढ़ी न मुंडवाए और कतरवाए। अलबत्ता एक मुट्टी से ज़्यादा हो तो उसका कतरवाना फुकहा ने जाइज़ लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़ह-117)

### मोहतात नाबीना की इमामत

**सवाल:** क्या जोअफ़े बसारत इमामत के लिए मानेअ हो सकती है?

**जवाब:** फुकहाए किराम ने ऐसे नाबीना की इमामत को जो ग़ैर मोहतात और नजासत से न बचता हो मकरूहे तंजीही करार दिया है, लेकिन ये हुक्म आम नहीं है, बल्कि ग़ैर मोहतात के साथ ख़ास है, लिहाज़ा जो नाबीना मोहतात हो और नजासत से बचने का पूरा एहतेमाम करता हो, पाक साफ़ और सुथरा रहता हो उसकी इमामत को बिला कराहत जाइज़ लिखा है।

हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) का ब्यान है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने ग़ज़वए तबूक में तशरीफ़ ले जाने के मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मकतूम (रज़ि.) को जो नाबीना थे मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए अपना काइम मक़ाम बनाया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमैर (रज़ि.) बावजूद नाबीना होने के बनी हतमा के इमाम थे, वह फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के

मुबारक ज़माना में बनी हतमा का इमाम था, हालांकि मैं नाबीना था। (फ़ताव रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-363)

नोट: एक चश्म की इमामत जाइज़ है कोई वजह कराहत की नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-89)

**तरावीह पढ़ाने वाला अगर पाबंदे शरअ न हो तो क्या हक़म है**

सवाल: मुनदरजा ज़ैल सिफ़ात वाले हाफ़िज़ के पीछे तरावीह पढ़ना सही है या नहीं?

(1) ख़िलाफ़े सुन्नत दाढ़ी रखने वाले के पीछे।

(2) सरकारी मुलाज़िम या स्कूल के टीचर हाफ़िज़ के पीछे।

(3) दुकानदार हो यानी सूदी रक़म से बलैक मार्केट करता हो और नाजाइज़ तरीके से तिजारत करता हो तो उसके पीछे तरावीह पढ़ना सही है या नहीं?

जवाब: ख़िलाफ़े सुन्नत दाढ़ी वाला शरख़्स, सूदी मआमला करने वाला, और नाजाइज़ तरीके से तिजारत करने वाला शरख़्स इमामत के काबिल नहीं, उसके पीछे नमाज़ मकरूह है। लेकिन हाज़रीन में कोई दूसरा शरख़्स ऐसा भी न हो तो तन्हा नमाज़ पढ़ने के बजाए ऐसे इमाम के पीछे पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि जमाअत की बड़ी फ़ज़ीलत और ताकीद है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-84)

**अगर हाफ़िज़ नमाज़ का पाबंद न हो तो क्या हक़म है**

सवाल: (1) एक हाफ़िज़ कुरआन तो सही पढ़ता है मगर नमाज़ का पाबंद नहीं है ऐसे हाफ़िज़ के पीछे उन लोगों को तरावीह पढ़ना जो नमाज़ के पाबंद हैं बिला कराहत होगी या कराहत के साथ?

(2) एक हाफिज़ साहब की ज़बान से बजाए छोटे सीन के बड़ा शीन और बजाए जीम के जो या जाल या बिलअक्स अदा होते हैं। कोशिश के बावजूद वह उस पर कादिर नहीं तो ऐसे हाफिज़ के पीछे उन लोगो की तरावीह दुरुस्त होगी या नहीं जो कुरआन सही पढ़ते हैं?

जवाब: (1) तौबा से कराहत जाइल हो जाती है क्योंकि इल्लत कराहत की फिस्क है और तौबा से फिस्क जाइल हो जाता है।

(2) अहक़र के नज़दीक फ़राइज़ व वित्र में अदमे जवाज़ का हुक़म ज़्यादा एहतियात रखता है और तरावीह में जवाज़ का हुक़म औसअ है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-95)

### माज़र हाफिज़ की इमामत

सवाल: हाफिज़ अगर उज़र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़ाए तो मुक़्तदी किस तरह पढ़ेंगे?

जवाब: अगर हाफिज़ साहब उज़र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़ाएँ और मुक़्तदी हज़रात खड़े हों तो बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि सब के नज़दीक नमाज़ सही होगी और बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि मुक़्तदियों को बैठना मुस्तहब है ताकि इमाम की मुताबअत बाकी रहे। मुख़ालफ़त की सूरत न रहे। (दोनों सूरतें जाइज़ हैं) तर्जुमा: फ़तावा आलमगीर जिल्द-1 सफ़हा-189)

### दो हाफिज़ों के मिल कर पढ़ने का हुक़म

सवाल: दो हाफिज़ मिल कर तरावीह पढ़ाते हैं। दस रकअत में एक हाफिज़ साहब सवा पारह, दूसरी दस रकअत में दूसरे हाफिज़ साहब सवा पारह। क्या नमाज़

में कोई खलल तो नहीं आता?

जवाब: एक कुरआन से ज़्यादा न पढ़ा जाए ता वक्तेकि लोगों का शौक न मालूम हो जाए। तरावीह हो जाएगी बशर्ते कि मुक्तदी हज़रात को गिराँ न गुज़रे।

(मज़ाहिरे हक तरतीबे जददी 14)

### गैर मुकल्लिद की इमामत

सवाल: अगर इमाम गैर मुकल्लिद और तरावीह बीस रकअत के बजाए आठ रकअत पढ़ाए तो हनफ़िया को किस तरह बक़िया तरावीह पूरी करनी चाहिए, आया वित्र इमाम के साथ पढ़ कर बक़िया तरावीह पूरी करें या वित्र छोड़ कर?

जवाब: बक़िया तरावीह वित्र के बाद पढ़ सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि वित्र इमाम के साथ न पढ़ें बक़िया तरावीह पूरी पढ़ लेने के बाद वित्र पढ़ें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-274, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-134 बाबुन्नवाफ़िल, फ़स्ल कयामे रमज़ान)

### जिसने इशा की नमाज़ न पढ़ी उसकी इमामत

सवाल: इशा की जमाअत हो गई। उसके बाद जब तरावीह की जमाअत होने लगी तो हाफ़िज़ साहब जिन्होंने अभी इशा के फ़र्ज़ अदा नहीं किए थे नमाज़े तरावीह पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और दो रकअत तरावीह पढ़ा दी, मुक्तदियों में से बाज़ ने एतेराज़ किया तो हाफ़िज़ साहब को हटाया दिया गया, उसके बाद इमाम की इक्तिदा में बक़िया तरावीह अदा की गई।

दरयाफ़त तलब अम्र ये है कि मुक्तदियों की पहली दो

रकअत सही हुई या नहीं, अगर नहीं हुई तो क्या उनका इआदा जरूरी है?

**जवाब:** सूरते मसऊला में तरावीह की दो रकअतें काबिले इआदा थीं, क्योंकि तरावीह इशा के बाद है पहले नहीं। उसी वक़्त इआदा कर लेना था और अगर इआदा नहीं किया गया तो बाद में सुबह सादिक से पहले तन्हा तन्हा पढ़ी जा सकती थी। अब वक़्त निकल गया उसकी कज़ा नहीं है, इस्तिग़फ़ार करें और उन दो रकअतों में जितना कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया था उसको लौटाया न हो तो दूसरे दिन लौटा लिया जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-385, बहवाला कबीरी सफ़हा-385)

### मर्द की इफ़्तिदा में औरतों की जमाअत

**सवाल:** अगर कोई इमाम नमाज़े फ़र्ज़ या तरावीह पढ़ाता हो और औरतें किसी परदे या दीवर के पीछे फ़ासिले से मुक़्तदी बन कर नमाज़ पढ़ें तो औरतों की नमाज़ जाइज़ है या नहीं? और इमाम की नमाज़ में कुछ ख़लल तो नहीं आता?

**जवाब:** इन मस्तूरात की नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-262)

### औरतों की जमाअत तरावीह

**सवाल:** चंद औरतें जो हाफ़िज़े कुरआन हैं, ये चाहती हैं कि तरावीह में कुरआन मजीद अपनी जमाअत से ख़त्म करें, उनका ये फ़ेल कैसा है। नीज़ ईदैन की नमाज़ भी चंद औरतें जमाअत से पढ़ सकती हैं या नहीं। क्या औरत औरतों की इमाम बन सकती है या नहीं?

**जवाब:** औरतों की जमाअत इस तरह कि औरत ही

इमाम हो मकरूह है, ख्वाह तरावीह की जमाअत हो या गैर तरावीह की सब में औरतों का इमाम होना औरतों के लिए मकरूह है। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-266, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-528 बाबुलइमामत)

नोट: मौलाना अब्दुलहई (रह.) का औरतों की जमाअत की तरावीह के सिलसिले में फ़तवा ये है कि तरावीह में औरत अगर सिर्फ औरतों की इमामत करे तो जाइज़ है। अगर कोई औरत हाफिज़ा हो और भूलने का अंदेशा न हो तो मौलाना अब्दुलहई के फ़तवे पर अमल कर लेने की गुंजाइश हो सकती है, वैसे आम औरतें जमाअत न करें।

(मुरत्तिब: रफ़अत कासमी)

### हाफिज़ का कुरआन तेज़ पढ़ना

सवाल: बाज़ हाफिज़ तरावीह में इस कदर जल्दी कुरआन शरीफ पढ़ते हैं कि सिवाए "यामलून" और "तामलून" के और कुछ समझ में नहीं आता और बाज़ मुक्तदी भी ऐसा तेज़ पढ़ने को तरावीह के जल्दी ख़त्म हो जाने की वजह से पसंद करते हैं, इन दोनों का क्या हुक़म है?

जवाब: दुर्रेमुख्तार में है कि "وَيُحِبُّ الْمُنْكَرَاتِ" यानी कुरआन में मुनकरात से बचे, यानी जल्दी पढ़ने से और अरुज़, बिस्मिल्लाह और इत्मीनान के छोड़ने से। इससे मालूम होता है कि ऐसा पढ़ना अग्रे मुनकर है जो बजाए सवाब के सबबे मासियत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-257, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-663 मबहसुत्तरावीह)

तादादे रकआत में इरिबलाफ़ वाक़ेअ हो जाए तो क्या हुक़म है

सवाल: तादादे रकआत के बारे में मुक्तदी हज़रात के



दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ, बाज़ कहते हैं अठारह हुई और बाज़ कहते हैं बीस हुई तो अब किस का कौल मोतबर होगा?

जवाब: इमामे तरावीह जिस तरफ़ होगा उस जमाअत का कौल मोतबर होगा और अगर सब को शक हो जाए तो दो रकअत और पढ़ ली जाएँ, लेकिन बाजमाअत नहीं अलाहिदा अलाहिदा पढ़ें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-355)

फ़तावा महमूदिया में है कि-

अगर तमाम नमाज़ियों और इमाम को शक हुआ कि अठारह रकअत तरावीह हुई हैं या बीस पूरी हो गई तो दो रकअत बिला जमाअत और पढ़ ली जाए। अगर तमाम मुक़्तदियों को तो शक हुआ, लेकिन इमाम को शक नहीं हुआ बल्कि किसी एक बात का यकीन है तो वह अपने यकीन पर अमल करे और मुक़्तदियों के कौल की तरफ़ कोई तवज्जोह न करे।

अगर बाज़ कहते हैं कि बीस पूरी हो गई और बाज़ कहते हैं नहीं बल्कि अठारह हुई हैं तो जिस तरफ़ इमाम का रुजहान हो उस पर अमल करे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-253)

**अगर तरावीह की कुछ रकअत तहज्जुद में पढ़े तो**

**क्या हक़म है?**

सवाल: अगर हाफ़िज़ तरावीह में सोलह रकअत पढ़ा कर चार रकअत उस वक़्त न पढ़े और उनको कोई दूसरा शख्स पढ़ा दे फिर हाफ़िज़ चार रकअत तहज्जुद में जमाअत से पढ़ाएँ तो जाइज़ है या नहीं? इस तरह कि खुद हाफ़िज़

साहब तो तरावीह की नीयत करें और बकिया मुक्तदी तहज्जुद की या वह भी बकिया चार रकअत तरावीह की नीयत से पढ़ें तो जाइज है या नहीं? खुसूसन जबकि बुला कर इज्तिमा किया जाता हो?

**जवाब:** तरावीह अगर चार करअत छोड़ दी और आखिर शब में उसकी जमाअत कर ली तो दुरुस्त है। (क्योंकि तरावीह का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक तक रहता है) सिवाए तरावीह के दीगर नवाफिल तदाई के साथ यानी तीन चार आदमी से ज़्यादा की जमाअत दुरुस्त नहीं है इसी तरह तहज्जुद की जमाअत भी मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-284, बहवाला दुर्मुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-663 बाबुल वित्र व नाफिल सफ़हा-659 मबहसुत्तरावीह)

### अगर ख़ुदा नरब्बास्ता हाफिज़ का तरावीह में इंतिकाल हो जाए

**सवाल:** अगर हाफिज़ साहब तरावीह में जाँबहक हो जाएँ तो मुक्तदी नमाज़ किस तरह पूरी करें।

**जवाब:** वह नमाज़ फ़ासिद हो गई, फिर किसी को इमाम बना कर अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़नी चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-553 बाबुलइमामत)

### हाफिज़ ने सनाना शुरू किया फिर किसी वजह से दरमियान में छोड़ दिया

**सवाल:** अगर हाफिज़ साहब ने कुरआन शरीफ़ तरावीह में सनाना शुरू किया और किसी वजह से दरमियान में एक दो रोज़ न पढ़ा, मसलन दस पारे तक पढ़ा और उसके बाद दूसे हाफिज़ ने पन्द्रह पारे तक पढ़ा तो अब

हाफिजे साबिक ग्यारहवें पारे से शुरू करे या सोलहवें पारे से शुरू करे?

जवाब: जब पहले हाफिज़ ने दस पारा पढ़े और फिर दूसरे ने पन्द्रह तक पढ़े, तो पहले हाफिज़ जब आएँ तो उनको इख़्तियार है ख़्वाह सोलहवें पारे से पढ़ें या ग्यारहवें से लेकिन अपना कुरआन पूरा करने के लिए बेहतर है कि ग्यारहवें पारे से शुरू करें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-255)

### इमाम का नमाज़ के लिए किसी ख़ास शख्स का इतिज़ार करना

सवाल: जो इमामे मस्जिद ऐसा हो कि जिस वक़्त तक मस्जिद में एक या दो मखसूस शख्स न आ जाएँ चाहे नमाज़ का मुक़र्ररा वक़्त भी गुज़र जाए और वक़्त में भी ताख़ीर हो रही हो मगर अपने दुनियावी नफ़ा के बाइस या तअल्लुकात के सबब उन अशख़ास का इतिज़ार करे तो ऐसे इमामा के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब: अगर बेवजह दुनिया के किसी दीनदार रईस का इतिज़ार करता है और हाज़रीन की रिआयत नहीं करता तो इमाम और मुकब्बिर दोनों गुनगहार हैं मगर नमाज़ उनके पीछे हो जाती है।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-288)

### जमाअत में जो अपना इतिज़ार चाहता हो

सवाल: कोई मुतवल्लिये मस्जिद या ख़ादिमे मस्जिद वगैरा ये कहता है कि जब तक हम मस्जिद में न आ जाएँ जमाअत न खड़ी हो। तो ऐसे शख्स के बारे में शरई क्या हुक्म है?

जवाब: जो ऐसा शरूख़ मुतवल्ली हो कर अपने वास्ते ऐसी ताकीद करे और ताखीर करे वह गुनगहार है और आदमियों का इतिज़ार भी दुरुस्त नहीं है। हाँ अवाम मुस्लिमीन का इतिज़ार दुरुस्त है, बशर्ते कि दूसरों को जो हाज़िर हो चुके हैं तकलीफ़ न हो और वक़्त भी मकरूह न आ जाए, मगर रईस या दुनियादारों का इतिज़ार न करे वक़्त पर सब आ जाएँ या अक्सर आ जाएँ तो नमाज़ पढ़ाए। (फ़तावा रशीदिया कामिल-287)

### तहरीमा के सही अलफ़ाज़ क्या हैं

बाज़ इमाम तकबीर कहने में बड़ी बे एहतियाती करते हैं और "अल्लाहुअकबर" कहने के बजाए "अल्लाहु अकबर" कहते हैं, यानी "बा" और "रा" के दरमियान अलिफ़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह से बाज़ इमाम अल्लाह के शुरु में मद करते हैं और "आल्लाहु अकबर" कहते हैं। ये दोनों सूरतें बिल्कुल ग़लत हैं, इन दोनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, और अगर तकबीरे तहरीमा में इस तरह कह दिया तो नमाज़ का शुरु करना ही सही न होगा।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-73 बहवाला सगीरी)

### इमाम को तकबीरात किस तरह कहनी चाहिए

अक्सर व बेशतर इमामों को देखा जाता है कि नमाज़ पढ़ाते वक़्त तकबीराते इतिकालिया, हरकते इतिकालिया के साथ साथ नहीं कहते, बल्कि कभी तो मुनतकिल होने के बाद तकबीर कहते हैं और कभी दूसरे रुकन तक पहुंचने से पहले ही तकबीर ख़त्म कर देते हैं, मसलन क़याम की हालत से मुनतकिल हो कर रुकूअ में जाते हैं तो बाज़ इमाम झुकने के बाद अल्लाहुअकबर कहते हैं और बाज़

इमाम इस क़दर छोटा अल्लाहुअकबर कहते हैं कि रुकूअ में पूरे तौर पर पहुंचने से पहले ही अल्लाहुअकबर की आवाज़ खत्म हो जाती है और इसी तरह सज्दा में जाते वक़्त और सज्दा से दूसरी रकअत के लिए खड़े होते वक़्त भी करते हैं।

वाज़ेह रहे कि इन दोनों सूरातों में तकबीर की सुन्नते कामिल अदा नहीं हुई। कामिल सुन्नत उसी वक़्त अदा होती है जब कि एक रुक्न से दूसरे रुक्न की तरफ़ मुनतक़िल होने के साथ साथ तकबीर शुरू करे और ज्योंहि दूसरे रुक्न में पहुंचे तकबीर की आवाज़ बंद हो जाए। और बाज़ इमाम अल्लाहुअकबर को इस तरह खींचते हैं कि दूसरे रुक्न में पहुंच जाने के बाद कुछ देर तक उनकी तकबीर की आवाज़ आती रहती है इस दरजा तकबीर को खींचना मकरूह है।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-71, बहवाला कबीरी सफ़हा-313)



## दूसरा बाब

### तरावीह कहां पढ़ें?

#### नमाजे तरावीह घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में

सवाल: नमाजे तरावीह घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में?

जवाब: इमामे आजम अबूहनीफ़ा (रह.) और हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) और शवाफ़े उलमा की अक्सरीयत और बाज़ मालिकिया (रह.) हज़रात का मुत्तफ़िका तौर पर मसलक है कि नमाजे तरावीह का मस्जिद में ही पढ़ना अफ़ज़ल है, जैसा कि अमीरुलमुमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) और उनके बाद के दूसरे सहाबा (रज़ि.) ने उसको मस्जिद ही में पढ़ना मुकर्रर किया है, और फिर उस पर तमाम मुसलमानों का हमेशा अमल रहा है, क्योंकि नमाजे तरावीह शिआरे दीन है और नमाजे ईद के मुशाबेह है।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब-14)

कुल तरावीह हनफ़ीया के नज़दीक बीस रकअत हैं उनको जमाअत से पढ़ना सुन्नत है। अगर तमाम अहले मुहल्ला तरावीह छोड़ दें तो सब तर्क सुन्नत के वबाल में गिरफ़्तार होंगे। अक्सर अहले मुहल्ला ने तो तरावीह जमाअत से पढ़ी मगर इत्तिफ़ाक़न एक दो शख्स ने जमाअत से नहीं पढ़ी, बल्कि तन्हा मकान में पढ़ी तब भी सुन्नत अदा

हो गई। (फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-350, बहवाला कबीरी सफ़हा-384)

### तरावीह कौन सी मस्जिद में अफ़ज़ल है

**सवाल:** नमाजे तरावीह कौन सी मस्जिद में अफ़ज़ल है क्योंकि करीब में जामा मस्जिद भी है, जब कि जामा मस्जिद में नमाज़ का पढ़ना ज्यादा अफ़ज़ल बताया गया है?

**जवाब:** दुर्रमुख्तार में है कि मस्जिदे मुहल्ला अहले मुहल्ले के हक में जामा मस्जिद से अफ़ज़ल है और शामी ने भी यही लिखा है "لَا نَلَاَهُ حَقًّا عَلَيْهِ، فَلْيُرَدِّهِ" यानी मुहल्ले वाले पर मस्जिदे मुहल्ला का हक है उसको अदा करना चाहिए। (दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-617)

### मुहल्ले की मस्जिद का हक

**सवाल:** हमारे मुहल्ले की मस्जिद में आठ रकअत तरावीह तक नमाज़ी रहते हैं, फिर कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हम उस मस्जिद को छोड़ कर दूसरी मस्जिद में तरावीह अदा करें तो कैसा है कुछ हरज तो नहीं?

**जवाब:** बीस रकअत तरावीह बाजमाअत मुहल्ले की मस्जिद में होना ज़रूरी है, लिहाज़ा आप लोगों को अपनी मस्जिद में तरावीह पढ़नी चाहिए, चाहे नमाज़ी कम हों। अगर मुहल्ले की मस्जिद में तरावीह न होगी तो सब गुनहगार होंगे। (फतावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-349, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-660)

### क्या अपनी मस्जिद छोड़ सकते हैं

**सवाल:** अगर दूसरी मस्जिद में अच्छा हाफ़िज़ पढ़ने वाला है तो क्या उसको सुनने जा सकते हैं?

**जवाब:** अगर मुहल्ले की मस्जिद में इमाम ग़लत

पढ़ता हो तो अपनी मस्जिद को छोड़ देने और दूसरी मस्जिद में तरावीह पढ़ने में कोई मुज़ाएका नहीं। और यही हुक्म उस सूरात में है जब दूसरा हाफिज़ किराअत में नर्म और आवाज़ में अच्छा हो। और अगर उसके मुहल्ले में ख़त्म न होता हो (यानी तरावीह में ख़त्म न होता हो, न पढ़ा जाता हो) तो उसको अपने मुहल्ले की मस्जिद छोड़ देना और दूसरी मस्जिद तलाश करना चाहिए। (तर्जुमा: फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-186)

अगर अपनी मस्जिद का इमाम कुरआन शरीफ़ ख़त्म न करे तो फिर किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ पर ख़त्म हो तरावीह पढ़ने में कोई मुज़ाएका नहीं, क्योंकि ख़त्म की सुन्नत वहीं हासिल होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-255)

### नमाजे तरावीह मस्जिद की छत पर अदा की जाए

सवाल: हमारे यहाँ मौसम गर्मा में नमाजे इशा और तरावीह वगैरा मस्जिद की छत पर पढ़ी जाती है, जमाअत ख़ाने में नहीं पढ़ी जाती, उसका शरई हुक्म क्या है?

जवाब: गर्मी की वजह से मस्जिद के जमाअत ख़ाना या सेहन मस्जिद को छोड़ कर छत पर इशा और तरावीह वगैरा की जमाअत करना मकरूह है। हाँ! जिनको जमाअत ख़ाना और सेहन में जगह न मिले अगर वह छत पर जा कर नमाज़ पढ़ें तो बिला कराहत जाइज़ है कि ये मजबूरी है।

कअबा शरीफ़ के ऊपर नमाज़ पढ़ना (बेअदबी और बेहुरमती की वजह से) मकरूह है। हाँ! अगर तामीर और मरम्मत की वजह से चढ़ना हो तो मकरूह नहीं है। इसी तरह से कोई भी मस्जिद हो उसकी छत पर चढ़ना



मकरूह है और इसी बिना पर ये भी मकरूह है।

गर्मी की शिद्दत से छत पर जमाअत न करें, मगर ये कि मस्जिद में गुंजाईश न रहे तो इस मजबूरी की वजह से छत पर चढ़ना मकरूह न होगा। बहरहाल गर्मी की शिद्दत ज़रूरत और मजबूरी नहीं पैदा करती, क्योंकि इससे यही होता है कि मुशक्कत बढ़ जाती है और जब मुशक्कत बढ़ जाती है तो अज़र व सवाब भी ज़्यादा मिलता है, इसको मजबूरी नहीं कहा जा सकता। फ़तावा आलमगीरी जिल्द-5 सफ़हा-322 पर है कि तमाम मसिज्दों की छतों पर पढ़ना मकरूह है। इसलिए सख़्त गर्मी में छत पर चढ़ कर जमाअत करना मकरूह है। हाँ अगर मस्जिद तंग हो और नमाज़ियों के लिए वुस्अत न हो तो ज़रूरतन बाकी लोगों का ऊपर चढ़ना मकरूह नहीं है।

गर्मी में सेहने मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत बग़ैर हरज के सही है। अगर किसी जगह सेहन दाखिले मस्जिद न हो, मस्जिद से ख़ारिज हो तो बानिए मस्जिद और अगर वह न हो तो जमाअत के लोग मुत्तफ़िक़ हो कर दाखिले मस्जिद की नीयत करें। (तो वह मक़ाम दाखिले मस्जिद हो जाएगा) और उस पर मस्जिद के जुमला अहकाम जारी होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-31, बहवाला कबीरी सफ़हा-392 व मजमूआ फ़तावा सअदीया सफ़हा-148)

### दुकानों में नमाज़े तरावीह पढ़ना कैसा है?

**सवाल:** किसी बाज़ार के नमाज़ी सिर्फ़ कारोबार के नुक़सान का अंदेशा कर के दुकानों में ही अलग अलग जमाअते तरावीह करें तो उनका ये फ़ेल कैसा है?

**जवाब:** नमाजे तरावीह मस्जिद में पढ़ना और खल्मे तरावीह मसिज्दों में सुनना सुन्नत है। बिला उजर मस्जिद में न जाना और दुकानों पर तरावीह पढ़ना तर्क सुन्नत है। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-269, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-660)

### घर में तरावीह की जमाअत करना

**सवाल:** तरावीह की नमाज घर में बाजमाअत अदा करना और मस्जिद में न जाना कैसा है?

**जवाब:** अगर कोई जमाअत इस तरह करे कि मस्जिद की जमाअत बंद न हो तो ये दुरुस्त है, मगर ये लोग मस्जिद की फज़ीलत से महरूम रहेंगे। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-251, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-660 व शामी जिल्द-1 सफ़हा-521)

### नमाजे इशा बाजमाअत मस्जिद में पढ़े और तरावीह घर पर पढ़े तो क्या हुक्म है?

**सवाल:** नमाजे इशा बाजमाअत अदा करने वाला तरावीह घर में पढ़े तो गुनहगार है या नहीं?

**जवाब:** तरावीह बाजमाअत की अदाएगी सुन्नते मुअक्कदा अललकिफ़ाया है। मुहल्ले की मस्जिद में तरावीह बाजमाअत अदा होती हो और कोई शख्स अपने मकान में तन्हा तरावीह अदा करे तो गुनहगार न होगा मगर जमाअत की फज़ीलत से महरूम रहेगा।

(फतावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-349, बहवाला दुर्रेमुख्तार व शामी जिल्द-1 सफ़हा-660)

### एक हाफिज़ का चंद जगह खत्म करना?

**सवाल:** बाज हाफिज़ पाँच सात रोज़ में एक मस्जिद

में कुरआन शरीफ तरावीह में खत्म कर के दूसरी मस्जिद में दूसरा खत्म, तरावीह में सुनाते हैं, ये दुरुस्त है या नहीं और दूसरी मस्जिद वालों की तरावीह हो जाती है या नहीं? हाफिज़ हज़रात और बाज़ आलिम इसे जाइज़ बतलाते हैं और बाज़ कहते हैं कि हाफिज़ का एक खत्म करना सुन्नत है, दूसरा खत्म नफ़ल है और मुक्तदी के वास्ते खत्म सुन्नत है। तो सुन्नत वालों की नमाज़ नफ़ल वाले के पीछे कैसे होगी?

जवाब: एक मस्जिद में पाँच सात रोज़ में खत्म शरीफ़ कर के दूसरी मस्जिद में दूसरा खत्म हाफिज़ों को करना दुरुस्त है और दूसरी मस्जिद वालों की तरावीह सही है क्योंकि तरावीह की नमाज़ तमाम रमज़ान शरीफ़ में सुन्नते मुअक्कदा है, पस दूसरी मस्जिद में जो हाफिज़ ने तरावीह पढ़ाई वह भी सुन्नते मुअक्कदा हुई और मुक्तदियों की तरावीह भी सुन्नते मुअक्कदा हुई, लिहाज़ा दोनों की नमाज़ मुत्तहिद हुई। अलावा बरीं नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे सुन्नत भी हो जाती हैं। और ये शुब्हा ग़लत है कि खत्मे कुरआन शरीफ़ एक बार सुन्नते मुअक्कदा है। दूसरा और तीसरा खत्म नफ़ल है। क्योंकि नमाज़ इमाम की सुन्नते मुअक्कदा है खत्म के सुन्नत न होने से वह नमाज़ सुन्नत होने से खारिज नहीं हुई और मुक्तदियों की नमाज़ में कुछ नुक़सान नहीं आया, लेकिन अफ़ज़ल और बेहतर इस ज़माने में ये है कि इमाम हाफिज़ एक खत्म से ज़्यादा तरावीह में न पढ़े, ताकि मुक्तदियों को गिराँ न हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-293, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-662)

### तरावीह की दो जमाअतें करना

**सवाल:** हुफ़ाज़ की ज़्यादती की वजह से ताकि उनको कुरआन शरीफ़ याद रहे इस मक़सद से हम ने रमजानुलमुबारक में ये मामूल बना रखा है कि इशा की नमाज़ हम सब मुहल्ले की मस्जिद में बाजमाअत अदा करते हैं, उसके बाद कुछ हुफ़ाज़ मदरसे की इमारत में तरावीह पढ़ाते हैं, जहाँ पर थोड़े और मुसल्ली भी शामिल हो जाते हैं और बक़िया हुफ़ाज़ उसी मस्जिद में जहाँ नमाज़ इशा पढ़ी थी तरावीह पढ़ाते हैं। दरयाफ़्त तलब ये है कि कुरआन की हिफ़ाज़म की नीयत से इस तौर पर तरावीह की दो जमाअतें करना कैसा है?

**जवाब:** सवाले मज़कूरा में मस्जिद की जमाअत से तख़ल्लुफ़ मक़सूद नहीं है, इस लिए ये सूरत जाइज़ है ममनूअ नहीं मदरसे में बाजमाअत अदा करने से जमाअत का सवाब तो मिल जाएगा अलबत्ता मस्जिद की फ़ज़ीलत हासिल न होगी। उसकी तलाफ़ी हिफ़ाज़ते कुरआन के मक़सद से पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तआला।

(फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-415)

### एक मस्जिद में दो हाफ़िज़ों का सुनाना

**सवाल:** पानीपत करनाल में ये रिवाज है कि दो हाफ़िज़ तरावीह में कलाम मजीद पढ़ते हैं, दस रकअत में एक हाफ़िज़ और दस में एक हाफ़िज़, इस तरह जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** पानीपत में जैसा रिवाज है यहां पर भी बाज़ मसाजिद में ऐसा होता है, ये भी जाइज़ है, अगर दो हाफ़िज़ पढ़ाएँ तो मुस्तहब ये है कि हर एक हाफ़िज़ तरावीहा

पूरा कर के अलग हो, अगर एक हाफिज़ सलाम फेर कर बगैर तरवीहा पूरा किए हुए मसलन छः या दस रकअत के बाद जुदा हो गया तो ये मुस्तहसन नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-255 व तर्जुमा: फतावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-186)

### चंद हुफ़ाज़ का मिल कर तरावीह पढ़ाना

**सवाल:** हमारे यहां मस्जिद में चार हाफिज़ मिल कर तरावीह पढ़ाते हैं, पहले हाफिज़ साहब चार रकअत पढ़ाते हैं, दूसरे हाफिज़ साहब आठ रकअत पढ़ाते हैं, तीसरे चार रकअत, और चौथे चार रकअत, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** अफ़ज़ल ये है कि एक या दो हाफिज़ मिल कर तरावीह पढ़ाएँ, अगर ऐसे जैयद और बाहिम्मत न हों और मुतअद्द हुफ़ाज़ तरावीह पढ़ाएँ तो ये भी दुरुस्त है तरावीह हो जाती है। (फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-389, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-74)

### दस दस रकअत दो मस्जिदों में पढ़ाना कैसा है?

**सवाल:** एक मस्जिद में ख़तीब इमाम मुकर्रर है। तरावीह इस काएदे से पढ़ाते हैं कि इशा के फ़र्ज़ दूसरा शख्स पढ़ाता है और तरावीह की दस रकअत में सवा पारा हाफिज़ साहब पढ़ाते हैं, बाकी तरावीह को दूसरी सूतरों से तरावीह की जमाअत वालों में से एक शख्स पढ़ाते हैं, उसके बाद वह हाफिज़ साहब दूसरी मस्जिद में जा कर वही सवा पारा दस रकअत तरावीह में पढ़ाते हैं ये सूरत जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** आलमगीरी की रिवायत से मालूम होता है कि

दस दस तरावीह दो मसिज्दों में पढ़ाना दुरुस्त है मगर कुरआन शरीफ के खत्म पर मुआवज़ा दुरुस्त नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-261, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-262, फ़स्ल फ़िलतरावीह)

### एक मस्जिद में दूसरी जमाअत

सवाल: तरावीह और वित्र की जमाअत हो गई, कुछ लोग बाद में आए तो दूसरी जमाअत करें या नहीं?

जवाब: दो बारा जमाअत उस मस्जिद में न करें दलील उसकी ये है कि एक ही मस्जिद में तरावीह की मुतअद्द जमाअतों की वही नौईयत लौट आती है जिससे बचने के लिए खलीफ़े सानी हज़रत उमर फ़ारुक (रज़ि.) ने मुतफ़रिक् तौर पर पढ़ने वालों को एक इमाम की इत्तिबा में जमा फ़रमाया था। एक ही मस्जिद में मुतअद्द जमाअतों का सिलसिला हस्बे इरशादे हज़रत उमर फ़ारुक (रज़ि.) के बेहतर तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-300, बहवाला कबीरी सफ़हा-383)

किसी मस्जिद में एक मरतबा तरावीह की जमाअत हो चुकी तो दूसरी मरतबा उसी शब में वहां तरावीह की जमाअत जाइज़ नहीं, लेकिन तन्हा पढ़ना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-350)

### एक मस्जिद में दो जगह तरावीह

सवाल: एक मस्जिद में दो हाफ़िज़ अलग अलग तरावीह पढ़ाएँ और दरमियान में आड़ या रोक ऐसी कर दी जाए जिससे दूसरे की आवाज़ से हरज बाकी न हो। तो ये जाइज़ है या नहीं?

जवाब: मस्जिद में दो जगह तरावीह पढ़ना बशर्ते कि अज़राहे नफ़सानियत न हो और एक का दूसरे से हरज न हो तो जाइज़ है। मगर अफ़ज़ल यही है कि एक ही इमाम के साथ सब पढ़ें।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-469)

### तरावीह में एक ख़त्म से ज्यादा पढ़ना कैसा है?

सवाल: तरावीह में जो हाफ़िज़ तीन चार ख़त्म पढ़ते हैं ये कैसा है?

सुन्नते मुअक्कदा सिर्फ़ एक ख़त्म है, बाकी का क्या हुक़म होगा? नीज़ अगर एक हाफ़िज़ चंद मसाजिद में ख़त्म पढ़े तो क्या हुक़म होगा? और दूसरी मस्जिद वालों को ख़त्म का सवाब होगा या नहीं?

जवाब: दुर्रेमुख़्तार में है कि एक मरतबा ख़त्म सुन्नत है, दूसरी मरतबा फ़ज़ीलत है और तीन मरतबा अफ़ज़ल है। और दूसरी मस्जिद में भी दूसरा ख़त्म दुरुस्त है और दूसरी मस्जिद वालों को ख़त्मे सुन्नत का सवाब हासिल होगा। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-274, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-662 बाबुलवित्र व नवाफ़िल, मबहस फ़िलतरावीह)

### तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनने से कुरआन का सवाब

#### मिलता है या नहीं?

सवाल: जैद कहता है कि तरावीह के अन्दर दो चीज़ें हैं। औवल क़िराअत जो फ़र्ज़ है, दोम सुन्नते मुअक्कदा, जब तरावीह के अन्दर कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया तो दोनों चीज़ों में से सिर्फ़ एक चीज़ का सवाब हासिल हुआ, यानी अगर सुन्नते मुअक्कदा का सवाब हासिल किया तो

किराअत के सवाब से महरूम रहा। बाद इशा व तरावीह उसी वक्त किसी से कुरआन पढ़वा कर सुन लिया जाए ताकि दोनों का सवाब हासिल हो जाएगा?

**जवाब:** ज़ैद का ये कौल ग़लत है। तरावीह में कुरआन शरीफ़ पढ़ने से कुरआन शरीफ़ का भी सवाब पढ़ने वाले और सुनने वाले को भी होता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-249)

### किसी शख्स की रिआयत से अगले रोज़ कुरआन शरीफ़ का लौटाना कैसा है?

**सवाल:** हाफ़िज़ किसी शख्स की रिआयत से कुरआन शरीफ़ की तरतीब पूरी करे। यानी अगर किसी शख्स का तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनना तर्क हो गया हो तो फिर उसको दुसरे दिन बीस रकअत में पढ़ना कैसा है? जब कि मुक़्तदियों को बार और तकलीफ़ नीज़ वक्त की तंगी हो, हाफ़िज़ ऐसे शख्स की अक्सर रिआयत करता हो तो ऐसे हाफ़िज़ के पीछे नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** नमाज़ तो उसके पीछे जाइज़ है, मगर खुद ये फ़ैल कि एक शख्स की रिआयत करे और दूसरों को गिरानी हो मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता अगर वह शख्स मुफ़िसद है कि उससे ज़रर का अंदेशा है तो मकरूह नहीं है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-489)



Maktab\_e\_Ashraf

## तीसरा बाब

### समाअत

#### समाअत की उजरत

सवाल: समाअते कुरआन (सुनने) की उजरत और पढ़ने की उजरत में क्या फर्क है? पहली जाइज़ दूसरी नाजाइज़ क्यों है?

जवाब: समाअते कुरआन को गरज़ ये है कि जहां हाफिज़ भूलेगा वहां सामेअ बतलाएगा। पस ये तालीम है और तालीम पर उजरत लेने के लिए जवाज़ पर फ़तवा है बरख़िलाफ़ सुनाने के, उसमें तालीम मक्सूद नहीं है।

(मुलाहज़ा हो इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-496)

#### बिला सामेअ कुरआन शरीफ़ का पढ़ना

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में कुरआन शरीफ़ का तरावीह में बिल सामेअ के पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: अगर कुरआन शरीफ़ ख़ूब याद हो तो बिल सामेअ के भी पढ़ना दुरुस्त है, अगर कहीं भूला या शब्हा हुआ तो सलाम फेरने के बाद देख ले और अगर ग़लती हो तो लौटा ले, मगर बेहतर ये है कि सामेअ हो ताकि इत्मीनान रहे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-254)

#### हाफिज़ को लक़मा कौन दे

सवाल: हाफिज़ तरावीह में ग़लती करे और सामेअ

अच्छी तरह न बतला सके तब दूसरी या तीसरी सफ़ में से कोई लुक़्मा दे तो कुछ हरज है?

हाफ़िज़ साहब फ़रमाते हैं अगर लुक़्मा देना है तो पहली सफ़ में खड़ा हो, तो अगर देर में आने वाले हाफ़िज़ को पहली सफ़ में जगह न मिले तो क्या उसको लुक़्मा देने का हक़ नहीं है?

जवाब: अगर सामेअ मुकर्रर है तो उसको ग़लती बतलानी चाहिए, किसी दूसरे को जल्दी न करना चाहिए, इससे नमाज़ में इतिशार और एक तरह की गड़बड़ हो जाती है, अलबत्ता अगर वह न बतला सके या अच्छी तरह न बतलाए तो अब जो भी अच्छी तरह बतला सके उस पर ग़लती की इसलाह करना फ़र्ज़ है ख़्वाह किसी सफ़ में खड़ा हो, करीब हो या दूर हो, उस पर फ़र्ज़ है कि ग़लती की इसलाह करे और इस्लाह न करेगा तो गुनहगार होगा।

अलबत्ता ये ज़रूरी है कि नमाज़ में हाफ़िज़ साहब के साथ शरीक हो (पहली सफ़ में हो या कसी भी सफ़ में हो) जो नमाज़ में शरीक न हो उसने अगर ग़लती बतलाई और इमाम ने उसकी ग़लती बताने से इस्लाह की तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-84)

### छोटे सामेअ को कहां खड़ा करें?

सवाल: सामेअ अगर छोटा है तो क्या उसको अगली सफ़ में खड़ा कर सकते हैं या नहीं?

जवाब: तेरह चौदह बरस का इमाम नहीं हो सकता अगर बालिग़ न हो लेकिन तरावीह में बतलाने की जवह

से उसको अगली सफ में खड़ा कर सकते हैं?

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफहा-247)

**क्या सामेअ को हाफिज़ के बराबर में खड़ा कर सकते हैं**

सवाल: तरावीह में अगर हाफिज़ साहब और सामेअ बराबर में खड़े हों, हाफिज़ साहब को उजरे समाअत हो या न हो कैसा है?

जवाब: अगर कुछ ज़रूरत हो मसलन ये कि हाफिज़ साहब की समझ में सामेअ का बतलाना दूर से न आए तो बराबर में खड़ा होना दुरुस्त है और बिला ज़रूरत अच्छा नहीं है। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफहा-295)

**कुरआन शरीफ में देख कर समाअत करना**

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में हाफिज़ तरावीह पढ़ाते हैं तो एक शख्स कुरआन शरीफ खोल कर बैठता है वह अपने करीब के मुक्तदी को जिसकी नज़र कुरआन शरीफ पर रहती है देख कर लुकमा देता है और कुरआन शरीफ दिखलाने वाला जमाअत में शरीक नहीं होता, जब हाफिज़ साहब दूसरी रकअत में रुकूअ करते हैं तो शरीक हो जाता है और एक रकअत (हाफिज़ साहब के सलाम के बाद अदा करता है इस तरीके से नमाज़ फ़ासिद हुई या नहीं?)

जवाब: दुरैमुख्तार में है कि कुरआन शरीफ में देख कर नमाज़ पढ़ना या देख कर सुनना दोनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। पस ये सूरत जो सवाल में दर्ज है उसमें भी नमाज़ के फ़ासिद होने का अंदेशा है लिहाज़ा इस तरह न किया जाए। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफहा-68, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1

सफ़हा-583, बाब मायुफ़िसदुस्सलात व मा यकरहु फ़ीहा)

### भूल जाने की वजह से खामोश हो कर सोचना कैसा है?

सवाल: बाज़ हाफ़िज़ पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं तो कभी हालते कयाम में चुप खड़े हो कर सोचने लगते हैं कभी क़अदा में तशहहुद से पहले या बाद में सोचने लगते हैं इसका क्या हुक्म है?

### भूलते वक़्त इधर उधर से पढ़ना

बाज़ हाफ़िज़ साहब पढ़ते पढ़ते भूल कर ख़ामोश तो नहीं होते मगर कभी इस सूरत में और कभी उस सूरत में इधर उधर पढ़ते रहते हैं, अगर याद आ गया तो सही पढ़ने लगते हैं और अगर याद नहीं आया तो कुछ देर तक परेशान रह कर रुकूअ कर के नमाज़ ख़त्म कर देते हैं। मगर याद आने न आने दोनों सूरतों में सज्दए सहव करते हैं आया सज्दए सहव करना चाहिए या नहीं?

जवाब: इन दोनों सूरतों में सज्दए सहव कर लेना चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-257)

### हाफ़िज़ सामेअ के बतलाने तक ख़ामोश रह सकता है या नहीं?

सवाल: हाफ़िज़ से ग़लती हो जाती है और सामेअ के बतलाने तक हाफ़िज़ ख़ामोश रहता है क्या इससे तरावीह में कोई ख़लल तो नहीं होगा?

नीज़ क्या सज्दए सहव किया जाए अगर न किया गया तो नमाज़ के इआदा की ज़रूरत होगी या नहीं?

जवाब: तरावीह हो जाएगी एआदा की ज़रूरत नहीं, लुक्मा सुनने के लिए हाफ़िज़ के ज़रूरतन ख़ामोश रहने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

सज्दए सहव की भी ज़रूरत नहीं, हाँ अगर पंज वक्ती नमाज़ हो तो इमाम को चाहिए कि अगर तीन आयत से कम हुई तो लुक़्मा के इतिज़ार में खड़ा न रहे बल्कि जहाँ से याद हो पढ़ ले अगर तीन आयतें हो गई हैं तो रूकूअ कर दे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-393)

### हाफ़िज़ को तंग करने का हुक्म

सवाल: बाज़ हाफ़िज़ों की आदत होती है कि जो लड़का पहली मेहराब सुनाता है उसके सुनाने के वक़्त जा कर उसको घबराने के लिए और भुलाने के लिए ज़ोर से पाँव पीटते, खंकारते या खाँसते हैं ऐसे हाफ़िज़ों के लिए क्या हुक्म है?

जवाब: ऐसा करना जाइज़ नहीं है। हदीस शरीफ़ में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने उगलूतात से मना फ़रमाया है यानी जो उमूर किसी मुसलमान को ग़लती में डालें उनसे बचना ज़रूरी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-256, बहवाला हदीस अबूदाउद व मिश्कात किताबुलइल्म सफ़हा-35)

### सिर्फ़ लुक़्मा देने की नीयत से तरावीह में शिरकत करना

सवाल: जो शख्स नमाज़े तरावीह में इस नीयत से शरीक हो कि हाफ़िज़ ग़लती कर रहा है। उसको बतला कर अलाहिदा हो जाऊँगा तो इस सूरत से वह मुक्तदी हो गया या नहीं? अगर हाफ़िज़ लुक़्मा दे कर अलग हो गया तो हाफ़िज़ की नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: (तरावीह में शरीक होने वाला) मुक्तदी हो गया और नमाज़ पूरी करना उसके जिम्मा लाज़िम हो गया। हाफ़िज़ तो लुक़्मा ले लेगा, उसको क्या ख़बर ये

बतला कर अलाहिदा हो जाएगा। नमाज़ इमाम की हो गई। इस नीयत से शरीक होना बुरा है वह नमाज़ उसके ज़िम्मा पूरी करनी लाज़िम है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-288, बहवाला हिदाया बाबुन्नवाफ़िल जिल्द-1 सफ़हा-131)

### तरावीह में ग़लत लुक़्मा दे कर परेशान करना

सवाल: बाज़ पुराने हाफ़िज़ नए हाफ़िज़ को तरावीह में ग़लत लुक़्मा देकर परेशान करते हैं इसका क्या हुक़्म है?

जवाब: ये भी उन्हीं अग़लात में से है जिनकी मुमानअत हदीस शरीफ़ में आई है। ”رواه ابو داؤد عن معاوية قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغواط“ यानी जो उमूर किसी मुसलमान को ग़लती में डालें उनसे बचना ज़रूरी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-258, बहवाला मिश्कात किताबुलइल्म सफ़हा-35)

### नीयत बाँध कर लुक़्मा दे, या बेवज़ लुक़्मा दे?

सवाल: बाज़ हाफ़िज़ दूसरे हाफ़िज़ की किराअत को नमाज़ से ख़ारिज बैठे बैठे सुना करते हैं, जब वह भूल जाता है तो वह जल्दी से सफ़ में या करीब सफ़ के नीयत बाँध कर उसको बतला देते हैं और फिर फ़ौरन नीयत तोड़ कर बैठ जाते हैं और बाज़ नाखुदा तर्स ऐसी सूरत में कभी ऐसा भी करते हैं कि बग़ैर वुजू के या पानी पर कुदरत होते हुए तयम्मुम कर के नीयत बाँध कर बता देते हैं इन दोनों सूरतों में लुक़्मा देने और लेने का क्या हुक़्म है?

जवाब: अगर नीयत बाँध कर बतलाएंगे तो इमाम की नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आएगा, मगर उस को नीयत

तोड़ने का गुनाह होगा और कज़ा लाज़िम होगी। और जो बेवुजू बतलाया या पानी के होते हुए तयम्मुम कर के बतलाया और इमाम ने लुक़्मा ले लिया तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हुई और मुक़्तदियों की नमाज़ भी फ़ासिद हुई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-258, बहवाला आलमगीरी किश्वरी बाब साबेअ मायुफ़िसदुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-90)

### तरावीह के वक़्त पीछे बैठ कर गुफ़्तगू करना

सवाल: बाज़ मुक़्तदी ऐसा करते हैं कि जब हाफ़िज़ तरावीह में दो तीन या और ज़्यादा पारे पढ़ता है तो ये सफ़ से दूर नमाज़ से बाहर ख़ामोश बैठे या लेटे रहते हैं या चुपके चुपके गप-शप किया करते हैं मगर ख़ामोशी की हालत में भी कुरआन शरीफ़ सुनना उनका मक़्सद हरगिज़ नहीं होता, उनको सुनने का सवाब मिलेगा या नहीं और इस फ़ेल का शरीअत में क्या हुक्म है?

ज़ाहिर है ऐसे वक़्त बात चीत करना गुनाह है और सवाब को ख़त्म करने वाला है और चुप लेटे या बैठे रहना अगरचे नीयत सुनने की न हो मगर कान में आवाज़ आती है तो सुनने का सवाब मिल जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-259, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-509, फ़स्ल फ़िलकिराअति)

### तरावीह के वक़्त रुकूअ का इंतिज़ार करना

सवाल: तरावीह के वक़्त बाज़ अफ़राद बैठे रहते हैं और हाफ़िज़ साहब जब रुकूअ में जाते हैं तो खड़े हो कर रुकूअ में शामिल हो जाते हैं इसका क्या हुक्म है?

जवाब: इस तरह करना मना है। (फ़तावा रहीमिया

जिल्द-1 सफ़हा-354, बहवाला फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-119)

### सामेअ न होने की मजबूरी पर कुरआन में देख कर सुनना कैसा है?

**सवाल:** माहे रमज़ानुलमुबारक में अक्सर ऐसा मौका हुआ करता है कि बजुज़ उसी हाफ़िज़ के जो तरावीह पढ़ाता है कोई दूसरा हाफ़िज़ सामेअ नहीं होता, अगर ऐसी सूरत में किसी मुक्तदी ने जो ग़ैर हाफ़िज़ है कुरआन खोल कर समाअत की और ग़लती पर टोका और नमाज़ की पहली रकअत में मजबूरी की वजह से शामिल नहीं हुआ तो जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** जो शख्स इमाम की नमाज़ में शरीक नहीं है वह इमाम को किराअत वगैरा में लुक़्मा नहीं दे सकता अगर लुक़्मा देगा और इमाम लुक़्मा लेगा तो इमाम की और जमाअत की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-412)

### शीआ हाफ़िज़ लुक़्मा दे सकता है या नहीं?

**सवाल:** अगर तरावीह में हाफ़िज़ ग़लतियाँ करता है और सामेअ भी चूक जाता है और शीआ हाफ़िज़ मौजूद है अगर वह नीयत कर के इक्त्तदा में आकर बतलाए तो इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** अगर शीआ ऐसा है कि न तबर्रा गो है और न मुनकिरे सोहबते हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) और न काएले कज़फ़े हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) तो इस सूरत में लुक़्मा देना जाइज़ है और उसके बतलाने से लुक़्मा लेने वाले की नमाज़ और उसके मुक्तदियों की नमाज़ सही है।



अगर वह शीआ गाली है जिसमें उमूरे मज़कूरा मौजूद हों यानी तबर्आई हो और मुनकिरे सोहबते खलीफ़ए औवल (रज़ि.) हो और हज़रत सिद्दीका (रज़ि.) के इफ़क का काएल हो ता चूँकि ऐसा शीआ मुरतद काफ़िर है इसलिए उसके बतलाने से और इमाम के लुक्मा लेने से इमाम की नमाज़ और उसके मुक्तदियों की नमाज़ बातिल हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-249, बहवाला दुर्रेमुख्तार फ़स्ल फ़िलमुहरमात जिल्द-1 सफ़हा-398)

### रुकूअ का इतिज़ार करना

जमाअत हो रही है और एक शख्स बैठा रहता है जब इमाम रुकूअ में जाता है तो फ़ौरन ये भी नीयत बाँध कर इमाम के रुकूअ में शरीक हो जाता है ये फ़ेल मकरूह है और तशब्बोह बिलमुनाफ़िकीन है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-354)



## चौथा बाब

### तरवीहा

#### तरवीहा क्यों होता है

तरावीह में हर चार रकअत के बाद थोड़ी देर बैठने को "तरवीहा" कहते हैं। तरावीह, तरवीहा की जमा है, उसके अस्ली मानी, इस्तिराहत के हैं, जो राहत से माखूज है चूंकि बीस रकअतों में पाँच तरवीहे होते हैं इसलिए इस नमाज़ को तरावीह कहा जाता है और इसकी वज्हे तस्मिया ये ब्यान की जाती है कि नमाज़ पढ़ना शरीअत की नज़र में राहत है, आँहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है—

“قِرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ”

यानी मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में है। और एक दूसरी हदीस में आप (स.अ.व.) का इरशाद है: रोज़ादार के लिए दो फ़रहते हैं, एक इफ़्तार के वक़्त और दूसरी खुशी उस वक़्त जब अपने रब से मुलाकात करता है बज़ाहिर मुलाकात से मुराद तरावीह है। एक हदीस में आप का इरशाद है— “أَرْحَنًا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ”

यानी ऐ बिलाल नमाज़ की तकबीर कह कर हम को आराम पहुंचाओ। बहरहाल इस किस्म की अहादीस की बिन पर ये कहा जा सकता है कि चार रकअत का नाम तरवीहा इसलिए है कि उससे राहत और रूहानी सुकून

हासिल होता है। तरवीहों के दरमियान में एक तरवीहा की मिक्दार बैठना मुस्तहब है और अगर हाफिज़ समझे कि पाँचवें तरवीहे और वित्र के दरमियान में बैठना मुक्तदियों को भारी होगा तो न बैठे, पाँचवें तरवीहे में इख्तियार है।

(अशरफुलइज़ाह शरह नूरुलइज़ाह सफ़हा-160)

### तरवीहा में कितनी देर बैठना चाहिए?

सवाल: मिक्दारे तरवीहा यानी चार रकअत के बाद जो बैठते हैं उसकी क्या मिक्दार है, इस तरवीहे से क्या मुराद है आया वह चार रकअत जिनमें पढ़ा गया है या जितनी देर में चार रकअत मुख़्तसर नफ़ल पढ़ी जाएँ?

जवाब: “بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعَةٍ بِقَدْرِهَا” से ज़ाहिरन मालूम होता है कि वह खास रकअत जितनी देर में पढ़ी गई हैं वह मुराद है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-490)

तर्जुमा: आलमगीरी हिन्दी में है कि अगर नमाज़ियों को गिरानी और कमी जमाअत का अंदेशा हो तो इससे भी कम बैठना दुरुस्त है, लेकिन मुक्तदियों की जल्दी और गिरानी के बाइस (तस्बीह) रुकूअ व सुजूद और “سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ” और दुरुद छोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है अलबत्ता दुआ के छोड़ने में यानी “سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ الْخ” वगैरा के छोड़ने में बशर्त कि मुक्तदियों को जल्दी हो तो कोई मुज़ाएका नहीं है।

(तर्जुमा आलमगीरी हिन्दीया सफ़हा-185)

### तरवीहे के बाद बुलंद आवाज़ से दुरुद पढ़ना

सवाल: तरवीह की चार रकअत अदा करने के बाद तरवीहा में बाज़ हज़रात तस्बीह आहिस्ता पढ़ कर ख़्वाजए आलम के दुरुद के बाद बुलंद आवाज़ से मुहम्मद (स.अ.व.)

का नारा बुलंद करते हैं। इसकी अस्ल किसी किताब में शरअन पाई जाती है या नहीं?

जवाब: इसकी अस्ल हैअते कज़ाईया (हकीकत) शरीअत में कुछ नहीं है। फुकहा (रह.) ने ये लिखा है कि तरावीह के तरवीहा में यानी चार रकअत के बाद इख्तियार है कि तस्बीह पढ़े या रकअते नफ़ल पढ़े या कुरआन शरीफ़ पढ़े या कुछ न करे।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-246, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-661 मबहसुत्तरावीह)

### तरवीहा की दुआ का सबूत है या नहीं

तरावीह में हर चार रकअत के बाद जो जिक्र मशहूर है वह किसी रिवायत और हदीस में नहीं मिलता, अलबत्ता अल्लामा शामी ने कहकानी वगैरा के हवाले से नक़ल किया है कि तरवीहा के बाद ये जिक्र किया जाए—

”سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ  
وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ  
الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُؤْحُ قُدُوسٍ قُدُوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ  
وَالرُّوحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ“

(शामी जिल्द-1 सफ़हा-661)

### हर चार रकअत पर दुआ मांगना

सवाल: तरावीह में हर चार रकअत पर हाफिज़ और मुक्तदियों के मिल कर दुआ करने का दस्तूर है तो क्या ये सुन्नत तरीका है? हाफिज़ साहब जोर से दुआ पढ़ते हैं कोई कुछ पढ़ नहीं सकता तो क्या तरवीहा में सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं?

जवाब: तरावीह में हर तरवीहा के बाद हाफिज़ और

मुक्तदियों का मिल कर दुआ करने का दस्तूर सुन्नत के मुताबिक नहीं है रस्मी और रिवाजी है।

शरीअते मुतहहरी ने इजाजत दी है। इजाजत में दखल बेफ़ाएदा है और दूसरे अज़कार मसलन तिलावत, तस्बीह, नफ़ल वगैरा से रोकने के मुतरादिफ़ है, लिहाज़ा तरीकए मज़कूरा काबिले तर्क है, जिसका जी चाहे पढ़े मगर इस तरह कि दूसरों का हरज न हो और न मना किया जाए इख़्तियार है चुप बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ़ पढ़े या नफ़ल नमाज़ पढ़े, मगर जमाअत से मकरूह है या ये तस्बीह पढ़े— “سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ”

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-252, बहवाला शामी मअ दुर्रमुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-661)

### हर तरवीहे में हाथ उठा कर दुआ मांगना

सवाल: तरावीह के हर तरवीहे में तस्बीह व तहलील के बाद इमाम व मुक्तदियों का हाथ उठा कर दुआ मांगना या सिर्फ़ मुक्तदियों का हाथ उठा कर दुआ मांगना जाइज़ है या नहीं? नीज़ अगर हाफ़िज़ तरवीहे में दुआ इस ख़्याल से मांगता हो कि इसका सुबूत नहीं और उससे मुक्तदियों का फ़रमाइश करना कि दुआ ज़रूर मांगे इसमें कोई मुज़ाएका है या नहीं? हाफ़िज़ अगर मुक्तदियों का कहा पूरा नहीं करता तो मुक्तदी नाराज होते हैं तो इस सूरत में हाफ़िज़ साहब को क्या करना चाहिए?

जवाब. तरावीह के हर एक तरवीहा में तस्बीह व तहलील वगैरा और दुआए मासूरा का पढ़ना मनकूल है और हाथ उठा कर दुआ मांगना सिर्फ़ बीस रकअत के ख़त्म पर मामूल है, पस ऐसा ही करना चाहिए। हाफ़िज़

साहब को इस सूरत में मुक्तदियों का कहना मानना ज़रूरी नहीं है और न मुक्तदियों को अपने इमाम को ऐसा हुक्म करना चाहिए, क्योंकि इमाम मतबूअ होता है न कि ताबेअ जैसा कि मिश्कात की हदीस का मफहूम है कि इमाम इसलिए होता है कि उसकी इक्तिदा की जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-279, बहवाला मिश्कात फ़स्ल औवल सफ़हा-101)

फ़तावा रहीमिया में है कि इमाम और कौम का इजतिमाई दुआ करने को ज़रूरी समझना और दुआ न करने वालों पर एतेराज़ करना दुरुस्त नहीं हैं इन्फ़िरादन दुआ करे तो मना नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-347)

### तरावीहा में वाज़ कहना

**सवाल:** आम तौर से मसाजिद में तरावीह में हर चार रकअत के बाद तस्बीह पढ़ी जाती है, मगर एक मस्जिद में उसके बरखिलाफ़ इस थोड़े वक़्त में वाज़ कहा जाता है ये दोनों अम्र जाइज़ हैं या नहीं?

**जवाब:** हर चार रकअत के बाद मशरूअ और मुस्तहब ये है कि तस्बीह व तहलील और दुरुद शरीफ़ वगैरा पढ़ें अगर ज़रूरी वाज़ कमी हो जाए जिसकी वजह ज़रूरत हो तो कुछ मुज़ाएका नहीं, मगर उसका इल्तिज़ाम कि हर तरावीहा में वाज़ ज़रूर कहा जाए ये अच्छा नहीं है, जैसा कि दुर्रमुख्तार में है कि चुप बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरुद शरीफ़ पढ़े या नफ़ल नमाज़ तन्हा पढ़े। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-254, बहस सलातुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-661, बहवाला रदुलमुह्तार)

## तरवीहों में ये कलिमात पढ़ना कैसा है

सवाल: हमारे यहां तरावीह शुरू करने से कबल एक शख्स बुलंद आवाज़ से ये कलिमात पढ़ता है—“صَلوة التراويح سنة رحمة لكم لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد” इसके बाद तरावीह शुरू होती है, दो रकअत के बाद ये तस्बीह पढ़ता है—

”يَا كَرِيمَ الْمَعْرُوفِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ، أَحْسِنَ الْيَأْرَبْنَا  
بِأَحْسَانِكَ الْقَدِيمِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَضَّلْ مِنَّا اللَّهُ وَنِعْمَةً وَ  
مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ“

चार रकअत के बाद—“الْبَدْرُ مُحَمَّدٌ الْمَصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ” पढ़ने के बाद “يَا كَرِيمَ الْمَعْرُوفِ الْخ” पढ़ता है और दूसरे तरवीहे में—“خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْتَّحْقِيقِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخ” पढ़ता है और फिर तीसरे तरवीहा में—“مُزَيْنُ الْمَسْجِدِ وَالْمَنْبَرِ وَالْمَحْرَابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخ” पढ़त है और चौथे तरवीहे में—“جَامِعُ الْقُرْآنِ كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَنَا أَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبِ مَظْهَرُ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ إِمَامُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخ” भी एक आदमी पढ़ता है और ये तमाम औराद बुलंद अवाज़ से पढ़े जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग तस्बीह वगैरा कुछ नहीं पढ़ सकते और वित्र से पहले “الْوَتْرُ وَاجِبٌ” पढ़ता है। क्या इन तमाम कलिमात का पढ़ना हदीस से साबित है और इनके पढ़ने का क्या हुक्म है?

जवाब: ये सब बातें सुन्नत के मुताबिक नहीं हैं, महज रस्मी और रिवाजी हैं, लिहाजा काबिले तर्क हैं, दो रकअत पर तरवीहा नहीं है। अलबत्ता चार रकअत के बाद तरवीहा है और इस कदर बैठने का हुक्म है कि नमाज़ियों पर बार न गुज़रे और उसमें इजतिमाई दुआ और जिक्र नहीं है। लोग इन्फ़रादी तौर पर जो चाहें पढ़ें, चाहे तिलावत करें या नफ़ल पढ़ें, या जिक्र व अज़कार में मशगूल रहें, या दुरुद शरीफ़ पढ़ते रहें या ख़ामोश बैठे रहें। सब जाइज़ है। एक चीज़ का सब को पाबंद बना देना शरीअत की दी हुई आज़ादी पर पाबंदी लगाना है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-391)

### तरवीहे में तस्बीह आहिस्ता पढ़े या ज़ोर से?

सवाल: तरावीह की हर चार रकअत के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है यानी—“سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ الْحَمْدِ” उसको इमाम और मुक़्तदी ज़ोर से पढ़ें या आहिस्ता या इमाम और मुक़्तदियों के हुक्म में कुछ फ़र्क है?

जवाब: तस्बीहे मज़कूर को अहिस्ता पढ़ना बेहतर है। ज़ोर से न पढ़ना चाहिए, इमाम भी आहिस्ता पढ़ें और मुक़्तदी भी आहिस्ता पढ़ें। जैसा कि मिश्कात की हदीस में है—“يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْتَبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَسْمًا وَلَا غَايَةً” (الحديث) लोगो अपने ऊपर नमी से काम लो (दुआ ज़ोर से न मांगो) इसलिए कि तुम किसी बहरे या ग़ैर मौजूद को नहीं पुकार रहे हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-263, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़हा-201, बाब सवाबुत्तस्बीह फ़स्ल औवल)



## पाँचवाँ बाब

तरावीह कब से शुरू होती है और कब तक रहती है और

क्या वक्त है?

जिस रात रमज़ान का चाँद देखा जाए उसी रात से तरावीह शुरू की जाए और ईद का चाँद नज़र आ जाए तो छोड़ दी जाए।

पूरे माह तरावीह पढ़ना सुन्नत है, अगरचे तरावीह में कुरआन शरीफ़ महीने से पहले ही ख़त्म कर दिया हो मसलन पन्द्रह बीस दिन वगैरा में पूरा कुरआन पढ़ दिया जाए तो बकिया दिनों में भी तरावीह का पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है।

बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में आठ दस दिन में कुरआन शरीफ़ सुन लें फिर छुट्टी। इसलिए ये जेहन में रखना चाहिए कि ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं, तमाम कलामुल्लाह का तरावीह में पढ़ना या सुनना एक मुस्तक़िल सुन्नत है और पूरे रमज़ान शरीफ़ की तरावीह, मुस्तक़िल एक अलग सुन्नत है, पस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी सन्नत रह गई, अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ानुलमुबारक में सफ़र वगैरा या किसी वजह से एक जगह तरावीह पढ़ना मुशक़ल हो तो उनके लिए मुनासिब है कि औवल कुरआन शरीफ़ चंद रोज़ में जहां पर ख़त्म होता हो वहां

सुन लें ताकि कुरआन शरीफ नाकिस न रहे।

फिर जहां वक्त मिले और मौका हो वहां तरावीह पढ़ ली जाए। कुरआन शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम में भी हरज न होगा। तरावीह का वक्त इशा की नमाज़ के बाद से शुरू होता है और सुबह सादिक तक रहता है, अगर नमाज़े इशा से पहले तरावीह पढ़ ली जाए तो उसका शुमार तरावीह में न होगा।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब-14 व फ़ज़ाइले रमज़ान मौलाना ज़करीय्या (रह.) सफ़हा-6)

### तरावीह में एक ख़त्म से मुराद कौन सी सुन्नत है?

सवाल: रमज़ान में तरावीह में एक ख़त्म करना फ़ुक़हा ने सुन्नत लिखा है इससे कौन सी सुन्नत मुराद है मुअक्कदा या ग़ैर मुअक्कदा?

जवाब: सही मज़हब और कौले असह ये है कि तरावीह में एक कुरआन ख़त्म करना सुन्नते मुअक्कदा है, कौम की काहिली की वजह से उसे तर्क न किया जाए और दो ख़त्म करने में फ़ज़ीलत है और तीन ख़त्म करना अफ़ज़ल है। और जहां फ़ुक़हा ने एक ख़त्म को सुन्नत लिखा है उससे ज़ाहिरन सुन्नते मुअक्कदा मुराद है। बाज़ फ़ुक़हा लिखते हैं कि अगर किसी जगह के लोग इतने सुस्त और बददिल और बदशौक हों कि पूरा कुरआन शरीफ़ सुनने की ताब न रखते हों तो इतना पढ़ें कि मस्जिदें जमाअत से ख़ाली न पड़ जाएं। ऐसी अबतर हालत न हो तो एक ख़त्म से कम न करे क्योंकि यही सुन्नत है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-406, बहवाला बहरुराइक जिल्द-1 सफ़हा-61)

### महीने में एक खतमे कुरआन सुन्नत है

महीने में एक मरतबा कुरआन मजीद का तरतीबवार तरावीह में पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है, मगर लोगों की काहिली या सुस्सती की वजह से उसको तर्क न करना चाहिए, लेकिन अगर ये अंदेशा हो कि पूरा कुरआन पढ़ा जाएगा तो लोग नमाज़ में नहीं आएंगे और जमाअत टूट जाएगी या उनको बहुत ही नागवार होगा तो बेहतर है जिस क़दर लोगों को गिराँ न गुज़रे उसी क़दर पढ़ा जाए और बाकी "الْمُتْرَكِيف" से आखिर तक की दस रकअत पढ़ दी जाए। (मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब-14)

### आँहज़रत (स.अ.व.) से बीस रकअत का सुन्नत

सवाल: आँहज़रत (स.अ.व.) ने रमज़ान में कितनी रकआत तरावीह पढ़ी हैं?

जवाब: बीस रकअत तरावीह पर इजमाअ है और अहादीस से साबित है पस बीस रकअत तरावीह पढ़नी चाहिए। आँहज़रत (स.अ.व.) ने भी बीस रकअत पढ़ी हैं।

मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, तिबरानी और बैहकी में ये हदीस मौजूद है— "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ" आँहज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (स.अ.व.) रमज़ान में बीस रकअतें वित्र के अलावा पढ़ा करते थे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4, सफ़हा-272, बहवाला रहुलमुहत्तार जिल्द-1 सफ़हा-660 बहस तरावीह)

### तरावीह आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित है

सवाल: तरावीह का पढ़ना रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से साबित है या नहीं?

जवाब: तरावीह आँहजरत (स.अ.व.) ने तीन रात पढ़ी हैं, फिर सहाबए किराम (रजि.) ने आप (स.अ.व.) के बाद उस पर पाबंदी फरमाई है, लिहाजा तरावीह बाजमाअत हो गई। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफहा-253, बहवाला अबूदाऊद, रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफहा-659 बहस सलातुत्तरावीह)

### तरावीह बाजमाअत सुन्नत है या नहीं?

सवाल: क्या तरावीह बाजमाअत मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है? घर में पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाब: तरावीह मस्जिद में बाजमाअत पढ़ना सुन्नत है मगर सुन्नते किफ़ायत है, यानी मस्जिद में अगर तरावीह की जमाअत न होगी तो अहले मुहल्ला गुनहगार होंगे और तारिकीने सुन्नत भी। अगर बाजों ने जमाअत मस्जिद में अदा की और बाजों ने घर में अदा की तो तर्क सुन्नत का गुनाह न होगा मगर जमाअत और मस्जिद की फज़ीलत से महरूम रहेंगे। (फतावा रहीमिया जिल्द-1 सफहा-353, बहवाला सगीरी 205)

### तरावीह बिला उज़े शरई छोड़ना कैसा है?

सवाल: तरावीह के बिला उज़र कस्दन छोड़ना और ये कहना कि आँहजरत (स.अ.व.) ने खुद छोड़ी हैं इसलिए हम भी छोड़ते हैं ये जाइज़ है या नहीं?

जवाब: तरावीह सुन्नते मुअक्कदा हैं, बिला उज़र उनको छोड़ने वाला आसी और गुनहगार है। खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबए (रजि.) और सल्फ़े सालिहीन से उसकी पाबंदी साबित है। नबी करीम (स.अ.व.) ने खुद फरमाया है कि मुझे ख्याल है कि कहीं फर्ज न हो जाएँ।

यही एक चीज़ है जिसकी वजह से आँहज़रत (स.अ.व.) ने मुवाज़बत नहीं फ़रमाई, हकीकत में आप (स.अ.व.) का ये फ़रमाना ही खुद उनके एहतेमाम की खुली दलील है। किसी शख्स का ये उज़र करना कि नबी करीम (स.अ.व.) ने तरावीह तर्क की हैं मैं भी छोड़ता हूँ क़तअन नाफ़ाबिले कबूल और नावाकिफ़ीयत पर मबनी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-281 खुलासा रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-659)

### तरावीह के छोड़ने वाले का हुक़म

**सवाल:** जो लोग तरावीह नहीं पढ़ते उनका क्या हुक़म है?

**जवाब:** तरावीह इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा हैं और जमाअत भी तरावीह में सुन्नत है उसके छोड़ने वाले ख़ताकार और गुनहगार हैं।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-255, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-660)

### तरावीह रोज़े के ताबेअ नहीं है

**सवाल:** ज़ैद कहता है कि जो लोग उज़रे शरई की वजह से रोज़ा नहीं रखते, वह नमाज़े तरावीह ज़रूर पढ़ें उनको सवाब ज़रूर होगा। बकर कहता है कि माज़ूर शख्स जो रोज़ा न रखे वह तरावीह भी न पढ़े, बल्कि जो शख्स रोज़ा न रखे उसका तरावीह पढ़ना उलटा अज़ाब है, इन दोनों में किसका कौल सही है?

**जवाब:** ज़ैद का कौल सही है कि बकर ग़लत कहता है तरावीह के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-272, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1

सफ़हा-659, बाबुन्नावाफ़िल मबहस फ़ित्तरावीह) नमाज़े तरावीह रोज़ा के ताबेअ नहीं है, जो लोग किसी वजह से रोज़ा न रख सकें उनको भी तरावीह पढ़ना सुन्नत है अगर नहीं पढ़ेंगे तो तर्क सुन्नत के गुनहगार होंगे।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब-14)

### तरावीह पढ़े और दिन में रोज़ा न रखे तो उसका हुक्म क्या है?

**सवाल:** जिस रोज़ा रात को तरावीह पढ़े अगर सुबह को रोज़ा न रखे तो इसके लिए शरई हुक्म क्या है?

**जवाब:** अगर कोई उज़र है मसलन मरज़ या सफ़र है तो रोज़ा न रखे मुबाह और दुरुस्त है कुछ गुनाह नहीं है। और बेउज़र रमज़ान का रोज़ा न रखना गुनाहे कबीरा है जिसका बदला तमाम उम्र के रोज़ों से भी नहीं हो सकता।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-286, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-661 व मिश्कात सफ़हा-177)

### वज़ीफ़ा की वजह से जमाअते वित्र का तर्क करना

**सवाल:** एक शख्स इशा की सुन्नत और वित्र के दरमियान एक वज़ीफ़ा का आदी है, रमज़ान में चूंकि वित्र जमाअत से होते हैं तो वज़ीफ़ा कैसे पढ़ना चाहिए, अगर वज़ीफ़ा पढ़ता है तो बारह तरावीह छूट जाती हैं और आठ मिलती हैं। और आठ तरावीह पढ़ कर वित्र की जमाअत में शरीक हो जाए या क्या जमाअते वित्र को छोड़ दे या वज़ीफ़ा को रमज़ान में तर्क कर दे।

**जवाब:** वज़ीफ़ा की वजह से जमाअते वित्र को छोड़ना नहीं चाहिए और तरावीह बीस रकअत पढ़नी चाहिए। वज़ीफ़ा अगर पढ़ना हो तो वित्र के बाद या किसी और वक्त पढ़ ले। गरज़ ये है कि वज़ीफ़ा की वजह से किसी

वाजिब व सुन्नत को तर्क न करे बल्कि वजीफा ही को छोड़ दे या दूसरे वक़्त पढ़ ले। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-286, बहवाला रद्दुलमुह्तार सफ़हा-660)

### तरावीह के वक़्त नींद का ग़लबा हो तो क्या हुक़म है

सवाल: तरावीह के वक़्त नींद का ग़लबा ज़्यादा हो, मुंह पर पानी छिड़कने के बावजूद नींद सताए तो नमाज़ छोड़ कर सोने के लिए घर जा सकता है या नहीं?

जवाब: जी हाँ! जा सकता है, इसमें कुछ हरज नहीं, नींद के ग़लबा के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह है और मना है, नींद पूरी होने के बाद बक़िया तरावीह को वक़्त के अन्दर (सुब्ह सादिक तक) पढ़ ले। (फ़ताव रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-355, बहवाला सगीरी सफ़हा-211)

और तर्जुमा आलगीरी हिन्दीया में है कि अगर नींद का ग़लबा है तो जमाअत के साथ तरावीह पढ़ना मकरूह है, बल्कि अलाहिदा हो जाए और ख़ूब होशियार हो जाए। इसलिए कि नींद के साथ नमाज़ पढ़ने में सुस्ती और ग़फलत होती है और कुरआन में गौर व फ़िक्र करना छूटता है। (तर्जुमा हिन्दीया फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-190 किताबुस्सलात)

### मुवतदी क़अदा में सो जाए तो क्या हुक़म है

किसी शख्स ने तरावीह की नमाज़ इमाम के साथ शुरू की जब इमाम साहब ने क़अदा किया, तो वह सो गया। इस अरसा में इमाम साहब ने सलाम फेर कर दूसरा दोगाना भी पढ़ा और तशहहुद के वासते क़अदे में बैठे तो उस वक़्त वह शख्स होशियार हुआ अगर उसको ये मालूम हो गया तो सलाम फेर दे और दोबारा नीयत बाँध

कर इमाम के साथ तशहहुद में शरीक हो जाए और जिस वक्त इमाम सलाम फेर दे और दोबारा नीयत बांध कर इमाम के साथ तशहहुद में शरीक हो जाए और जिस वक्त इमाम सलाम फेरे तो खड़ा हो कर दो रकअतें जल्द पढ़ ले और सलाम फेर दे फिर इमाम के साथ तीसरे दोगाना में शरीक हो जाए। (तर्जुमा: हिन्दीया फ़तावा आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-190 किताबुस्सलात)

### तहरीमा में मुक्तदी की ग़लती

बाज़ मरतबा मुक्तदी भी ऐसी ग़लती कर बैठते हैं जिससे उनकी नमाज़ फ़ासिद हो जाती है मसलन इमाम के तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाहुअकबर कहने से पहले मुक्तदी अल्लाहुअकबर कह देते हैं या इमाम के लफ़ज़ अल्लाह ख़त्म होने से पहले ही लफ़ज़ अल्लाह कह देते हैं इन दोनों सूरतों में नमाज़ का शुरु करना सही नहीं होता उन मुक्तदियों को चाहिए कि वह फिर से दोबारा अल्लाहुअकबर कह कर इमाम के पीछे नमाज़ की नीयत बाँधें। (मसाइले सज़्दए सहव सफ़हा-74, बहवाला सगीरीर सफ़हा-143)

अक्सर मुक्तदियों को देखा जाता है कि अगर इमाम रुकूअ में चला गया तो उसके साथ रुकूअ में शरीक होने के लिए सीधे खड़े हुए बग़ैर अल्लाहुअकबर कहते हुए रुकूअ में चले जाते हैं इस तौर पर कि उनकी अल्लाहुअकबर की आवाज़ रुकूअ में पहुंच कर ख़त्म होती है।

इस तरह नमाज़ में शरीक होना दुरुस्त नहीं, तकबीरे तहरीमा से फ़ारिग़ होने तक खड़ा होना फ़र्ज़ है, यानी सीधे खड़े हो कर अल्लाहुअकबर की आवाज़ ख़त्म हो



जाए उसके बाद रुकूअ के लिए झुकना चाहिए।

अगर तकबीराते तहरीमा बहालते कयाम खत्म न हों तो उसका नमाज़ में शुमूल सही नहीं हुआ।

(किताबुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-391)

### नमाज़े तरावीह की नीयत

नमाज़े तरावीह का तरीका वही है जो दीगर नमाज़ों का है और उसकी नीयत इस तरीका से है कि मैं दो रकअत नमाज़ तरावीह पढ़ने की नीयत करता हूँ जो नबी करीम (स.अ.व.) की सुन्नत है। कह कर अल्लाहुअकबर नीयत बाँध ले। (मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब-14)

### तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ बाँधने का तरीका

**सवाल:** तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथ कानों तक उठा कर बाँधें या छोड़ कर फिर बाँधें सही तरीका क्या है?

**जवाब:** तकबीरे तहरीमा के बाद और वित्र में कुनूत से पहले, इसी तरह नमाज़े ईद की पहली रकअत में तीसरी तकबीर के साथ हाथ उठा कर बाँध लिए जाएँ। हाथ छोड़ कर फिर बाँधना कहीं से साबित नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-37)

### बग़ैर सना के किराअत शुरू करे तो क्या हुक्म है?

**सवाल:** क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़ितयाने शरए मतीन मस्अला जैल में कि अगर कोई हाफ़िज़ रमज़ानुलमुबारक में तरावीह की नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के बाद फ़ौरन बग़ैर सना पढ़े सूराए फ़ातिहा शुरू कर दे तो क्या हुक्म है?

**जवाब:** सना न पढ़ने की आदत बना लेना तो मज़मूम

हरकत होगी, बाकी उससे नमाज़ में कोई कराहत नहीं आएगी। इसलिए कि किराअते सना महज़ मुस्तहब है और तर्क मुस्तहब से अदाएगीए सलात में कबाहत नहीं आती।

फ़क्त वल्लाहुआलमु

(कतबहू अल अब्दु निज़ामुद्दीन मुफ़तीये दारुलउलूम देवबंद 26-12-1406 हिजरी)

### तरावीह में एक मरतबा ही बीस रकअतों की नीयत करना

सवाल: तरावीह की बीस रकअतों के लिए शुरू ही में एक मरतबा नीयत काफ़ी होगी या हर दो रकअत पर नीयत करना काफ़ी होगा।

जवाब: तरावीह के लिए शुरू में बीस रकअत की नीयत काफ़ी है हर दो रकअत पर नीयत करना शर्त नहीं मगर बेहतर है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-354)

### तरावीह की नमाज़ दो दो रकअत कर के पढ़ें या?

सवाल: तरावीह में दो दो रकअत कर के पढ़ें या चार चार कर के?

जवाब: तरावीह में दो दो रकअत पर सलाम फेरना बेहतर है। तरावीह अगरचे सुन्नते मुअक्कदा है लेकिन चार रकअत एक सलाम से पढ़ना ये सुन्नते मुअक्कदा नहीं है, बरखिलाफ़ जुहर की चार रकअत सुन्नत के उनका एक सलाम से पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-267, बहवाला रद्दुलमुहतार मबहसुत्तरावीह सफ़हा-660)

और तरावीह में अफ़ज़ल दो दो रकअत पर सलाम फेरना है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-268, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-633 बाबुत्तरावीह व नवाफ़िल)

## तसवीह में किराअते मसनूना की मिक्दार

**सवाल:** यकुम रमेजान को हाफिज़ मेहराब सुनाने के लिए तैयार हुआ, एक मुक्तादी ने इनकार किया कि हम कुरआन शरीफ नहीं सुनते, इमाम और दीगर मुक्तादियों ने उसको जवाब दिया तुम नहीं सुनते हम सुनेंगे, इस पर शख्से औवल ने कहा कि छोटी सूरतों से पढ़ाओ। एतेराज़ करने वाला शख्स तवाना और तंदुरुस्त है इस सूरत में शरअन क्या हुक्म है?

**जवाब:** फुकहा ने लिखा है कि अफज़ल इस ज़माना में इस कदर पढ़ना है कि तरावीह मुक्तादियों पर भारी न हो, पस शख्से मज़कूर के कौल को भी उसी पर महमूल किया जाएगा कि मुक्तादियों के हाल के मुनासिब सूरतों से तरावीह का पढ़ना न ये कि कुरआन शरीफ सुनने से इनकार है बल्कि मतलब ये है कि तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ खत्म न कराओ, बल्कि सूरतों से तरावीह पढ़ो। इसमें कुछ कबाहत नहीं है।

(फ़तवा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-261, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफिल मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-662)

## क्या तरावीह लम्बी नहीं होनी चाहिए?

**सवाल:** एक शख्स जमाअते तरावीह में ये एतेराज़ करता है कि लोग दिन भर के थके मांदे होते हैं इसलिए हाफिज़ को इतनी लम्बी रकअतें न करनी चाहिएं तो इस सूरत में इमाम को क्या करना चाहिए?

**जवाब:** इमाम को किराअत हल्की ही करनी चाहिए। अलबत्ता एक दफ़ा खत्मे कुरआन शरीफ तरावीह में हो

जाना सुन्नत है, एक एक पारा रोज़ हो जाया करे इससे कम न हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-275)

### तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ पढ़ना अफ़ज़ल है

सवाल: तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ पढ़ना अफ़ज़ल है या सूरए फील से तरावीह पढ़ना बेहतर है?

जवाब: दुर्रेमुख्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-262 का खुलासा ये है कि कुरआन का ख़त्म तरावीह में एक बार सुन्नत है और कौम की सुस्ती की वजह से उसको तर्क न करें, इसी पर अमल है और यही मामूल बिही है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-300)

### बीस रकअत तस्लीम करे और फिर कमी बेशी करे तो क्या

#### हक़म है?

सवाल: अगर कोई शख्स बीस रकअत तरावीह सुन्नत होने का एतेकाद रखते हुए कभी ग्यारह कभी तेरह और कभी इक्तालीस रकअतें पढ़े तो क्या गुनहगार होगा? नीज़ आदादे मज़कूरा अहादीस में आए हैं या नहीं?

जवाब: तरावीह बीस रकअत सुन्नत मुअक्कदा है इसके खिलाफ़ करने वाला हनफ़ीया के नज़दीक तारिके सुन्नत है और सुन्नत के खिलाफ़ करना बुरा है। और आदादे मज़कूरा हदीस में आते हैं मगर हनफ़ीया के नज़दीक तमाम अहादीस पर पूरी बसीरत के साथ गौर करने के बाद यही बीस रकअत राजेह हैं। और हज़रत उमर (रज़ि.) की तहरीक से इसी पर सहाबा (रज़ि.) का इजमा हुआ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-297, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-660)

## इमाम तरावीह वगैरा में किराअत कैसी आवाज़ से करे

**सवाल:** इमाम तरावीह वगैरा जेहरी नमाजों में किराअत किस कदर जोर से करे?

**जवाब:** अफ़ज़ल और बेहतर ये है कि इमाम जेहरी नमाजों में बिला तकल्लुफ़ इस कदर जोर से पढ़े कि मुक़तदी किराअत सुन सके इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ कर के पढ़ना मकरूह और मना है, इरशादे रब्बानी है—**”وَلَا تَخْهَرُ بَصَاطِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهِمَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا”** (نبی اسرائیل ع ۱۲) और न तुम अपनी नमाजों में ज़्यादा जोर से पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो उसके बीच दरमियानी राह इख़्तियार करो। मुफ़स्सरीन फ़रमाते हैं कि नमाज़ में दरमियानी आवाज़ से किराअत करनी चाहिए, इससे कल्ब पर असर होता है, न इस कदर जोर से पढ़े कि कारी और सामेअ दोनों को तकलीफ़ हो कि जिससे हुजूरे कल्ब में ख़लल आ जाए। (ख़ुलासतुत्तफ़सीर जिल्द—3 सफ़हा—67, तफ़सीर फ़तहुलमन्नान जिल्द—5 सफ़हा—96)

फ़ुक़हाए किराम (रह.) जोर से पढ़ने में दो बातें ज़रूरी करार देते हैं औवल ये कि पढ़ने वाला अपने ऊपर गैर मामूली जोर न डाले (ये मकरूह है) दूसरे ये कि दूसरों को तकलीफ़ न हो मसलन तहज्जुद के वक़्त कोई सो रहा है या कुछ लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं आप उनके पास खड़े हो कर इतनी बुलंद आवाज़ से किराअत करने लगे कि उनके काम में ख़लल हो तो ये भी मकरूह है। इन दोनों बातों के बाद तीसरी बात ये है कि जमाअत की कमी ज़्यादती का लिहाज़ करते हुए उसके बमूजिब किराअत करें, मसलन मुक़तदियों की तीन सफ़े

हैं, आप इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचती रहे, या इससे ज़्यादा जोर से पढ़ें कि बाहर तक आवाज़ पहुंचे। फकीह अबूजाफ़र (रह.) का ये कौल है कि जितनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें अच्छा है। बशर्ते कि पढ़ने वाले पर तअब (थकान) न हो और किसी को तकलीफ़ न पहुंचे। मगर दूसरे फ़ुकहा का ये कौल है और राजेह यही है कि बक़द्रे ज़रूरत आवाज़ बुलंद करें यानी सिर्फ़ इतनी आवाज़ बुलंद करें कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचे, अलबत्ता अगर सफ़ें ज़्यादा हों तो आवाज़ को इससे बुलंद भी कर सकते हैं बशर्तेकि अपने ऊपर ज़्यादा जोर न पड़े।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-351, बहवाला तहतावी अला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-137, फ़स्ल फ़ी वाजिबिस्सलवात, दुर्रेमुख्तार सफ़हा-497, मजमउलअनहर जिल्द-1 सफ़हा-103, आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-72)

### तन्हा नमाजे तरावीह किस आवाज़ से पढ़ें?

**सवाल:** मर्द तरावीह जमाअत से पढ़ें या अलाहिदा अलाहिदा? अगर तन्हा पढ़ें तो बुलंद आवाज़ से पढ़ें या आहिस्ता?

**जवाब:** मर्द जमाअत से पढ़ें, अगर कोई शख्स जमाअत से रह जाए और तन्हा पढ़े तो आहिस्ता पढ़े, या बुलंद आवाज़ से, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, मगर आवाज़ से पढ़ना बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-299, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-556 बाबुत्तरावीह)

### क्या तरावीह इस तरह भी हो जाती है?

**सवाल:** तरावीह की नमाज़ इस तरह पढ़ना जाइज़ है

या नहीं? मसलन पहली रकअत में सूरा तकासुर और दूसरी रकअत में सूरा इखलास या पहली में सूरा अन्न और दूसरी में सूरा इखलास?

जवाब: तरावीह की नमाज़ इस तरह भी हो जाती है मगर इसको लाज़िम नहीं समझना चाहिए और इसकी पाबंदी न की जाए, बित्तरतीब हर रकअत में सूरात पढ़नी चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-251, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-117)

तर्जुमा आलमगीरी में है कि अलमतर कैफ़ा से आख़िरे कुरआन तक दस सूरातें दो मरतबा पढ़ना बेहतर है, हर रकअत में एक सूरात, इसलिए कि रकअतों के शुमार में भूल नहीं होती और उसके याद करने में दिल नहीं बटता।

(बहवाला आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-189)  
अगर याद न हो तो मजबूरी है, फिर जो सूरात भी याद हो वह पढ़ ले। (मुरत्तिब रफ़अत कासमी)

### वित्र पहले पढ़ें, या तरावीह?

सवाल: तरावीह वित्र से पहले पढ़नी चाहिए या वित्र के बाद? एक शख्स पहले वित्र पढ़ कर बाद में तरावीह पढ़ता है शरई हुकम क्या है?

जवाब: तरावीह में मशरूअ तरीका ये है कि इशा के बाद और वित्र से पहले तरावीह पढ़ें और उसके बाद फिर वित्र पढ़ें, लेकिन अगर तरावीह वित्र के बाद पढ़ें तो ये भी सही है। दुर्रेमुख्तार से भी यही मालूम होता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-284, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-659)

### सुन्नत पहले पढ़ें या तरावीह?

सवाल: रमजान शरीफ में अगर तरावीह शुरू हो गई तो दो सुन्नत जो फर्ज के बाद हैं उसको पढ़ कर तरावीह में शरीक हों या सुन्नत बाद में पढ़ें?

जवाब: फर्ज और सुन्नत पढ़ कर तरावीह में शामिल हों। फ़तावा शामी के अन्दर है "وَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ" यानी तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-300, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-659)

### जो अफ़राद फर्ज होने के बाद आएँ तो जमाअत करें

#### या नहीं?

सवाल: अगर चंद आदमी फर्ज नमाज़ होने के बाद आएँ और नमाज़े तरावीह शुरू हो गई, तो आने वाले फर्ज बाजमाअत अदा करें या तन्हा तन्हा पढ़ कर तरावीह में शामिल हो जाएँ? नीज़ वित्र जमाअत के साथ पढ़ें या तन्हा पढ़ें?

जवाब: ये लोग अलाहिदा अलाहिदा फर्ज नमाज़ पढ़ कर इमाम के साथ तरावीह की जमाअत में शामिल हो जाएँ और वित्र इमाम के साथ जमाअत से पढ़ें, अगरचे उन्होंने फर्ज नमाज़ जमाअत से नहीं पाई। दुर्रमुख्तार में है कि फर्ज को तन्हा पढ़ने वाला तरावीह जमाअत से पढ़ सकता है। लिहाज़ा वित्र भी जमाअत से पढ़ सकता है क्योंकि दोनों का हुक्म बराबर है, जैसा कि तरावीह को जमाअत से न पढ़ने वाला वित्र को जमाअत से पढ़ सकता है इसी तरह फर्ज को तन्हा पढ़ने वाला भी वित्र को जमाअत से पढ़ सकता है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1



सफ़हाह-348, बहाशिया उस्ताज़ी हज़रज मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद पालनपूरी)

### छूटी हुई तरावीह की रकअतें कब पढ़ें

सवाल: एक आदमी मस्जिद में उस वक़्त दाखिल हुआ जब इशा के फ़र्ज़ हो चुके थे और वह तरावीह में दो चार रकअत हो जाने के बाद शामिल हुआ अब छूटी हुई तरावीह किस तरह पूरी करे। नीज़ वित्र बाजमाअत पढ़े या छूटी हुई तरावीह पूरी करने के बाद वित्र पढ़े?

जवाब: अगर दरमियान में मौक़ा मिले तो इमाम के तरावीह में बैठने के वक़्त पढ़ ले, वरना इमाम के साथ वित्र जमाअत से पढ़ कर बाद में छूटी हुई तरावीह पूरी करे ले दुर्रमुख्तार में है कि तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है और सुब्ह सादिक तक रहता है।

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-260, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-659 और वित्र पहले और बाद में दोनों तरह पढ़ सकते हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-260, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह)

### छूटी हुई आयतों को तरावीह में कहां दोहराएँ?

सवाल: हमारे यहां हाफ़िज़ आम तौर पर मसाइल से नावाकिफ़ हैं, वह तरावीह में कुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं और सहवन दरमियान से दो तीन आयतें छूट गईं या ज़बर, ज़ेर, पेश छूट गया तो दूसरी रकअत में इन छूटी हुई आयतों को फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस दोगाना में आयतें छूट गईं थीं उसका एआदा नहीं करते।

दरयाफ़्त तलब ये है कि आयात के छूट जाने से

तगय्युरे माना के सबब फसादे नमाज़ लाज़िम आता है तो नमाज़ को लौटाना ज़रूरी है या नहीं? या माना बदलने की ख़बर न होने की वजह से लौटाना ज़रूरी नहीं है?

**जवाब:** अगर किराअत की ग़लती किसी दोगाना में ऐसे गौका पर आई जो नमाज़ के फ़ासिद करने का मोजिब हो तो उस दोगाना (दो रकअतों) का लौटाना ज़रूरी है और अगर ऐसी ग़लती है जो मुफ़सिदे नमाज़ नहीं है तो नमाज़ के एआदा की ज़रूरत नहीं है बल्कि नमाज़ हो जाती है।

पस दरमियान में आयात के छूटने पर ज़बर, ज़ेर पेश की ग़लती करने में भी यही हुकम है, मसलन चंद आयात के दरमियान में छूट जाने से तगय्युरे माना नहीं हुआ तो दोगाना सही हो गया, सिर्फ़ ख़त्मे कुरआन के लिए दूसरे दोगाना में उन आयात का इआदा कर लिया जाए ये काफी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-298, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-101)

### **छूटी हुई आयतों को अगले दिन पढ़ना कैसा है**

**सवाल:** तरावीह में हाफ़िज़ साहब से बाज़ आयतों का सहवन छूट जाना और दूसरे या तीसरे दिन उन आयात को मुतफ़र्रिक तौर पर उनके बाद दीगरे पढ़ देना जाइज़ है या नहीं? और पूरे ख़त्म का सवाब बिला कराहत होगा या कराहत के साथ?

**जवाब:** सिर्फ़ कुरआन के लिए दूसरे दोगाना में उन आयात का इआदा कर लिया जाए तो काफी है। पूरे ख़त्म का सवाब हो जाएगा और जब कि भूल कर ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ गुनाह नहीं है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-294, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-101)

### तरावीह से मृतअल्लिक यकजा तीस मसाइल

मस्अला: (1) तरावीह की जमाअत इशा की जमाअत के ताबेअ है, लिहाज़ा इशा की जमाअत से पहले जाइज़ नहीं और जिस मस्जिद में इशा की जमाअत नहीं हुई वहां पर तरावीह को भी जमाअत से पढ़ना दुरुस्त नहीं।

(कबीरी सफ़हा-391)

मस्अला: (2) एक शख्स तरावीह पढ़ चुका इमाम बन कर या मुक्त्दी हो कर अब उसी शब में उसको इमाम बन कर तरावीह पढ़ना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर दूसरी मस्जिद में तरावीह की जमाअत हो रही है तो वहां (बनीयते नफ़ल) शरीक होना बिला मकरूह जाइज़ है। (कबीरी)

मस्अला: (3) कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक़्त पहुंचा कि तरावीह की जमाअत शुरू हो गई थी, तो उसको चाहिए कि पहले फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़े, उसके बाद तरावीह में शरीक हो और छूटी हुई तरावीह दो तरवीहा के दरमियान पूरी करे। अगर मौका न मिले तो वित्रों के बाद पढ़े और वित्रों या तरावीह की जमाअत छोड़ कर तन्हा न पढ़ें।

(कबीरी)

मस्अला: (5) एक इमाम के पीछे फ़र्ज़ दूसरे के पीछे तरावीह और वित्र पढ़ना भी जाइज़ है।

मस्अला: (6) अगर बाद में मालूम हुआ कि किसी वजह से इशा के फ़र्ज़ सही नहीं हुए मसलन इमाम ने बग़ैर वुजू पढ़ाए या कोई रुक्न छोड़ दिया तो फ़र्ज़ों के साथ तरावीह का भी इआदा करना चाहिए। अगरचे यहां

वह वजह मौजूद न हो। (कबीरी)

**मस्अला:** (7) कयामे लैले रमजान, या तरावीह या सुन्नते वक़्त, या सलाते इमाम की नीयत करने से तरावीह अदा हो जाएगी। (खानिया)

**मस्अला:** (8) अगर इमाम दूसरा या तीसरा शुफ़आ पढ़ रहा है और किसी मुक़्तदी ने उसके पीछे पहले शुफ़आ की नीयत की तो इसमें कोई हरज नहीं। (खानिया)

**मस्अला:** (9) अगर याद आया कि गुज़शता शब कोई शुफ़आ तरावीह का फ़ौत हो गया या फ़ासिद हो गया था तो उसको भी जमाअत के साथ तरावीह की नीयत से कज़ा करना मकरूह है।

**मस्अला:** (10) अगर वित्र पढ़ने के बाद याद आया कि एक शुफ़आ मसलन रह गया था तो उसको भी जमाअत के साथ पढ़ना चाहिए।

**मस्अला:** (11) अगर बाद में याद आया कि एक मरतबा सिर्फ़ एक ही रकअत पढ़ी गई और शुफ़आ पूरा नहीं हुआ और तरावीह की कुल 19 रकआत हुईं तो दो रकआत और पढ़ ली जाएं। यानी सिर्फ़ शुफ़आए फ़ासिदा का एआदा होगा और उसके बाद की तमाम तरावीह का एआदा न होगा।

**मस्अला:** (12) जब शुफ़आए फ़ासिदा का एआदा किया जाए तो उसमें जिस क़दर कुरआन शरीफ़ पढ़ा था उसका भी एआदा करना चाहिए, ताकि तमाम कुरआन सहीह नमाज़ में ख़त्म हो।

**मस्अला:** (13) अगर अद्वारह रकअत पढ़ कर इमाम समझा कि बीस रकअत पूरी हो गईं और वित्रों की नीयत बाँध ली मगर दो रकअत पढ़ कर याद आया कि एक

शुफ़आ तरावीह का बाकी रह गया है जब ही दो रकअत पर सलाम फेर दिया तो ये शुफ़आ (दो रकअत) तरावीह का शुमार न होगा।

मस्अला: (14) अगर इमाम ने दो रकअत पर कअदा नहीं किया, बल्कि चार पढ़ कर कअदा किया तो ये आखिर की दो रकअत शुमार होंगी।

मस्अला: (15) बिला उज़र बैठ कर पढ़ने से तरावीह अदा हो जाएगी मगर सवाब निस्फ़ मिलेगा।

मस्अला: (16) अगर इमाम किसी उज़र की वजह से बैठ कर पढ़ाए तब भी मुक्तदियों को खड़े हो कर पढ़ना मुस्तहब है।

मस्अला: (17) तरावीह को शुमार करते रहना मकरूह है क्योंकि ये उकता जाने की अलामत है।

मस्अला: (18) मुस्तहब ये है कि शब का अक्सर हिस्सा तरावीह में खर्च किया जाए।

मस्अला: (19) एक मरतबा कुरआन शरीफ़ खत्म करना (पढ़ कर या सुन कर) सुन्नत है दूसरी मरतबा फ़ज़ीलत है और तीन मरतबा अफ़ज़ल है, लिहाज़ा अगर हर रकअत में तकरीबन दस आयतें पढ़ी जाएँ तो एक मरतबा बसहूलत खत्म हो जाएगा और मुक्तदियों को भी गिरानी न होगी।

मस्अला: (20) जो लोग हाफ़िज़ हैं उनके लिए फ़ज़ीलत ये है कि मस्जिद से वापस आ कर बीस रकअत और पढ़ा करें, ताकि दो मरतबा खत्म करने की फ़ज़ीलत हासिल हो जाए।

मस्अला: (21) हर अशरा (दस दिन) में एक खत्म

करना अफज़ल है।

मस्अला: (22) अगर मुक्तदी इस कदर जईफ और काहिल हों कि एक मरतबा भी पूरा कुरआन शरीफ न सुन सकें, बल्कि उसकी वजह से जमाअत छोड़ दें तो जिस कदर सुनने पर वह राजी हों उस कदर पढ़ लिया जाए या "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से पढ़ लिया जाए, लेकिन इस सूरत में ख़त्म की सुन्नत के सवाब से महरूम रहेंगे।

मस्अला: (23) अगर कोई आयत छूट गई और कुछ हिस्सा आगे पढ़ कर याद आया कि फ़लाँ आयत छूट गई है तो उसके पढ़ने के बाद आगे पढ़े हुए हिस्सा का एआदा भी मुस्तहब है।

मस्अला: (24) किसी छूटी हुई सूरत का फ़सल करना दो रकअत के दरमियान फ़राइज़ में मकरूह है तरावीह में मकरूह नहीं है।

मस्अला: (25) अगर मुक्तदा जईफ और सुस्त हों कि तवील नमाज़ का तहम्मूल न कर सकते हों तो दो दो के बाद दुआ छोड़ देने में मुज़ाएका नहीं, लेकिन दुरुद को नहीं छोड़ना चाहिए।

मस्अला: (26) कोई शख्स ऐसे वक़्त जमाअत में शरीक हुआ कि इमाम किराअत शुरू कर चुका था तो सना (सुब्हानकल्लाह) नहीं पढ़ना चाहिए।

मस्अला: (27) मस्बूक अपनी नमाज़ तन्हा पूरी करने के लिए न उठे जब तक कि इमाम की नमाज़ ख़त्म होने का यकीन न हो जाए। (मुहीत) क्योंकि बाज़ दफ़ा इमाम सज्दए सहव के लिए सलाम फेरता है और मस्बूक उसको ख़त्म का सलाम समझ कर अपनी नमाज़ पूरी करने के

लिए खड़ा हो जाता है, ऐसी सूरत में फौरन लौट कर इमाम के साथ शरीक हो जाना चाहिए।

**मस्अला: (28)** अगर कोई शख्स ऐसे वक़्त आया कि इमाम रुकूअ में था, ये फौरन तकबीरे तहरीमा कह कर रुकूअ में शरीक हुआ जब ही इमाम ने रुकूअ से सर उठा लिया पस अगर सीधा खड़ा हो कर तकबीरे तहरीमा कहते हुए रुकूअ में गया था और रुकूअ में झुकने से पहले अल्लाहुअकबर कह चुका था और कमर को रुकूअ में बराबर कर लियाथा उसके बाद इमाम ने रुकूअ से सर उठाने से पहले रुकूअ में कमर को बराबर नहीं कर सका तो रकअत नहीं मिली। और अगर तकबीर सीधे खड़े हो कर नहीं कही बल्कि झुकते हुए कही, और रुकूअ में पहुंच कर खत्म की तो ये शुरू करना ही सही न होगा।

(मुहीत)

**मस्अला: (29)** अगर रुकूअ में इमाम के साथ आ कर शरीक हो और सिर्फ एक ही तकबीर कही तब भी नमाज़ सही हो गई। अगरचे इस तकबीर से रुकूअ की तकबीर की नीयत की और तकबीरे तहरीमा की नीयत न की हो उस नीयत का एतेबार न होगा। बशर्ते कि तकबीर खड़े हो कर कही हो रुकूअ में न कही हो।

**मस्अला: (30)** एक इमाम के पीछे फ़र्ज और दूसरे के पीछे तरावीह और वित्र पढ़ना भी जाइज़ है। (कबीरी)

माखूज़ अज़ फ़तावा महमूदिया, मजमूअए फ़तावा उस्ताज़ी हज़रत मौलाना मुफ़ती महमूद हसन गंगोही जिल्द-2 सफ़हा-350 ता 357)

## छटा बाब

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## के ब्यान में

**क्या तरावीह में बिस्मिल्लाह का जोर से पढ़ना साबित है?**

सवाल: क्या कोई रिवायत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से है कि बिस्मिल्लाह हर सूरत के साथ नाज़िल हुई है इसलिए एहतियातन तरावीह में जेहर के साथ हर सूरत पर पढ़ी जाए? अगर बिस्मिल्लाह जोर से न पढ़ी तो क्या गुनहगार होगा?

जवाब: अक्सर रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) किराअत अल्हमद से शुरू फ़रमाते थे। इससे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह का जेहर न फ़रमाते थे, यही मज़हब है इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) का। पस एक एक सूरत के साथ (तरावीह में) जेहर न करना चाहिए, सिर्फ़ कुरआन शरीफ़ में एक दफ़ा किसी सूरत में जोर से पढ़ दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-268, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-457 बाब सिफ़तुस्सलात)

**बिस्मिल्लाह का तरावीह में जोर से पढ़ना कैसा है?**

सवाल: अज़लाए पेशावर वगैरा में पूरे कुरआन शरीफ़ में किसी सूरत पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तरावीह में जोर से नहीं पढ़ते और कहते हैं कि आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित नहीं है और जोर से पढ़ने में बिस्मिल्लाह का



कुरआन शरीफ का जुज़ होना लाज़िम नहीं आता? हालांकि उलमाए हिन्दुस्तान एक दफ़ा जेहर करते हैं और फ़तावा अब्दुलहई में एक मरतबा जेहर से पढ़ना मसनून लिखा है इसके जेहर की क्या वजह है?

**जवाब:** जोर से बिस्मिल्लाहिर्रमानिरहीम एक जगह इसलिए है कि तमाम कुरआन का जुज़ है। एक भी जगह जेहर न होने से सामईन का कुअरान सुनना पूरा न होगा। यही वजह जेहर की मालूम होती है। वरना जाहिरन जुज़े कुरआन होना जेहर से मुस्तलजम नहीं, मगर चूंकि तमाम कुरआन शरीफ का ख़त्म तरावीह में मसनून है, इसलिए एक मरतबा बिस्मिल्लाह को जोर से पढ़ने के लिए कहा गया है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-263, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-458, बाब सिफ़तुस्सलात)

### अइम्माए किराअत का इतिबा तिलावत के अन्दर है

#### नमाज़ में नहीं

**सवाल:** एक मौलवी साहब हाफ़िजे कुरआन भी हैं और कारी भी, वह नमाज़े तरावीह में हर सूरत पर फ़ातिहा के बाद बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसमें न कोई कबाहत है न कराहत। जोर से पढ़ने के सुबूत में ये फ़रमाते हैं कि तरावीह में जैसा कि तकमीले कुरआन, किराअतन मक़सूद और सुन्नते मुअक्कदा है वैसे ही तकमील कुरआन समाअतन भी मुक्तदियों के हक़ में मक़सूद है। लिहाज़ा तरावीह में जब तक बिस्मिल्लाह जोर से हर सूरत पर न पढ़ी जाएगी मुक्तदियों के हक़ में इख़िलाफ़ दूर न होगा और इख़िलाफ़ भी मुजतहिदीन

का नहीं बल्कि अइम्मए किराअत का है।

हर सूरत में फ़ातिहा के बाद तरावीह में बिस्मिल्लाह का जोर से पढ़ना कैसा है? और बिस्मिल्लाह में हनफीया (रह.) को अपने मुजतहिदीन का इत्तिबा कर के आहिस्ता पढ़ना चाहिए या अइम्मए किराअत की पैरवी करते हुए जोर से पढ़ना चाहिए?

**जवाब:** दुर्रेमुख्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़्हा-457 से मालूम होता है कि नमाज़ के अन्दर हनफीया के नज़दीक बइत्तिफ़ाक बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना चाहिए। इसमें हनफीया के नज़दीक किसी का इख़िलाफ़ नहीं है और मुतलकन हर नमाज़ को शामिल है, चाहे नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़ल, तरावीह वगैरा। और इसी इबारत से ये भी वाज़ेह होता है कि अइम्मए किराअत का इत्तिबा तिलावत के अन्दर है नमाज़ में नहीं और इसी पर हम ने अपने असातिज़ा उलमाए अहनाफ़ को पाया है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़्हा-265)

### **बिस्मिल्लाह का सूरए इख़लास के साथ पढ़ना**

बिस्मिल्लाह इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक कुरआन शरीफ़ की एक आयत है और किसी सूरत का जुज़्व नहीं उसको एक बार ख़्वाह कहीं पढ़ ले, कुलहुवल्लाह की खुसूसियत नहीं है, जहाँ चाहे पढ़ ले, अलबत्ता ये अकीदा करना कि सिवाए कुलहुवल्लाह के और किसी सूरत पर दुरुस्त नहीं बिदअत होगा वरना कुछ हरज नहीं।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा-265)

### **बिस्मिल्लाह के बारे में मौलाना थानवी (रह.) का फ़तवा**

**सवाल:** तरावीह में जबकि हाफ़िज़े कुरआन सुना रहा

है तो वह हर सूरत पर बिस्मिल्लाह को जोर से पढ़े या किसी एक जगह पढ़नी होगी?

जवाब: बिस्मिल्लाह के सूरतों के दरमियान होने से उसकी जुजईयत तो लाजिम नहीं आती, लेकिन कुतुबे मज़हब में तसरीह है कि बिस्मिल्लाह मुतलक कुरआन का जुज्व है, किसी सूरत या हर सूरत का जुज्व नहीं है। पस उसका मुक्तज़ा ये है कि एक जगह जरूर जोर से पढ़ ली जाए, वरना सामईन का कुरआन पूरा न होगा। कारी का इख़फ़ा बिस्मिल्लाह में हो जाएगा, क्योंकि बाज़ अजज़ा का जेहर और बाज़ का इख़फ़ा जाइज़ है। फ़न्ने किराअत से तो इस मसअला का सिर्फ़ इसी कदर तअल्लुक है आगे फ़िक्ह से तअल्लुक है और उसमें बिस्मिल्लाह का इख़फ़ा है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-459)

**जो हनफी बिस्मिल्लाह को तरावीह में हर सूरत पर जेहर से पढ़े वह अपने मसलक की मुखालफ़त करता है**

फ़तावा रहीमिया में बिस्मिल्लाह के बारे में तसरीह है कि— ख़ारिजे नमाज़ के अन्दर कुरआन की तिलावत में इमामे किराअत के मसलक का इत्तिबाअ किया जाए और नमाज़ में इमामे आजम (रह.) के मसलक की पैरवी की जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-385)

तकबीरे तहरीमा से ले कर सलाम फेरने तक पूरी नमाज़ इमामे आजम (रह.) के मसलक के मुवाफ़िक़ पढ़ी जाए और बिस्मिल्लाह में मुखालफ़त की जाए ये मुनासिब न होगा।

**बिस्मिल्लाह के बारे में मसलके इमामे आजम (रह.)**

इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है कि

बिस्मिल्लाहिर्रहमार्रिहीम कुरआन में सूरे नमल का जुज्व है और इस पर भी इतिफाक है कि सिवाए सूरे तौबा के हर सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। इसमें अइम्मए मुजतहिदीन का इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा या तमाम सूरतों का जुज्व है या नहीं?

इमाम आजम अबूहनीफा (रह.) का मसलक ये है कि बिस्मिल्लाह बजुज सूरे नमल के और किसी सूरे का जुज्व नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरे के शुरू में दो सूरतों के दरमियान फसल और इम्तियाज ज़ाहिर करने के लिए नाज़िल हुई है, उसका एहतेराम कुरआन मजीद की तरह वाजिब है उसको बेवुजू हाथ लगाना जाइज नहीं है।

(मआरिफुल कुरआन जिल्द-1 सफ़हा-16)

मस्अला: नमाज़ में सूरे फातिहा के बाद सूरे शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए ख़्वाह जेहरि नमाज़ हो या सिरी आँहज़रत (स.अ.व.) और खुलफ़ाए राशिदीन से साबित नहीं है। (मआरिफुल कुरआन जिल्द-1 सफ़हा-20 बहवाला शरह मुनिया)

### ख़ुलासए कलाम

रिवायात से ये मलूम होता है कि बिस्मिल्लाह कुरआन शरीफ़ का जुज्व है हर सूरे का जुज्व नहीं इसलिए तरावीह में एक दफ़ा जेहर के साथ पढ़ना और उसका सुनना ज़रूरी है और अगर जेहर के साथ बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई तो एक आयत की कमी समझी जाएगी। अब ये कि बिस्मिल्लाह कौन सी जगह और किस सूरे में पढ़ें तो इसमें इख्तियार है जिस जगह चाहें पढ़ दें।

बाज हुफ़ाज ख़त्मे कुरआन के दिन बिस्मिल्लाह को सूरए इख़लास के साथ खुसूसियत से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह का पढ़ना तो दुरुस्त हो जाएगा लेकिन किसी ख़ास सूरत का इल्लितज़ाम न करें, ताकि सामईन उसको जुज़्वे सूरत ने समझें। बेहतर है कभी किसी सूरत में और कभी किसी सूरत में पढ़ दी जाए। अहकर की राए ये है कि तरावीह के पहले दिन कुरआन शरीफ़ शुरू करने पर सूरए बकरा की इब्तिदा में पढ़ दी जाए, ताकि इस हदीस पर भी अमल हो जाए कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए।

लेकिन इसको भी ज़रूरी न समझें, इख़्तियार है जहां चाहें पढ़ सकते हैं। नमाज़ में तो बिस्मिल्लाह के सिलसिले में इमाम आजम (रह.) की पैरवी करें और नमाज़ से अलग जब कुरआन शरीफ़ की तिलावत की जावे तो उसमें अइम्मए किराअत की इत्तिबा हो, यानी हर सूरत पर बिस्मिल्लाह जेहर से पढ़ी जाए।

(मुरत्तिब मुहम्मद रफ़अत कासमी)



## सातवाँ बाब

### सज्दए सहव

#### सज्दा सहव के उसूल

सज्दए सहव हस्बे जैल वजहों से वाजिब होता है—

- (1) नमाज़ के वाजिबात में से किसी वाजिब को भूल कर तर्क कर दे।
- (2) किसी वाजिब को उसके महल से मुअख़्खर कर दे।
- (3) किसी वाजिब की ताख़ीर एक रुक्न की मिक्दार के बराबर कर दे।
- (4) किसी वाजिब को दो मरतबा अदा करे।
- (5) किसी वाजिब को मुतग़ैयर कर दे, जैसे जेहरी नमाज़ में आहिस्ता और आहिस्ता वाली नमाज़ में बुलंद अवाज़ से क़िराअत कर दे।
- (6) नमाज़ के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को उसके महल से मुअख़्खर कर दे।
- (7) किसी फ़र्ज़ को उसके महल से मुक़द्दम कर दे।
- (8) किसी फ़र्ज़ को मुकररर यानी दो मरतबा भूले से अदा कर ले।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-62)

#### सज्दए सहव करने का तरीका

सवाल: सज्दए सहव एक तरफ़ सलाम फेर कर करना चाहिए या दोनों तरफ़ और आधी अत्तहीयात पढ़ने के बाद

सलाम फेर कर सज्दए सहव करे या पूरी अत्तहीयात पढ़ कर और सज्दए सहव के बाद पूरी अत्तहीयात पढ़ कर सलाम फेरे या किस तरह?

जवाब: पूरी अत्तहीयात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर दो सज्दे सहव के कर के फिर पूरी अत्तहीयात और दुरुद शरीफ वगैरा पढ़ कर सलाम फेर दे।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-398, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-117)

### अगर दो सलाम फेर दिए तो क्या हुक्म है?

सवाल: जो शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो और किसी रुकन के भूल जाने पर सज्दए सहव करते वक़्त दोनों जानिब सलाम फेर दे तो क्या हुक्म है?

जवाब: सिर्फ़ एक सलाम फेरे, लेकिन अगर दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया तो कुछ हरज नहीं तब भी सज्दए सहव करे। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-386, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-691 बाब सुजूदुस्सहव)

### सज्दए सहव किया मगर सलाम नहीं फेरा

अगर किसी ने सज्दा करते वक़्त दाहिनी तरफ़ सलाम नहीं फेरा सामने ही सलाम कह कर सज्दए सहव कर लिया जब भी दुरुस्त है।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-248, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-546)

### सज्दए सहव में अगर एक सज्दा किया?

सवाल: इमाम को नमाज़ में सहव हुआ बाद में इमाम ने उसूल के मुताबिक़ सज्दए सहव किया लेकिन सहव का एक ही सज्दा किया अत्तहीयात दुरुद शरीफ़ और

दुआ पढ़ कर सलाम फेर दिया क्या नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: सज्दए सहव के लिए दो सज्दे वाजिब हैं एक सज्दा काफी नहीं है, लिहाज़ा नमाज़ काबिले इआदा है।

(फ़तावा रहीमिय जिल्द-3 सफ़हा-36, बहवाला नूरुलईज़ा सफ़हा-110 व हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-136)

### ताख़ीरे वाजिब से सज्दए सहव

सवाल: ताख़ीरे वाजिब में सज्दए सहव के अन्दर इख़िलाफ़ है शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: दरअस्ल सज्दए सहव तर्क वाजिब से ही लाज़िम आता है, मगर चूंकि ताख़ीरे वाजिब में भी तर्क वाजिब लाज़िम आता है इसलिए ताख़ीरे वाजिब से सज्दए सहव लाज़िम हो जाता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-375, बहवाला आलमगीरी मिस्त्री जिल्द-1 सफ़हा-118, बाब सुजूदुस्सहव)

### मुतअद्द ग़लतियों पर कितने सज्दए सहव?

किसी से एक ही नमाज़ में मुतअद्द ऐसी ग़लतियाँ हुईं जिनमें से हर एक पर सज्दए सहव वाजिब होता है तो इस सूरत में एक मरतबा सज्दए सहव कर लेना सब की तलाफ़ी के लिए काफी है।

(मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-50)

### सज्दा में रुकूअ की तरबीह पढ़ना

सवाल: रुकूअ में सहवन सज्दा की तरबीह पढ़ना या सज्दा की रुकूअ में पढ़ना इससे नमाज़ में कुछ ख़राबी नहीं?

जवाब: कुछ ख़राबी न होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-385, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-461)



इसी तरह से रुकूअ की तस्बीह के बजाए बिस्मिल्लाह पढ़ने से सज्दए सहव लाज़िम नहीं आता, क्योंकि तस्बीह रुकूअ की वाज़िब नहीं है।

(फ़तवा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-395)

अलबत्ता मकरूह तंजीही है, याद आजाए तो फिर रुकूअ या सज्दा की तस्बीह कह ले ताकि सुन्नत के मुताबिक हो जाए। (मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-46)

### **सज्दए सहव के वजूब में तमाम नमाज़ें बराबर हैं**

सवाल: हाफ़िज़ साहब तरावीह में दो रकअत के बाद कअदा करने के बजाए खड़े हो गए फिर लुक्मा देने से बैठ गए। मगर सज्दए सहव नहीं किया।

दरयाफ़्त करने पर हाफ़िज़ साहब ने कहा कि चूंकि तरावीह सुन्नत है इसमें सज्दए सहव करने की या नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं, तो क्या नमाज़े तरावीह में इमाम से कोई ग़लती मूजिबे सज्दा हो जाए तो सज्दए सहव करने की ज़रूरत नहीं होगी? अगर सज्दए सहव न किया गया तो नमाज़ दुहराने की ज़रूरत है या नहीं?

जवाब: इमामे तरावीह का ये कहना कि चूंकि तरावीह सुन्नत है इसमें सज्दए सहव करने या नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं ये सही नहीं है। नमाज़ फ़र्ज़ हो या वाज़िब, सुन्नत हो या नफ़ल, तमाम नमाज़ों में सज्दए सहव का हुक्म यक़्साँ है, अलबत्ता नमाज़े ईद और जुमा में जब कि मजमा बहुत ज़्यादा हो और सज्दए सहव से नमाज़ियों में इतिशार पैदा हो जाने और तशवीश में पड़ कर नमाज़ खराब कर लेने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में सज्दए सहव मआफ़ हो जाता है। इसी तरह अगर किसी जगह

तरावीह में भी मजमा कसीर हो और सज्दए सहव करने से नमाज़ियों में इतिशार और नमाज़ में फ़साद का क़वी अंदेशा हो तो सज्दए सहव साकित हो जाएगा और नमाज़ के इआदा की भी ज़रूरत नहीं होगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-22, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-705)

### कौन सी गुलती से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है?

ग़लत पढ़ने से जो लफ़ज़ पैदा हुआ उसके मुतअल्लिक़ इमाम आज़म (रह.) और इमाम मुहम्मद (रह.) ये बहस नहीं करते कि वह लफ़ज़ कुरआन पाक में है या नहीं है उनके नज़दीक ज़ाबता ये है कि पढ़ने के अन्दर किसी कलिमा में ज़्यादती या कमी की वजह से बशर्तेकि माना बिल्कुल बदल जाएं नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, वरना नहीं जैसे “فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ” में “ला” छोड़ दिया। “يَا وَعْمَلٌ” “وَعْمَلٌ صَالِحًا وَكُفْرًا لَهُمْ أَجْرُهُمْ” की जगह “صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ” पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

और जिन हुरुफ़ में इम्तियाज़ मुश्किल से होता है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़े जाएं तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होती जैसे सीन, साद, और ज़ाद, जो और ज़ाल वगैरा और जिनमें इम्तियाज़ आसान है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़े जाएं और माना बिल्कुल बदल जाएं तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, जैसे सालिहात की जगह तालिहात पढ़ा गया तो, नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर अलफ़ाज़ की तब्दीली से माना बिल्कुल बदल जाएं तो नमाज़ में फ़साद यकीनी है वरना नहीं जैसे “عَلِيمٌ” की जगह “خَيْرٌ وَحَفِيطٌ” वगैरा पढ़ा गया तो नमाज़ दुरुस्त है और “عَالِيْنٌ” की जगह “عَالِيْنٌ” पढ़ने से

नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर दो जुमालों के अलफ़ाज़ बदल जाएँ और माना भी बदल जाएँ तो नमाज़ फ़ासिद है जैसे— “إِنَّ الْأَمْرَ لَلْفَيْ نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجْرَ لَلْفَيْ حَجِيمٍ” में जहीम की जगह नईम और नईम की जगह जहीम पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। और अगर माना न बदले जैसे “لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ - شَهيقٌ وَزَفِيرٌ” पढ़ा तो नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़जाइले अयाम वश्शुहूर मुअल्लिफ़ ख़लीफ़ा मौलाना थानवी (रह.) सफ़हा-147, अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-132 व इमदादुलमुफ़तीन सफ़हा-285)

### नमाज़ पढ़ते वक़्त किसी लिखी हुई चीज़ पर निगाह

#### पड़ जाना

नमाज़ पढ़ने वाला किसी मकतूब को देख ले और उसको समझ ले तो इस सूरत में उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने वाले का फ़ेल नहीं है बल्कि ग़ैर इख़्तियारी तौर पर उसकी समझ में आ जाता है इसलिए कि आम तौर से उस पर निगाह पड़ जाती है और देखने वाला उसको समझ जाता है। इसलिए उलमा फ़रमाते हैं कि नमाज़ी के सामने ऐसी चीज़ को न रखा जाए, क्योंकि शुब्हात से बचना ज़रूरी है। और सही मज़हब के बमोजिब नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। बख़िलाफ़ इमाम मुहम्मद (रह.) के।

(बहवाला अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-137)

### अगर एक सज्दा करे तो क्या हक़म है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब ने एक रकअत पढ़ कर एक सज्दा किया और फिर तशहहुद पढ़ने के लिए बैठ गए दूसरे सज्दा को किस तरह मुक़्तदी याद दिलाएँ, अगर

मुक्तदी कोई अल्लाहुअकबर या सुब्हानल्लाह कहता है तो हाफिज़ साहब खड़े हो जाते हैं?

जवाब: याद दिलाने से मतलब ये होता है कि सुब्हानल्लाह वगैरा कह कर इमाम को मुतनब्बेह किया जाता है कि कुछ कमी बेशी नमाज़ में हो गई है उस पर खुद गौर कर के याद करेगा कि क्या फ़ेल रह गया है। न ये कि बिअैनिही वह फ़ेल बतलाया जाए जो छूट गया है, लिहाज़ा तंबीह के लिए सुब्हानल्लाह कहना काफ़ी है, अगर उसको याद आ गया तो ठीक है, वरना नमाज़ के बाद मालूम होने पर नमाज़ का इआदा किया जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-162)

### हाफिज़ का एक आयत को कई बार पढ़ना

सवाल: नमाज़े तरावीह में जो कि सुन्नते मुअक्कदा है कोई हाफिज़ एक आयत को तीन चार मरतबा पढ़े तो सज्दए सहव ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि उर्दू के रिसाले मिफ़ताहुस्सलात में लिखा है कि एक आयत को दो तीन बार पढ़ने से सज्दए सहव लाज़िम है सही क्या है?

जवाब: एक आयत को बार बार पढ़ने से सज्दए सहव लाज़िम नहीं आता और मिफ़ताहुस्सलात में जो लिखा है वह समझ में नहीं आया, शायद वह उस मौक़ा में हो कि सिर्फ़ एक ही आयत को कई बार पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, या फ़क़त सूरे फ़ातिहा पढ़ी और सूरत नहीं पढ़ी तो वाज़िब के तर्क होने की वजह से इस सूरत में सज्दए सहव लाज़िम आता है, मगर तरावीह में ऐसा नहीं होता कि और कुछ न पढ़ा हो, तरावीह में अक्सर ये पेश आता है कि अगली आयत याद न आने की वजह से एक

आयत को बार बार पढ़ा जाता है, इसमें सज्दए सहव लाज़िम होने की कोई वजह नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-406)

### मुतशाबेहा का हक़म

**सवाल:** हाफ़िज़ साहब नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते भूल जाएं या मुतशाबिहा लग जाने की वजह से दूसरी जगह की आयतें पढ़ने लगें फिर याद आने पर भूल जाने की वजह से इब्तिदा से किराअत शुरू कर दें तो नमाज़ हो जाएगी या नहीं? और सज्दए सहव वाजिब होगा या नहीं?

**जवाब:** इस सूरत में नमाज़ सही है और सज्दए सहव वाजिब नहीं है। और अगर ग़लती से सज्दए सहव कर लिया तब भी नमाज़ हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-393, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-560 बाबुलइस्तिखलाफ़)

### तरावीह की पहली रकअत में बैठ कर खड़ा होना

**सवाल:** इमाम ने तरावीह की पहली रकअत के बाद खड़े होने के बजाए बैठने का इरादा किया, पीछे से इशारा किया गया तो वह सीधा खड़े हो गए दो रकअत पूरी होने के बाद सलाम फेरा, सज्दए सहव नहीं किया तो नमाज़ हुई या नहीं, अगर नहीं हुई तो इल्म होने पर जमाअत से अदा करें या तन्हा?

**जवाब:** इस सूरत में नमाज़ हो गई, लौटाने की ज़रूरत नहीं और सज्दए सहव लाज़िम नहीं हुआ, क्योंकि एक रकअत के बाद अगर किसी कदर बैठ कर खड़ा हो जाए तो उसको भी फुकहा ने जाइज़ लिखा है। चेजाएकि महज़ बैठने का इरादा किया हो और पूरे तौर बैठा भी न

हो कि खड़ा हो गया तो इस सूरत में न सज्दए सहव लाज़िम है न नमाज़ के लौटाने की ज़रूरत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-277, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-438)

### पहली रकअत और तीसरी रकअत में कितनी देर बैठने से सज्दए सहव लाज़िम आता है?

सवाल: अगर पहली या तीसरी रकअत में सहवन बैठ कर खड़ा हो जाए तो कितने वक्फ़ा से सज्दए सहव लाज़िम होगा?

जवाब: तबील बैठने से सज्दए सहव लाज़िम आता है बक़द्रे अत्तहीयात पढ़ने के मानिन्द या उसके करीब हो, बाकी थोड़ा बैठने से सज्दए सहव लाज़िम नहीं आता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-277, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-438 बाब सिफ़तुस्सलात)

### अगर तीन रकअत पढ़ लें तो क्या हुक़म है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब दूसरी रकअत पर नहीं बैठे और तीन रकअत पर क़अदा कर के सलाम फेर दिया तो इस सूरत में तरावीह हो जाएगी या नहीं?

जवाब: ऐसी सूरत में नमाज़ का इज़ादा ज़रूरी है तीन रकअत नफ़ल का एतेबार नहीं होगा और जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया है उसका भी लौटाना ज़रूरी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-420, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-652)

इमदादुलफ़तावा के हाशिया पर उस्तादे मुहतरम ने इस मसअले की तशरीह फ़रमाई है, कि अगर दूसरी रकअत पर क़अदा भूल कर खड़ा हो गया और तीसरी रकअत पढ़ कर क़अदा कर के सज्दए सहव कर के सलाम फेर

दिया तो तीनों रकअतें बेकार गईं, पहला शुफ़आ बवज्हे फ़ासिद हो जाने के और तीनों रकअतों में पढ़े हुए कुरआन का इआदा ज़रूरी होगा।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-458)

### हाफ़िज़ तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया

सवाल: अगर तरावीह में हाफ़िज़ ग़लती से तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया और तीसरी रकअत में याद आने के बाद चौथी रकअत भी अदा की, तो ये चार रकअतें मानी जाएंगी या दो? अगर दो मानी जाएंगी तो आखिरी दो रकअत में जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया उसको लौटाना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब: चार रकअत पढ़ने की सूरत में जो कुरआन शरीफ़ आखिर की दो रकअतों में हुआ, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-255, बहवाला आमलगीरी जिल्द-1 सफ़हा-117)

इसकी तफ़सील इमदादुलफ़तावा के हाशिया पर उस्तादे मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ़ती सईद अहमद साहब पालनपुरी मद्दजिल्लहू ने ये फ़रमाई है कि अगर दूसरी रकअत पर बकद्रे तशहहुद कअदा कर के खड़ा हुआ है और चार रकअत पढ़ कर सलाम फेरा है तो चारों रकअतें होंगी और सब तरावीह में शुमार की जाएंगी और सज्दा सहव की भी ज़रूरत नहीं होगी।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-498)

### चार रकअत तरावीह जिसमें कअदए ऊला नहीं किया

सवाल: इमाम नमाज़े तरावीह में तीसरी रकअत के वास्ते खड़ा हो गया और चारों रकअत पूरी कर लीं लेकिन

दो रकअत पर कअदा नहीं किया था, ऐसी सूरत में सज्दए सहव करने से दो रकअत होंगी या चार?

**जवाब:** दुर्रेमुख्तार, शामी में तरावीह के ब्यान में इसकी तशरीह है कि ऐसी सूरत में दो रकअत तरावीह होगी।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-262, बहवाला रद्दुलमुह्तार जल्द-1 सफ़हा-660, 661)

### **दूसरी रकअत में भूल कर खड़ा हो गया**

**सवाल:** अगर तरावीह की दूसरी रकअत के बाद बैठने के बजाए खड़ा हो गया, बाद में याद आए तो क्या करें?

**जवाब:** सज्दा से पहले पहले अगर याद आ जाए तो बैठ जाए और सज्दए सहव कर ले।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-275, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाब सुजूदुस्सहव जिल्द-1 सफ़हा-696)

इस मस्अला की तशरीह इमदादुलफतावा के हाशिया पर उस्ताज़ मुहतरम मद्दज़िल्लहू, ने इस तरह फरमाई है कि अगर तरावीह में दूसरी रकअत के बाद कअदा भूल कर खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकअत का सज्दा न किया हो बैठ जाए और बाकाएदा सज्दए सहव कर के नमाज़ पूरी कर ले। और अगर तीसरी रकअत का सज्दा कर लिया हो तो चौथी रकअत मिला कर सज्दए सहव कर के सलाम फेर ले लेकिन ये चार रकअत सिर्फ दो शुमार होंगी। और पहले शुफ़आ में जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया उसका इआदा करना होगा, क्योंकि पहला शुफ़आ कअदए ऊला तर्क करने की वजह से फ़ासिद हो गया है लिहाज़ा तरावीह में शुमार नहीं होगा और उसमें पढ़े गए कुरआन शरीफ़ का इआदा ज़रूरी होगा और



चूँकि तहरीमा बाकी है इसलिए दूसरा शुफ़आ सही हो जाएगा और इसमें पढ़ा हुआ कुरआन भी मोतबर होगा।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़ह-497)

**तरावीह में दो रकअत पर कअदा करना भूल गया और**

**चार रकअत पर कअदा किया तो क्या हक़म है?**

सवाल: तरावीह के कअदा में भूल कर खड़ा हो जाए (यानी बगैर बैठे हुए) और चार रकअत पूरी कर के सज्दए सहव करे तो सिर्फ़ दो होंगी और ये दो रकअत तरावीह में गिनी जाएँगी या नहीं? क्या सुन्नत व नवाफ़िल में आख़िरी कअदा फ़र्ज है या नहीं? इस सूरात में फ़र्ज अदा करने में क्या सिर्फ़ ताख़ीर हो रही है या फ़र्ज फ़ौत हो रहा है। इशकाल दूर फ़रमाएँ?

जवाब: नफ़ल में हर दो रकअत के बाद कअदा करना ज़रूरी है, लिहाज़ा नफ़ल नमाज़ में दो रकअत पर कअदा न किया गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। अलबत्ता चार रकअत और चार रकअत से ज़्यादा छः, आठ, दस, बारह, चौदह सोला, अठारह या बीस रकअत पढ़ी जाएँ और दरमियान में कअदा न किया जाए तो सज्दए सहव कर लेने पर दो रकअत तरावीह होने के बाज़ फ़ुक़हा काएल हैं और उन हज़रात के नज़दीक कअदा मुन्तक़िल हो कर आख़िर में आ जाएगा, तो सिर्फ़ फ़र्ज की अदाएगी में ताख़ीर होगी, जिसकी तलाफ़ी सज्दए सहव से हो जाएगी, तरावीह सुन्नते मुअक्कदा बाजमाअत अदा की जाती है, इसलिए उसका दर्जा फ़र्ज और वाजिब के करीब करीब है, महज़ नफ़ल नहीं है। इसलिए तरावीह में बाज़ फ़ुक़हा दो रकअत की अदाएगी के काएल हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-421, बहवाला  
शामी जिल्द-1 सफ़हा-652 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

**अगर चार रकअत पढ़ कर सज्दए सहव न करे तो**

**क्या हक़म है?**

**सवाल:** हाफ़िज़ ने तरावीह दो रकअत के बजाए चार पढ़ दीं एक ही सलाम से, हाफ़िज़ साहब तीसरी रकअत के लिए खड़े हो रहे थे, लुक़्मा दिया मगर नहीं लिया और आख़िर में सज्दए सहव भी नहीं किया इस सूरत में कितनी रकअत तरावीह अदा हुई, अगर नहीं हुई तो किराअत लौटाने की ज़रूरत है या नहीं?

**जवाब:** तीसरी रकअत के खड़े होने पर लुक़्मा दिया जा रहा था तो हाफ़िज़ साहब को बैठ जाना चाहिए था मगर जब नहीं बैठे और चार रकअतें पूरी कीं तो सज्दए सहव कर के सलाम फेरना चाहिए था इस सूरत में दो रकअत तरावीह हुई और दो नफ़ल मगर सज्दए सहव न किया तो ग़लत किया, इस सूरत में दो रकअत तरावीह हुई मगर वह भी वाजिबुलइआदा हैं। वक़्त के अन्दर अन्दर लौटा लेना चाहिए। वक़्त निकलने के बाद उसकी कज़ा नहीं है। मगर उन चार रकअतों में जितना कुरआन पढ़ा गया है। उसका लौटाना ज़रूरी है। अगर दो रकअत पर कअदा किया तो चार रकअत तरावीह अदा हो गई और किराअत के इआदा की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिज्द-20 सफ़हा-414)

**बग़ैर कअदा के चार रकअत के बारे में**

**मौलाना थानवी (रह.) की राए**

**सवाल:** तरावीह में अगर दो रकअत की जगह इमाम

चार रकअत पढ़ जाए और दरमियान में कअदा न करे और आखिर में सज्दए सहव करे तो नमाज़ होगी या नहीं? और अगर होगी तो दो रकअत होंगी या चार? और अगर दो होंगी तो औवल की दो या आखिर की? और कौन सी रकअत के कुरआन शरीफ़ के इआदा की जरूरत होगी?

जवाब: आलमगीरी जिल्द औवल सफ़हा-75 से मालूम होता है कि कअदा न करने से शुफ़आ ऊला भी फ़ासिद न होगा अलबत्ता मजमूआ मोतबर भी न होगा बल्कि दोनों शुफ़आ मिल कर बजाए एक शफ़ा के समझे जाएंगे और जब मजमूआ शुफ़आ मोतबर न होगा तो एक शुफ़आ और पढ़ा जाएगा।

रहा ये अम्र कि कौन से शुफ़आ का पढ़ा हुआ कुरआन मोतबर होगा और कौन से का काबिले इआदा तो ये इस पर मौकूफ़ है कि ये मुअैयन हो जाए कि कौन सा शुफ़आ तरावीह है कि उसमें पढ़ा हुआ कुरआन मोतबर हो और कौन सा नफ़ल कि उसमें पढ़ा हुआ काबिले इआदा हो, तो इसमें मुझ को तरद्दुद है, दूसरे उलमा से तहकीक कर ली जाए, मेरे ख्याल में अगर सिर्फ़ इआदए कुरआन के हक में सहूलत के लिए दूसरे कौल पर अमल कर लें जो दो शुफ़आओं को मोतबर कहते हैं तो गुंजाइश है। पस शुफ़आ तो एक और पढ़ लें और कुरआन का इआदा न करें। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-498)

अगर तरावीह में दूसरी रकअत पर कअदा भूल कर खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकअत का सज्दा न किया हो बैठ जाए और बाकाएदा सज्दए सहव कर के

नमाज़ पूरी करे। और अगर तीसरी रकअत का सज्दा कर लिया हो तो चौथी रकअत मिला कर सज्दा सहव कर के सलाम फेरे, लेकिन ये चार रकअत सिर्फ दो रकअत शुमार होंगी और पहले शुफ़आ में जो कुरआन पढ़ा गया है उसका इआदा करना होगा, क्योंकि पहला शुफ़आ कअदए अखीरा तर्क करने की वजह से फासिद हो गया। लिहाजा तरावीह में महसूब न होगा और उसमें पढ़े गए कुरआन का इआदा ज़रूरी होगा। अलबत्ता तहरीमा चूंकि बाकी है इसलिए दूसरा शुफ़आ सही हो जाएगा और उसमें पढ़ा हुआ कुरआन भी मोतबर होगा। (हाशिया इमदादुलफतावा जिल्द-1 सफ़हा-497)

### दूसरी रकअत में तशहहुद के बाद खड़े हो कर बैठना

सवाल: अगर दो रकअत में बाद तशहहुद के खड़ा हो गया और फिर बैठ गया तो फिर तशहहुद पढ़ कर सलाम फेद दे या तशहहुद पढ़ कर सज्दा सहव करे और फिर सलाम फेरे? एक ये कि क्यामे ताम के फौरन बाद बैठे दूसरे कुछ पढ़ कर। तीसरे खत्मे सूरात के बाद हर तीन हालत का एक हुक्म है या मुख्तलिफ?

जवाब: हर तीन हालत में बैठ कर तशहहुद पढ़े और सज्दा सहव कर के फिर तशहहुद वगैरा पढ़ कर सलाम फेरे। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-383, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-700)

### बाज हफ़ाज रुकूअ व सुजूद में कुरआन याद करते हैं

मस्अला: (1) दरयाफ़त तलब मस्अला ये है कि बाज कच्चे हाफ़िज़ तरावीह के दौरान रुकूअ व सुजूद और तशहहुद वगैरा में तरबीहात की जगह अपने दिल दिल में

अगली आयत पढ़ते रहते हैं।

(2) या जबान से भी आहिस्ता आहिस्ता दुहराते रहते हैं।

(3) या जबान से तो नहीं दुहराते। तस्बीहात भी पढ़ते हैं मगर दिल व दिमाग अगली आयत के सोचने की तरफ मुतवज्जेह रखते हैं। इन तीनों सूरतों का शरई हुक्म मुफ़स्सल व मुदल्लल फ़रमराएँ।

जवाब: रुकूअ और सुजूद की हालत में कुरआन करीम पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि रुकूअ और सुजूद में किराअत की हदीस में मुमानअत आई है फिर अगर तशहहुद के बजाए कुरआन पढ़ा जाए तो सज्दए सहव करना लाज़िम आएगा, क्योंकि तशहहुद पढ़ना वाजिब है और उसके तर्क से सज्दए सहव लाज़िम आता है अगर सज्दए सहव नहीं किया तो नमाज़ नाकिस होगी। इआदा वाजिब रहेगा—  
”وقال في البحر في باب سجود السهو يجب سجود السهو بتركه ولو قليلاً في ظاهر الرواية فإنه ذكر واحد منظوم  
چूंकि रुकूअ और सुजूद की तस्बीहात सुन्नत हैं, उनके तर्क से नमाज़ कराहते तनज़ीही के साथ अदा होगी।

(3) इस सूरत में अगरचे नमाज़ अदा हो जाएगी लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं। फ़क़त वल्लाहुआलम।

(हबीबुर्रहमान ख़ौरआबादी अफ़ल्लाह अन्हु मुफ़तीये दारुलउलूम देवबंद 6-7-1406 हिजरी)

### लफ़ज़ ज़ाद को किस तरह अदा करना चाहिए

सवाल: लफ़ज़ ज़ाद को नमाज़ में किस तरह पढ़ना चाहिए?

जवाब: ज़ाद को उसके मख़रज से पढ़ना चाहिए न

निकल सके तो जैसे भी अदा हो जाए नमाज़ हो जाती है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-91 बाब जल्लतुलकारी बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-591)

### ज़ाल्लीन की दाल्लीन पढ़ने से नमाज़ होती है या नहीं?

**सवाल:** ज़ाल्लीन को दाल्लीन पढ़ने से नमाज़ होती है या नहीं?

**जवाब:** अगर ज़ाद को बसूरते दाल मुफ़ख़म (दाल पुर.....) पढ़ने से नमाज़ के न होने का हुक्म किया जाएगा तो तमाम अरब कुरार व उलमा और अइम्मा में से भी किसी की नमाज़ न होगी और न मुक्तदियों की नमाज़ होगी, क्योंकि वह सब दाल्लीन पढ़ते हैं पस मालूम हुआ कि ये हुक्म लगाना ग़लत है और हरज है, अलबत्ता उम्दा बेहतर यही है कि मख़रज से अदा करने की कोशिश करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-92)

### लफ़ज़ ज़ाद के बारे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.)

#### का फ़तावा

दाल-ज़ो-ज़ाद के (دالّ و ذالّ) हर्फ़ जुदागाना और मख़ारिज अलग होने में तो शक नहीं है और इसमें भी शक नहीं है कि कस्दन किसी हर्फ़ को दूसरे मख़रज से अदा करना सख़्त बेअदबी है और बसाओकात बाइसे फ़सादे नमाज़ है मगर जो लोग माज़ूर हैं और उनसे ये लफ़ज़ मख़रज से अदा नहीं होता वह हत्तलवुसअ कोशिश करते रहते हैं। उनकी नमाज़ भी दुरुस्त है।

और दाले पुर ज़ाहिर है कि ख़ुद कोई हर्फ़ नहीं है बल्कि ज़ाद ही है, अपने मख़रज से पूरे तौर पर अदा नहीं हुआ तो जो शख़्स दाल ख़ालिस या ज़ो ख़ालिस

अमदन पढ़े उसके पीछे नमाज़ न पढ़ें, मगर जो शख्स दाले पुर की आवाज़ में पढ़ता है आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करें। जो शख्स बावजूद कुदरत के ज़ाद को ज़ाद के मख़रज से अदा न करे वह गुनहगार भी है। और अगर दूसरा लफ़्ज़ बदल जाने से माना बदल गए तो नमाज़ भी न होगी। और अगर कोशिश व सई के बावजूद ज़ाद अपने मख़रज से अदा नहीं होता तो वह माज़ूर है। उसकी नमाज़ हो जाती है और जो शख्स खुद सही पढ़ने पर कादिर है तो ऐसे माज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। मगर जो शख्स कस्दन ख़ालिस दाल या जो पढ़े तो उसके पीछे नमाज़ न होगी।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा—274, 284)

**लफ़्ज़ ज़ाद के बारे में मुफ़्ती शफीअ साहब (रह.) मुफ़्तीए**

**आजम पाकिस्तान का फ़तावा**

अवाम की नमाज़ तो बिला किसी तफ़्सील व तनकीह के बहरहाल सही हो जाती है ख़्वाह जो पढ़ें या दाल या ज़ाल वगैरा, क्योंकि वह कादिर भी नहीं और समझते भी यही हैं कि हम ने असली हर्फ़ अदा किया है और कुर्रा व मुजौविदीन और उलमा की नमाज़ में तफ़्सील मज़कूर है कि अगर ग़लती कस्दन या बे परवाही से हो तो नमाज़ फ़ासिद है और सबक़ते लिसानी या अदमे तमीज की वजह से हो तो जाइज़ है।

(जवाहिरुलफ़तावा जिल्द—1 सफ़हा—338)

तंबीह: लेकिन जवाज़ और अदमे फ़साद से ये साबित नहीं होता है कि बेफ़िक़्र हो कर हमेशा ग़लत पढ़ते रहना जाइज़ हो गया और पढ़ने वाला गुनहगार भी न रहेगा

बल्कि अपनी कृदरत और गुंजाइश के मुवाफिक सही पढ़ने की मशक करना और कोशिश करते रहना ज़रूरी है वरना गुनहगार होगा, अगरचे नमाज़ न फ़ासिद हो जैसा कि आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-74 बाब चहारुम में तसरीह मौजूद है।

(अहकर मुहम्मद शफीअ देवबन्दी गुफिरलहू खादिम दारुलइफ़ता दारुलउलूम देवबंद 20 जुमादिल ऊला 1351 हिजरी)

### सलाम में 'अलैकुम' की जगह 'अलैतुम' निकल जाने का हुकम

सवाल: अगर अस्सलामु अलैकुम में अलैकुम के बजाए अलैतुम निकल जाए तो नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब: नमाज़ हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-45, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-418 सिफ़तुस्सलात)

### नमाज़ में 'सलाम अलैकुम' कहने का हुकम

सवाल: अगर इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बजाए सिर्फ़ "सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह" कहे तो क्या हुकम है?

जवाब: ये ख़िलाफ़े सुन्नत है, इससे नमाज़ में कराहत आएगी। ये उस वक़्त है जबकि इमाम तलफ़ुज़ ही में "सलामु अलैकुम" कहे। कभी ऐसा होता है कि अलिफ़ लोगों के सुनने में नहीं आता इमाम तो "अस्सलाम अलैकुम" कहता है लोग "सलामु अलैकुम" सुनते हैं तो ये मकरूह नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-439)



**सलाम में चेहरा कितना घुमाया जाए?**

”عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ“ (رواه مسلم)

हजरत सअद बिन अबीवकास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को खुद देखा था कि आप (स.अ.व.) सलाम फेरते वक़्त दाईं और बाईं जानिब रुख़ फरमाते थे और चेहरा मुबारक को दाहनी जानिब और बाईं जानिब इतना फेरते थे कि हम रुख़सारे मुबारक की सफ़ेदी देख लेते थे।

(मअरिफ़ुलहदीस जिल्द-3 सफ़हा-310)



## आठवाँ बाब

### सज्दा तिलावत

#### सज्दा तिलावत का सुबूत व फ़जाइज

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में रिवायत आती है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं— आँहज़रत (स.अ.व.) कुरआन की तिलावत करते थे और जब सज्दा वाली सूरात पढ़ते तो हुज़ूर सज्दा करते और हम भी साथ ही सज्दा करते यहाँ तक कि हम में बाज़ अश्खास को पेशानी टेकने की जगह नहीं मिलती थी।

और आँहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया है कि इब्ने आदम जब आयते सज्दा पढ़ता है और सज्दा करता है तो शैतान एक तरफ़ हट कर रोता और कहता है हाए ग़ज़ब! इब्ने आदम को सज्दा का हुक्म हुआ और उसने सज्दा किया तो उसके लिए जन्नत है और मुझे सज्दा का हुक्म हुआ और मैंने हुक्म नहीं माना तो मेरे लिए जहन्नम है।

और उम्मत का इस पर इजमा है कि कुरआन में बाज़ ख़ास ख़ास मक़ामात ऐसे हैं जिनके पढ़ने पर सज्दा करने का शरई हुक्म है।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द—1 सफ़हा—744)

## सज्दए तिलावत फर्ज है या वाजिब और उसकी अदाएगी का क्या तरीका है?

**सवाल:** सज्दए तिलावत फर्ज है या वाजिब और किस तरह अदा करना चाहिए? यानी सज्दा में और सज्दा के शुरू करने से पहले या सज्दा के बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए। और जब कोई शख्स तिलावते कुरआन में मशगूल हो और आयते सज्दा पढ़े तो वह दोजानों हो कर सज्दा करे या खड़े हो कर सज्दा में आ जाए?

**जवाब:** सज्दए तिलावत वाजिब है तरीका उसका ये है कि अल्लाहुअकबर कह कर सज्दा में जाए और तीन बार या ज्यादा से ज्यादा (पाँच या सात मरतबा) सुब्हानरब्बियल आला कह कर अल्लाहुअकबर कह कर उठ जाए, सज्दा अदा हो जाएगा। अगर बैठे हुए सज्दा में गया और सज्दा के बाद फिर बैठा रहा तब भी कुछ हरज नहीं है, बेहतर है कि खड़े हो कर सज्दा में जाए और सज्दा के बाद खड़ा हो जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-430)

### सज्दए तिलावत की नीयत

मुस्तहब ये है कि जब सज्दए तिलावत का इरादा करे तो खड़ा हो जाए और फिर सज्दा करे और सज्दा करने के बाद खड़ा हो जाए या बैठ जाए दोनों सूरतें जाइज़ हैं। जब सज्दा का इरादा करे तो उसकी नीयत दिल से करे या ज़बान से कह ले कि अल्लाह के लिए सज्दए तिलावत करता हूँ "अल्लाहुअकबर" कह कर सज्दा अदा कर ले। (तर्जुमा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-217)

### सज्दए तिलावत की अदाएगी का तरीका

हनफीया (रह.) के नज़दीक सज्दए तिलावत का तरीका

या उसकी तारीफ़ ये है कि इंसान दो तकबीरों के साथ एक सज्दा कर ले, एक तकबीर तो पेशानी को सज्दा के लिए ज़मीन पर रखते वक़्त और दूसरी बार सज्दा से उठते हुए। सज्दए तिलावत में तशहहुद और सलाम नहीं है। ये दोनों तकबीरें मसनून हैं, चुनांचे अगर बग़ैर तकबीर कहे पेशानी ज़मीन पर रख दी तो सज्दा हो जाएगा लेकिन ये मकरूह है। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-753)

### तरावीह में सज्दए तिलावत का ऐलान करना कैसा है?

**सवाल:** तरावीह में सज्दए तिलावत का ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ रकअत में सज्दा है इसका शरअन क्या हुक्म है?

**जवाब:** ख़ौरुलक़ूरुन में अरब व अजम के अन्दर कसीरुत्तादाद जोहला और नौ मुस्लिम होने के बावजूद सलफ़े सालिहीन से ऐलान साबित नहीं है, हालांकि वह इस्लामी आमाल की तबलीग़ में निहायत चुस्त और इबादात की दुरुस्तगी के बड़े हरीस थे और फ़ुक़हा ने भी इस तरह के ऐलान की हिदायत नहीं की है, अगर ज़रूरत होती तो ज़रूर ताकीद फ़रमाते, जैसा कि मुसाफ़िर इमाम के लिए खुसूसी तौर पर ताकीद फ़रमाई है कि नमाज़ियों को अपने मुसाफ़िर होने की इत्तिला दे दे चाहे नमाज़ से पहले या बाद में कि मैं मुसाफ़िर हूँ। क्योंकि यहां ज़रूरत है, लेकिन सज्दए तिलावत में आम तौर पर ज़रूरत नहीं होती, अगर बिला ज़रूरत ये तरीका जारी रहा तो ये क़वी अंदेशा है कि जिस तरह बाज़ शहरों में रिवाज है कि नमाज़े जुमा के वक़्त ऐलान किया

जाता है।

“أَنْصُرُوا” या ये कहा जाता है— “الصَّلَاةُ مَنَّةٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ” और ये ऐलान सुन्नत या फ़ेल हसन समझा जाता है, इसी तरह सज्दए तिलावत का ये ऐलान भी ज़रूरी और बहुत मुम्किन है सुन्नत समझा जाने लगा। हज़रत शाह वलीयुल्लाह (रह.) ने तंबीह फ़रमाई है कि मुबाह चीज़ों को ज़रूरी समझने से दीगर ख़राबी के अलावा इस बात का भी एहतेमाल है कि मुबाह को मसनून समझ लिया जाए और ग़ैर मसनून को मसनून समझ लेना तहरीफ़े दीन है। अलबत्ता अगर मजमा कसीर हो जैसा कि बड़े शहरों में होता है कि सफ़ें दूर तक होती हैं और कुछ सफ़ें बालाई मंज़िल में होती हैं और मुग़ालता का कर्वी एहतेमाल रहता है कि लोगों को सज्दए तिलावत का पता न चले और सज्दा के बजाए रुकूअ करने लगें तो ऐसे मौका पर बमोजिब— “الصَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَخْدُورَاتِ” के तहत ऐलान की इजाज़त दी जा सकती है, मगर हर जगह का ये हुक्म नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हां-245)

### अगर आयते सज्दा सूरत के ख़त्म पर आए

सवाल: तरावीह में अगर आयते सज्दा रुकूअ या सूरत के ख़त्म पर आए तो किस तरह अदा करना चाहिए?

जवाब: रुकूअ या सूरत के ख़त्म पर आयते सज्दा आए तो उसकी अदाएगी की दो सूरतें हैं एक ये कि फ़ौरन सज्दए तिलावत कर के उठे और फिर आगे से चंद आयतें पढ़ कर रुकूअ करे।

दूसरे ये कि रुकूअ में नीयत सज्दए तिलावत की करने से सज्दा अदा हो जाता है मगर फ़ौरन रुकूअ करे। दूसरी

सूरत मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिर्फ़ इमाम की नीयत काफी नहीं है, मुक़्तदी का सज्दए तिलावत रह जाएगा और सलाम के बाद अदा करना होगा, फ़ौरन सज्दा मुस्तक़िल करना चाहिए। ख़त्म सूरत पर सज्दा हो तो सज्दए तिलावत से उठ कर दूसरी सूरत की दो तीन आयतें पढ़ कर फिर रुकूअ करे। अगर रुकूअ के ख़त्म पर सज्दा हो तो सज्दा के बाद दूसरे रुकूअ का कुछ हिस्सा पढ़ कर नमाज़ के लिए रुकूअ कर ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-287, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-723)

फ़तावा महमूदिया में लिखा है कि— अगर आयते सज्दा जो कि सूरत के ख़त्म पर है पढ़ कर सज्दा किया तो अब सज्दा से उठ कर फ़ौरन रुकूअ न किया जाए (इस ख़्याल से कि सूरत ख़त्म हो गई) बल्कि तीन आयत की मिक्दार पढ़ कर रुकूअ करना चाहिए।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-358)

### सज्दए तिलावत सज्दए नमाज़ के साथ अदा होगा या नहीं?

**सवाल:** अगर हाफ़िज़ ने तरावीह में सज्दए तिलावत, सज्दए नमाज़ के साथ अदा किया, यानी तीन सज्दा किए तो नमाज़ हुई या नहीं?

**जवाब:** नमाज़ में जिस वक़्त आयत सज्दा की तिलावत करे उसी वक़्त सज्दए तिलावत कर लेना चाहिए और अगर मुअख़्ख़र किया और नमाज़ के सज्दों के साथ किया तो सज्दए सहव लाज़िम है, सज्दए सहव के बाद नमाज़ के इआदा की ज़रूरत नहीं।

क़स्दन सज्दए तिलावत मुअख़्ख़र करना दुरुस्त नहीं

है, आयते सज्दा के फौरन बाद या ज्यादा से ज्यादा दो आयत के बाद सज्दाए तिलावत कर लेना जरूरी है, वरना गुनहगार होगा।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-275, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-722 बाब सज्दतुत्तलावत)

### अगर सज्दा तिलावत का कुछ हिस्सा पढ़े

सवाल: आयते सज्दा के आखिरी अलफ़ाज़ नहीं पढ़े तो सज्दाए तिलावत वाजिब है या नहीं?

जवाब: अगर वह कलिमा पढ़ा जिसमें सज्दा का लफ़ज़ है तो सज्दाए तिलावत वाजिब हो जाएगा।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-429, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-715, बाब सुजूदुत्तलावत)

### रुकूअ और सज्दा में सज्दा तिलावत की नीयत करे तो

#### कैसा है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब ने तरावीह में सूराए आराफ़ की आयते सज्दा पढ़ कर रुकूअ किया और सज्दाए तिलावत नहीं किया नमाज़ के बाद दरयाफ़्त करने पर हाफ़िज़ साहब ने कहा कि रुकूअ में या सज्दा में सज्दाए तिलावत की नीयत कर ली जाए तो सज्दाए तिलावत अदा हो जाता है क्या ये सही है?

जवाब: नमाज़ में सज्दाए तिलावत अदा करने का एक तरीका यह भी है कि आयते सज्दा पढ़ कर फौरन नमाज़ का रुकूअ करे (जैसा कि सूरते मसऊला में हुआ है) या दो तीन छोटी आयतें पढ़ कर नमाज़ का रुकूअ कर ले और उसमें सज्दाए तिलावत की नीयत करे तो सज्दाए तिलावत अदा हो जाता है। अगर रुकूअ में नीयत नहीं

की तो नमाज़ के सज्दा में सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा ख्वाह सज्दा की नीयत की हो, या न की हो लेकिन अगर इमाम ने रुकूअ में सज्दए तिलावत की नीयत की और मुक्तदियों ने नहीं की तो उनका सज्दा अदा नहीं होगा।

लिहाजा ऐसी सूरत में इमाम को चाहिए कि रुकूअ में सज्दए तिलावत की नीयत न करे, नमाज़ के सज्दा में सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-396, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-723, 724)

सूरते मज़कूरा में इमाम के साथ मुक्तदियों ने भी रुकूअ में सज्दए तिलावत अदा करने की नीयत की होगी तो सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा और अगर मुक्तदियों ने नीयत नहीं की हो और इमाम ने कर ली हो तो मुक्तदियों का सज्दए तिलावत अदा न होगा। और अगर इमाम ने रुकूअ में नीयत नहीं की थी तो नमाज़ के सज्दा में कोई नीयत करे या न करे सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा। बशर्तेकि तीन आयतों से कम पढ़ा हो।

**नोट:** मस्अला से लोग वाकिफ़ नहीं होते इसलिए बेहतर ये है कि सज्दए तिलावत मुस्तकिल अदा किया जाए और नमाज़ के रुकूअ और सज्दा में अदा कर के लोगों को तशवीश में न डाले। मस्अला पर अगर अमल करना हो तो नमाज़ियों को पहले मस्अला समझा दे फिर अमल करे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-379)

**अगर मुक्तदी इमाम के साथ सज्दए तिलावत न कर सके**

**सवाल:** अगर मुक्तदी ग़लती से इमाम के साथ



तिलावत न करे तो नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब: नमाज़ में जो सज्दए तिलावत वाजिब हो वह नमाज़ के बाद अदा नहीं होता और साक़ित हो जाता है। शामी से मालूम होता है कि वह सज्दा साक़ित हुआ और नमाज़ के लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर जान बूझ कर छोड़ा तो तौबा करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-52, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-722)

### सज्दए तिलावत अदा किया फिर किसी वजह से नमाज़ लौटाई तो क्या हुक्म है?

सवाल: हाफिज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ कर फिर सज्दा किया और फिर किसी वजह से नमाज़ दुहराने की ज़रूरत पेश आई फिर वही आयत पढ़ी तो दोबारा सज्दा करना चाहिए या पहला ही सज्दा काफी है?

जवाब: फिर सज्दा कर लेना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-428, बहवाला अलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-125, बाब सुजूदुत्तिलावत)

### आयते सज्दा पढ़ कर कितनी देर में सज्दा करना चाहिए?

सवाल: नमाज़ में सज्दए तिलावत पढ़ कर फौरन सज्दए तिलावत नहीं किया, तीन आयत के बाद किया, तो अदा हुआ या नहीं और सज्दए सहव करना होगा या नमाज़ लौटानी होगी?

जवाब: नमाज़ में आयते सज्दा की तिलावत के फौरन बाद सज्दा वाजिब है या अगर तीन आयत पढ़ने के बाद किया गया तो कज़ा शुमार होगा और ताखीर की वजह से सज्दए सहव वाजिब होगा।

सज्दए सहव न किया तो नमाज़ वाजिबुलइआदा होगी। जो सज्दए तिलावत नमाज़ में वाजिब हुआ वह सलाम फेरने से पहले बल्कि फेरने के बाद जब तक कोई हरकत मुनाफ़िए नमाज़ न होगी सज्दा कर लेना चाहिए। उसके बाद बजुज़ तौबा व इस्तिग़फ़ार के मआफी की कोई सूरत नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-394)

### **सज्दए तिलावत सुन कर बाज़ मुक्तदी सज्दे में और बाज़ रुकूअ में चले गए**

सवाल: इमाम ने सज्दा की आयत पढ़ी और सज्दए तिलावत की जगह रुकूअ कर दिया, जो मुक्तदी इमाम के करीब थे वह रुकूअ में चले गए और जो इमाम से दूर थे और उनको ये मालूम था कि यहां सज्दए तिलावत है वह लोग सज्दे में चले गए, जब इमाम ने "سَمِعَ اللّٰهُ لَمَنْ" कहा तब उनको पता चला कि इमाम रुकूअ में था उनमें से कुछ लोग खड़े हो कर रुकूअ में गए और फिर इमाम के साथ सज्दे में शामिल हो गए और कुछ लोग सज्दे से बैठ कर फिर इमाम के साथ सज्दे में चले गए। अब दरयाफ़्त तलब ये है कि जो लोग इमाम के रुकूअ करने के बाद रुकूअ कर के इमाम के साथ सज्दे में शामिल हो गए उनकी नमाज़ा हुई या नहीं?

जवाब: जो लोग इमाम के साथ रुकूअ में शामिल नहीं हुए उनकी ये रकअत जाती रही, फिर जब वह रुकूअ कर के इमाम के साथ सज्दे में मिल गए तो उनकी नमाज़ सही हो गई। और जो लोग बग़ैर रुकूअ अदा किए हुए सज्दे में मिले उनकी एक रकअत फ़ौत हो गई अगर वह इमाम के सलाम के बाद अपनी रकअत पूरी

कर लेते तो नमाम हो जाती। जब उन्होंने सलाम फेर दिया तो नमाज़ नहीं हुई। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-3 सफ़हा-387)

**नमाज़ में सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी लेकिन सज्दा**

**करना याद नहीं रहा**

सवाल: तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी तो सज्दा किस वक़्त करना चाहिए?

जवाब: बेहतर ये है कि उसी वक़्त सज्दा करे जिस वक़्त आयते सज्दा पढ़े। और फुक़हा ने लिखा है कि अगर बाद में याद आया और उस वक़्त न किया तो सज्दए सहब लाज़िम है, मगर ताख़ीर की गुंजाइश उस वक़्त है जब नमाज़ में न हों, नमाज़ में फ़ौरन अदा करना होगा। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-424, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-723, 751)

**हाफ़िज़ अगर आयते सज्दा भूल जाए**

सवाल: हाफ़िज़ साहब आयते सज्दा भूल गए, मुक़्तदी ने या सामेअ ने लुक़्मा दिया और हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ी तो एक सज्दए तिलावत होगा या दो?

जवाब: इमाम साहब सज्दा की आयत भूल गए और मुक़्तदी ने पढ़ कर लुक़्मा दिया और इमाम साहब ने वह आयत पढ़ कर सज्दा किया तो ये सज्दा काफ़ी है इस सूरत में दो सज्दे वाजिब नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-49)

**फ़ौत शुदा रकअत की अदाएगी के वक़्त आयते सज्दा**

**इमाम से सुने तो क्या हुक़म है?**

सवाल: हाफ़िज़ साहब और मुक़्तदी चार रकअत पर तरवीहा में बैठे उस वक़्त मैं फ़ौत शुदा रकअत की

अदाएगी के लिए खड़ा हुआ, अभी मेरी नमाज़ ना-तमाम ही थी कि इमाम साहब ने तरावीह शुरू की और आयते सज्दा पढ़ी, मैंने भी सुनी, तो मुझ पर सज्दए तिलावत लाजिम है या नहीं?

**जवाब:** सूरते मस्कूला में सज्दए तिलावत लाजिम हो गया हँ अगर इमाम के सज्दा करने से पहले या सज्दा करने के बाद उसी रकअत के आखिर में इमाम के पीछे नीयत बाँध ली और नमाज़ में शामिल हो गए तो इमाम का सज्दा आप के लिए काफी है, अलाहिदा सज्दा करना नहीं होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-351, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-133)

### आयत सज्दा सुन कर बजाए सज्दा के रुकूअ में चला जाए

**सवाल:** नमाज़े तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा में गए, मगर मुक्तदी रुकूअ समझ कर रुकूअ में गया, तो उसकी नमाज़ और सज्दा अदा होगा या नहीं?

**जवाब:** सूरते मस्कूला में मुक्तदी को चाहिए कि रुकूअ छोड़ कर सज्दा में चला जाए। अगर रुकूअ कर के फिर सज्दा में गया तो नमाज़ सही हो जाएगी और सज्दए तिलावत भी अदा हो जाएगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-244, बहवाला शामी, दुर्रेमुख़र जिल्द-1 सफ़हा-727)

### नमाज़ में सज्दए तिलावत के बाद दोबारा वही आयत पढ़ ले

**सवाल:** हाफ़िज़ साहब ने तरावीह में सज्दए तिलावत अदा करने के बाद खड़े हो कर बजाए अगली आयत के वही आयते सज्दा दोबारा पढ़ ली। सज्दए तिलावत के इआदा की ज़रूरत है या नहीं?

जवाब: सूरते मस्कूला में पहला सज्दा काफ़ी है इआदा की जरूरत नहीं और सज्दे सहव भी नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-244, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-135)

**सज्दे तिलावत अदा करने के बाद हाफ़िज़ को अगली**

**आयत याद न रही**

सवाल: जैद हाफ़िज़ है, जैद ने नमाज़ पढ़ी, दरमियान में आयते सज्दे तिलावत आई तो फ़ौरन सज्दे तिलावत अदा किया, सज्दा के बाद फिर खड़ा हुआ मगर उसके आगे कुरआन शरीफ़ याद नहीं आया। जैद ने सज्दे तिलावत करते वक़्त रुकूअ भी नहीं किया, लाइल्मी या मूल से, आया जैद सज्दे तिलावत से उठ कर रुकूअ करे या क्या करे?

जवाब: ऐसी हालत में कि नमाज़ में आयते सज्दा की तिलावत की और आगे कुछ नहीं पढ़ता है तो रुकूअ में ही नीयते सज्दा कर लेने से सज्दे तिलावत अदा हो जाता है। और अगर उसने सज्दे तिलावत किया तो बेहतर ये है कि उठ कर चंद आयत पढ़ कर फिर रुकूअ करे। और अगर उठ कर खड़े हो कर फ़ौरन रुकूअ में चला जाए तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है नमाज़ सही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-426, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-722 बाब सुजूदुत्तिलावत)

**सज्दे तिलावत के बाद सूरए फ़ातिहा दोबरा पढ़े तो क्या**

**हक़म है?**

सवाल: तरावीह में सज्दे तिलावत अदा करने के बाद बजाए अगली आयत पढ़ने के सूरए फ़ातिहा पढ़ कर

उसको शुरू करे तो सज्दए सहव है या नहीं? जबकि सूरए फ़ातिहा की तकरार हुई है?

**जवाब:** सूरत शुरू करने से पहले अगर सूरए फ़ातिहा को मुक़रर पढ़ ले तब तो सज्दए सहव होगा, क्योंकि फ़ातिहा के बाद बिला ताख़ीर सूरत शुरू करना वाजिब था, इसमें ताख़ीर हो गई और वाजिब की ताख़ीर से सज्दए सहव लाज़िम आता है, लेकिन सूरते मस्क़ला में जब सूरए फ़ातिहा के बाद किराअत शुरू कर चुका था तो सूरत यानी किराअत शुरू करने में तो ताख़ीर नहीं हुई, फ़ातिहा के फ़ौरन बाद शुरू कर दी, अब अगला फ़र्ज़ रुकूअ का है उसकी अदाएगी किराअत के बाद होनी चाहिए, मगर किराअत की कोई हद मुअयन नहीं जितनी चाहे किराअत करे और जिस सूरत की चाहे किराअत करे, रुकूअ से पहले उसको मुख़तसर और तवील किराअत करने का इख़्तियार है। इसमें तवील व ताख़ीर से सज्दए सहव लाज़िम नहीं आएगा। लिहाज़ा इस सूरत में सज्दए सहव लाज़िम नहीं आएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-348, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-429 व आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-126)

**दो रकअत पूरी कर के दूसरी रकअत में वही आयते सज्दा**

### पढ़ दी

**सवाल:** तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने दो रकअत की नीयत बाँधी, पहली या दूसरी रकअत में सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी और सज्दा किया और दो रकअत पूरी कीं, फिर दूसरी रकअत की नीयत बाँधी और सहवन वही सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी, लेकिन सज्दा नहीं किया,

नमाज़ के बाद मालूम करने पर हाफिज़ साहब ने फ़रमाया पहली नमाज़ का सज्दा तिलावत दूसरी नमाज़ के लिए काफ़ी है क्या ये सही है?

जवाब: इस सूरत में दूसरा सज्दा करना होगा, तकबीरे तहरीमा कह कर दूसरी नमाज़ शुरू करने से हुक्मन मजलिस बदल जाती है। नीज़ मराकियुलफ़लाह में है कि नमाज़ में सज्दा तिलावत की आयत तिलावत कर के सज्दा किया फिर वही आयत सलाम फेरने के बाद दोबारा पढ़ी तो ज़ाहिरे रिवायत के मुताबिक़ दूसरा सज्दा करे, नमाज़ में जो सज्दा किया था वह हुक्मन भी बाकी न रहा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-428, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-286)

### तरावीह में सज्दा तिलावत भूल जाए

किसी शख्स ने एक रकअत में आयते सज्दा पढ़ी मगर उसमें सज्दा करना भूल गया तो दूसरी रकअत में जब याद आए सज्दा तिलावत अदा कर ले और फिर आख़िर में सज्दा सहव कर ले। नमाज़ में अगर कोई शख्स आयते सज्दा पढ़े तो फ़ौरन सज्दा तिलावत करना वाजिब है, अगर छोटी तीन आयतों या एक लम्बी आयत के बाद सज्दा तिलावत किया तो तिलावत कर के सज्दा सहव करना वाजिब है। और अगर तीन आयतों से कम पढ़ कर ही सज्दा तिलावत कर लिया है तो फिर सज्दा सहव वाजिब नहीं है।

(मसाइले सज्दा सहव सफ़हा-45 व दुर्रेमुख्तार बर हाशिया शामी जिल्द-1 सफ़हा-721)

### सज्दए तिलावत एक करने के बजाए दो सज्दे कर लिए

सवाल: तरावीह में हाफिज़ साहब ने आयते सज्दए तिलावत कर के बजाए एक सज्दा के दो सज्दे किए क्या इस सूरत में दो सज्दे करने से कयाम में ताखीर होने की बिना पर सज्दए सहव लाज़िम होगा या नहीं?

अगर लाज़िम होता हो और सज्दए सहव नहीं किया तो क्या दो रकअत वाजिबुलइआदा हैं, जमाअत के साथ लौटाएँ या फ़रदन फ़रदन पढ़ लें?

जवाब: नमाज़े तरावीह में एक सज्दा ज़ाएद होने की वजह से ताखीर लाज़िम आई सज्दए सहव कर लेना था नहीं किया गया इसलिए वक्त के अन्दर अन्दर इआदा है लोग मौजूद हों तो जमाअत से वरना तन्हा तन्हा पढ़ लें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-388)

### सूरए हज का आखिरी सज्दा और उसका हुक्म

सवाल: सूरए हज का आखिरी सज्दा (पारा-18) इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक वाजिब है। शाफ़ई इमाम की इक्त्तदा में हनफी मुक्त्तदी ये सज्दा अदा करे या नहीं? और जब इमाम हनफी हो और मुक्त्तदी शाफ़ई तो मुक्त्तदियों का ये सज्दा कैसे अदा होगा?

जवाब: शामी में है कि मुताबअते इमाम शाफ़ईयलमजहब की वजह से मुक्त्तदी हनफी भी सूरए हज का आखिरी सज्दा अदा कर ले और जब कि इमाम हनफी हो तो ये सज्दा न करे और मुक्त्तदियों के जिम्मा भी मुवाफ़िके क़वाएदे हनफीया ये सज्दा साकित है, लेकिन अगर शवाफ़ेअ के नज़दीक नमाज़ के सज्दा को बाद में भी अदा करना जाइज़ हो तो वह कर सकते हैं।



हनफीया (रह.) के नजदीक तो जो सज्दा नमाज़ में लाज़िम हो और उसको उस वक़्त न किया जाए तो वह अदा नहीं हो सकता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-423, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-721 बाब सुजूदुत्तिलावत)

### सूरए साद में सज्दए तिलावत की आयत कौन सी है?

सवाल: सूरए साद पारा-23 में सज्दा तिलावत “أَنَّابَ” पर है या “حُسْنُ مَابَ” पर?

जवाब: मुहक्कक कौल की बिना पर औला ये है कि “حُسْنُ مَابَ” पर सज्दए तिलावत किया जाए। “أَنَّابَ” पर करना ख़िलाफ़े एहतियात है। अगर “أَنَّابَ” पर सज्दा कर लिया तो ख़िलाफ़े एहतियात हुआ, लेकिन इअ़दा की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-382, 419, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-716)



Maktab\_e\_Ashraf

## नवाँ बाब

### तहज्जुद व शबीना के ब्यान में

#### नमाजे तहज्जुद की जमाअत का हुकम

सवाल: माहे रमजानुलमुबारक में हनफीयुल मजहब होते हुए तहज्जुद की नमाज जो लोग जमाअत के साथ एहतिमाम से अदा करते हैं और उसको बड़ी फ़ज़ीलत समझते हैं उसके मुतअल्लिक शरई हुकम क्या है?

जवाब: तहज्जुद की नमाज रमजान और ग़ैर रमजान में बाजमाअत पढ़ने का एहतिमाम आँहज़रत (स.अ.व.) और आपके सहाबए किराम से मनकूल नहीं है। माहे मुबारक में आप (स.अ.व.) का मामूल एतेकाफ़ का था, लेकिन आप (स.अ.व.) ने सहाबा के साथ तहज्जुद बाजमाअत पढ़ी हो ये साबित नहीं। इसलिए फ़ुकहा (रह.) लिखते हैं कि तहज्जुद वग़ैरा नफ़ल नमाज बाजमाअत पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता बग़ैर बुलाए एक दो मुक्त्तदी के साथ मकरूह नहीं है, ये हदीस से साबित है, इससे ज़्यादा का सुबूत वारिद नहीं। लिहाज़ा फ़ुकहा लिखते हैं कि इमाम के साथ तीन मुक्त्तदी होने में इख़िलाफ़ है और चार मुक्त्तदी हों तो बिलइजमाअ मकरूह है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-323, बहवाल।  
दुर्रेमुख्तार मअ शामी जिल्द-1 सफ़हा-664)

### जमाअते तहज्जुद और शाह साहब (रह.) की राए

अनवारुलबारी शरह सहीहुलबुखारी में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.) के शागिर्द रशीद मौलाना सैयद अहमद रजा साहब बिजनौरी दामत फुयूजुहुम तहरीर फरमाते हैं— फुकहा ने लिखा है कि नवाफिल की जमाअत मकरूह है बजुज रमजान के और इससे मुराद सुनने तरावीह है। हजरत शाह कश्मीरी (रह.) ने फरमाया कि फुकहा की इस इबारत से जिसने मुतलक नवाफिले रमजान समझा गलती की, लिहाजा तहज्जुद की जमाअत तीन से ज्यादा की रमजान में मकरूह होगी।

(अनवारुलबारी जिल्द-1 सफ़हा-1917 हाशिया)

मबसूत सुरख्सी में लिखा है कि— अगर नवाफिल बाजमाअत मुस्तहब होती तो तमाम काइमुललैल तहज्जुद गुजार मुजतहिदीन का उस पर अमल होता।

वह नमाज जो तन्हा और बाजमाअत दोनों तरीका से अदा करना जाइज़ है उसको बाजमाअत अदा करना अफज़ल है हालांकि नवाफिल तहज्जुद वगैरा बाजमाअत अदा करना न तो आँहजरत (स.अ.व.) के मुबारक ज़माना में मनकूल है और न सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और न ताबईन वगैरहुम के ज़माना में, लिहाजा ये कौल कि तरावीह की तरह तहज्जुद वगैरा दूसरे नवाफिल रमजानुलमुबारक में बिला कराहत जाइज़ हैं ये कौल तमाम फुकहा के खिलाफ़ है और बातिल है।

मबसूत सुरख्सी किताबुत्तरावीह बहस रकआतुत्तरावीह जिल्द-2 सफ़हा-144।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-324)

### रमजान में तहज्जुद की जमाअत

सवाल: नमाज़ तहज्जुद बाजमाअत रमजान शरीफ़ में पढ़ना और उसमें कुरआन शरीफ़ सुनना चाहिए या नहीं?

जवाब: नमाज़ तहज्जुद जमाअत के साथ पढ़ना बतदाई (दो से ज़्यादा अफ़राद के साथ) मकरूह है। आँहज़रत (स.अ.व.) ने जो रमजान की तीन रातों में बाजमाअत नमाज़ पढ़ी है वह तरावीह की नमाज़ थी।

अल्लामा शामी की तहकीक़ से भी यही ज़ाहिर होता है और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अपने रिसाला तरावीह में तहकीक़ फ़रमाई है कि दोनों नमाज़ें जुदागाना हैं और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) तहज्जुद हमेशा तन्हा पढ़ते थे। कभी भी बतदाई जमाअत नहीं फ़रमाई (जमाअत के लिए नहीं बुलाया)। और ये कि तहज्जुद की नमाज़ में जमाअत नहीं है और यही अक्सर अहादीस से साबित होता है और उलमा व फ़ुकहाए अहनाफ़ ने यही तहकीक़ फ़रमाई है।

माहे रमज़ानुलमुबारक में तदाई (बुला कर) के साथ जमाअते वित्र और तरावीह जाइज़ है और मशरूअ व मसनून है, बाकी नवाफ़िल सिवाए तरावीह के रमज़ान शरीफ़ में भी तदाई के साथ मकरूह हैं। और तदाई के माना साहबे दुर्रमुख्तार ने ये ब्यान फ़रमाए हैं: यानी चार मुक्त्दी एक इमाम के पीछे नमाज़ अदा करें। (जमाअते तहज्जुद) बग़ैर तदाई के जाइज़ है और तदाई के साथ मकरूहे तहरीमी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-221, 223, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल, मबहसुत्तरावीह जिल्द-1 सफ़हा-663)

## रमजान में तहज्जुद में दो चार आदमी मिल जाएँ तो.....?

**सवाल:** अगर कोई शख्स रमजान में तहज्जुद शुरू करे और उसके साथ सिर्फ दो चार आदमी आ कर इक्तिदार करें तो क्या हुक्म है?

**जवाब:** एक या दो की इक्तिदा बिला कराहत जाइज है और तीन में इख्तिलाफ है और इससे जाएद मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-223)

### तहज्जुद बाजमाअत का हुक्म

**सवाल:** नमाज़े तहज्जुद बाजमाअत पढ़े या तन्हा। बहवालए कुतुब जवाब तहरीर फरमाएँ?

**जवाब:** अगर कमी कभार दो या तीन आदमी जो बगैर बुलाए और बिला किसी एहतेमाम के जमा हों वह जमाअत से पढ़ लें तो मकरूह नहीं है। इमाम के सिवा दो आदमी हों तो बिल इत्तिफाक मकरूह नहीं, तीन हों तो इख्तिलाफ है, चार हों तो बिलइत्तिफाक मकरूह है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-117)

### जमाअते नवाफिल और अकाबिरे उलमाए देवबंद

इस सिलसिले में सैयदुलफुकहा रईसुलमुहद्दिसीन फकीहुन्नफ्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही (रह.) का फ़तावा, फ़तावा रशीदिया के अन्दर इस तरह है— नवाफिल की जमाअते तहज्जुद हो या गैर तहज्जुद सिवाए तरावीह व कुसूफ व इस्तिस्का के अगर चार मुक्तदी हों तो अहनाफ (रह.) के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है, ख़्वाह खुद जमा हों या बतलब आवें और तीन में इख्तिलाफ है और दो में कराहत नहीं है।

(फ़तावा रशीदिया सफ़हा-299)

हज़रत थानवी (रह.) ने इमदादुलफ़तावा के अन्दर फ़रमाया है कि— अगर मुक्तदी एक या दो हों तो कराहत नहीं है और अगर चार हों तो मकरूह है और अगर तीन हों तो इख़्तिलाफ़ है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-377)

हज़रत थानवी (रह.) ने फ़रमाया कि जो लोग फ़ुक़हा के बाज़ अक़वाल से ये समझते हैं कि कराहत का हुक्म ग़ैर रमज़ानुलमुबारक में है और रमज़ान में जाइज़ है उन पर तरदीद करते हुए फ़रमाया कि “فی غیر شهر رمضان” की क़ैद से सिर्फ़ नवाफ़िले तरावीह को निकालना मक्सूद है। इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-378 लिहाज़ा मालूम हुआ कि नवाफ़िल की जमाअत रमज़ान और ग़ैरे रमज़ान सब में मकरूह है।

हज़रत शैख़ुलहिन्द (रह.) को रमज़ानुलमुबारक में कुरआन नफ़लों में सुनने का बड़ा शग़फ़ था, जब लोगों ने जमाअत में शिरकत की ख़्वाहिश जाहिर की तो उसकी इजाज़त नहीं दी और घर का दरवाज़ा बंद कर के अन्दर हाफ़िज़ किफ़ायतुल्लाह की इक़्तिदा में कुरआन मजीद सुनते थे। फिर जब लोगों का इसरार बढ़ा तो ये मामूल बना लिया कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आते थे, कुछ देर आराम करने के बाद तरावीह में पूरी रात कुरआन मजीद सुनते थे। जिसमें चालीस पचास आदमी शिरकत करते थे और घर में जमाअत होती थी, लेकिन नफ़लों की जमाअत को ग़्वारा नहीं फ़रमाया। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कशमीरी (रह.) की भी यही राए है अनवारुलबारी जिल्द-2 सफ़हा-88 में पूरी तफ़सील के

साथ बहस मौजूद है।

हजरत शैखुलमशाइख मौलाना खलील अहमद साहब (रह.) हाफिजे कुरआन थे और तहज्जुद में कुरआन मजीद तिलावत फरमाते थे और दो हाफिज हजरत के पीछे कुरआन करीम सुना करते थे, हजरत मौलाना असअदुल्लाह साहब (रह.) का ब्यान है कि एक रात मैं भी मुक्तदी बन गया तो हजरत ने नमाज़ के बाद मेरा कान पकड़ कर अलग कर दिया।

(अनवारुलबारी जिल्द-2 सफ़हा-87)

### मौलाना मदनी (रह.) ने अकाबिरे देवबंद के खिलाफ

#### अमल क्यों अपनाया?

हजरत शैखुलअरब वल अजम मरजउलखलाइक हजरत शैखुलइस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुदसा सिरिहुलअजीज़ का तहज्जुद बाजमाअत का मामूल सब अकरबिरे उलमए देवबंद से अलग था, सवाल ये पैदा होता है कि हजरत मदनी (रह.) अपने वक्त के बुलंद पाया आलिम और तक्वा व तसौवुफ़ के अन्दर बड़ा मुकाम रखते थे। उन्होंने फुक्हा और अकाबिरे देवबंद के खिलाफ अमल क्यों अपनाया?

इसके जवाब में हम को दो बातें समझ में आती हैं—

(1) जिन खुश नसीब बुजुर्गों को अल्लाह तआला ने इल्म में पूरा उबूर अता फरमाया है उनको बाज़ मसाइले जुर्ई के अन्दर इन्फिरादी राए काइम करने का हक़ होता है, लेकिन वह अमल दूसरों के लिए काबिले हुज्जत नहीं होता, सिर्फ़ उन्हीं तक महदूद रहता है, जैसा कि हजरत अल्लामा जमालुद्दीन इब्न हुमाम के तफ़रूदात के सिलसिला

में मशहूर है कि उनके शागिर्द खास अल्लामा कासिम बिन कतलूबगा ने फरमाया कि हमारे उस्ताज के वह तफरुदात जो इजमाए उम्मत के खिलाफ हैं वह काबिले अमल नहीं हैं।

चुनांचे बाज हज़रात के अर्ज करने पर कि आप के इस अमल (जमाअते तहज्जुद) को लोग सनद बनाएंगे तो इस पर हज़रात मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि— मैं खुद तो करता हूँ दूसरों को तो नहीं कहता।”

(अनवारुलबारी शरह बुखारी)

(2) एक होता है बाबे अहकाम और एक होता है बाबे तरबियत और बाबे तरबियत में ऐसी बातों की गुंजाइश होती है, जो बज़ाहिर बाबे अहकाम के खिलाफ हों तो हमारा हुस्ने ज़न भी मौलाना मदनी (रह.) के सिलसिला में यही है कि आप सालिकीन को तहज्जुद का आदी बनाने के लिए बतौर तरबियत तहज्जुद की नमाज़ जमाअत से अदा फरमाया करते होंगे और ये अमल किसी दूसरे के लिए बाइसे हुज्जत नहीं हो सकता। बहरहाल मस्अला अपनी जगह पर है, कि एक मुक्तदी हो तो जाइज़ है और दो में भी जवाज़ है और अगर तीन मुक्तदी हों तो उसमें बाज फुकहा का ख्याल अदमे कराहत का है और बाज का ख्याल कराहत का है।

(शामी मतबअ माजिदीया पाकिस्तानी जिल्द-1 सफ़हा-524)

और अगर मुक्तदी चार तक हो जाएँ तो बिलइत्तिफ़ाक मकरूहे तहरीमी है।

(तहतावी अला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-211)



## तहज्जुद में अगर कछ लोग इमाम की इक्तिदा कर लें तो कराहत का जिम्मादार कौन है?

**सवाल:** इमाम साहब हाफिजे कुरआन हैं, एतेकाफ में बैठते हैं, इस वक़्त तहज्जुद में तन सिपारे पढ़ते हैं और दूसरे दो मोतकिफ़ मुक़्तदी होते हैं मगर कभी कभी दूसरे और लोग भी शरीक हो जाते हैं तो कोई हरज नहीं? अगर है तो इसका जिम्मादार कौन हैं?

**जवाब:** अगर इमाम साहब की सराहतन या किनायतन या इशारतन इजाज़त के बग़ैर लोग शरीक हो गए तो कराहत के वह जिम्मादार हैं, लेकिन इमाम साहब को चाहिए कि मस्अलां बतला कर शरीक होने से रोक दें वरना इमाम साहब कराहत की जिम्मादारी से सुबुकदोश न होंगे।

शामी में है कि नफ़ल पढ़ने वाले की एक दो आदमियों ने इक्तिदा की, फिर दूसरे लोग शरीक हो गए तो अल्लमा रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं कि कराहत के जिम्मादार पीछे आने वाले हैं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-325 बहवाला शामी जिल्द-1, सफ़हा-664)

## शबीना यानी एक रात में कुरआन ख़त्म करना कैसा है?

**सवाल:** शबीना की तरकीब क्या है, यानी कुरआन पाक एक रात में ख़त्म किया जाए या तीन रातों में, और कितनी रकअतों में ख़त्म किया जाए, बीस रकअतों में या इससे जाएद रकअतों में?

**जवाब:** इस ज़माना में शबीनाए मरव्वजा कराहत और मफ़ासिद से ख़ाली नहीं है, एक ख़राबी ये है कि नफ़ल बाजमाअत में पढ़ा जाता है, हालांकि बाजमाअत नफ़ल में

अगर दो तीन मुक्तदियों से जाँएद हों तो मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता तरावीह में दुरुस्त है, बशर्तेकि कुरआन साफ़ और सेहत के साथ पढ़ा जाए और शोहरत मक्सूद न हो और मुक्तदी सुस्त न हों, अगर कुछ लोग बैठे रहें और बातें करते रहें और खाने पीने के इतिजाम में लगे रहें और नतीजतन उनकी तरावीह फौत हो जाए तो जाइज़ नहीं। इस जमाना में ऐसे हुफ़ाज़ कहां कि पूरा कुरआन साफ़ और सेहत के साथ एक रात में ख़त्म करें "यालमून" "तालमून" के अलावा कुछ संमझ में न आएगा। इस किस्म के हुफ़ाज़ का तीन रोज़ से कम में कुरआन ख़त्म करना कराहत से ख़ाली नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-387)

### शबीना जाइज़ है या नहीं

**सवाल:** एक रोज़ में चंद हुफ़ाज़ का कुरआन शरीफ़ शबीना में ख़त्म करना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** कुरआन शरीफ़ को ऐसी जल्दी पढ़ना कि हुरूफ़ संमझ में न आएँ और मख़ारिज से अदा न हों नाजाइज़ है, परस अगर शबीना में ऐसी जल्दी होगी तो वह भी नाजाइज़ है, जैसा कि दुर्रेमुख्तार में है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-256, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-663)

अफ़ज़ल ये है कि एक या दो (हाफ़िज़) मिल कर तरावीह पढ़ाएँ, अगर जैयद और बाहिम्मत हाफ़िज़ न हों तो मुतअद्द हुफ़ाज़ तरावीह पढ़ाएँ तो ये भी दुरुस्त है तरावीह हो जाएगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-389)

### शबीना जमाअत नफ़ल में करना कैसा है?

**सवाल:** अगर शबीना में ख़त्म क़ुरआन शरीफ़ नफ़लों में जमाअत के साथ किया जाए तो जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** अगर शबीना यानी ख़त्म क़ुरआन नफ़ल जमाअत के साथ हो तो ये मकरूह है यानी नाजाइज़ है क्योंकि नफ़ल की जमाअत तदाई के साथ मकरूह है और मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है जो क़रीब हराम के है, पस इसका नाजाइज़ कहना सही हो गया और तफ़सीर तदाई की ये है कि चार मुक्तदी हों और तीन में इख़िलाफ़ है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-284, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-663)

### शबीना का काएदए कुल्लिया

**सवाल:** शबीना एक हाफ़िज़ ख़त्म करें या चंद मिल कर ख़त्म करें?

**जवाब:** अगर शबीना में क़ुरआन साफ़ पढ़ा जाए और हाफ़िज़ को रिया (दिखावा) मक्सूद न हो कि फ़लों ने इस क़दर पढ़ा और फ़लों ने इस क़दर पढ़ा और जमाअत में कसल मंद लोग न हों और हाजत से ज़्यादा रौशनी में तकल्लुफ़ न करें और मक्सूद हुसूले सवाब हो तो जाइज़ है। और अगर किराअत इतनी जल्दी करें कि हुरूफ़ तक समझ में न आएँ, न ज़ेर की ख़बर न ज़बर की, न ग़लती का ख़याल न मुतशाबिहात का और फ़क़त रियाकारी मक्सूद हो और जमाअत भी मुनतशिर हो या हाजत से ज़्यादा रौशनी हो या तरावीह पढ़ कर नफ़ल की जमाअत पढ़ें तो ये बेशक मकरूह है।

”لقوله تعالى: وَرَبِّلْ الْقُرْآنِ تَرْتِيلاً“

ولقوله: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُ وَنَ النَّاسِ.  
 ولقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.  
 ولقول الفقهاء: إِنَّ جَمَاعَةَ النَّوَافِلِ مَكْرُوهَةٌ.

शबीना तीन शर्तों के साथ जाइज़ है— (1) तरतील न छूटे (2) तरावीह में पढ़ें (3) जमाअत के वक़्त तख़ल्लुफ़ न करें। (इमदादुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-487, 489)

### शबीना के सिलसिले में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का फ़ताव

कुरआन शरीफ़ का एक रात में ख़त्म करना बसूरते तसहीहे अल्फ़ाज़ वगैरा जाइज़ है। और हज़रत उस्मान (रज़ि.) से एक रात में ख़त्म करना साबित है। और अगर कुरआन तरतील के साथ न पढ़ कर लफ़ज़ सही पढ़े गए तो इस तरह पढ़ने में सवाब कम होगा। और अगर शोहरत की नीयत से पढ़े तो रिया तो फ़राइज़ में भी ममनूअ है, तरावीह पर क्या मौकूफ़ है। और अगर मुक़्तदियों को इस तरह पढ़ना दुश्वार हो तो न पढ़े।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-304)

नफ़ल की जमाअत तहज्जुद हो या ग़ैर तहज्जुद सिवाए तरावीह के और कुरसूफ़ व इस्तिसका (गहन और बारिश की दुआ) के अगर चार मुक़्तदी हों तो हनफ़ीया (रह.) के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है, ख़्वाह (अफ़राद) पहले से जमा हों या उन्हें बुलाया गया हो और तीन में इख़्तिलाफ़ है और दो में कराहत नहीं है।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-299)

## दसवाँ बाब

### खत्म के दिन मुस्तलिफ़ रिवाज के ब्यान में

#### कौन सी तारीख में खत्म करें

सही मज़हब के बमोजिब माहे रमज़ान में एक मरतबा खत्म करना सुन्नत है, नीज़ सत्ताईसवीं शब में खत्म करना मुस्तहब है। (अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-116)

सत्ताईसवीं शब में खत्म करना अफ़ज़ल व मुस्तहब है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-355)

#### खत्म के दिन तीन मरतबा कुलहुवल्लाह पढ़ना कैसा है?

सवाल: बाज़ हुफ़ाज़ खत्म के दिन सूरए इख़्लास को तीन मरतबा पढ़ते हैं, क्या ये जाइज़ है, अगर नहीं है तो कराहत की क्या वजह है तकरारे सूरत या रिवाज?

जवाब: तीन मरतबा "कुलहुवल्लाह" का पढ़ना मकरूह नहीं है, मगर उसको लाज़िम समझना मकरूह है। इस पर इल्तिज़ाम न होना चाहिए, ये इल्तिज़ाम व इसरार जो लोगों ने इख़्तियार कर लिया है ये भी कराहत की मुस्तकिल दलील है कि अवाम ने उसको लाज़िमे खत्म (ज़रूरी) समझ लिया है, जैसा कि तर्ज़ से जाहिर है, लिहाज़ा मकरूह है। न ये कि इआदए सूरत फ़ी नफ़िसही मकरूह है। इआदए सूरत ख़्वाह फ़ी नफ़िसही जाइज़ हो या मकरूह लेकिन ये रस्म काबिले तर्क है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-290, 291 व हाशिया इमदादुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-292)

### सूरए इरज़ास के बारे में मौलाना धानवी का फ़तावा

सवाल: "कुलहुवल्लाह" का तीन मरतबा आखिरी तरावीह में पढ़ना कैसा है? कराहत की क्या वजह है, यानी मुकर्रर पढ़ने की वजह से कराहत है या रिवाज की वजह से?

जवाब: आलमगीरी की रिवायत से मालूम होता है कि तकरारे सूरत और तकरारे आयत एक हुकम में हैं और नवाफ़िल में आयत को मुकर्रर पढ़ने में कराहत नहीं है। "الَّذِي يُضَلِّي وَحْدَهُ" से मुक़ैयद किया है जिससे वाजेह होता है कि नवाफ़िल में सूरत को मुकर्रर पढ़ने से कराहत न होने में भी वही नवाफ़िल मुराद हैं जो तन्हा पढ़े जाएँ। और नमाजे तरावीह जो फ़राइज़ की तरह जमाअत से पढ़ी जाती है वह फ़र्ज़ के हुकम में है, लिहाज़ा फ़र्ज़ की तरह तरावीह में भी सूरत की तकरार मकरूह होगी। अलावा बरी ये इल्तिज़ाम व इसरार जो लोगों ने इख़्तियार कर लिया है ये भी कराहत की मुस्तक़िल दलील है, पहली दलील का मुक्तज़ा कराहते तंज़ीही है और दूसरी का कराहते तहरीमी है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-493)

### बाज़ सूरतों के बाद ग़ैर कुरआनी अलफ़ाज़ पढ़ना कैसा है?

सवाल: नमाजे तरावीह में हाफ़िज़ साहब बाज़ सूरतों के इख़्तताम पर नमाज़ ही में बाज़ अलफ़ाज़े ग़ैर कुरआनी अरबी में पढ़ते हैं, मसलन सूरए मुरसलात की आखिरी आयत "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" के बाद "أَمَّا بِاللَّهِ" कहते हैं इससे नमाज़ फ़ासिद होती है या नहीं?

जवाब: अहनाफ़ इस किस्म की दुआओं को नमाज़ में पढ़ने को मना फ़रमाते हैं, लेकिन अगर नवाफ़िल में ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-278, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-509 बाब सिफ़तुस्सलात)

### ख़त्म पर दूसरी आयतों का पढ़ना कैसा है?

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में ख़त्मे कुरआन में हाफ़िज़ साहब उन्नीस रकअतों में कुरआन पाक ख़त्म करते हैं और बीसवीं रकअत में "الْم" से "مُفْلِحُونَ" तक पढ़ कर उसी रकअत में ये आयात पढ़ते हैं—  
 "إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
 "دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ الْخ" और "الْمُحْسِنِينَ"  
 पढ़ कर रुकूअ करते हैं ये जाइज़ है या बिदाअत?

जवाब: ये तो बाज़ रिवायात में आया है कि ख़त्मे कुरआन के बाद "الْم" से शुरू कर के चंद आयात मसलन "مُفْلِحُونَ" तक पढ़ दिया जाए और फुकहा ने भी इसकी इजाज़त दी है और ये मुस्तहब है और इसके अलावा दीगर आयात का उस वक़्त पढ़ना मनकूल नहीं है, लिहाज़ा उसका तर्क कर देना मुनासिब है। फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-265 हाशिया पर दुर्रेमुख्तार के हवाला से इस सूरत को मकरूह बताया है और लिखा है कि बीस रकअत में फ़ातिहा के बाद सूरा बकरा का कुछ हिस्सा मुफ़िलहून तक पढ़े क्योंकि आप का फ़रमान है—

"خَيْرَ النَّاسِ الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ أَى الْحَاتِمُ الْمُفْتَحُ"

लोगों में सब से बेहतर वह है जो ठहर कर फिर आगे चल पड़े, यानी कुरआन ख़त्म कर के फिर शुरू कर दे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-265)

### खत्म के दिन 'मुफिलहून' तक पढ़ना कैसा है?

सवाल: हजरत मौलाना अब्दुलहई साहब (रह.) ने तरावीह में "مُفْلِحُونَ" तक खत्म करने को जाइज़ लिखा है, यानी जब कुरआन शरीफ खत्म करे तो आखिरी रकअत में "الْم" से "مُفْلِحُونَ" तक पढ़े। और फ़तावा आलमगीरी में भी तरतीब खत्म की मुफिलहून तक लिखी है?

सही इस बारे में क्या है। और एक आयत से दूसरी तरफ़ मुन्तक़िल होने का क्या हुकम है। बाज़ लोगों ने मुफिलहून तक पढ़ने को मकरूह कहा है?

जवाब: जो कुछ मौलाना अब्दुलहई साहब ने इस बारे में लिखा है वही सही है, फुक़हाए अहनाफ़ ने भी खत्म में सिर्फ़ इसी को मुस्तहब लिखा है कि सूरए बकरा की शुरु की आयात पर खत्म करे। क्योंकि ये हदीस से साबित है इसके अलावा मुतफ़रि़क़ जगह से आयतों के पढ़ने को मकरूह लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-260, बहवाला शरह मुनया कबीरी व रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-510 बाब सिफ़तुस्सलात)

### खत्म के दिन किस तरह पढ़ें?

सवाल: तरावीह में खत्म कुरआन के मौक़ा पर आखिरी दो रकअतों में से पहली रकअत में सूरए फ़लक़ और दूसरी रकअत में सूरए नास और अलिफ़-लाम-मीम से मुफिलहून तक सूरए फ़ातिहा से पढ़ते हैं क्या इसका सुबूत है?

जवाब: तरावीह में खत्म कुरआन के वक़्त उन्नीसवीं रकअत में सूरए फ़ातिहा मुऔवज़तैन, सूरए फ़लक़ और सूरए नास पढ़ना और बीसवीं रकअत में सूरए फ़ातिहा



और सूरए बकरा का कुछ हिस्सा (मुफिलहून तक) पढ़ना मुस्तहब है, ये हदीस से भी साबित है आपका इरशाद है—  
 “..... خَيْرُ النَّاسِ الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ أَى الْخَاتِمِ الْمَفْتِيحِ.....” तर्जुमा: लोगों में सब से बेहतर वह है जो ठहर कर फिर आगे चल पड़े, यानी कुरआन खत्म कर के फिर शुरू करे। ये जो बाज़ जगह रिवाज है बीसवीं रकअत में तीन मरतबा सूरए इखलास, सूरए नास और सूरए बकरा मुफिलहून तक और दूसरी दुआएँ पढ़ते हैं ये सही तरीका से साबित नहीं है।

(फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-384)

### हजरत मौलाना मुपती किफायतुल्लाह साहब का फतवा

खत्मे कुरआन मजदी के बाद सूरए बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़ना मसनून है, ख्वाह बीसवीं रकअत में सूरए नास के बाद पढ़ ले या उन्नीसवीं रकअत में नास तक पढ़ कर बीसवीं में आखिर से पढ़ ले। बीसवीं रकअत में अलहम्दु और मुऔवज़तैन पढ़ कर फिर सूरए फ़ातिहा पढ़ना और अलिफ़लाममीम की आयतें पढ़ना नहीं चाहिए, यानी अलहम्दु की तकरार के कोई माना नहीं हैं।

(किफायतुलमुपती जिल्द-3 सफ़हा-348)

### सुन्नत वा नवाफ़िल के बाद दुआ इन्फ़रादी तौर पर है या इज्तिमाई तौर पर

सवाल: सुन्नत और नवाफ़िल के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं? या सलाम फेर कर चला जाना चाहिए, अगर कोई शख्स सुन्नत व नवाफ़िल के बाद दुआ न करे और यूँ ही चला जाए तो काबिले मलामत है या नहीं?

जवाब: फ़राइज़ के बाद दुआ कर के मुतफ़रिक् हो जाना चाहिए, सुन्नत व नवाफ़िल के बाद इज्तिमाअन दुआ

का पाबंद मुक्तदी को न करना चाहिए। फ़राइज़ के बाद कोई शख्स मसलन घर जा कर सुन्नतें पढ़ना चाहता है तो उसको क्यों पाबंद किया जाए।

अलगरज़ जो ऐसा करे वह मलामत के लाइक नहीं है। सुन्न व नवाफ़िल के बाद बतौर ख़ुद हर एक शख्स जिस वक़्त फ़ारिग़ हो दुआ कर के चला जाए, या फ़राइज़ के बाद घर जा कर सुन्न पढ़े इसमें कोई तंगी न होनी चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-212)

### ख़त्मे कुरआन के बाद दुआ

**सवाल:** जमाअत के साथ कुरआन ख़त्म होने के वक़्त दुआ मकरूह है इस वास्ते कि इस तरह दुआ करना रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से मनकूल नहीं है क्या ये सही है?

**जवाब:** सही ये है कि ख़त्मे कुरआन के बाद और हमेशा नमाज़े तरावीह के बाद दुआ मसनून व मुस्तहब है, और हदीस में है कि ये वक़्त इजाबते दुआ का है, इसलिए हमारे अकाबिर और मशइख़ का मामूले दुआ बाद तरावीह और बाद ख़त्मे कुरआन है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-271, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़हा-88)

हज़रत अरबाज़ बिन सारिया (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया— जो बंदा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े और उसके बाद दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह जो आदमी कुरआन मजीद ख़त्म करे और दुआ करे तो उसकी दुआ भी कबूल होगी।

(मआरिफ़ुल हदीस जिल्द-5 सफ़हा-138)

### तरावीह और वित्र के बाद दुआ करना कैसा है?

**सवाल:** नमाज़े तरावीह के बाद दुआ मांगना जाइज़

है या नहीं? और रमज़ान शरीफ़ में वित्र पढ़ कर दुआ मांगना साबित है या नहीं?

जवाब: तरावीह के ख़त्म पर दुआ मांगना दुरुस्त और मुस्तहब है और सलफ़ व ख़लफ़ का मामूल है, फिर वित्र के बाद दुआ ज़रूरी नहीं है, एक बार काफ़ी है, यानी ख़त्मे तरावीह के बाद।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-253)

### सलाम के बाद बग़ैर दुआ के मुक्तदी जा सकता है

सवाल: मुक्तदी को इमाम की दुआ का साथ देना चाहिए या वक़्त का लिहाज़ रखा जाए?

जवाब: अगर मुक्तदी को कुछ ज़रूरत है और कोई ज़रूरी काम है तो सलाम के फ़ौरन बाद चले जाने में कुछ गुनाह नहीं है और उस पर तअन न करना चाहिए और अगर दुआ के ख़त्म का इतिज़ार करे और इमाम के साथ दुआ में शरीक हो तो ये अच्छा है और इसमें ज़्यादा सवाब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-103, बहवाला दुर्रमुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-495 बाब सिफ़तुस्सलात)

### नमाज़ के बाद दुआ आहिस्ता मांगने या ज़ोर से?

सवाल: फ़र्ज़ नमाज़ बाजमाअत के बाद दुआ आहिस्ता मांगे या ज़ोर से, अगर आहिस्ता का हुक्म है तो किस क़दर और अगर ज़ोर से मांगने का हुक्म है तो किस क़दर, दोनों में कौन सा अफ़ज़ल तरीका है?

जवाब: आहिस्ता दुआ करना अफ़ज़ल है। नमाज़ियों का हरज न होता हो तो कभी कभी ज़रा आवाज़ से दुआ कर ले तो जाइज़ है हमेशा ज़ोर से दुआ करने की आदत

बनाना मकरूह है। दुआओं की रिवायतों से भी जेहर साबित नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-183)

### **इमाम अगर जोर से दुआ करे तो अपने लिए अल्फ़ाज़ को खास न करे**

इमाम दुआ के अल्फ़ाज़ को अपने साथ मख़सूस न करे और अगर वह दुआ को जोर से कर रहा है जैसे कि ऐ अल्लाह मुझ पर और नबी करीम (स.अ.व.) पर रहम फ़रमा और मेरे साथियों में से किसी पर रहम न करना।

इस किस्म की दुआ करना ख़्यानत है, अहादसी में जो मुन्फ़रिदन अल्फ़ाज़ आए हैं वह इसमें दाख़िल नहीं हैं क्योंकि नमाज़ में जो इमाम से फ़ाएदा पहुंचता है उसमें मुक्त्तदियों को भी हिस्सा मिलता है, क्योंकि इमाम मुक्त्तदियों का नुमाइंदा होता है। और अगर आहिस्ता दुआ कर रहे हैं तो इमाम को इजाज़त है कि अपने लिए खास दुआ करे (औरों के लिए बददुआ न करे) क्योंकि मुक्त्तदी भी अपने लिए दुआ कर रहे हैं, इस तरह नफ़से दुआ में सब शरीक हो जाएंगे।

(मआरिफ़े मदनीया जिल्द-6 सफ़हा-100)

### **क्या दुआ नमाज़ का जुज्व है?**

**सवाल:** इमाम को दुआ आहिस्ता मांगना चाहिए या बुलंद अवाज़ से नीज़ दुआ नमाज़ का जुज्व है या नहीं?

**जवाब:** दुआ आहिस्ता मांगना अफ़ज़ल है, अगर दुआ की तालीम मख़सूद हो तो बुलंद अवाज़ में भी मुज़ाएका नहीं, मगर इस बुलंद अवाज़ से दूसरे नमाज़ियों की नमाज़ में ख़लल न हो। नमाज़ सलाम पर ख़त्म हो जाती है उसके बाद दुआ नमाज़ का जुज्व नहीं है।

(फतावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-173)

### दुआ के वक़्त निगाह कहां रखी जाए

दुआ मांगने के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़र उठाना और तकना दुआ की वह नापसंदीदा सुरत है जिससे आँहज़रत (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है, इसलिए कि ये सुरत अल्लाह के अदब व एहतेराम और दुआ मांगने वाले के लिए मुनासिब नहीं है। हो सकता है ये हरकत बेअदबी या गुस्ताखी बन कर दुआ को क़बूलियत से महरूम कर दे इसलिए इससे बचना चाहिए। (हिस्ने हसीन सफ़हा-27)

### दुआ यकीन के साथ करनी चाहिए

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया कि जब अल्लाह से मांगो और दुआ करो तो इस यकीन के साथ करो कि वह ज़रूर क़बूल फ़रमाएगा और जान लो और याद रखो अल्लाह उसकी दुआ क़बूल न करेगा जिसका दिल (दुआ के वक़्त) अल्लाह से गाफ़िल और बेपरवाह हो।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-5 सफ़हा-123, बहवाला जामेअ तिरमिज़ी व सहीह बुख़ारी व मुस्लिम)

आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया हमारी दुआएँ उस वक़्त काबिले क़बूल होती हैं जब तक जल्दबाज़ी से काम न लिया जाए और जल्द बाज़ी ये है कि बंदा ये कहने लगे कि, मैंने दुआ की थी मगर क़बूल ही नहीं हुई है।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-5 सफ़हा-125)

### दुआ का तरीका

आँहज़रत (स.अ.व.) का फ़रमान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) नक़ल करते हैं कि आप (स.अ.व.) ने

फरमाया— अल्लाह से इस तरह हाथ उठा कर मांगा करो कि हथेलियों का रुख सामने हो, हाथ उलटे कर के न मांगा करो। और जब दुआ कर चुको तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो।

आँहज़रत (स.अ.व.) का दस्तूर था कि जब आप (स.अ.व.) हाथ उठा कर दुआ मांगते तो आखिर में अपने हाथ चेहराए मुबारक पर फेर लेते थे।

(मआरिफ़लहीदस जिल्द—5 सफ़हा—131)

### दुआ में हाथ कहां तक बलंद करें?

एक शख्स को दुआ में सीना से ऊपर हाथ उठाता हुआ देख कर हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) ने बिदअत होने का फ़तवा दिया। दलील में फ़रमाया कि आँहज़रत (स.अ.व.) को दुआ के वक़्त सिवाए किसी खास मौक़ा पर सीने से ऊपर तक उठाते नहीं देखा। इससे मालूम हुआ कि हाथ को बिला वजह बाज़ हज़रात सीने से ऊंचा कर लेते हैं, ये ख़िलाफ़े सुन्नत है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द—1 सफ़हा—306, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़हा—196)

### दुआ के बाद आमीन कहना

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक रात हम रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथ बाहर निकले, हमारा गुज़र अल्लाह के एक नेक बंदा पर हुआ जो बड़ी इल्तिजा के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहा था। आँहज़रत (स.अ.व.) खड़े हो कर उसकी दुआ और अल्लाह के हुज़ूर में उसका मांगना, गिड़गिड़ाना सुनने लगे, फिर आप (स.अ.व.) ने हम लोगों से फ़रमाया अगर उसने दुआस का खात्मा सही किया और मुहर ठीक लगाई तो जो उसने मांगा उसका

फ़ैसला करा लिया। हम में से एक ने पूछा हुजूर सही खात्मा का और मुहर लगाने का तरीका क्या है? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया आखिर में आमीन कह कर दुआ खत्म करे (तो अगर उसने ऐसा किया तो बस अल्लाह से तय करा लिया)। (मआरिफ़ूल हदीस जिल्द-5 सफ़हा-133)

### दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना कैसा है?

सवाल: दुआ खत्म करने के बाद हाथ मुंह पर फेरते हैं। मुंह पर हाथ फेरने की क्या वजह है?

जवाब: दुआ के खत्म के बाद मुंह पर हाथ फेर लेना दुरुस्त और साबित है और हुसूले बरकत के लिए ये फेल किया जाता है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-210)

### माहे रमज़ान में मस्जिद को सजाना

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में शब को ज़रूरत से ज़ाएद चराग़ वगैरा से रौशनी करते हैं और उसको ज़्यादा सवाब का काम समझते हैं। इसका क्या हुक्म है?

जवाब: रमज़ानुलमुबारक में तरावीह के वक्त नमाज़ी हमेशा से ज़ाएद होते हैं, उनकी राहत व सहूलत के लिहाज़ से हस्बे ज़रूरत रौशनी में कुछ इज़ाफ़ा किया जाए तो जाइज़ और मुस्तहब है। हाँ सिर्फ़ मस्जिद की रौनक अफ़ज़ाई के लिए हद से ज़ायद रौशनी करना नाजाइज़ और सख्त मना है कि इसमें फुजूल खर्ची के साथ साथ दीवाली (हिन्दुस्तानी तेवहार) से मुशाबहत होती है। और मजूसियों के शिआर का इज़हार और उसकी ताईद लाजिम आती है। मस्जिद तमाशागाह बन जाती है। ख़िलाफ़े शरअ उमूर से मस्जिद की रौनक नहीं बढ़ती, बल्कि बेहुरमती होती है। मस्जिद की जीनत और

रौनक उसकी सफाई, खुशबू, नीज़ नमाज़ियों की ज्यादती, अच्छी पौशाक पहन कर, खुशबू लगा कर, खुशूअ व खुजूअ से नमाज़ पढ़ने और बाअदब बैठने में है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-160)

### ख़त्मे कुरआन की शब में हाफ़िज़ को हार पहनाना

**सवाल:** हमारी मस्जिद में जिस रात तरावीह में ख़त्म होता है उसी रात हाफ़िज़ साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए फूलों का हार पहनाया जाता है, ये फ़ेल कैसा है क्या इसका किसी किताब से सुबूत है? मैं हाफ़िज़ हूँ और इमसाल मैंने तरावीह पढ़ाई है और एतेकाफ़ भी किया है मुझे ये पसंद नहीं है, क्या मैं ये कह दूँ कि हार पहनने से मेरा एतेकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। इस तरह झूठी बात कह कर हार पहनने से इनकार कर सकता हूँ या नहीं?

**जवाब:** ख़त्मे कुरआन की शब में हाफ़िज़ को फूलों का हार पहनाया जाता है, ये रिवाज बुरा और काबिले तर्क है, और इसमें इस्साफ़ भी है अगर, हाफ़िज़ की इज़्ज़त अफ़ज़ाई मक्सूद है तो उनको अरबी रूमाल या शाल क्यों नहीं पहनाते? आप हार पहनना नहीं चाहते तो उसके लिए झूट बोलने की इजाज़त नहीं, बल्कि साफ़ साफ़ कह दिया जाए कि हमें ये रिवाज पसंद नहीं है और ये ख़िलाफ़े शरअ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-426)

### तरावीह ख़त्म होने पर मिठाई तक़सीम करना

**सवाल:** (1) रमज़ानुलमुबारक में तरावीह ख़त्म होने पर शीरीनी तक़सीम करना कैसा है?

(2) क्या शीरीनी सिर्फ़ एक ही तरफ़ से होनी चाहिए



और मिठाई मस्जिद में तक्सीम कर सकते हैं?

**जवाब:** मिठाई तक्सीम करना ज़रूरी नहीं है, लोगों ने इसे ज़रूरी समझ लिया है और बड़ी पाबंदी के साथ अमल किया जाता है। लोगों को चंदा देने पर मजबूर किया जाता है। मसिज्दों में बच्चों का इज्तिमा और शोर व गुल वगैरा खराबियों के पेशे नज़र इस दस्तूर को मौकूफ़ कर देना ही बेहतर है। इमामे तरावीह या और कोई ख़त्मे कुरआन की खुशी में कभी कभी शीरीनी तक्सीम करे और मस्जिद की हुंरमत का लिहाज़ा रखा जाए तो दुरुस्त है। मस्जिद का फ़र्श ख़राब न हो, खुश्क चीज़ हो और मस्जिद की बेहुंरमती लाज़िम न आए तो दुरुस्त है। बेहतर ये हे कि दरवाज़े पर तक्सीम किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-389)



## ग्याटहवों बाब

### इशा की नमाज़ के मसाइल

#### अगर किसी ने बगैर वुजू इशा की नमाज़ पढ़ी

अगर किसी शख्स ने इशा की नमाज़ बगैर वुजू के पढ़ी थी और तरावीह और वित्र वुजू से पढ़े तो इशा के साथ तरावीह का इआदा कर ले, और वित्र का इआदा न करे इसलिए कि तरावीह इशा के ताबेअ है। इमाम आजम (रह.) के नज़दीक वित्र अपने वक़्त में इशा के ताबेअ नहीं है और इशा की नमाज़ का उस पर मुक़दम करना तरतीब की वजह से वाजिब है और भूलने के उज़र से तरतीब साक़ित हो जाती है। पस अगर भूल कर वित्र इशा से पहले पढ़ ले तो सही हो जाएंगे और तरावीह अगर इशा से पहले पढ़ी तो सही न होगी इसलिए कि तरावीह का वक़्त इशा के अदा होने के बाद है, पस जो इशा से पहले अदा किया उसका एतेबार नहीं होगा।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दिया जिल्द-1 सफ़हा-185)

#### इशा के फ़र्ज़ बेवुजू पढ़े और सुन्नत व वित्र बावुजू तो क्या सुन्नतों का इआदा करे?

सवाल: अगर इशा के फ़र्ज़ भूल कर बेवुजू पढ़ लिए और सुन्नत और वित्र बावुजू और वक़्त के अन्दर अन्दर याद आ जाएँ तो फ़रज़ों के साथ सुन्नतों का इआदा

करना चाहिए न वित्र का, इमाम साहब के नजदीक और साहिबैन (इमाम मुहम्मद व इमाम अबू यूसुफ) के नजदीक वित्र का भी इआदा करेगा इसकी क्या वजह है?

जवाब: ये मस्अला वक़्त के अन्दर पढ़ने का है और वजह सुन्नतों के लौटाने की और वित्र को न लौटाने की इमाम साहब अबूहनीफ़ा (रह.) के नजदीक ये है कि इशा के फ़र्ज न हुए तो फ़र्ज के इआदा के साथ सुन्नतों का भी इआदा करे, क्योंकि सुन्नतें फ़र्ज के ताबेअ हैं। और वित्र चूँकि मुस्तकिल वाजिब है और वह वुजू से हुए लिहाजा उसके इआदा की ज़रूरत नहीं है। और साहिबैन चूँकि वित्र को सुन्नत फ़रमाते हैं इसलिए वह फ़र्ज के साथ वित्र के इआदा का भी हुक़्म करते हैं। और सूरत इस मस्अला की ये है कि नमाज़ के बाद वक़्त के अन्दर याद आ गया और अगर वक़्त गुज़र जाने के बाद याद आया तो सिर्फ़ इशा के फ़र्ज पढ़ ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-64, बहवाला हिदाया बाब कजाउलफ़वाइत जिल्द-1 सफ़हा-139)

### बिला ज़रूरत लुक्मा देना

सवाल: इमाम तीसरी रकअत के बाद चौथी रकअत के लिए खड़ा हुआ, एक मुक्त्तदी ने ये ख्याल करते हुए कि चार रकअतें हो गई हैं "سبحان الله" कह कर इमाम को बिठाना चाहा, मगर चूँकि इमाम को यकीन था इसलिए उसने मुक्त्तदी की बात की तरफ़ तवज्जोह न की और चौथी रकअत पढ़ कर नमाज़ पूरी की। इस सूरत में उस मुक्त्तदी की जिसने बिला ज़रूरत लुक्मा दिया नमाज़ हुई या नहीं?

जवाब: सूरते मस्कूला में "سبحان الله" कहना इमाम को बतलाने की वजह से है और खुद कलामे नास नहीं है, लिहाजा इमाम व मुक़्तदी दोनों की नमाज़ सही हो गई।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-452)

**कोई नफ़ल की नीयत से इशा की नमाज़ पढ़ कर जमाअत में शामिल हुआ**

सवाल: अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ अदा कर चुका, फिर जमाअत होते देखी तो उसमें शामिल हो गया अब वह सुन्नत या वित्र लौटाए या नहीं?

जवाब: सुन्नत और वित्र न पढ़े, चूँकि वह पहले अदा कर चुका है और ये नफ़ल के हुक्म में है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-320)

**इशा की नमाज़ की सिर्फ़ एक रकअत मिली तो बकिया किस तरह पूरी करे?**

सवाल: तीन रकअत पूरी हो जाने के बाद एक शख्स इमाम के पीछे नमाज़ में शामिल हुआ, वह इमाम के सलाम के बाद बकिया नमाज़ किस तरह पूरी करे? यानी किस किस रकअत में सुरए फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाएगा और किस रकअत पर कअदा करेगा?

जवाब: इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो कर सना पढ़े और फिर अऊज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ कर सुरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े और रुकूअ सज्दा कर के कअदा करे, दूसरी रकअत में भी सुरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े मगर उस रकअत के बाद कअदा न करे और तीसरी रकअत में सिर्फ़ सुरए फ़ातिहा पढ़े और फिर दस्तूर के

मवाफिक कअदए अखीरा कर के नमाज़ पूरी करे।

(फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-344)

### तीन रकअत पढ़ कर सज्दए सहव कर लिया तो

#### क्या नमाज़ हो गई?

सवाल: इमाम साहब इशा की नमाज़ में तीन रकअत पर सहवन बैठ गए, इस ख्याल से कि चार पूरी हो गईं लेकिन उनको फौरन यकीन हो गया कि तीन रकअत हुई हैं उन्होंने अत्तहीयात को पूरा कर के सज्दए सहव किया और तीन ही रकअत पर सलाम फेर दिया, नमाज़ हो गई या नहीं? अगर किसी ने अपनी नमाज़ दुहराई तो अच्छा हुआ या नहीं?

जवाब: (1) इस हालत में नमाज़ नहीं हुई।

(2) नमाज़ का दुहराना सब पर ज़रूरी है जिसने तन्हा दुहराई उसकी नमाज़ सही हो गई।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-61, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-693 बाब सजुदुस्सहव, बाबुलइमात)

### इशा की तीसरी रकअत पर सहवन बैठना

सवाल: इमाम साहब इशा की तीसरी रकअत पर सहवन बैठ गए, मुक़तदी के अलहम्दुल्लिहाह कहने पर फौरन खड़े हो गए और बैठने में शक की वजह से और अलहम्दुल्लिहाह कहने की वजह से कुछ नहीं पढ़ा था बाद में सज्दए सहव नहीं किया नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाब: अगर बैठना बहुत ही कम हुआ, देर तक नहीं बैठा तो सज्दए सहव वाजिब नहीं था नमाज़ हो गई।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-414)

## इशा की तीन रकअत पर सलाम फेरने के बाद एक रकअत और मिला ली

**सवाल:** इमाम साहब तीन रकअत पढ़ कर सहवन सलाम फेर कर किब्ला रुख बैठे रहे। मुक्तदियों में तजकिरा हुआ कि तीन रकअत हुई, ये सुन कर इमाम साहब अल्लाहुअकबर कह कर खड़े हो गए और चौथी रकअत पूरी कर के सज्दए सहव कर के सलाम फेरा, क्या नमाज़ इमाम साहब और मुक्तदियों की हुई या नहीं?

**जवाब:** अगर इमाम साहब कुछ नहीं बोले थे तो उनकी नमाज़ हो गई और मुक्तदियों में जो नहीं बोले उनकी भी नमाज़ हो गई और जो मुक्तदी बोले उनकी नमाज़ नहीं हुई वह अपनी अपनी नमाज़ का इआदा कर लें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-410, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-691)

अगर इमाम भूल कर पहली या तीसरी रकअत में बैठ गया, पीछे से किसी मुक्तदी ने लुक्मा दिया या खुद ही याद आया तो इमाम को खड़े होते वक्त तकबीर कहते हुए खड़ा होना चाहिए। (मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-71, बहवाला कबीरी सफ़हा-313)

## जो पाँचवीं रकअत में शामिल हो उसकी नमाज़ हुई या नहीं?

**सवाल:** इमाम साहब पाँचवीं रकअत में खड़े हो गए और छः रकअत पूरी कर के सज्दए सहव कर के सलाम फेर दिया। पाँचवीं रकअत में एक आदमी और शरीक हो गया तो उसकी नमाज़ हुई या नहीं?

**जवाब:** इमाम अगर चौथी रकअत में बकद्रे तशहहुद

बैठ कर सहवन खड़ा हो गया और पाँचवीं रकअत का सज्दा भी कर लिया तो छटी रकअत और मिला ले और सज्दए सहव करे, फर्ज उसके पूरे हो गए। अगर कोई शख्स पाँचवीं या छटी रकअत में उस इमाम का मुक्तदी हुआ तो मुक्तदी की नमाज़ न होगी, क्योंकि इमाम की वह दो रकअत नफल है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-411, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-701, बाब सुजूदुस्सहव)

### इशा की पाँच रकअत पढ़ने का क्या हुक्म है?

सवाल: इशा की नमाज़ में चार रकअत होने पर इमाम साहब को ये ख्याल रहा कि तीन रकअत हुई हैं इसलिए खड़े हो गए, बाज़ मुक्तदी बैठ गए और इमाम साहब को इशारा किया मगर इमाम साहब नहीं बैठे, बल्कि पाँचवीं रकअत का रुकूअ सज्दा कर के और सज्दए सहव कर के नमाज़ खत्म की इस सूरत में इमाम साहब की नमाज़ हुई या नहीं और जो मुक्तदी कअदए अखीरा की गरज़ से औवल बैठ गए थे और फिर इमाम साहब के साथ पाँचवीं रकअत के रुकूअ में शामिल हो गए उनकी भी नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाब: इमाम साहब जब कि चौथी रकअत में न बैठे और पाँचवीं रकअत में खड़े हो कर सज्दा कर के बैठे तो कअदए अखीरा के फौत हो जाने की वजह से इमाम साहब की नमाज़ नहीं हुई, जब इमाम साहब की नमाज़ नहीं हुई तो मुक्तदियों में से किसी की नमाज़ नहीं हुई न मस्बूक की न मुदरिक की। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-405, बहवाला हिदाया बाब सज्दुस्सजूद जिल्द-1

सफ़हा-142)

### इमाम अगर भूल कर दो रकअत पर सलाम फेर दे?

**सवाल:** इमाम ने पहले कअदा में भूल कर दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया तो अब बाकी नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं और दोनों सलाम फेरने से नमाज़ हो जाती है या नहीं?

**जवाब:** सहवन दोनों तरफ़ सलाम फेर देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, बाकी रकअत पढ़ कर आखिर में सज्दए सहव करे। नमाज़ सही हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिब्द-4 सफ़हा-412, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-575)

### इशा की नमाज़ में किराअत अगर आहिस्ता करे तो उसका

#### क्या हकम है?

**सवाल:** इमाम साहब ने जेहरी नमाज़ में किराअत आहिस्ता की, बाद में इमाम साहब को याद आया कि नमाज़ जेहरी है, वह थोड़ी सी किराअत कर चुके थे उन्होंने फिर शुरू से ही पढ़ा तो उनकी नमाज़ हो गई या नहीं? सज्दए सहव करें या नहीं? और अगर सज्दए सहव भी नहीं किया तो नमाज़ हो गई या नहीं?

**जवाब:** उनकी नमाज़ हो गई, लौटाने की ज़रूरत नहीं और बकद्रे तीन आयत के अगर आहिस्ता पढ़ी थी तो सज्दए सहव लाज़िम है, वरना नहीं। और बावजूद सज्दा के अगर सज्दए सहव न किया तो नमाज़ में नुकसान आया लौटाना वाजिब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिब्द-4 सफ़हा-208)

### इशा की आखिरी रकअतों में जेहर करने से सज्दए सहव

**सवाल:** अगर इमाम इशा की आखिरी रकअतों में



किराअत ज़ोर से कर ले तो सज्दए सहव वाजिब है या नहीं?

जवाब: इस सूरत में सज्दए सहव लाजिम होगा जैसा कि शामी में लिखा है कि इशा की आखिरी दो रकअतों में अगरचे किराअत वाजिब नहीं लेकिन अगर किराअत करे तो आहिस्ता पढ़ना लाजिम है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-389, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-497, फ़स्ल फ़िलकिरात)

### **इशा की कज़ा में किराअत कैसे करे?**

सवाल: इशा की कज़ा में ज़ोर से किराअत कर सकता है या नहीं?

जवाब: अगर उन्ही औकात में कज़ा करे तो ज़ोर से पढ़ सकता है, अगर दिन को कज़ा करे तो नहीं कर सकता। (ये हुक्म मुन्फ़रिद के लिए लिखा गया है।)

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-345, बहवाला दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-497 फ़स्ल फ़िलकिराअत)

### **इशा की नमाज़ में कअदए ऊला सहवन छूट गया फिर खड़े होने के बाद लौटा**

सवाल: तीन या चार रकअत वाली फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ में कअदए ऊला सहवन छूट जाने और सीधे खड़े हो जाने के बाद कयाम को (जो कि फ़र्ज़ है) तर्क कर के कअदा में (जो कि वाजिब है) बैठे तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं?

जवाब: कअदए ऊला छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाए या सीधे खड़े होने के करीब हो जाए फिर अत्तहीयात पढ़ने के लिए बैठे इससे फ़र्ज़ तर्क कर के वाजिब की तरफ़ लौटना लाजिम नहीं आता, मगर फ़र्ज़ की अदाएगी

में ताखीर लाजिम आती है जिसका तदारुक सज्दए सहव से हो जाता है, लिहाजा राजेह और हक ये है कि नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई, सज्दए सहव करना पड़ेगा, अलबत्ता ऐसा करना नहीं चाहिए। कस्दन करेगा तो गुनहगार होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-159, बहवाला दुर्मुख्तार मआ शामी जिल्द-1 सफ़हा-697 व फ़तहुलकदीर जिल्द-1 सफ़हा-445)

### इशा तन्हा पढ़ने के बाद जमाअत में शामिल हुआ तो क्या जमाअत वाली चार रकअत तरावीह में शुमार हो जाएगी

सवाल: रमज़ान में एक बीमार आदमी ने घर पर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ हिम्मत हुई तो मस्जिद में गया, जमाअत हो रही थी वह तरावीह की नीयत से इशा की जमाअत में शामिल हुआ, तो ये चार रकअत तरावीह में शुमार होंगी या नहीं?

(2) नीज़ क्या जमाअत वाली नमाज़ कज़ा में शुमार की जा सकेगी? अगर कज़ा की नीयत से शामिल हो तो वह सही है या नहीं?

जवाब: सही ये है कि तरावीह में शुमार नहीं होगी क्योंकि तरावीह का दर्जा अगरचे फ़र्ज़ों से कम है मगर वह एक मख़सूस और मुस्तक़िल सुन्नते मुअक्कदा है उसकी ख़ुसूसियत का लिहाज़ ज़रूरी है।

(2) सूरते मस्क़ला में कज़ा सही नहीं कि इमाम की नमाज़ वक्ती अदा है और मुक्तदी की कज़ा है, दोनों की नमाज़ सिफ़त में मुत्तहिद नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-395, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-557 बाबुलइमामत)

### अगर मस्बूक इमाम के साथ सलाम फेर दे

**सवाल:** जिसकी कुछ रकअत बाकी रह गई हों, अगर वह इमाम के साथ सहवन सलाम फेर दे तो सज्दए सहव लाज़िम होगा या नहीं?

**जवाब:** इमाम से अगर कुछ भी बाद में सलाम फेरा तो सज्दा मस्बूक पर लाज़िम हो जाता है। शामी में है कि इमाम के बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरना दुश्वार और शाज़ो नादिर है, इसलिए उमूमन वुजूबे सज्दए सहव का हुक्म किया जाता है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-399, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-560)

अगर भूल कर इमाम से पहले या बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरे तो उस पर सज्दए सहव लाज़िम नहीं है, लेकिन चूंकि हकीकी माना में साथ होना दुश्वार है इसलिए सज्दए सहव वाज़िब होने का हुक्म किया जाता है।

(हवाला मज़कूरा बाला)



## बारहवाँ बाब

### वित्र का सुबूत और मसाइल

#### वित्र के फजाइल व मसाइल

”عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَّافَةَ قَالَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَ كُمْ بِصَلَاةٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوَتُرُجَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يُطْلَعَ الْفَجْرُ“  
(رواه الترمذی و ابوداؤد)

हजरत खारजा बिन हुजाफा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (स.अ.व.) (काशानए नुबूवत से) बाहर तशरीफ लाए, हम से मुखातब हो कर फरमाया कि अल्लाह तआला ने एक और नमाज़ तुम्हें मज़ीद अता फरमाई है, वह तुम्हारे लिए सुख ऊंटों से भी बेहतर है (जिनको तुम दुनिया की अज़ीज़ तरीन दौलत समझते हो) वह नमाज़े वित्र है, अल्लाह तआला ने उसको तुम्हारे वास्ते नमाज़े इशा के बाद से तुलूए सुब्ह सादिक तक मुकरर किया है। यानी वह इस वसीअ वक़्त के हर हिस्सों में पढ़ी जा सकती है।

मआरिफुल हदीस जिल्द-3 सफ़हा-327 बहवाला जामेअ तिरमिज़ी व सुनन अबूदाऊद।

”عَنْ بَرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوَتْرُ حَقٌّ“

فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا أَلْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

(रवाहु अबूदाऊद)

हजरत बरीदा असलमी (रजि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से खुद सुना आप (स.अ.व.) ने फरमाया नमाज़े वित्र हक़ है, जो वित्र अदा न करे वह हम में से नहीं है, वित्र हक़ है जो वित्र अदा न करे वह हम से नहीं है, वित्र हक़ है जो वित्र अदा न करे वह हम में से नहीं है। ये बात आप (स.अ.व.) ने तीन दफ़ा इरशाद फरमाई। (सुनन अबूदाऊद)

तशरीह: ज़ाहिर है कि वित्र के बारे में तशदीद और तहदीद के ये आखिरी अलफ़ाज़ हैं, इस किस्म की हदीसों से हज़रत इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) ने ये समझा है कि वित्र सिर्फ़ सुन्नत नहीं है, बल्कि वाजिब है, यानी उसका दर्जा फ़र्ज़ से कम और मुअक्कदा सुन्नतों से ज़्यादा है।

(मआरिफ़ुल हदीस जिल्द-3 सफ़हा-328)

### वित्र वाजिब है और उसका तरीका

वित्र वाजिब है और उसकी तीन रकअतें हैं एक सलाम से और वित्र की हर रकअत में फ़ातिहा और सूरत पढ़े। वित्र की पहली दो रकअतों के आखिर में बैठ जाए और सिर्फ़ अत्तहीयात पढ़े और तीसरी रकअत के लिए खड़े होने के वक़्त "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" न पढ़े और जब तीसरी रकअत में सूरत के पढ़ने से फ़ारिग़ हो जाए तो दोनों हाथों को कानों के बराबर उठाए और रुकूअ से पहले दुआए कुनूत पढ़े, फिर रुकूअ कर के नमाज़ पूरी कर ले।

(नूरुलईज़ाह सफ़हा-93)

वित्र की नमाज़ तीन रकअत मिस्ले मगरिब के है

इसमें कअदए ऊला वाजिब है, लिहाजा अगर वित्र की नमाज़ में कअदए ऊला तर्क कर दिया तो सज्दए सहव वाजिब होगा। (मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-69, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-623).

### वित्र की इमामत

सवाल: क्या वित्र की नमाज़ का इमाम फ़र्ज नमाज़ के इमाम के अलावा हो सकता है?

जवाब: वित्र की जमाअत का इमाम फ़र्ज नमाज़ के इमाम के अलावा हो सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-158)

ये जो मशहूर है कि जो शख्स फ़र्ज नमाज़ पढ़ाए वही वित्र पढ़ाए, अगर दूसरा शख्स वित्र पढ़ाए तो जाइज़ नहीं, ये ग़लत है दूसरा शख्स वित्र पढ़ा सकता है दुरुस्त है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-328)

### अगर इमाम का मरुक रुकूअ के बाद कुनूत पढ़ने का हो तो मुक्तदी किया करे?

अगर वित्र किसी ऐसे शख्स के पीछे पढ़े जो रुकूअ के बाद खड़े हो कर कुनूत पढ़ता है और मुक्तदी का मज़हब ये नहीं हो तो मुक्तदी उसमें इमाम की मुताबअत करे। (तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-178)

### अगर रमज़ान शरीफ़ में तमाम लोगों ने तरावीह को तर्क कर दिया तो वित्र कैसे पढ़ें?

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में अगर इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी और तरावीह को तमाम आदमियों ने बिल्कुल तर्क कर दिया तो इस सूरत में वित्र बाजमाअत जाइज़ है या नहीं?

जवाब: दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-471 की इबारत से मालूम होता है कि लोगों का ये गिरोह वित्र भी अलाहिदा अलाहिदा पढ़े। (इमदादुलफतावा सफ़हा-456)

### फ़र्ज़ जमाअत से नहीं पढ़े तो क्या वित्र जमाअत से पढ़ सकता है?

सवाल: एक शख्स ने फ़र्ज़ अलाहिदा पढ़ी और तरावीह की तमाम या अक्सर रकआत इमाम के साथ अदा कीं या बिल्कुल न पढ़ीं, तीनों सूरतों में वित्र की जमाअत में शरीक हो सकता है या नहीं?

जवाब: तीनों सूरतों में वित्र की जमाअत में शरीक हो सकता है। तरावीह इमाम के साथ कुल या बाज़ न पढ़ने की सूरत में भी जमाअते वित्र में शरीक होने का जवाज़ दुर्रेमुख्तार में मज़कूर है, क्योंकि वित्र मुस्तकिल नमाज़ है न इशा के ताबेअ है न तरावीह के। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-155)

### इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाए और हाफ़िज़ तरावीह व वित्र

सवाल: इमाम साहब अगर इशा के फ़र्ज़ और वित्र पढ़ाएँ या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाएँ और हाफ़िज़ साहब तरावीह और वित्र पढ़ाएँ तो क्या हुक्म है?

जवाब: इसमें मुज़ाएफ़ा नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्ज़ नमाज़ और वित्र पढ़ाते थे और हज़रत उबैय बिन कअब (रज़ि.) तरावीह पढ़ाते थे। इसी तरह से इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाएँ और हाफ़िज़ साहब तरावीह और वित्र पढ़ाएँ तो इसमें भी कोई हरज नहीं।

(फतावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-394, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-74)

### रमजान के बाद वित्र की जमाअत दुरुस्त है या नहीं?

सवाल: रमजान के अलावा वित्र बाजमाअत पढी जाए तो कराहते तहरीमी होगी या तंजीही इसमें तदाई (बुलाना) और गौर तदाई (न-बुलाना) में फर्क होगा या नहीं?

जवाब: इत्तिफाकन कभी ऐसा हो जाए तो कराहते तंजीही है और अगर मुवाजबत (हमेशगी व पाबंदी) इस पर की जाए तो कराहते तहरीमी है। तदाई के साथ हो या बिला तदाई।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-223, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-663, बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

रमजान के अलावा अगर इत्तिफाकिया तौर पर एक या दो आदमी पीछे खड़े हो जाएँ तो कराहत नहीं है लेकिन अगर बाकाएदा दावत दे कर जमाअत की या इत्तिफाकिया तौर पर ही दो से ज़्यादा मुक्तदी हो गए तो मकरूह है। (अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-147)

### रमजान में वित्र बाजमाअत अफ़ज़ल है

रमज़ानुलमुबारक में वित्र बाजमाअत अदा करना अफ़ज़ल है और इस पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ है इसके अलावा में नहीं, क्योंकि वह एक तरह से नफ़ल है और तरावीह के अलावा नफ़ल की जमाअत नहीं बल्कि मकरूह है, लिहाज़ा एहतियात जमाअत न करने में है, अलबत्ता अगर नफ़ल में एक या दो की जमाअत हो तो कोई मुज़ाएका नहीं है। (अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-147)

### तहज्जुद गुज़ार फर्ज़ के साथ वित्र पढ़ सकते हैं या नहीं?

सवाल: जो नमाज़ी तहज्जुद गुज़ार हैं वह तहज्जुद के वक़्त वित्र अदा करते हैं, अगर वित्र पहले ही इशा के



वक्त पढ़ लें तो इसमें हरज है या नहीं? अक्सर आदमी कहते हैं कि वित्र के बाद सुबह तक कोई नमाज़ नहीं होती?

**जवाब:** इसमें कुछ हरज नहीं है कि जो लोग तहज्जुद गुज़ार हैं वह भी वित्र को इशा के बाद पढ़ लें, बल्कि ये अहवत है (ज़्यादा एहतियात इसी में है) फिर अगर उठें तो तहज्जुद पढ़ लें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-165, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-342 किताबुस्सलात)

ये बात ग़लत है कि वित्र के बाद फिर नफ़लें न पढ़ी जाएं, वित्र रमज़ान में जमाअत से पढ़े जाएं, क्योंकि जमाअत की फ़ज़ीलत ज़्यादा मुह्तमबिश़ान है वक्त की फ़ज़ीलत से। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-455)

### **कुछ तरावीह छूट जाने पर पहले तरावीह पूरी करे या वित्र?**

**सवाल:** तरावीह की चार रकअत होने के बाद एक शख्स आया और फ़र्ज पढ़ कर इमाम के साथ जमाअते तरावीह में शामिल हो गया। जब इमाम की तरावीह पूरी हो जाएं तो वह शख्स इमाम के साथ वित्र की जमाअत में शामिल हो या अपनी बकिया तरावीह पूरी करे?

**जवाब:** आलमगीरी में है कि ये शख्स वित्र की जमाअत में शरीक हो जाए और बाद में बकिया तरावीह पूरी कर ले। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-496)

### **वित्र पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि तरावीह की दो रकअत वाजिबुलइआदा हैं**

**सवाल:** रमज़ानुलमुबारक में तरावीह की बीस रकअत अदा होने और वित्र पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि तरावीह

की दो रकअत में गलती होने की वजह से वाजिबुलइआदा हैं, दो रकअत दुहराई गई। इस ख्याल से कि वित्र की नमाज़ तरावीह की बीस रकअत के बाद ही पढ़ी जा सकती है। लिहाज़ा वित्र की नमाज़ सही और मोतबर नहीं हुई। इसलिए वित्र दोबारा जमाअत से पढ़ी तो ये ठीक हुआ या नहीं?

**जवाब:** पहले पढ़ी हुई नमाज़े वित्र सही और मोतबर थी, दुहराने की ज़रूरत न थी, दुहराई तो ठीक नहीं हुआ। नूरुलइज़ाह से मालूम होता है कि वित्र को तरावीह से पहले पढ़ना भी सही है और बाद में भी पढ़ना सही है। लिहाज़ा तरावीह की बीस रकअत से पहले पढ़े हुए वित्र मोतबर और सही हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-157)

### वित्र की नीयत

**सवाल:** वित्र की नीयत में वाजिबुल्लैल कहना कैसा है?

**जवाब:** वित्र की नीयत में ये कहना चाहिए कि नीयत करता हूँ मैं नमाज़े वित्र की। और अगर वाजिबुल्लैल भी कह दिया तो कुछ हरज नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-160, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-389, बाब शुरुतुरसलात)

हनफी के लिए वित्र की नीयत में लफ़ज़ वाजिब कहना मुनासिब है लेकिन ज़रूरी नहीं है अलबत्ता ये तअय्युन ज़रूरी है कि ये वित्र है।

(हाशिया इमदादुल फ़ताना जिल्द-1 सफ़हा-457)

### वित्र को वाजिब कहना चाहिए या नहीं

**सवाल:** वित्र अदा करते वक़्त वित्र को वाजिब कहना

चाहिए या नहीं, बाज़ मौलवी मना करते हैं, यानी वाजिब न कहना चाहिए?

जवाब: वित्र को वाजिब कहना चाहिए। वित्र इमाम आजम (रह.) के नज़दीक वाजिब है, लिहाज़ा वित्र अदा करते वक़्त वाजिब का लफ़्ज़ कहने में कुछ हरज नहीं है। और अगर न कहा जाए तब भी वित्र अदा हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-163, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-388, बाब शुरुतुस्सलात)

### वित्र पढ़े मगर नीयत सुन्नत की, की

सवाल: तरावीह के बाद जब वित्र पढ़ने के लिए खड़े हुए तो एक शख्स ने भूल कर सुन्नत की नीयत कर के वित्र पढ़े मगर दुआए कुनूत के वक़्त उसको वित्र का ख्याल आया। इस सूरत में हो गए या नहीं?

जवाब: उसके वित्र हो गए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-152, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-387, 388 बाब शुरुतुस्सलात)

### तरावीह समझ कर वित्र में इक़ितादा करना

सवाल: इमाम के वित्र शुरु करने के बाद एक नमाज़ी ने तरावीह समझ कर उसकी इक़ितादा की अब उसके वित्र होंगे या नहीं?

जवाब: सूरते मस्क़ला में इमाम के सलाम फेरने के बाद चौथी रकअत शामिल कर के नमाज़ को तमाम करे और ये चार रकअत नफ़ल हो जाएंगी और वित्र उसके जिम्मा बाकी रहेंगे उनको अदा करना होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-353, बहवाला सफ़हा-211)

### वित्र की नमाज़ में तरावीह की नीयत करना

सवाल: तरावीह की भूल से दो रकअत रह गई और नमाज़े वित्र शुरू कर दी, कअदए ऊला में तरावीह की छूटी हुई रकअत याद आई अब तरावीह की नीयत कर के दो रकअत पर सलाम फेरे तो क्या हुक्म है?

जवाब: ये दो रकअत नमाज़े तरावीह में शुमार न की जाएंगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-347, बहवाला काज़ी ख़ाँ सफ़हा-243)

### वित्र पढ़ने वाले के पीछे तरावीह पढ़ने वाला

सवाल: हाफ़िज़ साहब ने ग़लती से सोला रकअत तरावीह के बाद वित्र शुरू कर दिए, मुक्त्तदी तरावीह की नीयत से शामिल थे। सलाम के बाद मुक्त्तदियों ने कहा कि हाफ़िज़ साहब से भूल हुई, उन्होंने बकिया चार रकअत तरावीह पढ़ाई। दरयाफ़्त तलब ये है कि वित्र हुए या नहीं? हाफ़िज़ कहते हैं कि वित्र एहतियातन लौटा लो इस सूरत में पहले वित्र मोतबर ने थे, दोबारा हाफ़िज़ साहब ने वित्र पढ़ाए।

जवाब: सूरते मस्क़ला में हाफ़िज़ साहब की पहली वित्र की नमाज़ मोतबर है, मगर मुक्त्तदियों की न पहली नमाज़े वित्र मोतबर और न दूसरी, क्योंकि पहली मरतबा नमाज़े वित्र की नीयत न थी और दूसरी मरतबा में अगरचे नीयत वित्र की थी, मगर वित्र पढ़े हुए की इक्त्तदा की गई इसलिए ये भी मोतबर नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-346)

### वित्र में रुक़अ से पहले रफ़ए यदेन और दुआए क़नूत का सुबूत

सवाल: हमारे यहां चंद अश़्खास ग़ैर मुक़ल्लिद हैं वह

वित्र की रकअत तो तीन ही पढ़ते हैं मगर कुनूत रुकूअ के बाद पढ़ते हैं। एक उनमें मामूली इल्म वाला है वह कहता है कि अगर हदीस से ये साबित कर दो कि आँहजरत (स.अ.व.) रुकूअ से पहले हाथ उठा कर फिर कुनूत पढ़ते थे तो हम मानने को तैयार हैं, हदीस से ये साबित नहीं है। आप एक हदीस इस अम्र के सुबूत के लिए फरमा दें।

जवाब:

(۱) أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عِيَّادٍ فِي الْحَلِيَّةِ عَطَاءَ بْنَ مَسْلَمَةَ تَنَا عَلَاءُ بْنُ الْمَسِيَّبِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ قُنْتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ (۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَيَجْعَلُ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.  
(۳) وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ وَفِي الذَّخِيرَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَهُوَ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عِيَّادٍ وَاسْحَقُ وَقَدْ تَقَدَّمَ. (كبرى شرح منيه)

इन रिवायात से सराहतन वित्र का तीन होना और कुनूत का रुकूअ से पहले होना और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न उमर (रजि.), अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रजि.) वगैरहुम से तकबीरे कुनूत के वक्त हाथ उठाना साबित हो गया।

और ज़ाहिर है कि इन सहाबए किरामे ने रुकूअ से पहले कुनूत और तकबीर मआ रफए यदैन (दोनों हाथ उठाना) आँहजरत (स.अ.व.) को देख कर ही क्या है, लिहाज़ा ये हुज्जत काफ़ी है। और अगर लामज़हब लोग इसको न मानें तो उन से कहो कि जो मज़हब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद (रजि.) व अब्दुल्लाह इब्न उमर (रजि.) व

अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) वगैरा सहाबा का था वही हमारा है। जिस दलील से ये हज़रात रफ़े यदैन फी तकबीराते कुनूत। यानी कुनूत के वक़्त तकबीर के लिए हाथ उठाते थे वही हमारी दलील है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-157, बाब मसाइले नमाज़े वित्र, कबीरी शरह मुनया गुनयतुलमुस्तमिली बाबुलवित्र सफ़हा-396)

### दुआए कुनूत में “मुलहिक” की “हा” को ज़बर देकर पढ़ें या ज़ेर देकर

**सवाल:** दुआए कुनूत में जो लफ़ज़ “मुलहिक” है उसकी हा को ज़ेर है या ज़बर?

**जवाब:** दुआए कुनूत में “मुलहिक” की हा को ज़बर और ज़ेर दोनों पढ़ा गया है और दोनों जाइज़ हैं, अगरचे मशहूर ज़ेर है और ज़ेर ही बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-153, 163, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-624 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

### दुआए कुनूत सूरए फ़ातिहा के बाद पढ़ी

अगर कोई शख्स वित्र की तीसरी रकअत में सूरए फ़ातिहा पढ़ कर दुआए कुनूत पढ़ गया और सूरत मिलाना भूल गया फिर रुकूअ में पहुंच कर उसको याद आया तो खड़ा हो गया और सूरत मिलाई उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ी फिर दोबारा रुकूअ किया तो आख़िर में सज्दए सहव करे। अगर अलहम्दु के बाद कुनूत पढ़ कर रुकूअ कर दिया और सूरत छोड़ दी और रुकूअ में याद आया तो सर उठाए और सूरत पढ़े और कुनूत और रुकूअ का इआदा करे और सज्दए सहव करे। और अगर अलहम्दु छोड़ दी थी तो अलहम्दु के साथ सूरत का भी मआ

कुनूत के इआदा करे और रुकूअ भी दोबारा करे। और अगर दोबारा रुकूअ न करे तब भी जाइज है।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-176)

### **वित्र की तीसरी रकअत में तकबीर कहना भूल गया**

वित्र की नमाज़ में अगर कोई शख्स तीसरी रकअत में तकबीर कहने के बजाए रुकूअ में चला गया, फिर याद आया तो लौट आया और तकबीर कह कर दुआए कुनूत पढ़ी तो बाद में दोबारा रुकूअ न करे और नमाज़ पूरी करे। और अगर दुआए कुनूत के लिए नहीं लौटा जब भी नमाज़ दुरुस्त है, दोनों सूरतों में सज्दए सहव करना वाजिब है। (मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-72 बहवाला दुर्रमुख्तार बरहाशिया जिल्द-1 सफ़हा-627)

### **हदीस से दुआए कुनूत साबित है या नहीं**

**सवाल:** एक शख्स कहता है कि दुआए कुनूत हदीस से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने वित्र में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, ये कौल सही है या ग़लत?

**जवाब:** उस शख्स का कौल ग़लत है। मुख्वजा दुआए कुनूत तिरमिज़ी की हदीस से साबित है और वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना अहादीस में वारिद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-162)

### **दुआए कुनूत के याद होते हुए दूसरी दुआ पढ़ना**

**सवाल:** अगर दुआए कुनूत याद हो तो दूसरी दुआ मसलन "रब्बना आतिना" पढ़ सकता है या नहीं?

**जवाब:** दुआए कुनूत याद हो तो "रब्बना आतिना" वगैरा नहीं पढ़ सकता, दुआए कुनूत ही पढ़ना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-162, बहवाला

रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-624) बाबुल वित्र व नवाफ़िल)

### दुआए कुनूत याद न हो तो क्या पढ़े?

सवाल: जिस शख्स को दुआए कुनूत न आती हो वह "رَبَّنَا إِنَّا فِي الْفِتْنَةِ حَسَنَةً" अखीर तक पढ़े और फकीह अबुल्लैस फरमाते हैं कि "لَلَّهِمَّ اغْفِرْ لِي" तीन बार पढ़े। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि "يَا رَبِّ" तीन बार कहे और चूंकि ये महल दुआ का है लिहाज़ा सूरए इख़्लासा उसके काइम मक़ाम न होगी, मगर नमाज़ हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-164, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-624 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

### कुनूत अगर रुकूअ से पहले पढ़ ले तो रुकूअ का इआदा

#### न करे

इमाम को रुकूअ में याद आया कि कुनूत नहीं पढ़ी तो उसको क़याम की तरफ़ नहीं लौटना चाहिए। और अगर क़याम की तरफ़ लौटा और कुनूत पढ़ी तो रुकूअ का इआदा नहीं करना चाहिए। और अगर उसने रुकूअ का भी इआदा कर लिया और जमाअत के लोग ने पहले रुकूअ में उसकी मुताबअत नहीं की थी दूसरे रुकूअ में मुताबअत की या पहले रुकूअ में मुताबअत की थी और दूसरे में नहीं की तो उनकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-177)

### बगैर तकबीर कहे हुए कुनूत पढ़ने का हुकम क्या है?

सवाल: इमाम साहब वित्र की रकअत में बिला तकबीर कहे हुए और बिला हाथ उठाए हुए दुआए कुनूत पढ़ने लगे किसी मुक्तदी ने उनको अल्लाहुअकबर कह कर बताया, चुनांचे उन्होंने अल्लाहुअकबर कह कर और रफ़ यदैन



कर के फिर कुनूत पढ़ी और नमाज़ तमाम कर के सज्दए सहव किया तो नमाज़ में कोई खराबी आई या नहीं?

जवाब: नमाज़ सही हो गई। जैसे किराअत में बिला ज़रूरत बतलाने से नमाज़ सही हो जाती है, अगरचे इमाम लुक्मा ले ले। और चूंकि कोई अम्र मूजिबे सज्दए सहव का नहीं पाया गया इसलिए सज्दए सहव वाजिब नहीं होगा।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-451)

कुनूत के लिए लौटना नहीं चाहिए, सज्दए सहव करने से तलाफी हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-161)

### अगर पहली या दूसरी रकअत में कुनूत पढ़ ली

अगर भूल से पहली या दूसरी रकअत में कुनूत पढ़ ली तो उसका कुछ एतेबार नहीं है, तीसरी रकअत में फिर पढ़नी चाहिए और सज्दए सहव भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी को शक हो गया कि ये दूसरी रकअत है या तीसरी तो उसको चाहिए कि उस रकअत में दुआए कुनूत पढ़े और अत्तहीयात के लिए बैठे फिर उसके बाद दो रकअत पढ़े, उसमें दोबारा दुआए कुनूत पढ़े। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा दोम सफ़हा-280, बहवाला तहावी सफ़हा-166 व मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-59, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-67)

### इमाम साहब वित्र का कअदए ऊला भूल गए

सवाल: इमाम साहब वित्र की दूसरी रकअत के बाद बजाए बैठने के तीसरी रकअत के लिए खड़े हो गए मुक्तदियों के लुक्मा देने से फिर बैठ गए, अग तीसरी रकअत पूरी कर के तशहहुद के बाद सज्दए सहव किया

तो नमाज़ वित्र हो गई या नहीं?

जवाब: इमाम साहब वित्र का क़अदए ऊला भूल गए तो अब न बैठते, महज़ सज्दए सहव से वित्र सही हो जाते खड़े होने के बाद बैठें ये ग़लत किया, मगर नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई। अब सज्दए सहव किया तो नमाज़ सही है इआदा की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-1 सफ़हा-346)

**वाजिब और सुन्नत के क़अदए ऊला में अत्तहीयात के बाद**

**दुरुद पढ़ने का क्या हुक्म है?**

सवाल: सुन्नत और वाजिब नमाज़ों के क़अदए ऊला में अत्तहीयात के बाद दुरुद शरीफ़ वगैरा पढ़ा जाए तो सज्दए सहव वाजिब होगा या नहीं? और वैसे ही सुन्नत और वाजिब में क़अदए ऊला भूल कर खड़ा हो जाए तो तीसरी रकअत का सज्दा करने से पहले पहले बैठ जाए या नहीं?

जवाब: नमाज़े वाजिब मसलन वित्र में वही हुक्म है जो नमाज़े फ़र्ज में है, पस उसके क़अदए ऊला में दो कौल हैं, लेकिन अहवत (ज़्यादा एहतियात) वुजूबे सज्दए सहव है और क़अदए ऊला के तर्क करने में वही अहकाम हैं जो फ़र्ज के हैं, चुनांचे क़अदए ऊला के तर्क करने में ये हुक्म है कि अगर बैठने के ज़्यादा करीब हो तो बैठ जाए और अगर क़याम की तरफ़ ज़्यादा करीब हो तो न बैठे और आख़िर में सज्दए सहव कर ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-349, बहवाला रदुलमुह्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-476, 697 बाब सुजूदुस्सहव)

## इमाम बगैर कुनूत पढ़े रुकूअ में चला गया और मुक्तदियों में से बाज ने रुकूअ किया बाज ने नहीं किया तो क्या हुक्म है?

सवाल: इमाम साहब ने वित्र की तीसरी रकअत में बगैर कुनूत पढ़े रुकूअ कर लिया, मुक्तदियों ने लुक्मा दिया फिर भी इमाम साहब रुकूअ ही में रहे और तजबजुब की वजह से रुकूअ में ज्यादा ताखीर हुई, उसके बाद इमाम साहब ने सज्दए सहव किया। बाज मुक्तदियों ने न रुकूअ किया न दुआए कुनूत पढ़ी और बाजों ने रुकूअ कर दिया तो इस सूरत में किन की नमाज सही हुई और अगर सब की नमाज फ़ासिद हो गई तो इसका क्या हुक्म है?

जवाब: इस सूरत में इमाम साहब की नमाज सही हुई और जिसने इमाम साहब के साथ या इमाम के रुकूअ करने के बाद रुकूअ किया उनकी नमाज भी हो गई लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन मुक्तदियों ने बिल्कुल रुकूअ नहीं किया उनकी नमाज फ़र्ज के छूटने की वजह से सही नहीं हुई इआदा ज़रूरी है। कुनूत के लिए रुकूअ से कयाम की तरफ लौटने की ज़रूरत नहीं है। दुआए कुनूत सहवन छूटने पर सज्दए सहव से तलाफी हो जाती है और दुआए कुनूत सहवन छूटने की चार सूरतें हैं।

(1) रुकूअ में दुआए कुनूत पढ़ ली। (2) या रुकूअ छोड़ कर कयाम की तरफ लौट गया और दुआए कुनूत पढ़ कर दोबारा रुकूअ किया। (3) या दोबारा रुकूअ नहीं किया। (4) दुआए कुनूत न रुकूअ में पढ़ी न रुकूअ के बाद खड़े हो कर पढ़ी। इन चारों सूरतों में सज्दए सहव कर लें तो नमाज हो जाएगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4

सफ़हा-398, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-71, दुर्रेमुख्तार शामी जिल्द-1 सफ़हा-627)

### दुआए कुनूत छोड़ कर इमाम रुकूअ में चला जाए तो मुक्तदी क्या करे?

अगर इमाम दुआए कुनूत छोड़ कर रुकूअ में चला गया तो मुक्तदियों को चाहिए कि अगर वह दुआए कुनूत पढ़ कर इमाम के साथ रुकूअ में शरीक हो सकते हैं तो दुआए कुनूत पढ़ कर उनको रुकूअ में जाना चाहिए। और अगर ये अंदेशा है कि दुआए कुनूत पढ़ कर रुकूअ में शरीक नहीं हो सकते तो वह भी दुआए कुनूत छोड़ कर रुकूअ में चले जाएं। अगर इमाम को रुकूअ कर के दुआए कुनूत याद आई और उसने खड़े हो कर दुआए कुनूत पढ़ी तो उसको अब दोबारा रुकूअ करने की ज़रूरत नहीं और अगर दोबारा रुकूअ किया और कोई शख्स आ कर उस रुकूअ में शरीक हुआ तो उस रुकूअ का पाने वाला नहीं समझा जाएगा और मज़कूरा बाला हर सूरत में सज्दए सहव करना वाजिब होगा। (मसाइले सज्दए सहव सफ़हा-81)

### इमाम ने कुनूत खत्म कर के रुकूअ कर लिया मगर

#### मुक्तदियों की दुआए कुनूत बाकी है

सवाल: जमाअते वित्र में इमाम दुआए कुनूत खत्म कर के रुकूअ में चला गया, मगर मुक्तदियों की कुनूत खत्म नहीं हुई तो क्या वह मुताबअते इमाम की गरज़ से बगैर खत्मे कुनूत रुकूअ में चला जाए?

जवाब: अगर थोड़ी बाकी है कि उसको पूरा कर के रुकूअ में इमाम के साथ शरीक हो सकता हो तो पूरा कर के रुकूअ करे वरना छोड़ दे। अगर कुनूत का कुछ

हिस्सा पढ़ लिया था और कुछ बाकी रह गया तो इस सूरत में अब ये इमाम की इत्तिबा करेगा, क्योंकि कुनूत का मक्सद दुआ है और दुआ कम हो या ज्यादा दोनों पर शामिल है। इमाम की इत्तिबाअ वाजिब है और तर्क वाजिब से तर्क मन्दूब बेहतर है, इसलिए तर्क मन्दूब किया जाए, यानी कुनूत का पढ़ना छोड़ दे और इमाम की इत्तिबाअ करे। इसी तरह अगर मुक्तदी ने कुनूत का पढ़ना शुरू भी न किया था कि इमाम रुकूअ में चला गया, तो अगर मुक्तदी को रुकूअ के छूट जाने का खौफ हो तो वह कुनूत को छोड़ दे और इमाम की इत्तिबा करते हुए रुकूअ में चला जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-154, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-104, अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़हा-110)

### **अगर वित्र की दूसरी या तीसरी रकअत मिले तो कुनूत कब पढ़े?**

**सवाल:** रमज़ान में वित्र की जमाअत में तीसरी रकअत में शामिल हुआ, दो रकअत जो बाकी हैं उनमें दुआए कुनूत पढ़ी जाएगी या नहीं?

**जवाब:** रमज़ान शरीफ़ में वित्र की जमाअत में अगर कोई शख्स तीसरी रकअत में आ कर शरीक हुआ पस अगर तीसरी रकअत पूरी पा ली है तो इमाम के साथ दुआए कुनूत पढ़े, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर तीसरी रकअत में रुकूअ में शरीक हुआ जब भी बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। (तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-178)

इमाम के साथ तीसरी रकअत मिली तो अब उस तीसरी रकअत में इमाम की इत्तिबा करते हुए वह तीसरी

रकअत में दुआए कुनूत पढ़े, गोया कि ये तीसरी रकअत में है और जब ये अपनी फौत शुदा नमाज को पूरा करेगा तो दुआए कुनूत न पढ़े। इस पर इजमाअ है।

(अशरफुलईजाह शरह नूरुलईजाह सफ़हा-151)

### निसफ़ सूरात पढ़ना और निसफ़ छोड़ देना कैसा है

सवाल: वित्र की पहली रकअत में सूराए “إِذَا زُلْزِلَتْ” पढ़ी, दूसरी में आधी “وَالْعَادِيَاتِ” पढ़ी और तीसरी में आधी “الْفَارِعَاتِ” पढ़ी तो क्या इस सूरात में कोई खराबी आई या नहीं?

जवाब: ऐसा करना अच्छा नहीं है। पूरी पूरी (छोटी) सूरात हर एक रकअत में पढ़ना अफज़ल और बेहतर है लेकिन नमाजे वित्र इस सूरात में भी हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-161, बहवाला रद्दुलमुह्तार फ़रसल फ़िलक़िराअत जिल्द-1 सफ़हा-505)

### वित्र की नमाज में कौन सी सूरात मसनून है

सवाल: वित्र की रकअतों में कौन कौन सी सूरातें पढ़ना सुन्नत हैं?

जवाब: वित्र की पहली रकअत में सूराए आला “سَبَّحَ” दूसरी में काफ़िरून और तीसरी में सूराह इख़लास पढ़ना मसनून व मुस्तहब है। आँहज़रत (स.अ.व.) से इस तरह पढ़ना साबित है, लेकिन आप ने इस पर मवाज़बत नहीं फ़रमाई, जिहाज़ा हमेशगी करना ज़्यादाती है।

वित्र की तीनों रकअतों में दूसरी सूरातें पढ़ना भी मसनून है चुनांचे पहली रकअत में “إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ” दूसरी रकअत में “إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ” और तीसरी में “قُلْ هُوَ اللَّهُ” और तिरमिज़ी कि रिवायत से ये भी मालूम होता है कि पहली

रकअत में "أَلَيْكُمُ الْكَاثِرُ" या "أَنَا أَنْزَلْنَاهُ" या "إِذَا زُلْزِلَتْ" या "إِذَا جَاءَ" या "وَالْعَصْرِ" या "دُوسَرِي رَكْأَتِ مِّنْ" "الْأَرْضِ" या "تَبَّتْ يَدَا" या "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" या "إِنَّا عَظَمْنَاكَ" या "قُلْ هُوَ اللَّهُ" (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-414, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-508, 623)

### सूरतों का तअय्यन करना कैसा है?

हज़रत शाह वलीयुल्लाह (रह.) अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिलबालिगा में तहरीर फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने बाज़ नमाज़ों में कुछ मसालेह और फ़वाएद के पेशे नज़र बाज़ खास सूरतें पढ़ना पसंद फ़रमाई लेकिन कतई तौर पर न उनकी तअयीन की और न दूसरों को ताकीद फ़रमाई कि ऐसे ही करें, पस इस बारे में अगर कोई आप (स.अ.व.) की इत्तिबा करे और इन नमाज़ों में वही सूरतें अक्सर व बेशतर पढ़े तो अच्छा है और जो ऐसा न करे उसके लिए कोई मुज़ाएफ़ा और हरज नहीं है।

नबी करीम (स.अ.व.) जुमा व ईदैन के अलावा दूसरी तमाम नमाज़ों में सूरतें मुतअय्यन कर के नहीं पढ़ा करते थे, फ़र्ज़ नमाज़ों में छोटी बड़ी सूरतों में से कोई ऐसी सूरत नहीं है जो आप (स.अ.व.) ने न पढ़ी हों और नवाफ़िल में एक रकअत में दो सूरतें भी आप (स.अ.व.) पढ़ते थे लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में नहीं, मामूलन अम्प (स.अ.व.) की पहली रकअत दूसरी रकअत से बड़ी हुआ करती थी। (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द-3 सफ़हा-261)

वित्रों के बाद "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" न कहने वाले का

हक़म क्या है?

सवाल: एक शख्स वित्रों के बाद बुलंद आवज़ से

“سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” तीन बार नहीं कहता ये सुन्नत की इत्तिबा करने वाला है या नहीं?

जवाब: वित्र के बाद बुलंद अवाज़ से **سُبْحَانَ الْمَلِكِ** “سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” तीन बार पढ़ना मुस्तहब है। और बाज़ रिवायात में तीसरी मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना आया है। पस इससे तीसरी मरतबा “سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” को बुलंद आवाज़ से पढ़ना साबित होता है।

बहरहाल ऐसा करना मुस्तहब और बेहतर है और न पढ़ने वाले पर कुछ तअन व मलामत न करनी चाहिए क्योंकि मुस्तहब फ़ेल को अगर कोई न करे तो उस पर कुछ तअन नहीं है, अलबत्ता इत्तिबाए सुन्नत का मुक्ताज़ा ये है कि जैसा आँहज़रत (स.अ.व.) ने किया है वैसा ही करे, यानी ख़्वाह तीनों मरतबा या एक मरतबा आख़िर में “سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” को बुलंद आवाज़ से कह लिया करें। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-164, बहवाला मिश्कात शरीफ़ बाबुलवित्र सफ़हा-112)

**“سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” कब पढे?**

सवाल: वित्र के सलाम के बाद जो **سُبْحَانَ الْمَلِكِ** “سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ” तीन मरतबा वारिद है ये सज्दा कर के पढ़े या कअदा में। और अहनाफ़ के नज़दीक जाइज़ है या नहीं?

जवाब: वित्र का सलाम जब फेर कर बैठे उस वक़्त पढ़े और ये अहनाफ़ के नज़दीक भी जाइज़ और मुस्तहब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-157, बहवाला मिश्कात बाबुलवित्र फ़स्ल सानी सफ़हा-112)



## तेरहवाँ बाब

### सुन्न व नवाफिल क्या हैं

#### वित्र के बाद नफल का सबूत औ तरीका

शब व रोज़ में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं और वह गोया इस्लाम की रुकने रकीन और जुज्वे ईमान हैं इनके अलावा इन्हीं के आगे पीछे और दूसरे औकात में भी कुछ रकअतें पढ़ने की ताकीद व तरगीब और तालीम रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने दी है।

फिर इनमें से जिन के लिए आप (स.अ.व.) ने ताकीदी अलफ़ाज़ फ़रमाए या दूसरों को तरगीब देने के साथ साथ आप (स.अ.व.) ने अमलन बहुत ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया है उनको उर्फ़ आम में सुन्नत कहा जाता है और उनके अलावा को नवाफिल। नवाफिल के असली माना "ज़वाइद" के हैं और हदीसों में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बाकी सब नमाज़ों को "नवाफिल" कहा गया है।

फिर जिन सुन्नतों या नफ़लों को फ़र्ज़ से पहले पढ़ने की तालीम दी गई है बज़ाहिर उनकी ख़ास हिकमत और मसलिहत ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ा जो अल्लाह तआला के दरबारे आली की ख़ासुलख़ास हुजूरी है। (इसी वजह से वह इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में अदा की जाती है।) उसमें मशगूल होने से पहले इन्फ़िरादी तौर पर दो चार

रकअतें पढ़ कर दिल को उस दरबार से आशना और मानूस कर लिया जाए और मलए आला से एक कुर्ब और मुनासबत पैदा कर ली जाए। और जिन सुन्नतों और नफलों को फर्जों के बाद पढ़ने की तालीम दी गई है उनकी हिकमत और मसलिहत बज़ाहिर ये मालूम होती है कि फर्ज नमाज़ की अदाएगी में जो कुसूर रह गया हो उसका तदारुक बाद वाली इन सुन्नतों और नफलों से हो जाए, इसकी ताईद हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) की हदीस से होती है। आप (स.अ.व.) फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से सुना कि क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सब से पहले नमाज़ का हिसाब होगा और उसकी नमाज़ की जांच की जाएगी, पस अगर वह ठीक निकली तो बंदा फ़लाहयाब और कामियाब हो जाएगा और अगर वह ख़राब निकली तो बंदा नामुराद रह जाएगा। फिर अगर उसके फ़राइज़ में कोई कसर हुई तो रब्बे करीम फ़रमाएगा कि देखो क्या मेरे बंदे के ज़खीरए आमाल में फ़राइज़ के अलावा कुछ नेकियाँ (सुन्नतें या नवाफ़िल) हैं ताकि उनसे उसके फ़राइज़ की कमी व कसर को पूरा कर सकें। फिर नमाज़ के बाकी आमाल का हिसाब भी इसी तरह होगा। सुनन व नवाफ़िल की इफ़ादियत और अहमियत के लिए तन्हा ये हदीस काफी है।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द-3 सफ़हा-374, बहवाला जामेअ तिरमिज़ी व निसाई)

### घिन्न के बाद नफ़ल का सुबूत

“عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكَعَتَيْنِ”  
 तर्जुमा: हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) वित्र के बाद दो रकअत और पढ़ते थे।

इस हदीस को इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है इसमें ये इजाफा है कि आप वित्र के बाद की दो रकअतें हल्की हल्की पढ़ते थे। इसके अलावा हज़रत आएशा और अबू उमामा (रज़ि.) ने भी रिवायत किया है इन्हीं अहादीस की बिन पर बाज़ उलमा वित्र के बाद की दो रकअतों को बैठ कर पढ़ना ही अफ़ज़ल समझते हैं, लेकिन दूसरे हज़रत फ़रमाते हैं कि इस बारे में आम उम्मतियों को रसूल (स.अ.व.) पर कयास नहीं किया जा सकता। सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने एक दफ़ा आँहज़रत (स.अ.व.) को बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो दरयाफ़्त किया कि मुझे तो किसी ने आप (स.अ.व.) के हवाले से बताया था कि बैठ कर पढ़ने वाले को खड़े हो कर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है और आप (स.अ.व.) बैठ कर पढ़ रहे हैं? आप (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया हाँ मस्अला वही है, यानी बैठ कर नमाज़ पढ़ने का सवाब खड़े हो कर पढ़ने के मुक़ाबिले में आधा होता है, लेकिन इस मआमले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मेरे साथ अल्लाह का मआमला अलग है, यानी मुझे बैठ कर पढ़ने का सवाब पूरा मिलता है। इस हदीस की बिना पर अक्सर उलमा इसके काएल हैं कि वित्र के बाद की इन दो रकअतों के लिए कोई अलग उसूल नहीं है, बल्कि वही आम उसूल और काएदा है कि बैठ कर पढ़ने का सवाब खड़े हो कर पढ़ने के मुक़ाबिले में आधा होगा।

### क्या वित्र के बाद नवाफिल दुरुस्त है?

सवाल: बाज़ लोग कहते हैं कि वित्र के बाद कोई सज्दा नहीं और नफ़ल जो कि वित्र के बाद पढ़े जाते हैं उनका पढ़ना जाइज़ नहीं। ये कहां तक दुरुस्त है?

जवाब: वित्र के बाद नवाफिल का पढ़ना जाइज़ है, चुनांचे बाज़ सहाबा (रज़ि.) जो इशा के बाद वित्र पढ़ लेते थे वह आखिर रात में तहज्जुद पढ़ते थे, तो मालूम हुआ कि वित्र के बाद नवाफिल ममनूअ नहीं हैं। नीज़ आँहज़रत (स.अ.व.) ने वित्र के बाद दो रकअत नफ़ल पढ़ी हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-220)

### नफ़ल का वक़्त कब तक रहता है?

सवाल: फ़र्ज़ों के बाद जो नफ़ल हैं वह फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन पढ़ें या जब तक वक़्त बाकी है पढ़ सकते हैं?

जवाब: जब तक वक़्त उस नमाज़ का है उन नवाफिल का वक़्त भी उस वक़्त तक है, मगर मुत्तसिलन पढ़ना बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-207, बहवाला दुर्मुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-494 बाब सेफ़तुस्सलात)

### तरावीह के बाद नफ़ल की जमाअत का क्या हुक्म है?

सवाल: क्या तीन आदमी तरावीह के बाद नफ़ल की जमाअत कर के सवाब हासिल कर सकते हैं? या नमाज़े नफ़ल जमाअत के साथ तरावीह के बाद मुतलकन दुरुस्त नहीं ख़्वाह तादाद में अदा करने वाले तीन हों या जाएद?

जवाब: नफ़ल की जमाअत सिवाए तरावीह के सुन्नत व मुस्तहब नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में मकरूह और बाज़ में मुबाह है इसलिए फ़ज़ीलत जमाअत की और सवाब जमाअत का इसमें हासिल नहीं है, दो तीन मुक्तदी हों तो

जमाअत की इजाजत है, मगर जमाअत न करना ही अच्छा है, लिहाजा मुतलकन नफ़ल की जमाअत न करनी चाहिए। दुर्रेमुख्तार से मालूम होता है कि सिवाए तरावीह के और कोई नफ़ल जमाअत से न पढ़ी जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-229, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल जिल्द-1 सफ़हा-663)

### फ़र्ज जहां पढ़े वहां से अलग हो कर नफ़ल पढ़ना कैसा है?

सवाल: अहादीस से फ़र्जों के बाद जगह बदल कर सुन्नत व नफ़ल पढ़ना मस्जिद में साबित होता है या नहीं?

जवाब: शामी और दुर्रेमुख्तार की इबारत से मालूम होता है कि हनफ़ीया के नज़दीक भी जगह बदल कर आगे पीछे हट कर सुन्नत व नफ़ल पढ़ना मुस्तहब है और शामी की इबारत से मालूम होता है कि तन्हा मकान में नमाज़ पढ़ने वाले के लिए भी जगह बदल कर सुन्नत व नफ़ल पढ़ना बेहतर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-230 बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-495 बाब सिफ़तुस्सलात)

### दो नफ़ल हमेशा पढ़े या कभी कभी छोड़ दे?

सवाल: जुहर मगरिब और इशा में दो रकअत सुन्नत के बाद दो रकअत नफ़ल पढ़ते हैं, ये दोनों नवाफ़िल हमेशा पढ़ना और कभी कभी न पढ़ना कैसा है?

जवाब: नवाफ़िल में इख़्तियार है, ख़्वाह कभी तर्क कर दे या हमेशा नफ़ल समझ कर पढ़ता रहे। इसमें ये अंदेशा नहीं है कि कोई उनको फ़र्ज समझ लेगा और फिर भी बेहतर है कि कभी कभी तर्क कर दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-240, बहवाला

रदुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफिल जिल्द-1 सफ़हा-635)

### क्या नफ़ल नमाज़ शुरू करने से वाजिब हो जाती है?

सवाल: किसी ने नफ़ल शुरू की; जब एक रकअत पढ़ ली तो मालूम हुआ कि कपड़ा नापाक है, नमाज़ शुरू करने के बाद तोड़ दी तो क्या उस नमाज़ का इआदा वाजिब है?

जवाब: मरअला ये है कि नफ़ल शुरू करने से वाजिब हो जाती है। पस जब किसी ने नफ़ल नमाज़ शुरू करने के बाद किसी वजह से तोड़ दी तो उस पर उस नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है, कुतुबे फ़िक्ह में ऐसा ही लिखा है लेकिन दुर्मुख्तार में है कि अगर शुरू ही सही न हो तो इआदा वाजिब नहीं हुआ, इसलिए कि मुसल्ली के कपड़े औवल ही से नापाक थे, लिहाज़ा उस नमाज़ का इआदा वाजिब न होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-235, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-645 बाबुलवित्र व नवाफिल)

### सुन्नत व नवाफिल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है

#### या मस्जिद में?

सवाल: सुन्नत व नवाफिल अपने अपने घरों में जा कर पढ़ने चाहिए या मस्जिद ही में?

जवाब: अहादीस में सुन्नत व नवाफिल के मकान में पढ़ने की जो कुछ फ़ज़ीलत वारिद हुई है वह मशहूर व मारुफ़ है और फुक़हा ने भी सिवाए तरावीह के दीगर सुन्नत व नवाफिल को मकान में पढ़ने को अफ़ज़ल फ़रमाया है। और हज़रत अकाबिरे देवबंद मसलन हज़रत मुहदिस फ़कीह मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का अमल इस पर देखा गया है।

दुरेमुख्तार से मालूम होता है कि सुनन व नवाफिल के लिए घर ही अफज़ल है, लेकिन अगर रास्ता में या घर में ये ख़ौफ़ हो कि दिल परेशान हो जाएगा और खुशूअ हासिल न होगा या ग़ैर ज़रूरी बातों की वजह से नुक़सान सवाब में होगा तो ऐसी सूरत में मस्जिद में पढ़ना अफज़ल है। अगर मस्जिद में पढ़ने में खुशूअ ज़्यादा है और इख़लास ज़्यादा है और घर जा कर पढ़ने में ख़ौफ़े ताख़ीर वग़ैरा है, तो फिर मस्जिद में ही पढ़ना अफज़ल है इसलिए कि ज़्यादा तर लिहाज़ खुशूअ व खुजूअ का है जिस जगह ये हासिल हो वह अफज़ल है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-211, 227, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफिल जिल्द-1 सफ़हा-638)

### वित्र के बाद नफ़ल बैठ कर पढ़े या खड़े हो कर?

**सवाल:** वित्र के बाद दो नफ़ल बैठ कर पढ़ें या खड़े हो कर और आप (स.अ.व.) से किस तरह साबित है?

**जवाब:** नवाफिल को बैठ कर पढ़ना और खड़े हो कर पढ़ना दोनों तरह दुरुस्त है। मगर खड़े हो कर पढ़ने में दुगना सवाब है, बनिस्बत बैठ कर पढ़ने के। और आँहज़रत (स.अ.व.) ने उनको बैठ कर पढ़ा है, लेकिन आप (स.अ.व.) को बैठ कर पढ़ने में पूरा सवाब था, दूसरों को निस्फ़ सवाब मिलता है, अहादीस से ये साबित है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-331, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-653, बाबुलवित्र व नवाफिल)

बैठ कर पढ़ने का जवाज़ उस सूरत में होगा कि बैठ कर पढ़ने में कोई ऐसा इल्तिज़ाम न हो, जिससे देखने वालों को बैठ कर पढ़ने की सुन्नीयत या वुजूब का गुमान

हो जाए, जैसा कि बाज़ मक़ामात में जुहर और मगरिब के बाद लोगों में दो रक़अत का बैठ कर पढ़ना राइज हो गया है, वहां के अवाम इस नफ़ल को बैठ कर पढ़ने को शरअन लाज़िम समझते हैं, ऐसे मक़ामात में बैठ कर पढ़ना बेशक मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-216)

### हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम नानौतवी (रह.) की राय

हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी बानिये दारुलउलूम देवबंद (रह.) से मनकूल है कि नफ़ल अगर इस नीयत से बैठ कर पढ़ेगा कि आप (स.अ.व.) से यूँहि मनकूल है तो इस नीयत से इंशा अल्लाह तआला अजब नहीं कि सवाब में कुछ कमी न रहे। (इमदादुल फ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-457)

### माज़ूर की रिआयत

क़याम पर कुदरत रखेत हुए बैठ कर नफ़ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, लेकिन इसका सवाब खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने वाले के सवाब के मुक़ाबिला में निस्फ़ होगा, मगर उज़र के बाइस यानी माज़ूर को खड़े हो कर पढ़ने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। बैठ कर पढ़ने का सही तरीका ये है कि जैसे अत्तहीयात पढ़ने के लिए बैठते हैं उस तरह बैठे। खड़े हो कर नफ़ल-शुरू करने के बाद बैठ कर उसको तमाम करना बिला कराहत जाइज़ है।

(नूरुलईज़ाह सफ़हा-97)

### हज़र (स.अ.व.) का नफ़ल बैठ कर पढ़ना उम्मत की तालीम के लिए है

सवाल: वित्र के बाद दो नफ़ल खड़े हो कर पढ़ें या बैठ कर? आँहज़रत (स.अ.व.) का अमल क्या था? आप (स.अ.व.) खड़े हो कर पढ़ते थे या बैठ कर?



जवाब: वित्र के बाद दो नफ़ल खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है। आँहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है कि बैठ कर नफ़ल पढ़ने वाले के लिए निस्फ़ सवाब है और आप (स.अ.व.) से दोनों तरह साबित है लेकिन आँहज़रत (स.अ.व.) को बैठ कर पढ़ने में पूरा अज़र व सवाब मिलता था, ये आप के साथ खुसूसियत थी, क्योंकि इसमें भी उम्मत की तालीम थी कि खड़े होना फ़र्ज़ नहीं है।

उम्मत को तालीम देना नुबूवत के वाजिबात में से है पस आप (स.अ.व.) के बैठ कर नफ़ल पढ़ने में भी वाजिब की अदाएंगी है। जिसका सवाब नफ़ल से ज़्यादा होता है, अलबत्ता बाज़ बुर्जुगों से मनकूल है कि अगर कोई मुत्तबेअ सुन्नत वित्र के बाद की दो रकअत कभी कभी इस नीयत से बैठ कर पढ़े कि आँहज़रत (स.अ.व.) बैठ कर अदा फ़मराते थे मैं भी इत्तिबाअन बैठ कर पढ़ूँ तो अजब नहीं कि उसको उसकी नीयत के मुताबिक़ पूरा सवाब मिले, लेकिन अज़रूए हदीस खड़े हो कर पढ़ने वाला पूरे सवाब का और बैठ कर पढ़ने वाला निस्फ़ सवाब का हक़दार है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-25)

### नफ़ल आज भी बैठ कर पढ़ सकते हैं

सवाल: एक मस्अला किताब में देखा है, कि नमाज़े वित्र के बाद की नफ़ल बैठ कर पढ़ना मसनून है, क्योंकि आँहज़रत (स.अ.व.) का ये तरीका था, क्या यही मस्अला है?

जवाब: "حامداً ومصلياً" हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि खड़े हो कर पढ़ने से दुगना सवाब मिलता है और बैठ कर पढ़ने से निस्फ़ मिलता है फिर हुज़ूर (स.अ.व.) को देखा गया कि बैठ कर पढ़ते हैं तो दरयाफ़्त किया गया,

इस पर इरशाद फ़रमाया मुझ को उतना ही सवाब मिलता है कम नहीं होता। वित्र के बाद की दो नफ़लें आप से बैठ कर पढ़ना साबित है। आम्मतन मामूल ये था कि तहज्जुद की बहुत तवील नमाज़ पढ़ते थे, यहां तक कि पैरों पर वर्म आ जाता था। उसके बाद सुब्हे सादिक के करीब वित्र पढ़ते थे, फिर बैठ कर दो नफ़ल पढ़ते थे। अब भी अगर कोई शख्स यही तरीका इख़्तियार करे कि तवील तहज्जुद में पाँच छः पारे पढ़ने के बाद वित्र पढ़े और थक कर दो नफ़ल बाद में बैठ कर पढ़े तो इसमें इतिबाअ ज़्यादा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-175 बहवला अबूदारुद शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-137)

फ़तावा महमूदिया में है कि नफ़ल बिला उज़र बैठ कर पढ़ना दुरुस्त है लेकिन खड़े हो कर पढ़ने में सवाब ज़्यादा है वित्र के बाद दो नफ़ल पढ़ना हदीस व फ़िक्ह से साबित है जो पढ़ेगा वह सवाब पाएगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं इस पर एतेराज़ न किया जाए तरगीब देना दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-168, बहवाला तहतावी अलामराकियुलफ़लाह सफ़हा-327)

### बैठ कर नमाज़ पढ़ने में नज़र कहाँ रखें

सवाल: नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ने में निगाह सज्दा की जगह बेहतर है या गोद में?

जवाब: "حامدًا ومصليًا" गोद में मुनासिब है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-2 सफ़हा-157, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-321)

## जमीमा

### तरावीह बीस रकअत भी सुन्नत हैं

बीस रकअत के सुन्नते मुअक्कदा होने पर इजमाअ हो चुका है और इजमाअ की मुखालफत नाजाइज़ है और ये इजमाअ अलामत है उन अहादीस के मनसूख होने की और अगर इजमाअ में शुब्हा है कि बाज़ उलमा ने सिर्फ़ आठ को सुन्नते मुअक्कदा लिखा है तो जवाब ये है कि इजमाअ इस कौल से पहले मुनअकिद है, बस इसके मुकाबिला में शाज़ कौल काबिले एतेबार नहीं होगा। जब ताकीदन साबित हो गया तो उसके तर्क करने से मौरदे एताब होगा।

एक शख्स दिल्ली के नए मुजतहिदीन से आठ तरावीह सुन कर मौलाना शैख़ मुहम्मद साहब (रह.) के पास आए थे और उन्हें तरद्दुद था कि आठ हैं या बीस। नए मुजतहिदीन अपने को आमिल बिलहदीस कहते हैं क्यों साहब, हदीस में भी बीस आई हैं उन पर क्यों अमल न किया कि उनके जिम्न में आठ पर भी अमल हो जाता है। बात क्या है कि नफ़्स को सुहूलत तो आठ ही में है। बीस क्यों कर पढ़ें। अस्ल ये है कि जो उनके जी में आता है करते हैं और शाज़ और जईफ़ हदीस को भी अपना लेते हैं।

इसी तरह उन्होंने भी तरावीह की तमाम अहादीस में सिर्फ़ आठ वाली हदीस पसंद की, हालांकि बारह भी आई

हैं और वित्र की तमाम अहादीस में से एक रकअत वाली हदीस पसंद की, हालांकि तीन रकअतें भी आई हैं, पाँच भी आई हैं, सात भी आई हैं। खैर वह तो बेचारे उनके बहकाने से तरद्दुद में पड़ गए थे तो मौलाना से पूछा। मौलाना ने फ़रमाया कि भई सुनो मुहकमए माल से इत्तिला आए कि माल गुज़ारी दाखिल करो और तुम्हें मालूम नहीं कि कितनी है। तुम ने एक नम्बरदार से पूछा कि मेरे जिम्मा कितनी मालगुज़ारी है, उसने कहा अद्वारह रुपये। फिर तुम ने दूसरे नम्बरदार से पूछा। उसने कहा बीस रुपये तो अब बताओ तुम्हें कचेहरी कितनी रकम ले कर जाना चाहिए, उन्होंने कहा साहब बीस रुपये लेकर जाना चाहिए, अगर इतनी हुई तो किसी से मांगना न पड़ेगी। और कम हुई तो रकम बच जाएगी। और अगर मैं कम ले कर गया और वहां ज़्यादा हुई तो किस से मांगता फिरूंगा। मौलाना ने फ़रमाया बस ख़ूब समझ लो कि अगर वहां बीस रकअतें तलब की गईं और हैं तुम्हारे पास आठ तो कहां से ला कर दोगे। और अगर बीस हैं और तलब कम की हैं तो बच रहेगी और तुम्हारे काम आएंगी। कहने लगे ठीक है समझ में आ गया।

अब मैं हमेशा बीस रकअतें पढ़ा करूंगा, बस बिल्कुल तसल्ली हो गई। सुब्हानअल्लाह क्या तर्ज है समझाने का हकीकत में ये लोग हुकमाए उम्मत होते हैं।

(ब) इस वक़्त उसके इस्बात से हम को बहस नहीं, अमल के लिए हम को इतना काफी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना में बीस रकअत तरावीह और तीन वित्र जमाअत के साथ पढ़े जाते हैं। ये रिवायत मुअत्ता इमाम

मालिक में गो मुनकतअ है, मगर अमलन मुतवातिर है, उम्मत के अमल ने उसको मुतवातिर कर दिया है। बस अमल के लिए इतना काफी है। देखिए अगर कोई पंसारी के पास दवा लेने के लिए जाए तो उससे ये नहीं पूछता कि दवा कहां से आई और उसका क्या सुबूत है कि ये वही दवा है जो मैं लेना चाहता हूं, बल्कि अगर उसमें शुब्हा होता है तो एक दो जानने वालों को दिखला कर इत्मीनान कर लिया जाता है, अब अगर कोई पंसारी से ये कहे कि मेरा इत्मीनान तो उस वक्त होगा जब तुम बेचन वाले के दस्तखत दिखा दोगे कि तुम ने उससे ये दवा खरीदी है, तो लोग ये कहेंगे कि इसको दवा की ज़रूरत नहीं, लेते हो लो नहीं लेते हो मत लो। इसी तरह मुहक्कीने सलफ का तर्जु ये है कि वह मुद्ई के लिए मगज़ ज़नी नहीं करते थे बस मस्अला बतला दिया। और अगर किसी ने उसमें हुज्जते जिकालीं तो साफ़ कह दिया कि किसी दूसरे से तहकीक कर लो जिस पर तुम को एतेमाद हो हमें बहस की फुरसत नहीं।

इस जवाब का हासिल वही झगड़े को खत्म करना है कि फुजूल बहस को ये हज़रात पसंद न करते थे, हां अगर अंवांम को बतला दिया जाए कि हदीस में ये है तो उनको तरीके इस्तिंबात का इल्म किस तरह होगा, इसमें फिर वह फुकहा के मुहताज होंगे, तो पहले ही फुकहा के ब्यान में एतेमाद क्यों नहीं करते।

अलगरज अमल के लिए तो तरावीह का इतना सुबूत काफी है कि हुजूर (स.अ.व.) ने कौलन उसको मसनून फरमाया है। और हज़रत उमर (रजि.) के ज़माना में

सहाबा (रज़ि.) अमलन तरावीह की बीस रकअतें पढ़ते थे, अवाम के लिए इतना काफी है, इससे ज़्यादा तहकीक़ उलमा का मनसब नहीं है। (अशरफुलजवाब हिस्सा दोम सफ़हा-145)

### सज्दए तिलावत की शर्ह हैसियत

मस्अला: सज्दए तिलावत (आयते सज्दा) के पढ़ने वाले और सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है, अगर कोई शख्स सज्दए तिलावत के वाजिब होने पर सज्दए तिलावत न करे तो गुनाहगार होगा। अब इस वाजिब के अदा करने में कहीं वक़्त की गुंजाइश है और कहीं तंगी है। पस अगर सज्दए तिलावत नमाज़ से बाहर वाजिब हुआ तो उसकी अदाएंगी के वक़्त में गुंजाइश है, यानी ज़िन्दगी के आख़िरी वक़्त तक उसके अदा करने की इजाज़त है और सज्दा न करने का गुनहगार मरते दम तक नहीं कहा जा सकता। ताहम सज्दए तिलावत में ताख़ीर करना मकरूहे तंज़ीही है, लेकिन अगर सज्दए तिलावत नमाज़ में वाजिब हो यानी नमाज़ के अन्दर आयते सज्दा पढ़ी गई तो फ़ौरन सज्दा करना वाजिब है। फ़ौरन का मतलब ये है कि आयते सज्दा के पढ़ने और सज्दा करने के दरमियान इससे ज़्यादा वक़फ़ा न हो जिसमें तीन आयतें पढ़ी जा सकें। अगर सज्दए तिलावत में इतना वक़फ़ा न हो तो वह फ़ौरन अदा करना न होगा।

मस्अला: सज्दा के आयत या तो सूरत के दरमियान होगी या आख़िर में, अगर दरमियान में हो तो अफ़ज़ल ये है कि आयते सज्दा पढ़ते ही यानी सूरत ख़त्म करने से पहले सज्दए तिलावत कर के खड़ा हो और सूरत को

पूरा करे और फिर रुकूअ में जाए।

मस्अला: अगर आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा न किया, लेकिन फौरन की मीआदे मुतजक्किरह गुज़रने से पहले ही रुकूअ किया और रुकूअ में सज्दा की नीयत भी कर ली तो जाइज़ है, जिस तरह नमाज़ के अन्दर बगैर नीयत के भी सज्दा जाइज़ होता है, जबकि फौरन की मीआद के अन्दर हो। फौरन की मीआद गुज़र जाने पर नमाज़ का रुकूअ या सज्दा करने से सज्दए तिलावत साकित (ख़त्म) नहीं होता और नमाज़ के अन्दर अन्दर उसकी कज़ा उस आयत के लिए खास सज्दा कर के अदा करना होगी।

मस्अला: अगर नमाज़ ख़त्म हो गई और सज्दए तिलावत नहीं किया तो अब उसकी कज़ा नहीं है, क्योंकि कज़ा का वक़्त निकल गया। अलबत्ता अगर सलाम फेर कर नमाज़ को ख़त्म किया और उसके बाद कोई अन्न मुनाफ़िए नमाज़ सरज़द न हुआ तो (यानी कोई ऐसा काम या फ़ेल नहीं किया जिससे नमाज़ टूट जाती है) सलाम के बाद ही सज्दए तिलावत कर लिया जाए और उस सूरत में जबकि आयते सज्दा सूरत के आख़िर में वाक़ेअ हो तो बेहतर ये है कि उस को पढ़ कर रुकूअ करे और उसके साथ ही सज्दए तिलावत की नीयत भी करे, लेकिन अगर सज्दए तिलावत किया और रुकूअ नहीं किया, बल्कि फिर कयाम (खड़ा हो गया) में आ गया तो मुस्तहब ये है कि अगली सूरत की चंद आयत पढ़ कर रुकूअ करे और नमाज़ पूरी कर ले।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-746 व फ़तावा दारुलउलूम सफ़हा-422 व आप के मसाइल जिल्द-3

सफ़हा-84 व इल्मुलफिक्ह जिल्द-2 सफ़हा-179)

मस्अला: सज्दए तिलावत करने के बाद खड़े हो कर एक दो आयतें पढ़ कर रुकूअ करना बेहतर है। फुकहा के नजदीक दो तीन आयतें पढ़े बगैर रुकूअ कर लेना कराहत से ख़ाली नहीं है, अगरचे नमाज़ हो जाती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-402 व आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-85 व बहरुराइक जिल्द-2 सफ़हा-122)

### सज्दए तिलावत की शर्तें

मस्अला: सज्दए तिलावत की भी वही शर्तें हैं जो नमाज़ की हैं बजुज़ तकबीरे तहरीमा और नीयत तअयुने वक़्त के, कि ये दोनों उमूर इसमें शर्त नहीं हैं। इसमें नीयत नहीं बांधी जाती।

सज्दए तिलावत के वाजिब होने की शराइत ये हैं: मुसलमान होना, बालिग़ होना, अक़ल का सही होना, हैज़ व निफ़ास से पाक होना, वही हैं जो नमाज़ की शर्तें हैं, लिहाज़ा सज्दए तिलावत काफ़िर, बच्चे, मजनून को या हैज़ व निफ़ास की हालत में जाइज़ नहीं है, इस मस्अला में आयते सज्दा के पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों में फ़र्क नहीं है, अलबत्ता अश्खासे मन्दरजा बाला में से अगर कोई शख्स सज्दा की आयत सुने और उसका सज्दा बजा लाने का बतौर अदा या बतौर क़ज़ा अहल हो तो उस पर सज्दा वाजिब हो जाता है। चुनांचे जो शख्स नशा या नापाकी की हालत में हो, उस पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है, क्योंकि वह बतौर क़ज़ा उसके बजा लाने का अहल है। हां अगर पढ़ने वाला कोई मजनून है तो उसके मुंह से सुन कर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं



होता।

**मस्अला:** यही हुक्म उस बच्चे से सुनने का है जो हद्दे शुऊर को न पहुंचा हो, क्योंकि तिलावत के सही होने के लिए तमीज़ यानी शुऊर का होना शर्त है।

**मस्अला:** इसी तरह अगर आयते सज्दा आदमी के अलावा किसी और से सुनी गई मसलन तोता ये आयते सज्दा पढ़े या आलए ज़बुस्सौत (टेप रिकार्ड वगैरा) से सुनाई दे तो सज्दा तिलावत वाजिब न होगा, क्योंकि बेशुऊर अशिया की तिलावत ही दुरुस्त नहीं है।

**मस्अला:** हनफीया और शाफ़ईया के नज़दीक इसमें इरादा की शर्त नहीं है यानी सज्दा तिलावत की आयत सुनने का इरादा न भी हो तब भी सज्दा तिलावत का हुक्म होगा। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-747 व इल्मुफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-178)

**मस्अला:** मशीन या परिदा से आयते सज्दा सुनने पर सज्दा तिलावत वाजिब नहीं होता। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-425)

**मस्अला:** बैगैर नीयते तिलावत भी आयते सज्दा पढ़ी तो भी सज्दा वाजिब होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-425)

**मस्अला:** सज्दा तिलावत की नीयत में आयत की तअयीन शर्त नहीं कि ये सज्दा फ़लाँ आयत की सबब है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-178)

**मस्अला:** जिन चीज़ों से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है उन चीज़ों से सज्दा तिलावत में भी फ़साद आ जाता है और फिर उसका लौटाना वाजिब हो जाता है, हाँ इस

क़दर फ़र्क है कि नमाज़ में कहक़हा से वुजू जाता रहता है और इसमें यानी सज्दए तिलावत में कहक़हा से वुजू नहीं जाता, औरत की मुहाज़ात (बराबर खड़ा होना) भी यहाँ मुफ़िसद नहीं। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-179)

मस्अला: आयते सज्दा अगर फ़र्ज नमाज़ों में पढ़ी जाए तो उसके सज्दा में मिस्ल नमाज़ के सज्दे के "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" कहना बेहतर है और नफ़ल नमाज़ों में या ख़ारिज नमाज़ों अगर पढ़ी जाए तो उसके सज्दे में इख़्तियार है कि "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" कहें या और तस्बीहें जो अहादीस में वारिद हुई हैं वह पढ़ें मिस्ल इस तस्बीह के "مَجْدٌ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" अगर "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" और उसको यानी दोनों को जमा कर लें तो और भी बेहतर है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-181 व किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-753)

### सज्दए तिलावत के वाजिब होने के असबाब

मस्अला: सज्दए तिलावत के वाजिब होने के तीन असबाब हैं: औवल तिलावत लिहाज़ा कुरआन हकीम की तिलावत करने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब है अगरचे उसने खुद सज्दए तिलावत की आयत को न सुना हो जैसे कोई बहरा हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सज्दए तिलावत नमाज़ के अन्दर पढ़ा गया हो या नमाज़ से बाहर, इमाम ने पढ़ा हो या मुन्फ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले) ने, लेकिन मुक्त्तदी अगर सज्दए तिलावत नमाज़ के अन्दर यानी इमाम के पीछे जमाअत में पढ़े तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब न होगा, क्योंकि इमाम के पीछे

कुरआन शरीफ पढ़ना ममनूअ है, लिहाज़ा इस हाल में तिलावतवे आयते सज्दा से सज्दा वाजिब नहीं होता, हां अगर खतीब जुमा या ईदैन के मौका पर खुतबा में आयते सज्दा पढ़े तो सज्दए तिलावत उस पर और सुनने वाले पर वाजिब होगा। ऐसी सूरत में खतीब को चाहिए कि मिम्बर से उतर कर सज्दा करे और सामईन (सुनने वाले हज़रात) भी उसके साथ सज्दा करें, ताहम इमाम का मिम्बर पर खुतबा के दौरान आयते सज्दा तिलावत करने मकरूह है, लेकिन नमाज़ के अन्दर सज्दए तिलावत मकरूह नहीं है, जबकि उसको (सज्दए तिलावत करने को) रुकूअ व सुजूद के जिम्न में अदा किया जाए। अगर सिर्फ सज्दए तिलावत अकेला किया तो मकरूह होगा क्योंकि ऐसा करने से पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में गड़बड़ पैदा होगी। (किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-751)

यानी इमाम ईदैन या जुमा की किराअत में सज्दए तिलावत पढ़े तो अलग से अदा न करे, बल्कि सज्दा में सज्दए तिलावत की भी नीयत कर ले। अगर अलग से करेगा तो मजमए कसीर में इंतिशर पैदा हो जाएगा। अवाम को मालूम नहीं होगा कि ये सज्दए तिलावत है, क्योंकि मस्अला ये है कि अगर जुमा या ईदैन में मजमए कसीर है तो बेहतर ये है कि सज्दए सहव को न किया जाए ताकि नमाज़ियों के लिए बाइसे तशवीश न हो।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-742)

दूसरा सबब आयते सज्दा का किसी और से सुनना है। अब ये सुनने वाला या तो नमाज़ की हालत में होगा या न होगा। इसी तरह आयते सज्दा पढ़ने वाला या तो

नमाज़ के अन्दर होगा या नमाज़ से बाहर। अगर सुनने वाला नमाज़ की हालत में है ख्वाह वह मुन्फरिद हो या इमाम, उस पर बकौले सही सज्दए तिलावत मुक्त्तदी से सुना तो सज्दए तिलावत कर ले, लेकिन अगर सिसी ने सज्दए तिलावत मुक्त्तदी से सुना तो सज्दए तिलावत वाजिब न होगा। यही हुकम उस सूरत में है जबकि किसी मुक्त्तदी ने अपने इमाम के अलावा बाहर से सज्दए तिलावत सुना। अगर इमाम से सुना और मुक्त्तदी पहली रकअत से शरीक है तो सज्दए तिलावत में इमाम की पैरवी लाजिम है और अगर मस्बूक है यानी कुछ रकअत होने के बाद शरीके जमाअत होने वाला है और सज्दए तिलावत से पहले इमाम के साथ शरीके नमाज़ हो गया था तब भी उसे इमाम के साथ सज्दा करना चाहिए, इमाम की पैरवी करना चाहिए। और अगर कोई शख्स इमाम के सज्दए तिलावत करने के बाद उस रकअत में शामिल हुआ जिसमें आयते सज्दा पढ़ी गई तो कतअन सज्दए तिलावत न करे। हां उससे अगली किसी रकअत में शामिल हुआ तो नमाज़ के बाद सज्दए तिलावत कर ले।

तीसरा सबब मुक्त्तदी होना है कि अगर इमाम ने सज्दए तिलावत किया तो मुक्त्तदी पर उसका अदा करना वाजिब है अगरचे उसने सुना न हो। (किताबुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-752 व इल्मुलफिक्ह जिल्द-2 सफ़हा-177)

**मस्अला:** बाज़ औरतें हैज़ या निफ़ास की हालत में भी आयते सज्दा सुनने से अपने ज़िम्मा सज्दए तिलावत वाजिब समझती हैं, ये ग़लत है, अगर हैज़ या निफ़ास की हालत में किसी से आयते सज्दा सुन ली तो उन पर

सज्दा वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-42)

### सज्दए तिलावत से मृतअल्लिक मसाइल

**मस्अला:** एक आयत की तिलावत पर एक ही सज्दा वाजिब होता है, अलबत्ता मजलिस बदलने पर वही आयत फिर पढ़ी तो उसका सज्दा अलग वाजिब होगा।

(आप के मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-84)

**मस्अला:** अगर चारपाई (पलंग) सख्त हो कि उस पर पेशानी धंसे नहीं और उस पर पाक कपड़ा भी बिछा हुआ हो (जबकि पलंग नापाक हो) तो सज्दए तिलावत अदा हो सकता है वरना नहीं।

**मस्अला:** तिलावत के दौरान आयते सज्दा को आहिस्ता पढ़ना बेहतर है, ताकि किसी दूसरे के ज़िम्मा सज्दा वाजिब न हो। (आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-86)

**मस्अला:** उस्ताद कई बच्चों को एक ही आयते सज्दा अलाहिदा अलाहिदा पढ़ाता है तो एक ही सज्दा करना पड़ेगा। बशर्तेकि मजलिस एक ही हो। लेकिन उस्ताद जितने बच्चों से सज्दा की आयत सुनेगा उतने ही सज्दे सुनने की वजह से वाजिब होंगे।

**मस्अला:** दो आदमी एक ही आयते सज्दा पढ़ें तो दोनों पर दो सज्दे वाजिब होंगे। एक खुद पढ़ने का और दूसरा सुनने का। (आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-87)

**मस्अला:** जिसने सज्दा की आयत तिलावत की हो उसी के अदा करने से सज्दए तिलावत अदा होगा, कोई दूसरा शख्स उसकी जगह अदा नहीं कर सकता।

(आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-89)

**मस्अला:** जिन लोगों के कान में सज्दा की आयत

पड़े, ख्वाह उन्होंने सुनने का क़स्द किया हो या न किया हो, उन पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है। बशर्तेकि उनको मालूम हो जाए कि सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी गई। अगर तरावीह की रिकार्डिंग दोबारा रेडियो और टी० वी० से ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट की जाए और सज्दए तिलावत की आयत सुनी जाए तो सज्दा वाजिब नहीं होगा। नीज़ औरतें अगर ख़ास अयाम में आयते सज्दा सुनें (किसी से) तो उन पर सज्दा वाजिब नहीं है।

(आप के मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-88)

**मस्अला:** टेप रिकार्डर पर आयते सज्दा सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होता है। (आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-88)

**मस्अला:** अगर किसी ने लाउडस्पीकर पर तिलावते कुरआन सुन ली और उसमें सज्दा आए तो सुनने वाले पर जबकि सुनने वाले को मालूम हो कि ये सज्दा की आयत है, उस पर सज्दा वाजिब है।

(आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-87)

**मस्अला:** रेडिया पर आयते सज्दा सुनने से सामईन पर सज्दए तिलावत वाजिब होगा क्योंकि ये कारी (पढ़ने वाले) ही की आवाज़ है और ग्रामोफ़ून से जो आवाज़ निकलती है उसको नक़ल और अक्स तिलावत लिखा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-12 सफ़हा-22)

**मस्अला:** अगर किसी परिंदे को आयते सज्दा रटा दी गई तो उसके पढ़ने से भी सुनने वालों पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं क्योंकि परिंदा का पढ़ना तिलावते सहीहा नहीं, इसी तरह अगर किसी ने आयते सज्दा की तिलावत की, किसी शख्स ने खुद उसकी तिलावत तो नहीं सुनी

मगर उसकी आवाज़ पहाड़ या दीवार या गुम्बद से टकरा कर उसके कान में पड़ी तो उस सदाए बाज़ग़शत के सुनने से भी सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा।

अलगर्ज उसूल ये है कि तिलावते सहीहा के सुनने से सज्दए तिलावत वाजिब होता है, टेप रिकार्डर की आवाज़ तिलावत नहीं इसलिए उसके सुनने से सज्दए तिलावत वाजिब नहीं है। (तिलावते सहीहा नहीं है) और लाउडस्पीकर आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है और जो आवाज़ मुक्तदियों तक पहुंचती है वह जूं का तूं इमाम की तिलावत व तकबीर की आवाज़ होती है। बरख़िलाफ़ टेप रिकार्डर के क्योंकि टेप आवाज़ को महफूज़ कर लेता है। अब जो टेप रिकार्डर बजाया जाएगा ये उस तिलावत का अक्स होगा जो उस पर की गई वह बजाते खुद तिलावत नहीं। इसलिए एक को दूसरे पर कयास करना सही नहीं है।

(आप के मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-231)

**मस्अला:** दिल दिल में आयते सज्दा पढ़ने से सज्दा वाजिब नहीं होता क्योंकि तिलावत करना ज़रूरी है, बगैर तिलावत के सज्दा वाजिब नहीं होता। (ज़बान से पढ़ने से होता है)। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-446, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-55 व फ़तावा महमूदिया जिल्द-6 सफ़हा-22)

**मस्अला:** मजमए आम में अगर आयते सज्दा वाज़ (तकरीर करने वाले) से सुनी जाए तो सब सुनने वाले अलाहिदा अलाहिदा सज्दा करें, क्योंकि आयते सज्दा सुनने और पढ़ने से वाजिब हो जाता है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-426, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1

सफ़हा-717)

मस्अला: तमाम कुरआन मजीद के सज्दा हाए तिलावत यानी चौदह सज्दै अखीर में एक साथ करे तो ये भी जाइज है और बेहतर ये है कि उसी वक्त करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-427, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-721)

मगर ताखीर की गुंजाइश जब है जब कि सज्दै तिलावत नमाज़ में न हो, क्योंकि नमाज़ में फ़ौरन अदा करेगा। (रफ़अत कासमी गुफिरलहू)

मस्अला: तुलूअ और गुरुब और जवाले आफ़ताब के वक्त सज्दै तिलावत भी हराम है, मगर जब कि आयते सज्दा उन्हीं औकात में पढ़े तो सज्दा भी उन औकात में दुरुस्त है और सुब्ह की नमाज़ के बाद ता तुलूए आफ़ताब और बाद नमाज़े अस्र ता गुरुब और सुब्हें सादिक़ पर सज्दै तिलावत दुरुस्त है, जबकि उन्हीं औकात में सज्दै तिलावत किया जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-431 व आपके मसाइल जिल्द-3 सफ़हा-85)

मस्अला: सुनने वालों पर सज्दा करना वाजिब होता है, अगर उन्हीं ने न किया यानी सुनने वालों ने, तो पढ़ने वाले पर कुछ गुनाह नहीं है और पढ़ने वाला सुनने वालों की तरफ़ से सज्दै तिलावत नहीं कर सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-431)

मस्अला: बिला वुजू सज्दै तिलावत जाइज नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-427)

मस्अला: अगर किसी ने नमाज़ में सज्दा की आयत



पढ़ी और सज्दा किया, फिर किसी वजह से दोबारा नमाज़ दुहराने की ज़रूरत पेश आ गई और फिर वह ही आयते सज्दा पढ़ी तो दोबारा सज्दा करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-428)

**मस्अला:** आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा किया और उठ कर कुछ आगे याद न आए और रुकूअ में चला जाए तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है नमाज़ सही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-426)

**मस्अला:** अगर कोई शख्स आयते सज्दा लिखे या दिल दिल में पढ़े ज़बान से न कहे या एक एक हुरूफ़ कर के यानी हिज्जे से पढ़े पूरी आयत एक साथ न पढ़े या इसी तरह किसी से सुने तो इन सब सूरतों में सज्दए तिलावत वाजिब न होगा। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-178)

**मस्अला:** सज्दए तिलावत जिनको अदा नहीं किया उनकी अदाएगी की सूरत ये है कि अंदाज़ा कर के सज्दए तिलावत पूरा करे। रोज़ाना जिस कदर हो सके सज्दे बनीयते कज़ा कर लिया करे, उसका कफ़ारा यही है कि सज्दे करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4 सफ़हा-429, बहवाला रहुलमुह्तार जिल्द-1 सफ़हा-721)

**मस्अला:** जुमा और ईदैन और आहिस्ता आवाज़ की नमाज़ों में आयते सज्दा न पढ़ना चाहिए। इसलिए कि सज्दा करने में मुक्तदियों के इशितबाह का खौफ़ है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-181)

**मस्अला:** सज्दए तिलावत उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन पर नमाज़ वाजिब है। अदाअन या कज़ाअन, नीज़

हैज़ व निफ़ास वाली औरतों पर वाजिब नहीं, नाबालिग़ पर और ऐसे मजनून पर वाजिब नहीं है जिसका जुनून एक दिन रात से ज़्यादा हो गया हो, ख़्वाह उसके बाद जाइल हो या नहीं। और जिस मजनून का जुनून एक दिन रात से कम रहे उस पर वाजिब है। इसी तरह मस्त और जुनुबी यानी जिसको नहाने की हाजत हो उस पर भी वाजिब है। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-178)

**मस्अला:** अगर कोई शख्स सोने की हालत में आयते सज्दा तिलावत करे उस पर भी सज्दा तिलावत वाजिब है, बाद इत्तिला के यानी जबकि सोने वाले को मालूम हो जाए कि मैंने सज्दा की आयत पढ़ी थी।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-177)

**मस्अला:** आयते सज्दा का किसी इंसान से सुनना, ख़्वाह पूरी आयत सुने या सिर्फ़ लफ़्ज़े सज्दा मआ एक लफ़्ज़ मा कब्ल या बाद के सुने और ख़्वाह वह अरबी ज़बान में से या किसी और ज़बान में और ख़्वाह सुनने वाला जानता हो कि ये तर्जुमा आयते सज्दा का है या न जानता हो लेकिन न जानने की सूरत में अदाए सज्दा में जिस कदर ताख़ीर होगी उसमें वह माज़ूर समझा जाएगा।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-177)

**मस्अला:** मुक्त्दी से अगर आयते सज्दा सुनी जाए तो सज्दा वाजिब न होगा, न उस पर न उस इमाम पर न उन लोगों पर जो उस नमाज़ में शरीक हैं, हाँ जो लोग उस नमाज़ में शरीक नहीं ख़्वाह वह लोग नमाज़ ही न पढ़ते हों या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हों तो उन पर सज्दा वाजिब होगा। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-178)

यानी किसी मुक्तदी ने अपने इमाम के पीछे जोर से सज्दा की आयत पढ़ दी तो सज्दे तिलावत वाजिब न होगा, सिर्फ जमाअत से अलग लोगों पर होगा।

(मुहम्मद रफअत कासमी गुफिरलहू)

**मस्अला:** सज्दे तिलावत में नीयत नहीं बांधी जाती, बल्कि सज्दा की नीयत से अल्लाहुअकबर कर सज्दा में चला जाए और अल्लाहुअकबर कह कर उठ जाए, सलाम फेरने की भी जरूरत नहीं है, नीज बैठे बैठे सज्दे तिलावत कर लेना जाइज है और खड़े हो कर सज्दा में जाना अफजल है। (आपके मसाइल जिल्द-3 सफ्हा-84)

**मस्अला:** बाज लोग सज्दे तिलावत कर के दोनों तरफ सलाम फेरते हैं ये गलत है यानी सलाम फेरने की जरूरत नहीं है। (अगलातुलअवाम सफ्हा-74)

**मस्अला:** उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स तमाम आयतों सज्दा की तिलावत एक ही मजलिस में करे तो हक तआला शानहू, उसकी मुश्किल को दफा फरमाता है और ऐसी हालत में इख्तियार है कि सब आयतों एक दफा पढ़ लें, उसके बाद चौदह सज्दे कर लें, या हर एक को पढ़ कर उसका सज्दा करते जाएं।

(इल्मुलफिक्ह जिल्द-2 सफ्हा-181)

**मस्अला:** खारिजे नमाज का सज्दा नमाज में और नमाज का खारिज में बल्कि दूसरी नमाज में भी नहीं अदा किया जा सकता, पस अगर कोई शख्स नमाज में आयतें सज्दा पढ़े और सज्दा करना भूल जाए तो उसका गुनाह उसके जिम्मा होगा, जिसकी तदबीर इसके सिवा कोई नहीं कि तौबा करे या अरहमुराहिमीन अपने फजल

से मआफ़ फ़रमा दे।

**मस्अला:** अगर कोई शख्स नमाज़ की हालत में किसी दूसरे से आयते सज्दा सुने, ख़्वाह दूसरा भी नमाज़ में हो तो ये सज्दा ख़ारिजे नमाज़ का समझा जाएगा, नमाज़ के अन्दर न अदा किया जाएगा, बल्कि ख़ारिजे नमाज़ में अदा करे। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-179)

**मस्अला:** नमाज़ का सज्दा ख़ारिजे नमाज़ में उस वक़्त अदा नहीं हो सकता जबकि नमाज़ फ़ासिद न हो, अगर फ़ासिद हो जाए और उसका मुफ़िसद ख़ुरूजे हैज़ यानी हैज़ का आना न हो तो वह सज्दा ख़ारिज में अदा कर लिया जाए। और अगर हैज़ की वजह से नमाज़ में फ़साद आया हो तो वह सज्दा मआफ़ हो जाता है।

**मस्अला:** सारी सूरत की तिलावत करना और सज्दा की आयत को छोड़ देना ग़लत है। सिर्फ़ सज्दा से बचने के लिए आयते सज्दा न छोड़े, क्योंकि इसमें सज्दा करने से गोया इनकार है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-25 व इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-181)

**मस्अला:** तरावीह में इमाम ने दो रकअत की नीयत बांधी, पहली या दूसरी रकअत में सज्दा तिलावत की आयत पढ़ी और सज्दा किया और दो रकअत पूरी कीं, फिर दो रकअत की नीयत बांधी और सहवन (ग़लती से) वही सज्दा तिलावत की आयत पढ़ी तो इस सूरत में दूसरा सज्दा करना होगा, क्योंकि तकबीरे तहरीमा कह कर दूसरी नमाज़ शुरू करने से हुकमन मजलिस बदल जाती है। (मराकियुलफ़लाह सफ़हा-686, फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-428)

मस्अला: इमाम ने सूरहए "अलिफ़, लाम, मीम सज्दा" तिलावत की और सज्दा किया और फिर उसी जगह नमाज़े फ़ज्र वगैरा में उसी सूरत को दोबारा पढ़ा, तो दूसरा सज्दा लाज़िम होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-404, अलअशबाह सफ़हा-191)

मस्अला: बाज़ औरतें कुरआन शरीफ़ पर ही सज्दा कर लेती हैं, ये ग़लत है। क्योंकि इससे सज्दए तिलावत अदा नहीं होता। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-42)

मस्अला: अगर एक आयत सज्दा की तिलावत एक ही मजलिस में कई बार की जाए तो एक ही सज्दा वाजिब होगा। और अगर एक आयत सज्दा की पढ़ी जाए, फिर वही आयत मुख्तलिफ़ लोगों से सुनी जाए जब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा। अगर सुनने वाले मजलिस न बदलें तो एक ही सज्दा वाजिब होगा, ख़्वाह पढ़ने वाले की मजलिस बदल जाए या न बदले। और अगर सुनने वाले की मजलिस बदल जाए तो उस पर मुतअद्द सज्दे वाजिब होंगे, ख़्वाह पढ़ने वाले की मजलिस बदले या न बदले। अगर पढ़ने वाले की मजलिस बदल जाएगी तो उस पर भी मुतअद्द सज्दे वाजिब होंगे। मजलिस बदलने की दो सूरतें हैं: एक हकीकी दूसरी हुक्मी।

अगर मकान (जगह) बदल जाए तो हकीकी, और अगर मकान न बदले बल्कि कोई ऐसा फ़ेल सादिर हो जिससे ये समझा जाए कि पहले फ़ेल को क़तअ (पहले काम को ख़त्म) कर के अब ये दूसरा फ़ेल शुरू किया है तो हुक्मी है।

हकीकत की मिसाल (1) दो घर जुदा जुदा हों और

एक घर से दूसरे घर में चला जाए बशर्तकि एक दो कदम से ज़्यादा चलना पड़े। (2) सवार हो और उतर पड़े।

हुक्मी की मिसाल आयते सज्दा की तिलावत कर के दो एक लुक़्मा से ज़्यादा खाना खा लिया या किसी से दो एक कलिमे से ज़्यादा बातें करने लगा, या लेट कर सो गया, या ख़रीद व फ़रोख़्त में मशगूल हो गया, अगर एक दो लुक़्मा से ज़्यादा न खाए, किसी से एक दो कलिमा से ज़्यादा बातें न करे, लेट कर न सोये बल्कि बैठे बैठे सोये, तो इन सब सूरतों में मजलिस न बदलेगी। इसी तरह कोई तस्बीह पढ़ने लगे या बैठे से खड़ा हो जाए तब भी मजलिस मुख़्तलिफ़ न होगी।

**मस्अला:** अगर एक आयते सज्दा कई मरतबा एक ही मजलिस में पढ़ी जाए तो इख़्तियार है कि सब के बाद सज्दा किया जाए या पहली ही तिलावत के बाद, क्योंकि एक ही सज्दा अपने माक़ब्ल और माबाद की तिलावत के लिए काफी है, मगर एहतियात इसमें है कि सब के बाद सज्दा किया जाए। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-2 सफ़हा-180)

**मस्अला:** अगर एक ही जगह सज्दा की आयत को कई बार दुहरा कर पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे सब दफ़ा पढ़ कर अख़ीर में सज्दा करे या पहली दफ़ा पढ़ कर सज्दा कर ले फिर उस सज्दा की आयत को दुहराता रहे। (जैसा कि हिफ़ज़ करने वालों को ज़रूरत पेश आती है)। और अगर जगह बदल गई तब उसी को दुहराया, फिर तीसरी जगह जाके वही आयत फिर पढ़ी, इसी तरह बराबर जगह बदलती रही तो जितनी दफ़ा दुहराए यानी पढ़े उतने ही मरतबा सज्दा करे।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-43 बहवाला मजमउल अन्हर सफ़हा-158)

मस्अला: अगर एक ही जगह बैठे बैठे सज्दा की कई आयतें पढ़ीं तो जितनी भी आयतें पढ़ीं उतने ही सज्दा करे।

मस्अला: बैठे बैठे सज्दा की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ कर खड़ा हो गया, लेकिन चला फिरा नहीं, जहां बैठा था वहीं खड़े खड़े वही आयत फिर दुहराई तो एक ही सज्दा वाजिब है।

मस्अला: एक जगह सज्दा की आयत पढ़ी, फिर उठ कर किसी काम को चला गया और फिर उसी जगह आ कर दोबारा वही आयत पढ़ी तब भी दो सज्दे करे।

(क्योंकि मजलिस बदल गई)

मस्अला: एक जगह बैठे बैठे सज्दा की कोई आयत पढ़ी फिर जब कुरआन शरीफ़ की तिलावत कर चुका तो उसी जगह बैठे बैठे किसी और काम में मशगूल हो गया जैसे खाना खाने लगा या औरत बच्चे को दूध पिलाने लगी, उसके बाद फिर वही आयत उसी जगह पढ़ी, तब भी दो सज्दे वाजिब होंगे, क्योंकि जब कोई और काम करने लगे तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई।

मस्अला: घर के कमरा या दालान के एक कोने में सज्दा की कोई आयत पढ़ी, फिर दूसरे कोने में जा कर वही आयत पढ़ी, तब भी एक ही सज्दा काफ़ी है, चाहे जितनी मरतबा पढ़े। अलबत्ता अगर दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत फिर पढ़े तो दूसरा सज्दा करना पड़ेगा, फिर तीसरे काम में लगने के बाद अगर पढ़े तो तीसरा सज्दा वाजिब होगा।

मस्अला: अगर बड़ा घर हो तो दूसरे कोने में जा कर दुहराने से दूसरा सज्दा वाजिब होगा और तीसरे कोने पर तीसरा सज्दा वाजिब होगा।

मस्अला: मस्जिद का भी यही हुक्म है, जो एक कोठरी का हुक्म है, अगर सज्दा की एक आयत कई दफ़ा पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे एक ही जगह बैठे बैठे दुहराया करे या मस्जिद में इधर उधर टहल-टहल कर पढ़े।

मस्अला: अगर नमाज़ में सज्दा की एक ही आयत को कई दफ़ा पढ़े तब भी एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे सब दफ़ा पढ़ कर आखिर में सज्दा करे या एक दफ़ा पढ़ कर सज्दा कर लिया, फिर उसी रकअत या दूसरी रकअत में वही आयत पढ़ी। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-45)

मस्अला: पढ़ने वाले की जगह नहीं बदली, एक ही जगह बैठे बैठे एक आयत को बार बार पढ़ता रहा, लेकिन सुनने वाले की जगह बदल गई कि पहली दफ़ा और जगह सुनना था और दूसरी दफ़ा और जगह तो पढ़ने वाले पर एक ही सज्दा वाजिब है और सुनने वाले पर कई सज्दे वाजिब हैं जितनी दफ़ा सुने उतने ही सज्दे करे।

मस्अला: अगर सूरत में कोई शख्स आयत न पढ़े बल्कि फ़कत सज्दा की आयत पढ़े तो उसका कुछ हरज नहीं है। और अगर नमाज़ में ऐसा करे तो उसमें ये शर्त है कि वह इतनी बड़ी हो कि छोटी तीन आयतों के बराबर हो, लेकिन बेहतर ये है कि सज्दा की आयत को दो एक आयत के साथ मिला कर पढ़े। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-2 सफ़हा-45, बहवाला मजमउल अन्हर जिल्द-1 सफ़हा-158 व शरह वक़ाया जिल्द-1 सफ़हा-233)



मसअला: अगर किसी के सज्दा हाए तिलावत रह गए हों। (अदा न कर सका इंतिकाल हो गया) तो एहतियात इसमें है कि हर सज्दा के बदले पौने दो सेर गेहूं या उसकी कीमत का सदका करे।

(जवाहिरुलफिक्ह जिल्द-1 सफ़हा-393)

### उन आयत का ब्यान जिन पर सज्दा तिलावत वाजिब है

कुरआन मजीद में चौदह आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने और सुनने से एक सज्दा वाजिब होता है, तफ़सील उन आयतों की ये है-

(1) सूरए आराफ़ के अखीर में ये आयत- **إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحُونَ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ (प-१)**

(2) सूरए रअद के दूसरे रुकूअ में ये आयत-

**“وَلِلَّهِ يَسْجُدَمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا  
وَظِلًّا لَهُمْ بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ (प-१३)”**

(3) सूरए नहल के पाँचवें रुकूअ के अखीर की ये आयत- **“وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (प-१२)”**

(4) सूरए बनी इस्राईल के बारहवें रुकूअ में ये आयत- **“وَيَخْرُونَ لِلذَّقَانِ يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (प-१५)”**

(5) सूरए मरयम के चौथे रुकूअ में ये आयत-

**“وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمٰنِ خَرُوا سَاجِدًا وَبُكِيًا (प-१६)”**

(6) सूरए हज के दूसरे रुकूअ में ये आयत-

**“أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (प-१८)”**

(7) सूरए फुरकान के पाँचवें रुकूअ की ये आयत-

“وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ط (प-१९)“

(8) सूरए नमल के दूसरे रुकूअ में ये आयत—

“أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط (प-१९)“

(9) सूरए सज्दा के दूसरे रुकूअ में ये आयत—

“إِنَّمَا يَوْمٌ مِنْ بَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ“ (प-२१)“

(10) सूरए साद के दूसरे रुकूअ में ये आयत—

“وَخَرُّرَا كَعَا وَأَنَابَ ط فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ط (प-२३)“

(11) सूरए हामीम सज्दा के पाँचवें रुकूअ में ये आयत—

“فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ط (प-२४)“

(12) सूरए नज्म के आखिर में ये आयत—

“فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا“ (प-२८)“

(13) सूरए इंशिकाक में ये आयत—

“فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ط (प-३०)“

(14) सूरए इकरा में ये आयत—

“وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ط (प-३०)“

नोट: मालिकीया और हनफीया सूरए हज की आखिरी आयत को उन मकामात में शुमार नहीं करते जिनमें सज्दए तिलावत किया जाता है।

(किताबुलफिक्ह जिल्द-१ सफ़हा-७५५)

Maktab\_e\_Ashraf

खत्मे तरावीह पर हाफिज़ का नज़राना लेना

मुअर्रखा 2 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी  
12-5-1986 ई0

सवाल: क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुपितयाने शरअे मतीन दर्ज ज़ैल मस्अला में—

कि रमज़ानुलमुबारक में हुफ़ाजे किराम तरावीह सुनाते हैं और खत्मे तरावीह के बाद लोग हाफिज़ साहब को कुछ नज़राना देते हैं, आम तौर से यही है कि कोई रक़म उसके लिए तैय नहीं होती है। बल्कि बरवक्त कपड़े वगैरा या सिर्फ़ रुपये जितना होता है लोग देते हैं। क्या हाफिज़ साहब के लिए नज़राना लेना जाइज़ नहीं है? अगर हाफिज़ साहब ने नज़राना लिया तो क्या इस कुरआन के सुनने, सुनाने वालों को कोई सवाब मिलेगा या नहीं? क्या नज़राना लेने वाले हाफिज़ साहब के पीछे तरावीह पढ़ने से तरावीह सही नहीं और क्या उसका सवाब नहीं मिलेगा?

जवाब जल्द इनायत किया जाए, यहां सख़्त इतिशार है।

अलमुस्ताफ़ती

एम. मुख्तार अहमद

डूमेस्टिक स्टोर्स, सरय्या गंज, मुज़फ़्फ़रपूर

बास्मल्लेलाहहिर्रहमार्निरहीम

अलजवाब न० - 1162

कुरआन पढ़ना और सुनना भी ताअत व इबादत है। हजरत इमाम आजम अबूहनीफ़ा अलैहिर्रहमा का मस्लक ये है कि ताअत पर उजरत लेना जाइज़ नहीं। लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार होगा। मुतक़्दिमीन का यही मस्लक है लेकिन मुतअख़्ख़रीन हनफ़ीया ने इमाम आजम और मुतक़्दिमीन के मस्लक में वक़्त की ज़रूरीयात और हालात के पेशे नज़र कुछ सहूलत पैदा की और तौसीअ बतलाया। तालीमे कुरआन के ख़त्म हो जाने के ख़तरा की बुनियाद पर तालीमे कुरआन पर उजरत को जाइज़ करार दिया। मस्जिदों की आबादी और जमाअत के मतरूक हो जाने के ख़तरा की बिन पर अज़ान व इक़ामत व इमामत पर उजरत को दुरुस्त कहा गया। रमज़ान की तरावीह में कुरआन सुनाने पर मुतक़्दिमीन की राए हमें मालूम नहीं, ग़ालिबन इस जुर्इया पर मुतक़्दिमीन साकित (ख़ामोश) हैं। इस वक़्त भी हजरत मौलाना थानवी (रह.) और दारुलउलूम देवबंद का फ़तावा यही है कि रमज़ान शरीफ़ में कुरआन सुनाने पर उजरत लेना जाइज़ नहीं और पहले से उजरत मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं। और अगर ये बात पहले से जानी बूझी हो कि हम कुरआन सुनाएंगे और उसमे रुपये मिलेंगे और सुनने वाले ये समझते हों कि हम कुरआन सुनेंगे और हम कुछ देंगे तो

इस हालत में भी कुरआन सुनाने पर कुछ लेना या कुछ देना जाइज़ नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारी राय ये है कि अगर तरावीह के मौका पर कुछ लेना और कुछ देना हराम करार पाए तो कुछ दिनों के बाद तदरीजन हुफ़ाज़ की तादाद में कमी आती जाएगी और थोड़े अरसे के बाद मस्जिदों में तरावीह के अन्दर कुरआन ख़त्म करने का सिलसिला मस्दूद हो जाएगा। रमज़ान के दो अरकान में ये एक रुक़न यानी क़यामे लैल कमज़ोर पड़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों से तरावीह की जमाअत बंद हो जाएगी। और जहां जहां सूरए तरावीह होगी उसमें बहुत थोड़े लोग शरीक हुआ करेंगे। और रमज़ान में रात की रौनक जिसे इस दौर में इस्लाम का शिआर कहा जा सकता है कम से कमतर हो जाएगी। दरजाते हिफ़ज़ में बच्चों की तादाद घटने लगेगी और हुफ़ाज़ जब तरावीह पढ़ाना छोड़ देंगे तो कुरआन भूल जाएंगे। इस तरह हिफ़ज़े कुरआन ख़तरा में पड़ जाएगा। तरावीह के सिलसिले में जो सूरतेहाल है उससे हम नज़री और फ़र्ज़ी तरीकों से उहदा बर आ नहीं हो सकते। बल्कि हमें वाकई और अमली सूरतों पर गौर करना होगा। हमारे ख़्याल में वाकई शक़ल वही है जिसका नक़शा ऊपर खींचा गया। इसलिए हमारी राय है कि तरावीह में कुरआन सुनाने से मुतअल्लिक भी वही तौसीअ पैदा की जाए जो तालीमे कुरआन, तालीमे हदीस, तालीमे फ़िक्ह, इमामत, अज़ान व इक़ामत के मुतअल्लिक दी गई है। बाज़ाबता भाव बढ़ा करना तो मुनासिब नहीं मालूम होता। चूँकि कुरआन सामने है और उसके अदब का तकाज़ा ये है कि

उसकी तालीम और उसके सुनाने पर मोल तोल न किया जाए। लेकिन सुनने वालों का ये फरीजा है कि वह कुरआन सुनाने वाले की खिदमत अपनी हैसियत से बढ़ कर करे। क्योंकि उसने अपना कीमती वक़्त सुनने वालों को दिया। अपने अयाम व औकात को उसने महबूस किया। लिहाज़ा हाफिज़े कुरआन के लिए नज़राना लेना जाइज़ है और नज़राना लेने वाले हाफिज़ के पीछे तरावीह पढ़ना बिल्कुल सही है और उसका पूरा सवाब भी मिलेगा।

जवाब सही है

वल्लाहु तआला अलमु

○ मुहम्मद शम्सुल हक, मदरसा जामिआ रहमानी, मूंगेर  
शैखुल हदीस जामिआ रहमानी (मूंगेर)

12-9-1406 हिजरी

○ मिन्नतुल्लाह रहमानी गुफिरलहू

12 रमज़ानुलमुबारक 1406 ई०

○ उजरत का मसअला तो जेरे बहस आ सकता है मगर नज़राना के जवाज़ में क्या शुब्हा है।

जुबैर अहमद कासमी, उस्ताज़े फ़िक्ह जामिआ रहमानी (मूंगेर)

12-9-1406 हिजरी

○ हालाते ज़माना के पेशे नज़र जो गुंजाइश दी गई है वह फ़िक्ह के मुताबिक है।

मौलाना मुहम्मद जफ़ीरुद्दीन गुफिरलहू, मुकीम ख़ानकाह  
रहमानी (मूंगेर)

मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद, ज़िला-सहारनपूर।

○ अलमुजीबु मुसीबुन (जवाब देने वाले ने सही जवाब दिया)

मुहम्मद सदरे आलम गुफिरलहू, साबिक मुफ़्ती इमारते शरईया  
बिहार व उड़ीसा। 12-9-1406 हिजरी

○ मौलाना मुहम्मद शहाबुद्दीन कौसरी, मुहल्ला वलीपूर  
वार्ड-12, वाहिद रोड, सुपोल सहरसा (बिहार)

13 रमजान 1406 हिजरी

○ हजरत अमीरे शरीअत मदा जिल्लहू की राए हालात के  
पेशे नजर अन्सब है।

नसरुल्लाह, दारुलइफता इमारते शरईया, खानकाह (मूंगेर)

12-9-1406 हिजरी

○ अलजवाबु सहीहुन

(मौलाना) सगीर अहमद रहमानी, उस्ताज़ जामिआ रहमानी  
(मूंगेर) 14 रमजान 1406 हिजरी।

○ अलजवाबु सहीहुन

(मौलाना) मुहम्मद तस्लीम (साहब)

नाइब नाज़िम जामिआ रहमानी, खानकाह (मूंगेर)

12 रमजानुलमुबारक 1406 हिजरी

○ जवाब दुरुस्त है

(मौलाना) अब्दुलमजीद मिफताही, जामिआ रहमानी (मूंगेर)

11 रमजानुलमुबारक 1406 हिजरी

○ अलमुजीबु मुसीबुन

मुहम्मद नेमतुल्लाह कासमी

मुफती इमारते शरईया बिहार व उड़ीसा, खानकाह रहमानी  
(मूंगेर) 12 रमजानुलमुबारक 1406 हिजरी।



मुहतरम व मुकर्रम उलमाए दीन व मुफितयाने शरअे  
मतीन

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू  
बाद सलाम मसनून!

दरयाफ्त तलब अम्र ये है कि रमज़ान 1406 हिजरी में दारुलइफ़ता मुंगेर से एक फ़तवा शाए हुआ है (जो इस इस्तिफ़ता के साथ मुन्सलिक है) उसमें तरावीह में ख़ल्मे कुरआन पर जो लेन देन होता है उसको उजरत के बजाए नज़राना का नाम दे कर, नीज़ बहुत सी अक्ली इल्लतें और ख़दशात का इज़हार कर के और दूसरे फ़िक्ही जुर्इयात पर कयास कर के जाइज़ करार दिया गया है।

क्या ये क़वाएदे फ़िक्हीया के मुवाफ़िक और दुरुस्त है? क्या इसमें मज़कूर इल्लतें सही हैं? और क्या इस तरह की गुंजाइश निकाली जा सकती है? बराहे करम वज़ाहत फ़रमाएँ। फ़कत, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अलमुस्तफ़ती  
मुहम्मद मुस्तफ़ा अलमनसूरी  
राजपूर (मध्य प्रदेश)



बिइस्मिही सुब्हानहू तआला

अलजवाबु—

“و بسم الله العظمة والتوفيق”

“حامد او مصليا و مسلما، و بعد:” मुंगेर बिहार के फ़तावा 1162 मुजरीया 12 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी की इब्तिदाई सुतूर में तो ख़्वाह उजरत के नाम से हो या



नज़राना के इस लेन देन को नाजाइज़ ही होने की सराहत की गई है। हज़रत थानवी नौवरल्लाहु मरक़दहू ने इमदादुलफ़तावा जिल्द औवल में इस पर बस्त व तफ़सील से ज़लाम फ़रमाया है, जिसका हासिल मूंगेर के फ़तवा में बसूरते अदमे जवाज़ तहरीर कर दिया गया है और यही दलाइल की रू से सही है। बाकी आगे चल कर हज़रते अक़दस मौलाना अलहाज मिन्नतुल्लाह रहमानी (रह.) ने अपनी राए जाहिर फ़रमाई है, बहुत मुम्किन है कि हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह नौवरल्लाहु मरक़दहू और उनके फ़तवा की तस्हीह फ़रमाने वाले हज़रात के सामने उस वक़्त किसी मख़सूस एलाका के ऐसे नजुक हालात हों कि जिन का फ़तवा में ज़िक्र है और उन्हीं मजबूर कुन हालात की वजह से फ़तवा में गुंजाइश लिखी है, ताहम इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि तजरबा और मुशाहदा हम लोगों का ये है कि बाज़ मदारिस और हुपफ़ाज़ ऐसे हैं कि जिनके यहां लेने देने को बहुत सख़्ती के साथ ममनूअ करार दे दिया गया और बेशुमार हुपफ़ाज़ हर साल बग़ैर कुछ लिए दिए तरावीह में कुरआने करीम सुनने सुनाने का एहतिमाम करते हैं और उसकी बरकात का मुशाहदा ये है कि हुपफ़ाज़ की तादाद में अलहम्दुलिल्लाह हर साल इज़ाफ़ा होता जाता है। बाज़ एलाकों में ऐसा जुमूद तारी था कि बच्चों को हिफ़्जे कुरआन कराने का नाम ही न लेते थे, बस इतना हक़ कुरआन शरीफ़ का समझते थे कि रमज़ान शरीफ़ में दूर दराज़ एलाका से किसी हाफ़िज़ साहब को बुला कर सुन लिया जाए और इस पर उनको मुआवज़ा या नज़राना दे दिया जाए, लेकिन

जब लेन देन बंद हुआ तो अलहम्दुलिल्लाह उस एलाका में खुद वहां के मुसलमान बच्चों में हिफ्जे कुरआन की अहमियत पैदा हुई और बगैर कुछ लेन देन आज वह एलाका इस मआमला में खुदकफ़ील है। हासिल ये है कि तराबीह सुनने सुनाने पर उजरत या नज़राना के नाम पर लेन देन शरअन नाजाइज़ है और यही दलाइल के एतेबार से हक़ है। कुरआन करीम के अदब व एहतेराम की यही सूरत मुनासिब है। बल्कि खुद हुफ़ाजे किराम के भी एजाज़ व इकराम का सबब है और ये उमूर ऐसे जाहिर हैं कि जिन पर किसी दलील के काइम करने की हाजत नहीं। जो शख्स जब चाहे मुशाहदा कर ले।

फकत

वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलमु।

अहकर महमूद गुफिरलहू बुलंद शहरी

दारुलउलूम देवबंद

22-8-1418 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन

हबीबुरुहमान गुफिरलहू

अलजवाबु सहीहुन

मुहम्मद अब्दुल्लाह कश्मीरी गुफिरलहू



“باسمہ سبحانہ و تعالیٰ”

सवाल: (1) रमज़ान में हुफ़ाजे किराम कुरआन सुनाने की उजरत को जाइज़ करने के लिए ये हीला

करते हैं कि एक दो फ़र्ज नमाज़ों की इमामत अपने जिम्मे ले लेते हैं तो क्या इस तरह हीला करने से उजरत लेना जाइज़ होगा?

जाइज़ की सूरत में हज़रत थानवी (रह.) की मुन्दर्जा ज़ैल इबारत की क्या तौजीह होगी।

यहां मकसूद इमामत नहीं है, बल्कि तरावीह में कुरआन सुनाना है "इसलिए ये भी जाइज़ नहीं" इमदादुल फ़तावा, मतबूआ देवबंद जिल्द-1 सफ़हा-485। नीज़ इसी सफ़हा के हाशिया में लिखा हुआ है कि दियानात में हीला जाइज़ नहीं है।

**सवाल:** (2) सामेअ (सुनने वाला) का उजरत मुतअयन कर के उजरत लेना शरअन कैसा है?

**नोट:** सामेअ को अहले मुहल्ला इस बात का पाबंद बनाते हैं कि तुम को हमारी मस्जिद ही में नमाज़ पढ़नी होगी, तो क्या इस सूरत में सामेअ को अपने हब्से वक़्त की उजरत लेना जाइज़ होगा।

अल मुस्तफ़ती

मुहम्मद रौशन शाह अकोलवी



“باسمه سبحانه وتعالى”

अलजवाब

व बिल्लहित्तौफीक

(1) तौजीह की क्या ज़रूरत है? हज़रत थानवी (रह.) ने जो फ़तवा तहरीर फ़रमाया वह दुरुस्त है।

(2) इसकी गुंजाइश है। मुलाहजा हो इमदादुलफतावा  
जिल्द-1 सफ़हा-496।

फकत

वल्लाहु तआला आलमु

अहकर महमूद-हसन गुफ़िरलहू बुलंद शहरी

दारुलउलूम देवबंद

2-9-1413 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन

हबीबुर्रहमान

अलजवाबु सहीहुन

कफीलुर्रहमान



## नफ़ल की नमाज़ जमाअत से पढ़ना

मख़दूमि व मुकर्रमी हज़रत मुफ़्ती साहब दारुलउलूम देवबंद दामत बरकातुहुम

अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

गुज़ारिश ख़िदमते अक़दस में है कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मस्अला में कि अगर कोई हाफ़िज़े कुरआन मजदी बाद नमाज़े इशा, या तहज्जुद में नफ़लों में कुरआन करीम पढ़ता है और उस हाफ़िज़ के पीछे कसीर तादाद में नमाज़ी कुरआन सुनने के लिए सवाब की नीयत से शरीक हो जाएँ तो क्या इस तरीक़ा से नफ़लों में कुरआन सुनना और सुनाना जाइज़ है या नजाइज़। और इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ज़्यादा तादाद में नफ़लों की जमाअत कर सकते हैं कि नहीं? और क्या उन लोगों को इस तरीक़ा से सवाब होगा या नहीं? नवाज़िश फ़रमा कर जवाब से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ, ऐन करम होगा।

फ़क़त वस्सलाम

(अलमुस्तफ़्ती) मुहम्मद मुस्तकीम देवबंद, मुहल्ला

ज़ियाउल हक़

23—रमज़ानुलमुबारक 1408 हिजरी

باسمه تعالى  
"الجواب بالله التوفيق"

दुर्रमुख्तार में है—

"ان يكره ذلك لو على سبيل التداعى بان يقتدى اربعة بواحد  
(كمافى الدرر) ولا خلاف فى صحة الاقتداء اذلا مانع (الى)  
قوله) ولو لم ينوى الامامة لا كراهة على الامام."

और इसी के तहत शामी में है—

"لو اقتدى به واحد او اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به قال

الرحمى ينمى ان تكون الكراهة على المتأخرين ١٢."

इन इबारात से मालूम हुआ कि दो तीन मुक्तदियों से ज्यादा को जमाअत में लेकर इमामत करे तो अहनाफ़ के नज़दीक मकरूह है। अलबत्ता अगर सिर्फ़ दो तीन मुक्तदियों को लेकर जमाअत शुरू कर दे और बाद में आने वाले खुद आ कर शरीके जमाअत हो जाएँ और इमाम उनके इमामत की नीयत न करे तो इमाम पर और उन दो तीन मुक्तदियों पर जो शुरू से शरीके जमाअत थे कराहत न आएगी। बल्कि कराहत सिर्फ़ बाद में आने वालों पर होगी।

"هكذا فى الفتاوى المحمودية" जिल्द-2 सफ़हा-161.

"وفى الفتاوى دارالعلوم ديوبन्द"

"والله تعالى اعلم"

कतबहू अल अब्दु!

निज़ामुद्दीन आजमी, मुफ़्तये दारुलउलूम, देवबंद

24-9-1408 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन

हबीबुर्हमान खैरआबादी मुफ़्तये दारुलउलूम देवबंद

14-9-1408 हिजरी

तंबीहः मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है।

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब

24-9-1408 हिजरी



### एक इल्तिमास

आखिर में एक इल्तिमास है कि रमजानुलमुबारक में जहां आप हजरात अपने लिए दुआ फरमाएँ, मुरत्तिब और उसके मरहूम वालिदैन को भी अपनी दुआवों में याद फरमा कर इन्दल्लाह माजूर हों।

“رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”

मुहम्मद रफ़अत कासमी

मुदरिस दारुलउलूम, देवबंद

23-रजबुलमुरज्जब 1406 हिजरी

मुताबिक 4 अप्रैल 1986 ई0 (बरोज जुमा)



## मआखिजे किताब

नाम किताब	मुसनिफ व मुअल्लिफ	मतबअ
मुअरिफुल कुरआन	मुफ्ती मु० शफीअ साहब (रह.) मुफ्तिये आजम पाकिस्तान	रब्बानी बुक डिपो, देवबंद
मुअरिफुल हदीस	मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामत बरकातुहुम	अलफुरकान बुक डिपो ३१ नया गाँव लखनऊ
फतावा दारुलउलूम	मुफ्ती अजीजुर्रहमान साबिक मुफ्तिये आजम दारुलउलूम, देवबंद	मकतबा दारुलउलूम, देवबंद
फतावा रहीमिया	मुफ्ती सैयद अब्दुरहीम साहब (रह.)	मकतबा मुनशी स्टेट रादेर, जिला सुरत
फतावा रशीदिया कामिल	मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.)	कुतुब खाना रहीमिया, देवबंद
फतावा महमूदिया	मुफ्ती महमूदुलहसन (रह.) मुफ्तिये आजम दारुलउलूम, देवबंद	मकतबा महमूदिया जामा मस्जिद, शहर मेरठ
इमदादुल फतावा	मौलाना अशरफ अली थानवी (रह.)	इदारा तालीफते औलिया, देवबंद
इमदादुलमुफ्तीयीन	अज इफादात मुफ्ती मु० शफीअ साहब (रह.)	इदारा अलमआरिफ डाक खाना, दारुलउलूम कराची
फतावा आलमगीरी तर्जुमा हिन्दीया	अल्लामा सैयद अमीर अहमद (रह.)	मतबअ नवलकिशोर, लखनऊ
किफायतुल मुफ्ती	मुफ्ती किफायतुलल्लाह (रह.) देहवली	कुतुब खाना एजाजिया, देवबंद
इल्मुलफिक्ह	मौलाना अब्दुशकूर (रह.) साहब लखनऊ	कुतुब खाना एजाजिया, देवबंद
जवाहिरुलफिक्ह	मुफ्ती मु० शफीअ (रह.) मुफ्तिये आजम पाकिस्तान	आरिफ कपनी, देवबंद
किताबुलफिक्ह अलल- मजाहिबिलअरबआ	अल्लामा अब्दुर्रहमान अल जजीरी	मतबआते मोहकमर औक्वफ पंजाब लाहौर, पाकिस्तान



बदाए सनाए	अलाउद्दीन अबीबक्र	सैयद एच. एम. अदब मंजिल, कराची
शामी		पाकिस्तान
दुरेमुख्तार व रहुलमुस्तार, काजी खाँ		पाकिस्तान
आलमगीरी		मिन्नी
सगीरी कबीरी		लखनऊ
सिहाहसित्ता		क़ुतुबख़ाना रशीदिया, दिल्ली
हिदाया		क़ुतुबख़ाना रशीदिया, दिल्ली
नूरुलइज़ाह व अशरफ़ुलइज़ाह		मक्तबा थानवी, देवबंद
मज़ाहिरे हक़ जदीद	इफ़ादाते अल्लमा नवाब क़ुतुबुद्दीन (रह.)	इदारा इस्लामियात, देवबंद
रक़आते तरावीह	मौलाना हबीबुर्रहमान साहब मद्दाज़िल्लहू	मदरसा मिफ़ताहुलउलूम, मऊ, आज़म गढ़
अनवारुलमसाबीह	मौलाना क़सिम नानैतवी (रह.) बानिये दारुलउलूम, देवबंद	मक्तबा दारुलउलूम, देवबंद
हिस्ने हसीन	बइज़ाफ़ा हवाशी व फ़वाइद मौलाना इदरीस साहब मदरसा इस्लामिया, कराची	नसीर बुक डिपो, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली-13
मसाइले सज्दए सत्त्व	मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ैरआबादी मुफ़्तिये दारुलउलूम, देवबंद	हिरा एकेडमी, देवबंद
फ़ज़ाइले रमज़ान	हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करया साहब (रह.)	बस्ती निज़ामुद्दीन देहलवी
बहिश्ती ज़ेवर	मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह.)	मक्तबा थानवी, देवबंद
मअर्रिफ़े मदनीया	इफ़ादात मौलाना हुसैन अहमद मदनी (रह.)	मदरसा इमदादुलइस्लाम, सदर बाज़ार, मेरठ
अनवारुलबारी शरह बुख़ारी	अल्लामा अनवर शाह कशमीरी (रह.)	मक्तबा अनवरीया विजनौर
अशरफ़ुलजवाब	मौलाना थानवी (रह.)	क़ुतुब ख़ाना महमूदिया, देवबंद